खण्ड-467, अंक-4
गुरुवार, 25 माघ, शक संवत् 1929
(14 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
विधान सभा सदस्य श्री पंकज कुमार के विरुद्ध की गयी एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-83
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	83-84
कानपुर गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण भू-गर्भ जल दूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना झिनझाना क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद झांसी में ए0पी0जी0आर0पी0 योजना में स्वीकृत धनराशि से शहर के विद्युत सुधार हेतु रुके हुये कार्य को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86
बुलन्दशहर के ग्राम निदामपुर बांगर से गांव फरीदाबांगर तक के मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद बहराइच के उप कोषागार, महसी में सरकारी धन की लूट की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद बलरामपुर के ग्राम देवारीखेड़ा के ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग की भूमि से हटकर अन्यत्र जूनियर हाई स्कूल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जमींदारी विनाश अधिनियम में कतिपय संशोधन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन टंकी एवं बोरिंग ट्यूबवेल में घटिया सामग्री व गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88-89

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के बंजारा समाज एवं पशुओं का व्यापार करने वाले लोगों का पुलिस एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
सीतापुर के ग्राम बभनावां में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	89-90
आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-12 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	90-91
जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 17 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के सन्दर्भ में जिला स्तरीय बैठक में जिला विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप द्वारा जनपद के विधायक श्री पंकज कुमार के साथ अभद्रता एवं विधायिका के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91-104
छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने विषयक दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को नियम-5[illegible] के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	104-106
जनपद हाथरस की सादाबाद तहसील की मांट ब्रांच की 7 व हाथरस ब्रांच के रजबाहों एवं अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने विषयक तृतीय सत्र, 2007 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-65 का उत्तर सिंचाई मंत्री द्वारा गलत एवं फर्जी आंकड़ों के आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106-108
सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक एवं दो माह के लिए लेखानुदान एक साथ लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	108-111
लंदन में प्रकाशित जयश्री मिश्रा की "रानी" नामक पुस्तक में लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में अशोभनीय और तथ्यहीन बातें होने के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त पुस्तक के प्रसारण बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	111-115
नगरीय विधान सभा क्षेत्रों के लिए 225 हैण्डपम्प मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद गोरखपुर में हैण्डपम्पों के लिए धनराशि जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	115-118

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा एवं उनके भाई श्री अशोक चौहान पर हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118-119
श्री अनूप कुमार गुप्ता के परिवार को जिला पुलिस, सीतापुर द्वारा अनावश्यक प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	119-120
सेन्ट्रल जेल, वाराणसी में डिप्टी व वरिष्ठ जेलर द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद यादव के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	120-121
पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 (दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से 6 दिसम्बर, 2007 तक) के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	121
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	121
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	122
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	122
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	123-201
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाये जाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	201
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	201-203
पण्डित आर0 के0 शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री हिमांशु गौतम, उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार, दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के व्यवहार की जांच कराये जाने की सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	203-205
नत्थियां	206-215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-350

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद

आर0 के0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा

जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददूदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़

मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर, श्री	प्रतापगढ़
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव

राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्ध नगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सदस्य श्री पंकज कुमार के विरुद्ध की गयी एफ0 आई0 आर0 के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध किया था कि हमारे एक माननीय विधयक श्री पंकज मलिक, जो मुजफ्फरनगर से निर्वाचित हैं और पहली बार निर्वाचित हुये हैं, उनके खिलाफ एक बिल्कुल मनगढ़ंत फर्जी एफ0 आई0 आर0 लिखवाई गई है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये इसको हम सुन लेंगे, पहले प्रश्नकाल हो जाये।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान विधायकों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी करने की मांग

**1-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में बढ़ती मंहगाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान विधायकों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो वेतन भत्तों में वृद्धि कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या छठा वेतन आयोग लागू हो रहा है, सरकार ने बजट में प्राविधान भी किया है ? महामहिम राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाया जा रहा है। तो क्या माननीय विधायकों का वेतन और भत्ता कुपन नहीं बढ़ाया जायेगा। मान्यवर, जब छठा वेतन आयोग लागू हो जायेगा तो जो हम लोगों के अधीनस्थ हैं, प्रोटोकाल में आते हैं, कर्मचारियों की सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ जायेगी और माननीय विधायकों के प्रति सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। मान्यवर, आप संरक्षक हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि-

"महसूस ये होता है, ये दौर-ए-तबाही है,
शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है।"

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से सवाल किया कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार वर्तमान विधायकों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? उत्तर आया, जी नहीं। अब जब सरकार बजट में भी प्राविधान कर रही है कर्मचारियों के लिये और सरकार बचत का बजट पेश कर रही है। यह ठीक है मान्यवर कि सत्ता पक्ष के लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है लेकिन विपक्ष में बैठे हुये हम माननीय विधायकों को मान्यवर, इतना कम मिल रहा है, इस बढ़ती हुई महंगाई में तो उसको पूरा नहीं पड़ता है। इस पर माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें उन्होंने कहा, जी नहीं। फिर मैंने कहा यदि हां, तो वेतन भत्तों में वृद्धि कब तक कर दी जायेगी ? तो उत्तर आया कि प्रश्न नही उठता।

श्री अध्यक्ष-

यह भाषण का विषय नहीं है, अनुपूरक प्रश्न कोई पूछिये ?

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, इसका कोई तार्किक उत्तर दिला दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न से सहमत होते हुये भी असहमत हूं। ये वृद्धि की आवश्यकता विधायकों के लिये नहीं है बल्कि उस जनता के लिये है जो विधायकों से मिलने के लिये आती है, विधायकों से कार्य लेती है और विधायकों को जन सम्पर्क करना चाहिये। हम आज वृद्धि की जो बात कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने मतदाताओं तक जा सकें, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से मिल सकें, उसमें से सहूलियत देने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, प्रश्न थोड़ा सा समझाने के लिये बड़ा हो रहा है मान्यवर, अब एक उदाहरण लें जैसे रेलवे की बात है।

आबकारी, लोक निर्माण, आवास गन्ना एवं चीनी खाद्य मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

आप सवाल पूछिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वहीं तो बता रहा हूं, आज आपको इस सवाल की जरुरत नहीं है आज तो आपके पास एच0 ओ0 आर0 है, कार है, हवाई जहाज है, आज आपको इस सवाल की जरुरत नहीं है और भगवान करे कभी न हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मान्यवर रेल का किराया बढ़ता जाता है, एक साधारण सी बात है कि रेल का जो भी किराया, एक लाख 50 हजार के करीब है वह उसी तरह मिलना चाहिये, जो वाहन भत्ता है वह अलग से कर दिया जाये। तो वाहन भत्ता मिलने का तुक क्या है ?

मेरा अनुरोध है कि सदन में इसके लिये चर्चा न करायी जाये और प्रश्नोत्तर भी न कराया जाय। आप अपने कार्यालय कक्ष में सभी दलीय नेताओं को बुला लें और वहीं पर कुछ वृद्धि तय करा दें।

मान्यवर, आज की बढ़ती हुई जरुरतों को पूरा करने के लिये, मतदाताओं की आवश्यकताओं को देखते हुये, विधायकों की आवश्यकताओं को देखते हुये नहीं, उत्तर प्रदेश के विधायकों की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये। तो इसके लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

मान्यवर, आप इस प्रश्न को यही पर समाप्त करने का कष्ट करें।

(सदन में कई सदस्यों की आवाजें "हम सब सहमत हैं")

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। दलीय नेताओं की बैठक में यह मसला लिया जायेगा, वहां पर इस पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना

**2-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर एवं आगरा की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्य योजना बनाई गई है।

कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे स्वच्छ ईंधन (सी0एन0जी, लो सल्फर डीजल) की आपूर्ति किया जाना, वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच किया जाना, पी0यू0सी0 (पोल्यूशन अण्डर कण्ट्रोल) प्रणाली को उच्चीकृत किया जाना, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण हेतु भारत स्टेज 2 एवं भारत स्टेज 3 मानकों को लागू किया जाना, शहरी क्षेत्र में संचालित वाहनों की अधिकतम अनुमन्य समय सीमा निर्धारित किया जाना, लूज 2 टी आयल की बिक्री समाप्त किया जाना, वृक्षारोपण कराया जाना तथा पार्किंग पालिसी तैयार करके लागू किये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित किये गये हैं। लखनऊ, कानपुर एवं आगरा शहर में कार्य योजना का क्रियान्वयन माह अप्रैल, 2006 से लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कई बिन्दुओं परजवाब दिये हैं। सी0 एन0 जी0 की बात आ गयी, यह भी आ गया कि वाहनों का चालान किया जा रहा है यह भी बात आ गयी कि वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कितने वाहनों

का ध्वनि प्रदूषण में चालान किया गया। कितने वाहनों का वायु प्रदूषण में चालान किया गया है। और कितनों के खिलाफ इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया है ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कितने उद्योग ऐसे हैं जिससे आम जनता आज वायु प्रदूषण के कारण पीड़ित है, कितने उद्योगों से आम जनता ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित है और जिन उद्योगों से ज्यादा पीड़ित हैं उसमें कितने उद्योगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है ? इसके अतिरिक्त यह भी बताने का कष्ट करें कि ऐसे कितने उद्योगों के खिलाफ मामले लम्बित हैं और कितने में निर्णय हो चुका है ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जहां तक वाहनों की संख्या का प्रश्न है 14026 वाहनों की जांच की गयी जिसमें 1755 वाहनों को दोषी पाया गया और जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। जहां तक वायु प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, मान्यवर, दिसम्बर, 2007 तक 147 उपक्रमों की जांच की गयी इसमें वायु प्रदूषण के कारण 51 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 53 उद्योगों को बंद करने की कार्यवाही की गयी जिसमें से वायु प्रदूषण के कारण 14 उद्योग बंद किये गये हैं।

श्री उदय राज-

श्रीमन्, जनपद उन्नाव में दही की चौकी से लेकर 5 कि0 मी0 क्षेत्र में यह स्थिति में है कि शीशा बंद करने के बाद भी इतना प्रदूषण होता है कि उस इलाके मे जो लोग रह रहे हैं, उनसे परेशान हैं। वहां जो फैक्ट्रियां हैं उनसे प्रदूषण होने के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या उन फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध और उन्हें इस हेतु रोके जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ? यह प्रदूषण वायु प्रदूषण से सम्बन्धित है।

श्री नकुल दुबे-

श्रीमन्, जहां तक फर्मों को बंद करने का प्रश्न है हमारे पास सूची उपलब्ध है मैं वह माननीय उदय राज जी को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रश्न बनता है कि जो वायु प्रदूषण है इससे सबसे ज्यादा संकट का कारण पैदा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग देश के लिये नहीं बल्कि दुनिया के लिये बहुत बड़ा संकट का कारण बन रहा है। इस पृष्ठभूमि मे देखते हुये कि शुद्ध जल साफ हवा सौ मर्जों की एक दवा। और आक्सीजन ऐसी है उसको हम शुद्ध कर सकेंगे। वायु को शुद्ध कर सकेंगे तो इसके लिये बहुत बड़े स्तर पर चिन्तन करके सब नेताओं के साथ बैठ करके, यह जो माननीय सदस्यगण ने पूछा है फैक्ट्री का मामला है, आपने कहा कि यह वायु से सम्बन्धित है। तो वायु से सम्बन्धित होने के बावजूद जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारा जो सबसे बड़ा संकट बन रहा है, उत्तर प्रदेश जो दुनिया का आठवां प्रदेश है यदि हम इस प्रदेश को ठीक कर सकते हैं तो इस

पर गम्भीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि माननीय सदस्यगण के साथ नहीं तो माननीय नेतागण के साथ बैठक करके इस पर कोई ऐसी व्यापक नीति का निर्धारण करेंगे जिससे इस संकट से इस प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाया जा सके ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक गौरी शंकर जी की सलाह की सराहना करता हूं और मैं स्वागत करूंगा सम्पूर्ण सदन का, सभी माननीय सदस्यों का कि अगर इस संदर्भ में आप लोग अपनी-अपनी राय लिखित रूप से देंगे तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण वाहन प्रदूषण से भी है जिसके लिए सरकार ने तमाम जगहों पर ऐसी मशीनें लगायी हैं यह यातायात विभाग बराबर चेक करता रहता है अपनी मशीनों के माध्यम से या तमाम संस्थाओं के माध्यम से कि वाहनों से प्रदूषण कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह लोग या संस्थाएं जो वायु प्रदूषण की जांच करती हैं उन संस्थाओं की भी कभी जांच होती है क्योंकि व्यावहारिक स्थिति यह है कि मशीन लगाकर सड़क के किनारे पेट्रोल पम्प पर बैठे हैं, 50 रुपया जब आदमी फीस दे देता है तो तत्काल उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वाहन में स्क्रू ड्राइवर भी लगाने की जरूरत नहीं आती है। तो क्या ऐसी संस्थाओं की जांच की गयी है और की गयी है तो किनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है और नहीं की गयी है तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की इस शंका के समाधान के लिए हम लोगों ने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रणाली को उर्ध्वीकृत करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, हम लोगों का प्रयास है वैसे तो जहां-जहां पर सी0एन0जी0 गैस उपलब्ध है हम लोग वायु प्रदूषण उन्हीं जनपदों में चेक कर सकते हैं लेकिन इस तरह की जो मशीनें हैं उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने का विचार चल रहा है और अब गाड़ियों को चेक करने के बाद जब तक कम्प्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा उससे कागज बाहर नहीं आ जायेगा तब तक उन गाड़ियों को हम लोग पोल्यूशन रहित नहीं मानेंगे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, लेड जो है आटोमोबाइल से निकलने वाला एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। तो लेड को कम करने के लिए जो लेड रहित पेट्रोल है क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि सारे पेट्रोल पम्पों पर लेड रहित पेट्रोल मिले ? दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है। क्या सार्वजनिक स्थल पर नो स्मोकिंग जोन बनाने का सरकार का कोई विचार है ? तीसरा, ग्रीन बेल्ट जो पेड़ है यह पोल्यूशन को कम करने का सबसे अच्छा साधन है जिससे कि

कार्बन डाई आक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर डाई आक्साईड जैसी गैसों को एब्जार्ब करके पेड़ इन सब चीजों को खत्म कर देते हैं इनवायरमेन्ट से तो क्या ग्रीन बेल्ट बनाने के बारे में जो फैक्ट्री है उसके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ? अगर ऐक्ट में यह प्राविधान है तो जहां पर भी फैक्ट्री है उसके उसके चारों तरफ यह ग्रीन बेल्ट बनाने का प्राविधान रखा जायेगा ? यह तीन प्रश्न मेरे हैं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जहां तक फैक्ट्रीज का प्रश्न है अगर कोई भी फैक्ट्री अपने-अपने उद्योगों से इस तरह के अपजय पदार्थ बहिष्कृत करती है तो उनके खिलाफ हमारे 24 कार्यालय पूरे प्रदेश में कार्यरत है और हम लोग उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। जहां तक वृक्षारोपण का प्रश्न है वन मंत्री जी यहां पर उपस्थित है हम लोग पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर वृक्षरोपण का कार्य कर रहे हैं।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे बुन्देलखण्ड में और प्रदेश में क्रेशर उद्योग लगे हैं और क्रेशर उद्योग से जो धूल निकलती है उससे हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह झांसी के अन्दर जो झांसी से खुजराहों और ओरक्षा जाने वाले मार्ग पर एक स्लाटर हाउस है जिसकी दुर्गन्ध इतनी ज्यादा है कि कम से कम 20 कि0मी0 तक लोग वहां रहते नहीं है और पूरा क्षेत्र वीरान हो गया है तो क्या स्लाटर हाउस और क्रेशर उद्योग द्वारा प्रदूषित वायु क्षेत्र को दुर करने की माननीय मंत्री जी की कोई योजना है या नहीं ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जैन साहब के प्रश्न के जवाब में यह कहना चाहूंगा कि जो स्लाटर हाउस के बारे में आपने कहा है, मैं उसका डिटेल उनसे प्राप्त कर लूंगा और यदि वह गलत चल रहा है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में एक पोल्यूशन बोर्ड भी गठित है और उसकी अपनी कुछ कारगुजारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष से जबसे आप सरकार में आये हैं, पोल्यूशन बोर्ड ने कोई रिपोर्ट आपके यहां पेश की थी और पोल्यूशन पर नियंत्रण करने के लिये जो वायु प्रदूषण है, उस पर उनकी कोई योजना है ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि समय-समय पर पोल्यूशन बोर्ड अपनी मीटिंग्स करता रहता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत बोर्ड ने अभी दिसम्बर, 2007 में माननीय अध्यक्ष श्री भूरेलाल की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, उस बैठक में सम्पूर्ण प्रदेश के साथ-साथ लखनऊ और कानपुर जहां पोल्यूशन की काफी मात्रा

बढ़ती देखी जा रही थी, उसका आंकलन किया, उस पर चर्चा की है। अगर माननीय सदस्य महोदय चाहेंगे तो उसकी रिपोर्ट हम आपको दे देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाराणसी में मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है और पक्के मोहल्ले हैं। इन मोहल्लों में विशेषकर चौक थानान्तर्गत जो मोहल्ले हैं वहां चांदी का बड़ा कारोबार है और चांदी गलाने की कई भट्ठियां अनधिकृत रूप से लगी हुयी हैं जिसके कारण उसमें जो तेजाब उपयोग होता है, उससे भयंकर प्रदूषण उत्पन्न होता है और लोग बीमार पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगों ने कई आवेदन-पत्र इसके विरुद्ध वहां के जिलाधिकारी और प्रदूषण विभाग को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। तो क्या माननीय मंत्री जी एक अभियान के रूप में इसको गम्भीरता से लेते हुए इन अवैध भट्ठियों को बंद कराने के लिये कोई निर्देश देंगे ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, वाराणसी जनपद के बारे में मैं माननीय चौधरी जी से आज ही पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लूंगा और उस पर तत्काल कार्यवाही करूंगा।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो वाहनों का चालान किया जाता है तो वायु प्रदूषण के तहत कितने वाहनों का चालान किया गया, ध्वनि प्रदूषण के तहत कितने वाहनों का चालान किया गया, इसका उत्तर नहीं मिला ? दूसरा सी0एन0जी0 आपूर्ति के कितने स्टेशन अभी तक हमारे प्रदेश में लगे हैं, कृपया यह बताने का कष्ट करें ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था लगता है माननीय सदस्य को कुछ दिक्कत हो गयी। पिछले वर्ष कुल 14026 वाहनों की जांच की गयी जिसमें से 1755 वाहनों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। जहां तक सी0एन0जी0 का प्रश्न है, वर्तमान समय में लखनऊ, कानपुर और आगरा में केन्द्रीय सरकार द्वारा सी0एन0जी0 गैस उपलब्ध कराई जा चुकी है और एक-दो जनपदों में बहुत शीघ्र ही सी0एन0जी0 की आपूर्ति होने जा रही है। वहां भी वायू प्रदूषण से सम्बन्धित संयंत्र लगाये जायेंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि प्रदेश के तीन शहरों में सी0एन0जी0 संचालित वाहन चलाये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं, हम लोग नये सदस्य हैं, नये सदस्यों को भी मौका दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य तो गुप्ता जी भी है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने श्री मदन चौहान जी के सवाल के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश के तीन शहरों आगरा, कानपुर और लखनऊ में सी0एन0जी0 गैस से वाहनों को चलाने के लिए कार्ययोजना बनायी है और यह मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है, यह मुझे जानकारी है। लेकिन मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आगरा जिले के अन्दर सी0एन0जी0 गैस से चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने रोक लगा दी और दूसरा सवाल यह है जो वायु प्रदूषण से सम्बन्धित है। वायु को प्रदूषित करने का सबसे ज्यादा काम वाहन कर रहे हैं पूरे देश के अन्दर। मैं अभी एक दिन की घटना बता रहा हूं, मुझसे एक मोटर साइकिल वाले ने कहा कि विधायक जी हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन पर चालान कर दिया और सारे कागज हमारे पास हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेन्स भी है इंश्योरेन्श भी है, पोल्यूशन हमारा दो दिन पहले खत्म हो गया था। मैंने दरोगा जी से पूछ लिया कि आपकी बाइक का पोल्यूशन कार्ड आपके पास है क्या ? उनके पास था ही नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो आज तक चेक कराया ही नहीं तो जो सरकारी अधिकारियों के वाहन हैं क्या सरकार उनका भी पोल्यूशन चेक कराने का काम करेगी ? यह दो सवाल है एक तो आगरा से सी0एन0जी0 गैस से चालित वाहनों का आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सी0एन0जी0 गैस की व्यवस्था लागू की गई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके दोनों प्रश्न आ गये।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आगरा के बारे में और जो दूसरा प्रश्न आपने किया है इन दोनों प्रश्नों के बारे में सूचना मैंने ग्राह्य कर ली है, मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शुगर मिल और चमड़ा मिल है क्या इनके ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ठीक ढंग से चल रहे हैं ? क्या ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से उनका पानी निकाला जा रहा है ? हमारे यहां की जितनी भी शुगर मिलें हैं उनका पूरा पानी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और केवल दिखावे के लिए ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चलाया जा रहा है।

श्री नकुल दुबे-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित है, आप इसे बाद में मुझे दे दीजिएगा।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

श्रीमन्, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की बात हो चुकी है एक और बड़ा प्रदूषण है जल प्रदूषण। हम लोग अवगत हैं कि प्रमुख नदियां जो महानगरों के किनारे से हो करके गुजरती है उनमें प्रदूषण की बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। आप कानपुर में गंगा और लखनऊ में गोमती की स्थिति को देख सकते हैं। गंगा में आगे चलकर थर्मल पावर की पूरी राखी बिना ट्रीटमेन्ट हुए डाल दी जाती है और ट्रीटमेन्ट प्लान्ट केवल नाम के लिए चलता है। इससे जहां पर यह राख गिरायी जाती है वहां पर पूरा पानी काला हो जाता है। समय-समय पर अनेक संस्थाओं ने यह आवाज उठायी है कि नदी का जल स्वच्छ होना चाहिए तो क्या कोई ठोस योजना आपकी सरकार ने गंगा और गोमती के जल को स्वच्छ करने के लिए बनायी है। अगर है तो बतायें ?

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियों का विवरण तथा उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं से वंचित किये जाने का आधार

*1-श्री हुकुम सिंह (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0-140-(बी) 26-700 (5)/1959, दिनांक 26 मार्च, 1962 में उत्तर प्रदेश की किन-किन जातियों को विमुक्त जाति दर्शाया गया है ? क्या उक्त सभी जातियां अभी भी विमुक्त जाति की सुविधायें प्राप्त कर रही हैं ? क्या उनमें से कुछ जातियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो वंचित की गई जातियां कौन हैं, और वंचित करने का क्या आधार है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

शासनादेश सं0-148-(बी) 26-700 (5)/1959 दिनांक 26 मार्च, 1962 में उत्तर प्रदेश की कुल 19 जातियां यथा-1-मुसहर, 2-नट, 3-पासी, 4-दुसाध, 5-गूजर, 6-कंजर, 7-खटिक, 8-बरवार, 9-बावरिया, 10-भांतू, 11-हबूड़ा, 12-सांसिया, 13-करवल, 14-अहेरिया (बहेलिया), 15-बदक, 16-बेड़िया, 17-भर, 18-चमार, 19-डोम को विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित करने का उल्लेख है।

भर जाति को छोड़कर उपर्युक्त जातियों को विमुक्त जाति की सुविधायें नहीं मिल रही है।

जी हां।

वंचित की गयी जातियां क्रमशः 1-मुसहर, 2-नट, 3-पासी, 4-दुसाध, 5-गूजर, 6-कंजर, 7-खटिक, 8-बरवार, 9-बावरिया, 10-भांतू, 11-हबूड़ा, 12-सांसिया, 13-करवल, 14-अहेरिया

(बहेलिया), 15-बदक, 16-बेड़िया, 17-चमार, 18-डोम हैं। शासनादेश संख्या-529/26-3-2001-3 (12)/80, दिनांक 27 फरवरी, 2001 में उक्त जातियों का विमुक्त जाति की सूची में उल्लेख न होने के कारण हुआ है।

प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहित एवं खेल प्रतिभाओं का पलायन रोकने हेतु नीति

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने एवं खेल प्रतिभा के पलायन को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा कोई विशेष खेल नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खेल प्रतिभा के पलायन को रोकने हेतु प्रदेश में विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, विशेष प्रतिभाओं को चिन्हित कर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु छात्रावास स्पोर्ट्स कालेज संचालित करने विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने तथा खेल संघों को वित्तीय सहायता की नीति लागू की जा रही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में एवं पुलिस विभाग में समूह ग एवं घ पर नियुक्त किये जाने हेतु दो प्रतिशत आरक्षण तथा एकल एवं टीम खेल के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उ0 प्र0 के मूल निवासी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था है।

पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की भी व्यवस्था है तथा ऐसे खिलाड़ी किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद के आयोजन में निःशुल्क प्रवेश के अधिकारी होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ खेल नीति के विषय में उन्होंने बताया है और जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ दिया गया है ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, खेल विभाग द्वारा स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाना है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ी को नकद पुरस्कार एकल एवं टीम गेम में अलग-अलग दिया जाता है। पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी ने समझा नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं। ...

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब केवल इतना जानना चाहते हैं कि विगत 3 वर्षों में जिन पुरस्कारों को दिया गया है वह किसको-किसको दिया गया है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

जो नौकरी के लिए उन्होंने बताया है। विगत 3 वर्षों में ये सुविधायें किसको-किसको दी गयीं ? किसको नौकरी दी गयी और किसको-किसको पुरस्कार दिया गया, यह बता दें ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, इसमें 16 लोगों को दिया गया है। नाम मुझे याद नहीं है कि किसको-किसको दिया गया है, लेकिन दिया गया है मैं माननीय सदस्य को सूची के साथ पूरी सूचना दे दूंगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने एवं खेल प्रतिभा के पलायन को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा कोई विशेष खेल नीति बनायी गयी है ? मेरा सीधा प्रश्न है कि लखनऊ में जो स्टेडियम खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं, मेरी निश्चित जानकारी में है कि वहां पर खेलकूद को प्रोत्साहन देने के बजाए वह शादी ब्याह में बुकिंग मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजाजीपुरम् इण्डोर स्टेडियम लगातार शादी ब्याह के बुकिंग करने का काम आता है, खेलकूद के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह स्टेडियम को केवल खेलकूद के प्रयोग के लिए अनुमति देंगे और अन्य कार्य के लिए प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, स्टेडियम को शादी ब्याह में देने का प्रश्न ही नहीं है, नियमों में खेलकूद के लिए ही आवंटित कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। यदि मा0 सदस्य के संज्ञान में है तो दे देंगे, मैं उस पर कार्यवाही कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा नहीं होता है। अगर होता है तो उनके संज्ञान में ला दीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य ऐसी शादी में खुद गए हैं।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं ऐसी शादियों में खुद गया हूं जहां पर स्टेडियम में शादी हुई। अतः मंत्री जी का यह कहना कि स्टेडियम में शादी नहीं होती है यह सत्य से परे है। मैं खुद गया हूं।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

राजाजीपुरम् का स्टेडियम खेल विभाग का नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

खेल नीति में खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और इसमें सरकारी और निजी दोनों स्टेडियम आयेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न खेलकूद को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में है हो सकता है कि मंत्री जी के पास पूरा उत्तर न हो। वाराणसी में हाकी को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रोटर्फ स्टेडियम पहले बना था। हाकी में अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की दृष्टि से वाराणसी कितना महत्वपूर्ण है यह पूरा सदन जानता है। जो स्टेडियम बना है वह गलत तरीके से बन गया है। बरसात में उसमें पानी भर जाता है। लोक लेखा समिति में यह प्रकरण आया था। क्या मंत्री जी खेल को प्रोत्साहित करने के लिए और विशेष रूप से हाकी के प्रमुख केन्द्र वाराणसी को एक अच्छा स्ट्रोटर्फ स्टेडियम देने के लिए समय-सीमा के अन्दर इसकी जांच करा लेंगे ? दूसरे यह स्टेडियम पूरे मौसम खेल योग्य रहे इस योग्य बनाने के लिए अगले तीन महीने के अन्दर इसकी पूरी व्यवस्था कर देंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

इसकी जांच करा लेंगे और अगर ऐसा पाया गया तो कार्यवाही करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में नवम्बर, दिसम्बर में खेलों के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित होते हैं उसमें आपके विभाग द्वारा किस प्रकार के खेल उपकरण खिलाड़ियों को देते हैं वहां पर जो खेल उपकरण गए हैं विशेष रूप से बैडमिन्टन के शटल काक जो गए हैं वह निहायत घटिया किस्म के थे क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वह खेल नीति से सम्बन्धित है उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया अब अगर हर जिले के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाएगा। कैसा शटल काक दिया गया कैसा रैकेट था तो उसके लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होगी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न लगा दें और उसकी सूचना मंत्री जी मंगाकर दे देंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ट्रेनर्स की नियुक्ति होगी ?

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब आप अलग से प्रश्न दे दीजिए।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

प्रदेश में 118 नियमित विभिन्न 16 खेलों में प्रशिक्षकों की खेलवार संख्या इस तरह है और जो प्रशिक्षक हमने मानदेय पर रखे हैं उनकी संख्या-206 है। इस तरह से पूरे प्रदेश में हम लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं।

(कई सदस्यो के बोलने के लिये एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यहां खेलकूद मत करिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने एवं खेल प्रतिभा के पलायन को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा कोई विशेष खेल नीति बनायी गयी है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि शहर के खेल और गांव के खेल में बड़ा अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता रखी है और प्राथमिकता के अन्तर्गत क्या नीति इन्होंने बनाई है जिससे खिलाड़ियों को बढ़ावा देंगे ताकि यहां के खिलाड़ी पलायन नहीं करेंगे और यहां रुके रहेंगे ? (व्यवधान) कौन-कौन से खेल हैं इसके बारे में नहीं बताया है ? उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के बारे में तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आजकल विद्यालयों में खेलकूद एकदम बन्द हो गये हैं जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय खेलकूद अनिवार्य होते थे। उसका एक पीरियड होता था। एक गेम्स टीचर हुआ करते थे और खेलकूद का सामान भी उपलब्ध रहता था। लेकिन आजकल विद्यालयों में खेलकूद बिल्कुल बन्द हो गये हैं। क्या इसको दोबारा जिन्दा करने के लिये इण्टरमीडिएट तक के विद्यालयों में खेलकूद को अनिवार्य करने के लिये विचार करेंगे ? उसकी कोई घोषणा करेंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

पहले अनिवार्य था लेकिन अब इस समय ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने संसाधन इकट्ठा किये हैं। जैसे हमने क्रीड़ा छात्रावास का किया है जिसमें 370 सीट है। उन सीटों को बहिन मायावती जी ने अभी दोगुना किया है जो कि बढ़कर 740 हो गयी हैं। इस तरह से हम खेल नीति से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां तक कालेजों में इसको लागू करने का सवाल है, हम इसको दिखवा लेंगे।

(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है कि खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रदेश में काश्तकारों को यूरिया एवं डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध कराने के प्रयास

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मांग के अनुसार प्रदेश के काश्तकारों को खाद (डी0ए0पी0 व यूरिया) उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों को मांग के अनुसार खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

प्रदेश के काश्तकारों को मांग के अनुार खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि रबी 2007-08 में प्रदेश में यूरिया एवं डी0ए0पी0 उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। इस क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं दो बार मा0 प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध भी किया गया है। परिणाम स्वरूप दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश में यूरिया एवं डी0ए0पी0 की आवश्यकता क्रमशः 22.50 लाख मी0 टन एवं 9.10 लाख मी0 टन के सापेक्ष क्रमशः 22.75 लाख मी0 टन एवं 9.69 लाख मी0 टन उपलब्धता हुई है। जिसमें से क्रमशः 18.61 लाख मी0 टन एवं 8.91 लाख मी0 टन मात्रा का वितरण हो चुका है। प्रदेश सरकार निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है और आगामी माह में भी इन खादों की कोई कमी न होने पाये, इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी हुकुम सिंह जी नहीं आये हैं उन्होंने कहा था कि उनके प्रश्न पर मैं बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

समय रहेगा तो ले लूंगा।

(प्रश्न सं0-3 का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह तो कल पूछा जा चुका है। इस पर चर्चा भी हो चुकी और उत्तरित हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कल आ चुका था और उत्तरित भी हो गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कल डी0ए0पी0 नहीं था मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

कल डी0ए0पी0 भी झटके में आ गया था खन्ना साहब।

(श्री ओझा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब कल आपने बहुत अनुपूरक किये थे। नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों के भी विचार आ चुके थे और अभी तो अनुपूरक भी नहीं हुआ है आप कहां से बीच में खड़े हो गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखने से हमारी बात की पुष्टि होती है कि खाद की कमी थी।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक आश्वासन इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से चाहता हूं आगामी वर्ष में कितनी खाद की मांग अनुमानित है और उसके लिये माननीय मंत्री जी ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? दूसरी बात समय पर खाद बिना ब्लैक के उपलब्ध हो जाये, इन दो बातों का उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, माननीय खन्ना साहब ने जो बात कही थी, उसमें बताना चाहूंगा कि इस वर्ष भी और पिछले लगातार दो वर्षों से साढ़े दस लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 की आवश्यकता पड़ती है जो लक्ष्य रहा है। आगामी वर्षों का जो लक्ष्य है वह भी साढ़े दस लाख मीट्रिक टन होगा इसके लिये हमारी सरकार के द्वारा पिछली बार भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि डेढ़ लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 खाद का भण्डारण करने के लिये हम पैसा देना चाहते हैं हमें उपलब्ध करा दी जाये हमारी यह योजना विचाराधीन है। आगामी वर्ष में हम ढाई लाख मीट्रिक टन का भण्डारण करेंगे जिससे खाद की कमी न हो।

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी कल तो बहुत हो गया, चलिये आप बुजुर्ग आदमी हैं प्रश्न कर लीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल की सीमा पर स्थित महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जनपद से प्रत्येक दिन डी0ए0पी0 खाद और यूरिया खाद की तस्करी नेपाल को हो रही है ? आये दिन पुलिस उनको पकड़ रही है लेकिन तब भी जो जमाखोर हैं प्रशासन उन पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर सीमाओं से जो बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी नेपाल को रही है उस पर अंकुश लगाया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यह जानकारी अतीत में आई थी कि खाद की तस्करी नेपाल को होती है इसीलिये विभाग के द्वारा यह नीति बनाई गई कि हमारे प्राइवेट बैंक या को-आपरेटिव बैंक के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको वहां खाद नजदीक की बजाए एक ज्यादा एरिया में स्टोर बनाया जाये और खाद दी जाये। जब यह नीति बना दी तो वहां के सदस्यों ने यह बात करनी शुरू कर दी कि खाद लेने इतनी दूर जाना पड़ता है इसके लिये मान्यवर, कई बार छापे पड़वाये गये हैं इसके लिये पुलिस और जिलाधिकारी को हिदायत दी गई है। माननीय ओझा जी और दो-तीन माननीय सदस्यों ने पहले भी जिक्र किया था मैंने तब भी कहा था कि आप प्वाइन्ट लिखकर दे दें जहां से तस्करी होती है हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और जो भी पकड़ा जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

जनपद इलाहाबाद तथा बांदा में यू0पी0एफ0सी0 एवं पिकप द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋण तथा उसकी वसूली सम्बन्धी जानकारी

*4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में इलाहाबाद तथा बांदा जनपद में यू0पी0एफ0सी0 एवं पिकप द्वारा 31-12-07 तक किन-किन उद्योगों को 1 करोड़ रु0 अथवा अधिक के ऋण स्वीकृत किये गये हैं और उनमें से किन-किन व्यक्तियों/उद्योगों पर ऋण बकाया है ? उनसे बकाया धनराशि की वसूली के क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जनपद इलाहाबाद में पिकप द्वारा वित्त पोषित मात्र 1 इकाई मेसर्स विद्या पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 है। जनपद बांदा में किसी को ऋण नहीं दिया गया जबकि उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इलाहाबाद में 7 इकाइयों क्रमशः मेसर्स होटल साकेत, मेसर्स देवराज इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, मेसर्स ज्योति एक्सटेन्शन प्रा0 लि0, मेसर्स संगम स्ट्रक्चरल लि0, मेसर्स मेजा रोड कोल्ड स्टोरेज, मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0लि0 तथा मेसर्स विनायक इन्वेस्टमेंट तथा बांदा में मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 को ऋण दिया गया था।

मेसर्स विद्या पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 नैनी, इलाहाबाद के गारन्टर्स/बकायेदार श्री डी0एल0 गुप्ता, सी0एल0 गुप्ता, एस0के0 गुप्ता एवं श्रीमती प्रीति गुप्ता हैं जबकि यू0पी0एफ0सी0 द्वारा पोषित मेसर्स होटल साकेत के प्रवर्तक अभय नारायण पाण्डेय एवं श्रीमती मधु पाण्डेय, मेसर्स देवराज इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 के प्रवर्तक मनोज कुमार सिंह, अजीत प्रताप सिंह, डा0 देवराज सिंह, डा0 मिसेज रेखा सिंह एवं श्री राजयान सिंह मेसर्स ज्योति एक्सटेक्शन प्रा0 लि0 के प्रवर्तक श्री आनन्द गुप्ता एवं श्री एस0के0 गुप्ता, मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0 लि0 के प्रवर्तक श्री दीपक मिश्रा एवं श्री आलोक मिश्रा तथा बांदा की इकाई मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 के प्रवर्तक श्री अशोक बाजपेयी पर ऋण बकाया है।

पिकप द्वारा वसूली हेतु कम्पनी के गारन्टर्स के विरुद्ध वर्ष 2001 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसके कारण वर्ष 2002 में ओ0टी0एस0 के प्रयास हुए तथा स्वीकृत एवं वितरित ऋण के विरुद्ध कुल धनराशि रु0 188.98 का भुगतान 31-12-07 तक किया गया। वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध कम्पनी के प्रवर्तकों ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 19-3-2007 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। तथा प्रवर्तक इकाई की सम्पत्ति को बेचकर भुगतान में प्रयासरत हैं। कम्पनी इलाहाबाद बैंक की भी ऋणी है जिसके कारण बैंक द्वारा अपने देयों की वसूली हेतु ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद में दिसम्बर, 2007 में वाद दायर किया है। यू0पी0एफ0सी0 द्वारा पोषित इकाइयों में से मेसर्स संगम स्ट्रक्चरल लि0, मेसर्स मेजा रोड कोल्ड स्टोरेज, मेसर्स विनायक इन्वेस्टमेंट और मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 द्वारा निगम के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष इकाइयों (1) मेसर्स होटल साकेत द्वारा निगम को रु0 69.31 लाख, (2) मेसर्स देवराज इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा निगम को रु0 73.07 लाख, (3) मेसर्स ज्योति एक्सटेन्शन प्रा0लि0 द्वारा निगम को रु0 67.13 लाख तथा (4) मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0लि0 द्वारा निगम को रु0 146.48 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त इकाइयों के अवशेष धनराशि की वसूली हेतु राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई है तथा इकाइयों की सम्पत्तियों को विक्रय कर निगम के देयों की वसूली हेतु निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि पिकप और यू0पी0एफ0सी0 द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा इलाहाबाद और बांदा में किन-किन लोगों को ऋण दिया गया और उसमें से कितना ऋण बकाया है ? मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0 लि0 के प्रवर्तक श्री दीपक मिश्रा एवं श्री आलेक मिश्रा तथा बांदा की इकाई मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 के प्रदर्तक श्री अशोक बाजपेयी पर ऋण बकाया है। मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 को कब और कितना ऋण दिया गया और क्या इनसे वसूली के लिये आर0सी0 जारी की गई थी और कब जारी की गई थी और उन्होंने इसका भुगतान कब किया और इसी प्रकार मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0लि0 को कितना ऋण और कब दिया गया और क्या उनके खिलाफ आर0सी0 जारी की गई थी और उन्होंने कब और कितना भुगतान किया ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जनपद बांदा में मेसर्स परेरहाट स्टील लि0 के प्रवर्तक श्री अशोक बाजपेयी को रु0 163.40 लाख का ऋण दिया गया था। इकाई के अनुरोध पर वर्ष 2003 में रु0 164.00 लाख का ओ0टी0एस0 अनुमोदित किया गया इकाई द्वारा निगम को समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसी प्रकार मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0लि0 के बारे में बता दें। चूंकि इनके ऊपर तमाम मजदूरों का बकाया है और उनको भुगतान नहीं हो रहा है, उनको कब भुगतान किया उन्होंने और उसके लिये मजदूरों की भी देनदारी सुनिश्चित होनी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेसर्स मित्र प्रकाशन प्रा0लि0 के प्रवर्तक श्री दीपक मिश्रा एवं श्री आलोक मिश्रा को 100 लाख के ऋण की स्वीकृति दी गई थी। निगम के देयों के भुगतान न करने के कारण इकाई के विरुद्ध राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इनको 02-11-01 को नोटिस जारी की गई थी तथा दिनांक 03-10-02 को प्रवर्तकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण जारी किया गया। इकाई द्वारा आंशिक भुगतान भी किया गया परन्तु इकाई के प्रवर्तकों द्वारा लेखा स्थिति संतुष्ट न होने के कारण माननीय न्यायालय में एक वाद दायर कर दिया जो विचाराधीन है। इकाई द्वारा पूर्व में निगम का 146.48 का भुगतान कर दिया था।

जनपद इलाहाबाद, तहसील बारा, ग्राम झंझरा पाण्डेय में तालाबों पर फर्जी ढंग से की गई प्रविष्टि

*5-श्री उदयभान करवरिया (अनुपस्थित)-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम झंझरा पाण्डेय, तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद के तालाबों पर फर्जी ढंग से कतिपय लोगों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन नामों को निरस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी जनों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

ग्राम झंझरा पाण्डेय तहसील बारा जनपद इलाहाबाद के तालाबों पर कोई फर्जी ढंग से प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के सीमा विवाद को समाप्त करने के प्रयास

*6-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा उ0प्र0 सीमा विवाद को समाप्त करने के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

हरियाणा एवं उ0प्र0 राज्य के मध्य यमुना नदी के प्रवाह परिवर्तन से होने वाले सीमा विवाद के स्थायी समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में दीक्षित आयोग का गठन किया गया। जिसकी संस्तुति पर हरियाणा एवं उ0प्र0 (अल्ट्रेशन आफ बाउण्ड्री) एक्ट 1979 बना जो दिनांक 15-9-83 से लागू हुआ। सीमा विवाद के निस्तारण हेतु दोनों प्रान्तों के सचिव/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के स्तर पर कई चरणों में भिन्न स्थलों पर बैठकें हो चुकी हैं। दीक्षित एवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त हुई हस्तान्तरित भूमि का सीमांकन सर्वे टीम द्वारा किया जा रहा

है। सीमा विवाद के शीघ्रता से हल करने हेतु शासनादेश दिनांक 3-1-08 द्वारा उ0प्र0 के पश्चिमी जनपदों में सर्वे एवं अभिलेख क्रियायें सम्पन्न कराने हेतु कार्य हित में सर्वेक्षण इकाई मिर्जापुर को जनपद गाजियाबाद में स्थानान्तरित किया गया है। साथ ही दोनों प्रान्तों के अधिकारियों द्वारा सीमा पर सतर्क निगरानी रखी गई है ताकि किसानों के बीच विवाद न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे-किनारे हरियाणा प्रदेश पड़ता है क्योंकि किसी भी नदी का खुद का व्यवहार होता है और वह अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है।

मान्यवर, जिस कारण कुछ जमीन हरियाणा की तरफ नदी के बहाव की वजह चली जाती है तो कभी उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। इस कारण यह दीक्षित आयोग का गठन वर्ष 1975 में किया गया था। उसके बाद वर्ष 1983 में इसके ऊपर उन्होंने संस्तुति दे दी और उन्होंने इसके लिये डिमार्केशन की व्यवस्था कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि 1983 से अब तक अनेक बार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के झगड़े होते रहे हैं, अनेकों लोग घायल हैं और झगड़े की वजह से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, प्रश्न यही है कि जब क्षेत्र में अनेकों बार झगड़े हो चुके हैं और वहां कई हत्यायें हो चुकी हैं और चण्डीगढ़ में इसके लिये मुकदमें चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप जानना क्या चाहते हैं ?

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1983 से यह मामला लम्बित क्यों है ? इतने लम्बे समय से जब इतने आदमी मर चुके हैं और हजारों एकड़ जमीन विवादित पड़ी है इसके लिये बैठक करने का काम कभी हरियाणा सरकार करती है और कभी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। हरियाणा के अधिकारियों की तरफ से तो उनके यहां के प्रमुख सचिव मीटिंग में जाते हैं लेकिन हमारे यहां से डी0एम0 स्तर के अधिकारी भी नहीं जाते हैं बल्कि तहसीलदार या एस0डी0एम0 स्तर के अधिकारी वहां जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1983 से लेकर अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई है यह बता दें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर इसमें समय-समय पर दोनों प्रान्तों के अधिकारियों के बीच बैठकें होती रहती हैं दिनांक 24-4-06 को करनाल जनपद में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जिलों जहां पर विवाद है उसके

सम्बन्ध में हरियाणा प्रान्त के कमिश्नर और संबंधित जिले के अधिकारियों की बैठक हुई और मान्यवर, समय-समय पर बैठकें चल रही हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दीक्षित आयोग 1974 में घोषित हुआ और लागू 1975 में हुआ उसमें आपने बागपत की सीमा और उस समय जो मेरठ जिला था उसमें आपने कितने गांवों का सीमा विवाद खत्म कर दिया है ?

श्री फागू चौहान-

वैसे तो एक जिले का मामला है। मान्यवर, एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दें।

श्री कौकब हमीद-

मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले मेरठ जिला था और अब बागपत जिला है उसमें विवाद बहुत है। तो उसके अन्दर जो विवादित गांव है वहां आपने किन-किन गांवों में दिक्कतें दूर कर दी हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह जानना चाहते हैं कि हरियाणा या नजदीकी जनपद जो हैं उसमें जो गांव विवादित हैं तो उनमें किन-किन गांवों में विवाद खत्म हो चुके हैं।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जनपद बागपत में हरियाणा व उ0प्र0 के सीमा विवाद से सम्बन्धित ग्रामों, जिसमें दीक्षित एवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त हुई। हस्तान्तरित भूमि का सीमांकन होना है, हेतु वर्ष 2004 में सीमा सर्वे नायब तहसीलदार सर्किल का गठन किया गया है। जिसमें सर्वे टीम सीमांकन का कार्य कर रही है। क्योंकि हरियाणा से कुछ ग्रामों के अभिलेख व नक्शा सन् 1974 जो दीक्षित एवार्ड में निहित अवधि थी, के आधार पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उन्हें मंगाने हेतु जिलाधिकारी, बागपत ने अपने पत्रांक 306 दिनांक 12-09-2007 के द्वारा उपायुक्त, सोनीपत को पत्र भी लिखा है।

12-9-2005 द्वारा सोनीपत को पत्र लिखा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पढ़कर जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री फागू चौहान-

पत्र पढ़ा नहीं जायेगा तो क्या याद किया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह कोई नियम नहीं है। अगर यही परम्परा पड़ेगी तो माननीय मंत्रीगण तैयार होकर नहीं आयेंगे।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1975 में यह प्रकरण शुरू हुआ मगर आज तक तहसीलदार स्तर तक बात हो पाई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश में बागपत के एस0डी0एम0 एक बार तीन दिन के लिये बाकायदा उठा लिये गये। तो यह हालत है। उस समय सरकार आपकी ही थी जिस समय यह हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि 75 से अब तक यह तय नहीं हो पाया है और तहसीलदार स्तर तक ही यह बात है तो कमिश्नर और रेवेन्यू सेक्रेटरी स्तर पर बात कब होनी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सीमा विवाद सुलझाने के लिये एक प्रोसेस शुरू हुआ है। प्रक्रिया में कुछ तो समय लगेगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, हरियाणा सरकार ने अपना मामला हल कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार विचारगी में रहती है। वहां पर रोज गोलियां चलती हैं और तहसीलदार स्तर पर ही बात हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार ही यह सम्भव है। तीन साढ़े तीन साल तक तो यह भी सरकार में रहे तब इन्होंने क्या कर लिया ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य इन्होंने 83 तक लिखा है, प्रक्रिया में चल रहा है। 2007 से यह प्रोसेस में है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वह बुरी हालत में हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह प्रक्रिया तेजी से हो जाय। मीटिंग उच्च स्तर पर की जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रक्रिया तेजी से करायें।

(व्यवधान)

डा0 साहब आप बैठ जायें आप बहुत कुछ कह चुके हैं। मैंने कह दिया है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैंने आज की तारीख में अतारांकित प्रश्न संख्या-19 इससे सम्बन्धित लगाया था जिसका जवाब आया है कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला, फैजपुर निनाना, सिसाना, बागपत, सुल्तानपुर-हटाना, गौरीपुर-जवाहरनगर, निवाड़ा, खेड़ा, इस्लामपुर के वाह साहब के नक्शे जनपद मेरठ से प्राप्त नहीं हुए। जब आज की तारीख में नक्शे नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश का सीमा विवाद निपटाने के लिये यह सरकार गम्भीर कहां है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देशित कर दिया है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, नक्शे उपलब्ध कराने हेतु मेरठ को लिखा गया है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं इनके उत्तर से सहमत नहीं हूं। मान्यवर, उनके पास न नक्शे हैं न उनके पास कुछ चीजें हैं। उनका अपना ही मिजाज ठीक नहीं है मान्यवर, मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री कौकब हमीद अपने दल, राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों के सहित सदन का त्याग किया)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक बात कही कि अप्रैल, 2006 में आखिरी बैठक हुई, उस समय शायद नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव जी थे।

(राष्ट्रीय लोकदल के माननीय सदस्यगण सदन में पुनः वापस आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिये)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

आप बैठें हम बता दे, माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को समझा दो इस तरह से सवाल का उत्तर न दें कुछ नहीं हुआ है, अप्रैल, 2006 में उस समय के वहां के मुख्य मंत्री और हमारी बात-चीत हुई थी, और दोनों के अफसर दोनों तरफ से मिलने लगे थे, उस वक्त हम लोगों के स्तर से यह मामला हल होने वाला था, हमने और हरियाणा सरकार ने तय कर लिया था कि इस विवाद को सुलझायेंगे, लेकिन तब तक चुनाव आ गये और हम लोग चुनाव में फंस गये, तो इतना तो नहीं कहना चाहिये, आप पता लगा लीजिये कि हमारी और उनकी दोनों मुख्य मंत्रियों की बात-चीत होकर के अधिकारियों की बैठक करा के रजिस्ट्रार से सारी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन तब तक चुनाव आ गये, इसलिये यह नहीं हो पाया तो आप इतना गलत मत बोलिये। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की आदत हो गई है हर चीज में खड़े होना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कही, मैंने कहा कि यह मामला काफी दिनों से लम्बित है, प्रक्रिया शुरू हुई है विधिक प्रक्रिया है कुछ समय लगेगा, लेकिन यह काफी लम्बे से चल रहा है और यही मैंने कौकब साहब से भी कहा कि आप भी मंत्री रहे और काफी दिनों तक रहे अगर विधिक प्रक्रिया न होती एकमुश्त सुलझाने लायक होता तो आप कर लिये होते चूंकि विधिक प्रक्रिया में विलम्ब होना स्वाभावित है मान्यवर, और उसके लिये प्रयास शुरू हुए हैं मैंने कोई ऐसी गलत बात ही नहीं कही है।

प्रदेश में कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

*7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को शासन द्वारा दि0 31-12-2004 व 19-9-2005 व 16-5-06 को प्रस्ताव भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार के किसी निर्णय की सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 31-12-2004 एवं 16-5-06 द्वारा मछुआ समुदाय की जातियों यथा-मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैरहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द, धीवर/धीमर, रायकवार, कहार, कश्यप, गोड़िया तथा माझी को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था।

शासन के पत्र दिनांक 31-12-04 के अनुक्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19-9-05 द्वारा प्रदेश सरकार को यह अवगत कराया गया कि प्रस्ताव को रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया द्वारा माना नहीं गया। अतः औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

शासन के पत्र दिनांक 6-6-2007 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-9-2007 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग में कहा कि औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में एक बार नहीं पांच बार प्रस्ताव गया, एक प्रस्ताव गया है 31-12-04 को, दूसरा प्रस्ताव 16-05-06 को, 06-11-06 को, 12-01-07 को करीब पांच बार प्रस्ताव मछुआ समुदाय की मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैरहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द/धीवर/धीमर, रायकवार, कहार, कश्यप, गोड़िया तथा माझी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजा गया था और मान्यवर, इसी क्रम में जो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव का मामला है मान्यवर, 16 मई, 2006 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने दिल्ली सरकार को भेज दिया लेकिन मान्यवर, चूंकि दिल्ली सरकार, इस समाज की विरोधी सरकार है इसलिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किनके प्रस्ताव, किनकी मांग पर, या ये जो जातियां हैं इनकी मांग पर या जन प्रतिनिध की मांग पर, सरकार ने यह जो 06 जून, 2007 को यह कहा कि राज्य सरकार द्वारा मछुआ समुदाय की मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार,

चाई, खैरहा, तुरहा/तुरैहा, बिन्द/धीवर/धीमर, रायकवार, कहार, कश्यप, गोड़िया तथा माझी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल रखने का निर्णय लिया गया, यह किनकी मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 06 जून, 2007 को दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम किया, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों और मजहबों के लोगों का सम्मान करती है और उनका हक और अधिकार दिलाने के लिये कटिबद्ध है। मान्यवर, जहां तक निषाद जी जो पूछ रहे हैं कि यह पत्र जो भेजा गया था.....

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, वह पत्र किसकी मांग पर भेजा गया था।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति यह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गयी थी। मान्यवर, उस समय की तत्कालीन सरकार ने जिसके मुखिया आज नेता प्रतिपक्ष हैं, ने एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये जो उनको अधिकार नहीं था एक आदेश जारी कर दिया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह आरोप है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, जो अधिकार नहीं है वह किया गया। क्योंकि किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार भारत सरकार को है भारत की संसद को है। मान्यवर, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये पिछड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की कार्यवाही कर दी गयी। इस सम्बन्ध में डा0 भीमराव ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति हाईकोर्ट गयी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 20-12-05 द्वारा इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसका परिणाम यह हुआ है कि वह जाति के लोग त्रिशंकु की स्थिति में हो गये न उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल पा रहा था और न पिछड़ी जाति के वर्ग को मिलने वाले लाभ। लेकिन हमारी सरकार ने इस स्थगन आदेश को देखते हुए और यह कि उन्हें पिछड़ी जाति का लाभ तो मिल सके, पिछड़ी जाति के तहत अधिकृत कर दिया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जो प्रश्न का जवाब मांगा गया था वह नहीं मिला। सीधा सा प्रश्न यह था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में मानने की मांग किसके द्वारा की गयी थी। उन जाति के लोगों द्वारा की गयी या जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी थी। 10 अक्टूबर, 2005 के एक आदेश का

हवाला दिया गया जिसमें कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम किया गया था। मान्यवर, यह निषाद, बिन्द, राजभर और कश्यप जो जातियां हैं इनकी बसपा सरकार दुश्मन नम्बर एक है। इन्होंने जानबूझकर दिल्ली की सरकार को उस आदेश को निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय निषाद जी, भाषण न करें अपना प्रश्न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह सब बातें आपकी जानकारी में हैं। यहां से प्रस्ताव भेजा गया, मंत्री जी अपने जवाब में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने से सम्बन्धित हमारे प्रति टिप्पणी कर रहे हैं। जब टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अभी यहां मुख्य मंत्री जी बैठी होती तो हम लोग टिप्पणी करते तो वह बौखला जातीं। आप देखें उत्तेजना फैलाने का काम उधर से किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं हमेशा से उत्तेजना को रोकने का काम करता हूं। न वह पैदा हो और न उत्पन्न हो।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था राजभर समाज द्वारा। आप भी गये थे मैं भी गया था उसमें। अध्यक्ष महोदय, इस पर सवाल पूछा गया था राज्य सभा में तो मंत्री जी ने वहां पर कहा था कि अगर प्रदेश से प्रस्ताव आ गया है तो हम विचार कर लेंगे। फिर कहा गया कि प्रस्ताव आ गया है। यह था कि देख लेंगे। लेकिन जब बी0एस0पी0 की सरकार आयी और मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने उस प्रस्ताव को निरस्त करने का पत्र भेज दिया। आप सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, यह जो जातियों की बात कही जा रही है, इनकी हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आप मजबूर हैं कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यह राजभर हैं, प्रजापति हैं, इनके घरों को जाकर देखें बहुत ही गिरी हुई हालत इनकी है। इतनी हालत खराब है कि आप भी जानते हैं। यह सोच करके इनके, हमारे समय से नहीं बहुत लम्बे समय से सन् 80 से जोर पकड़ा, 80 से शुरुआत हुआ और जो पकड़ते-पकड़ते यहां तक आया तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हमने प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव के विरोध में एक भी नहीं कोई आपकी पार्टी से खड़ा हुआ, उस प्रस्ताव के विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ है। उस प्रस्ताव को निरस्त किया है तो जो प्रस्ताव को निरस्त किया है क्या उसको दोबारा भारत सरकार को भेजेंगे इन सारी पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है कि हमारी पार्टी पिछड़ी जाति की विरोधी है इन जातियों की विरोधी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने कहा कहां ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, आप जवाब नहीं सुनेंगे यह तो कोई बात नहीं है। जवाब तो हम देंगे ही।

हमारी सरकार ने कतिपय पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये पहले ही लिखा था पत्र।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप कार्यवाही देखिये।

श्री अध्यक्ष-

पिछड़ी जाति का नहीं है अगर आरोप होगा तो मैं इसे दिखवाकर निकलवा दूंगा।

श्री इन्दजीत सरोज-

मान्यवर, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हमारी सरकार ने कतिपय पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये पहले ही पत्र लिखा था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, इधर देखिये तब आगे बढ़िये। जब मैंने यह शब्द नहीं कहा है तो उसे आप क्यों नहीं बोले ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मैंने कह दिया है। अभी तो मैंने कहा है कि इस तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा। पिछड़ी जाति विरोधी है यह सरकार, इस तरह का शब्द नहीं आया है। इसको तो मैंने उल्लेख किया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

रहने दीजिए कार्यवाही में उससे मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से मंत्री हो करके उत्तेजना फैलायें, कभी मंत्री उत्तेजना नहीं फैलाता।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इस तरह का तो आया भी नहीं है पिछड़ी जाति। इस तरह का आरोप नहीं है कि वह पिछड़ी जाति के विरोधी हैं। सरकार के ऊपर अगर इस तरह का आरोप लगाया गया है कार्यवाही में है तो उसको निकलवा दूंगा, और न ही यह कहा गया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार भी इन जातियों के लिये चिन्तित है। आप भी इससे अवगत हैं कि हमारी जब पिछली बार सरकार थी तो माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने कतिपय पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये भारत सरकार को पत्र लिखा था उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। इधर आपने पत्र लिखा है बराबर। लेकिन जो है आपने जो अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश कर दिया इसमें हाईकोर्ट से स्थगन आदेश हो गया। उसके बाद यह जातियां अधर में लटकी रहें इनको पुनः हम पिछड़ी जातियों का लाभ दे सकें इसके तहत कार्यवाही की गयी है। जहां तक माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद का कहना है कि यह निषाद बिरादरी के बहुजन समाज पार्टी खिलाफ है अगर बहुजन समाज पार्टी न होती तो यहां से उछलकर आप वहां जाते ? (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक बात कर रहे हैं। अगर समाजवादी नहीं होते तो यह नहीं बैठे होते। इसमें आप क्यों घबड़ाते हैं। कौन पूछता था ?

श्री अध्यक्ष-

बहुत ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग करके उस पर चर्चा नहीं करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, इनकी आदत हो गयी है हर चीज में। एक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमने प्रमाण-पत्र देना शुरू कर दिया था और सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गयी थीं। हाईकोर्ट, लखनऊ से उसका स्थगन आदेश हो गया। तो क्या आप उसकी पैरवी कर रहे हैं क्या उस स्टे को वैकेट कराने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं या करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, जो आरक्षण दिया गया वह संविधान सम्मत है ही नहीं। मान्यवर, यह जो पिछड़ी जाति के लाभ से वंचित किया गया है, यह साजिश के तहत किया गया है।

(इस पर समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत उचित प्रक्रिया नहीं है कि रोज प्रश्न आवर में लाबी में कूद जाना, वेल में आ जाना, जो यह चाहें वहीं बात हम कहें, यह बहुत अनुचित है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही अनुचित बात है कि इतने बार हम लोग निर्णय लेते हैं और प्रश्न प्रहर में बार-बार वेल में आ जाना और यह जो चाहें, वही हम जवाब दें, यह कहां मान्यवर, उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार से स्पष्टीकरण/उत्तर लें। इससे ग्रेविटी नहीं बनेगी कि वेल में आकर हम बहुत बड़ी खबर बना लेंगे। आप वहां से सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, उत्तर मांगे। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न कर लिया कि आप क्या एस0एल0पी0 दाखिल करेंगे या जो स्थगनादेश है, उसकी पैरवी करेंगे। सरकार पक्ष ने कहा कि यह विधिसंगत नहीं है इसलिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह संविधान के विपरीत है। अब स्थिति स्पष्ट हो गयी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे पद पर बैठे हैं, यह यदि संविधान के विपरीत होता तो भारत सरकार ने क्यों कहा कि प्रस्ताव आयेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बात, क्या अभी उच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया ? यह संविधान के विपरीत है, इस तरह के उत्तर देना, इससे उत्तेजना फैलती है। आप लोग वापस आ जायें।

(वेल में आये सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्या इस तरह का उत्तर देना ठीक है ? जब अभी उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया है तो आपने कैसे कह दिया। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब प्रस्ताव आयेगा तो हम विचार करेंगे। अभी उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया है और यह संविधान विपरीत बता रहे हैं। तो क्या उच्च न्यायालय संविधान विरोधी काम कर रहा है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न प्रहर में जो प्रश्न किये जाते हैं, वह सूचना प्राप्त करने के लिये किये जाते हैं। मान्यवर, जो प्रश्न सदस्य पूछते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, अगर कोई प्रश्न उसके आधार पर बनता है तो वह उसका अनुपूरक पूछ सकते हैं। लेकिन अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह नहीं किया जा सकता, यह प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि अमुक ही जवाब दीजिये। मान्यवर, अगर हमारा जवाब नियमों के विपरीत हो या सदन को गुमराह करने वाला हो तो उसके लिये नियम बने हुए हैं और उन नियमों के तहत कार्यवाही किया जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अनावश्यक क्यों खड़े हो गये ? इस इतना सवाल है, आप ही उत्तर दे देते। आपके खड़े होने का मतलब क्या है ? हमने तो यह पूछा है कि क्या पैरवी करेंगे, हां कर दें या न ?

श्री लालजी वर्मा-

जवाब दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं दिया है जवाब। क्या बात करते हो ? अगर दिया है तो दिखाओ जवाब। अध्यक्ष महोदय, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मान्यवर, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वह आपके हाथ में है। मैंने तो यही पूछा है कि क्या पैरवी करायेंगे या स्थगनादेश को वापस करायेंगे।

श्री इन्दजीत सरोज-

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका कि यह आधारहीन माननीय उच्च न्यायालय में पाया गया, तब ही स्थगनादेश हुआ। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि इनको पिछड़ी जातियों का लाभ मिलना चाहिए, यह बीच में ही लटके न रहें हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों का लाभ देने के लिये ही शासनादेश जारी कर दिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण न देने का जो निरस्त किया है, उसका उन्होंने कारण क्या बताया है, क्यों उसको निरस्त किया है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, इसलिये रजिस्ट्रार ने उसे वापस कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यही परम्परा रही है, आप लोग बैठ जायें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में सरकार सही जवाब नहीं दे रही है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सही जवाब न दिये जाने के कारण हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये)

जनपद गौतमबुद्ध नगर के राम ईश इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजूकेशन, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा से बी0 फार्मा चतुर्थ वर्ष के छात्रों की अंक तालिकाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग।

*8-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम ईश इन्स्टीट्यूट आफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजूकेशन, कासना रोड ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्धनगर से बी फार्मा चतुर्थ वर्ष

नोट :-प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(अन्तिम वर्ष) में वर्ष 2007 में शामिल कितनी छात्र/छात्राओं को उनकी अंक तालिका (मार्कशीट) उ0प्र0 राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हीं छात्राओं में कतिपय छात्राओं को बी फार्मा द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की भी अंक-तालिकाएं उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मियों को दण्डित करेगी ? उक्त छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उन्हें कब तक अंक-तालिकाएं (मार्कशीट्स) उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

वर्ष 2007 में बी0 फार्मा चतुर्थ वर्ष (अन्तिम वर्ष) में शामिल कुल 58 छात्र/छात्राओं में से 48 छात्र/छात्राओं को प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अंक तालिकाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं।

19-09-2007 को।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की अंकतालिका उपलब्ध कराने के बाद ही अन्तिम वर्ष की अंकतालिका उपलब्ध करायी जाती है।

शेष 10 छात्र/छात्राओं को विभिन्न तकनीकी त्रुटियों के कारण अंक तालिकाएं निर्गत नहीं की गयीं। उक्त शेष छात्र/छात्राएं जिनकी अंकतालिकाएं निर्गत नहीं हुई हैं उनके द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में गलत अनुक्रमांक लिखे गये थे या उत्तर पुस्तिकाओं में ओ0 एम0 आर0 भरने में गलत गोला भरा गया या पिछले किसी सेमेस्टर में बैक पेपर क्लियर नहीं किया गया था। छात्र/छात्राओं द्वारा की गयी त्रुटियों का निराकरण करने के उपरान्त ही अंकतालिकाएं उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में भुखमरी, गरीबी से मरने वालों की रोकथाम के लिये योजना

*9-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में जनवरी, 2007 से जुलाई, 2007 तक भुखमरी, गरीबी से कितने लोगों की मौत के मामले प्रकाश में आए हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद उन्नाव कोतवाली सफीपुर के अन्तर्गत गांव परियर में श्रीमती सोमवती तथा उसके पति खेमराज का जहरीला पदार्थ खा कर गरीबी एवं भुखमरी के कारण आत्मदाह करने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भुखमरी एवं गरीबी से मरने वालों की रोक-थाम के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनवरी, 2007 से जुलाई, 2007 तक भुखमरी, गरीबी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

दिनांक 25-01-2006 को जनपद उन्नाव की कोतवाली सफीपुर के ग्राम परियर में गरीबी एवं भुखमरी के कारण नहीं बल्कि गृह कलह से जहरीला पदार्थ खाकर श्रीमती सोमवती पत्नी श्री खेमराज उर्फ हेम राज द्वारा आत्महत्या की गयी थी। सोमवती द्वारा जहर खा लेने के बाद उसके पति श्री खेमराज उर्फ हेमराज द्वारा भयवश घर के बाहर खेतों में स्थित पेड़ में रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या की गयी थी।

गरीबी एवं भुखमरी की रोकथाम हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पशुपालन विभाग द्वारा बकरी पालन, कुक्कुट पालन आदि योजनाएं संचालित हैं। इतना ही नहीं श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी रु0 100/- प्रतिदिन कर दी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 16 मई, 2007 द्वारा प्रदेश में भुखमरी, कुपोषण व कर्ज के कारण तथाकथित आत्महत्या एवं इसी प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही के निर्देश समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिये गये हैं कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाय कि भुखमरी व कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को पमुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जाय तथा इसके लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवारा पशुओं, नीलगाय से फसलों को हो रहे नुकसान हेतु कांटेदार तार लगाने हेतु अनुदान की व्यवस्था

*10-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं, नीलगाय इत्यादि से खेती में हो रहे नुकसान के मद्दे नजर क्या सरकार किसानों को खेतों में बाड़ लगाने हेतु काटेदार तार निःशुल्क अथवा सब्सिडी पर देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत चयनित 32 अधिक दलहन उत्पादक जनपदों में जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा हेतु कांटेदार तार के बाड़ लागने एवं ट्रेंच खुदाई हेतु लागत का 90 प्रतिशत मु0 रु0 38,500/- प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी फार्म हाउस में उत्पादित गेहूं का लागत मूल्य

*11-श्री जोखूलाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म हाउस में उत्पादित एक कुन्तल गेहूं का लागत मूल्य क्या आता है ? क्या सरकार इसके अनुरूप किसानों को उनके गेहूं की उपज

का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर गेहूं के उत्पादन हेतु धनराशि रु0 923/- प्रति कुंतल उत्पादन लागत आ रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा फसलों के लागत मूल्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से समर्थन मूल्य की संस्तुति की जाती है। फसलों के समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। वर्तमान में गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1000/- प्रति कुंतल है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*12-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत किसानों की भूमि के प्रतिकर की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*13-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत किसानों की भूमि के प्रतिकर की कितनी धनराशि उप जिलाधिकारी अध्यापित/वित्त के पास जमा है जो कि किसानों द्वारा नहीं ली गई ? क्या सरकार प्रतिकर राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

नोएडा प्राधिकरण की रु0 37,224.73 लाख की धनराशि वितरण हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पास जमा है जिसमें से रु0 19,384.38 का वितरण भू-स्वामियों को किया जा रहा है एवं ग्रेटर नोएडा की रु0 69,413.87 लाख धनराशि वितरण हेतु जमा है, जिसे किसानों द्वारा ग्रहण नहीं किया गया।

सरकार द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर नोएडा प्राधिकरण में पुश्तैनी कृषकों को रु0 1000.00 प्रति वर्ग मीटर एवं ग्रेटर नोएडा के पुश्तैनी काश्तकारों को रु0 850.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिकर राशि बढ़ाये जाने का अनुमोदन नोएडा प्राधिकरण की 148वीं बोर्ड बैठक एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक 05-02-08 में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना किये जाने का कथित प्रकरण

*14-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक प्रस्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

वर्तमान में जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित सूचना प्रौद्योगिक नीति-2004 के अन्तर्गत जनपद बागपत में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना किया जाना सम्मिलित नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में भिक्षुओं को चिन्हित कर उनको पुनर्वासित किये जाने की योजना

1-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2006 से 15 जून, 2007 तक प्रदेश में कितने भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है और उनमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। प्रश्नगत अवधि में प्रदेश के 61 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 5355 चिन्हित किया गया है, जिसके सापेक्ष 155 भिक्षुओं को पुनर्वासित किया गया है। प्रदेश के अवशेष जनपदों में चिन्हित/पुनर्वासित भिक्षुओं की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम उसका के भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-उसका, तहसील-सलेमपुर, जनपद-देवरिया के निवासी श्री राम नरेश पुत्र श्री रामपूजन के भूमिधारी आ0नं0-488 रकबा 0.417 हे0 पर इसी गांव के निवासी पंचानन्द पुत्र शिवगोविन्द, मुन्नीलाल, श्रीकान्त व महंत पुत्र पंचानन्द आदि द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से किये कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

आराजी नं0-488 रकबा 0.417 हे0 स्थित ग्राम उसका तप्पा भटनी परगना स0 म0 तहसील सलेमपुर राजस्व अभिलेखों में भागवत व रामनरेश पुत्रगण रामपूजन के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, जिसके आंशिक भू-भाग पर पंचानन्द पुत्र शिवगोविन्द आदि का चकबन्दी क्रिया के पूर्व से छप्पर, नाद, खूटा एवं कृषि के रूप में कब्जा है तथा इस आराजी का आंशिक भू-भाग परती के रूप में है स्थल पर पूछताछ से यह ज्ञात हुआ है कि विवादित आराजी पर भागवत व रामनरेश पुत्रगण रामपूजन का कब्जा कभी भी नहीं रहा है।

दिवानी न्यायालय से उभयपक्ष द्वारा अपने-अपने भूमिधरी को आराजी पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। वाद अब भी विचाराधीन है। वाद के अन्तिम निर्णय होने पर यथा आदेश अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 209 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर बेदखली का आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु उप जिलाधिकारी, कार्यालय सलेमपुर के पत्र दिनांक 5-11-07 द्वारा श्री भागवत व रामनरेश पुत्रगण रामपूजन को सूचित किया गया है। बेदखली वाद प्रस्तुत होने पर इसका विधि अनुसार निस्तारण किया जायेगा। सक्षम न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित होने के उपरान्त ही बेदखल किया जाना विधि सम्मत होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस अथवा आगरा में आलू शोध केन्द्र खोले जाने की मांग

3-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस अथवा आगरा में आलू शोध केन्द्र खोलने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र कहां और कब तक कार्यरत हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नारायण सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग द्वारा वर्तमान में आलू पर शोध सम्बन्धी कोई कार्यक्रम नहीं लिया जा रहा है।

4-श्री हुकुम सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा में विधायकों को आवास/भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का कथित प्रकरण

5-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश के विधायकगण को आवास अथवा भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित जनपद महामायानगर में जिलाधिकारी एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास बनाने की मांग

6-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद-महामायानगर में जिलाधिकारी एवं जनपदीय स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ की ग्राम सभाओं की आरक्षित भूमि के आवंटन की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

7-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर के ब्लाक सिकन्दराराऊ की ग्राम सभाओं के पास वर्ष 1991 तक कितनी आरक्षित भूमि थी और वर्ष 2007-08 तक कितनी आरक्षित भूमि बची है ? आरक्षित भूमि में कमी आने का क्या कारण है ? क्या आरक्षित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मिलान खसरा फार्म प-4 भूलेख नियमावली के प्रस्तर 108 के अनुसार वर्ष 1991 में आरक्षित भूमि श्रेणी (5-3ग, 6-1, 6-2, 6-3) 1824 हे0 थी। सन् 2007-08 तक 1795 हे0 भूमि बची है।

आरक्षित भूमि में कमी आने का कारण असंक्रमणीय भूमिधर/असामी के रूप में आवंटन करना है।

आरक्षित भूमि का असामी के रूप में आवंटन किया जा सकता है किन्तु असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में नहीं।

जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जांच पूर्ण होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

धांगर जाति एवं उसके व्यवसाय एवं धांगर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

8-डा0 अनिल चौधरी व श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के अधीन उ0प्र0 में अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1442/26-818-1957 दि0 22-5-1957 में क्रमांक 27 पर (धनगर) तथा शा0 संख्या 634/26-3-86-11 (वि0सं0)/86 दि0 31-3-1986 में अनुसूचित जाति की क्रमांक 27 पर उल्लिखित "धांगर" जाति क्या अलग-अलग जातियां हैं ? ये जातियां किन जनपदों में पाई जाती हैं व इनके परम्परागत व्यवसाय क्या हैं ? क्या उ0प्र0 सरकार को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनु0 जातियों में संशोधन व परिवर्तन करने एवं उनकी जांच कराने का विधिक अधिकार है ? क्या "धंगड़" जाति "धांगर" एवं "धनगर" से अलग जाति है ? यदि हां, तो "धंगड़" जाति किन जनपदों में पाई जाती है तथा इसका व्यवसाय क्या है ? क्या अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अंकित जाति (अंग्रेजी में) धनगर का हिन्दी अनुवाद "धनगर" धांगर व धंगड़ है ? यदि हां, तो क्रमांक 24 पर अंकित जाति "चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव" की तरह क्रमांक 27 को संशोधित कर "धनगर, धांगर, धंगड़" लिखने हेतु शासनादेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची का शासनादेश संख्या-1442/26-818-1957, दिनांक 22-5-1957 अंग्रेजी में है जिसमें क्रमांक-27 पर DHANGAR तथा शासनादेश संख्या-634/26-3-86-11 (वि0स0/86, दिनांक 31-3-1986 हिन्दी में है जिसमें धागर) जाति का उल्लेख है। दोनों जातियां एक ही जाति हैं।

उत्तर प्रदेश में धांगर जाति मूल रूप से सोनभद्र, मिर्जापुर जनपद में पायी जाती हैं जिनका परम्परागत व्यवसाय कृषि, कृषि मजदूरी एवं मजदूरी रहा है।

संशोधन व परिवर्तन करने का अधिकार नहीं किन्तु जांच कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-27 पर धांगर जाति का उल्लेख है जो अपनी मूल जाति के रूप में चिन्हित है, जबकि धनगर नाम से सम्बोधित करने वाले व्यक्ति गड़रिया जाति के हैं। प्रदेश में गड़रिया जाति अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में आती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में पायी जाती है जिनका परम्परागत व्यवसाय भेड़/बकरी पालन रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति की सूची में अंग्रेजी वाले शासनादेश में क्रमांक-27 पर DHANGAR का उल्लेख है तथा हिन्दी के शासनादेश से स्पष्ट है कि इसका हिन्दी अनुवाद धांगर है, धनगर व धंगड़ नहीं। अंग्रेजी शब्द DHANGAR का हिन्दी अनुवाद धनगर पढ़ने से भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हुई है।

जी नहीं।

1-भारतीय संविधान की धारा 341(1) के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किसी जाति को जोड़ने व निकालने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

2-धनगर, गड़रिया जाति की उप जाति है जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम सेमरी तालुका अवामन के सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण हटवाने की मांग

9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम सेमरी तालुका अवामन के आराजी सं0 475 व आराजी संख्या 477 जो सार्वजनिक मार्ग है, को अवरुद्ध कर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना में ग्राम सेमरी तालुका अवामन नामक कोई राजस्व ग्राम नहीं है, बल्कि तहसील करछना में ग्राम सेमरी तालुका लवायन है, जिसके आराजी संख्या-475 व 477 राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक रास्ता व चकमार्ग दर्ज नहीं है, बल्कि आराजी संख्या -475 मि0 में से रकबा 0.070 हे0 पर शिव प्रताप सिंह आदि, रकबा 0.114 हे0 पर बैजनाथ आदि, रकबा 0.042 हे0 पर मंगरूलाल रकबा 0.034 हे0 पर मंगरूलाल व रामधनी के नाम भूमिधरी तथा आराजी सं0 475 मि0 रकबा 0.365 हे0 गांव सभा के बंजर खाते में दर्ज है।

राजस्व अभिलेखों में भूखण्ड संख्या-477 रकबा 0.126 हे0 नवीन परती (आबादी हेतु सुरक्षित) अंकित है। उक्त भूमि संख्या-475घ रकबा 0.365 हे0 एवं 477 रकबा 0.126 हे0 में पूर्ण रूप से 30-35 अनुसूचित जाति के व्यक्ति 30 वर्षों के पूर्व से आबाद चले आ रहे हैं, उक्त भूखण्डों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मौके पर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के कस्बा सादाबाद के पशु चिकित्सालय के भवन कर्मचारियों के जर्जर आवास के पुनर्निर्माण की मांग

10-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के कस्बा सादाबाद के पशुचिकित्सालय का भवन व परिसर के कर्मचारियों के आवास जर्जर अवस्था में हैं जिससे विभागीय कर्मचारियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन भवनों

के पुनर्निर्माण की योजना शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह)-

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से प्रश्नगत भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यवाही प्रतीक्षित है।

जर्जर भवनों के निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त इनके निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा गत वर्षों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

11-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में कराये गये कार्यों जो अधोमानक/फर्जी हैं, का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कराये गये कार्य न तो अधोमानक एवं न ही फर्जी हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निक पुस्तकालयों के कर्मचारियों के सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

12-श्री सुखलाल-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राजकीय पालीटेक्निक, पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु कर्मचारी सेवा नियमावली बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में व्यायामशाला निर्माण कराये जाने की मांग

13-श्री हुकुम सिंह-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में व्यायामशाला स्थापित करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक कितनी व्यायामशालायें स्थापित की जा चुकी हैं तथा वर्ष 2007-2008 में क्या लक्ष्य निर्धारित

है ? लक्ष्य के अनुरूप अभी तक कितनी व्यायामशालायें निर्मित हो चुकी हैं ? शेष व्यायामशालाओं का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रामीण अंचलों में व्यायामशाला निर्माण करने का कोई कार्यक्रम (योजना) युवा कल्याण विभाग में नहीं है।

जनपद बादां के राजस्व ग्राम जसपुरा में जू0 हाई स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे हटवाये जाने की मांग

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के राजस्व ग्राम जसपुरा में गाटा संख्या 1405 जू0हा0स्कूल जसपुरा के कृषि कार्य हेतु दर्ज है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है तथा कितनी भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? क्या अवैध कब्जों को हटवाकर जू0हा0स्कूल की भूमि को मुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। यह भूमि जू0हा0 के नाम दर्ज है।

इस भूमि का क्षेत्रफल 9.61 एकड़ (3.889 हे0) है। इस भूमि पर जू0हा0 स्कूल (विद्यालय) भवन के साथ-साथ सरकारी शिक्षण भवन जैसे-जू0हा0 स्कूल, जसपुरा, प्राइमरी पाठशाला, जसपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन एवं राजकीय जल संस्थान के भवन स्थित हैं। किसी व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने एवं जनपदवार इनकी संख्या की गणना सम्बन्धी कथित रिपोर्ट का प्रकरण

15-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा जुलाई, 2007 में प्रदेश के 57 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु गणना एवं सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो जनपदवार इनकी जनसंख्या कितनी-कितनी पाई गई है ? क्या सरकार उक्त गणना एवं सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट मण्डल में निराश्रित एवं विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु आवंटित धनराशि

16-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निराश्रित एवं विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में चित्रकूट मण्डल में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? सरकार द्वारा उक्त अनुदानित धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

गरीब अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2007-08 में चित्रकूट मण्डल के लिये आयोजनेत्तर पक्ष से 107.27 लाख एवं 62.40 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। जिला प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु 26.80 लाख रुपये तथा सामान्य जाति की पुत्रियों की शादी हेतु 24.55 लाख रुपये की धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में चित्रकूट मण्डल में कुल रु0 3.30 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

गरीब अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2007-08 में आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं आयोजनागत पक्ष की धनराशि को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

निराश्रित एवं विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु धनावंटन किया जा चुका है।

केन्द्र की भांति प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति निदेशालय एवं आयोग के गठन एवं पृथक कार्यालय भवन, पद सृजित करने की मांग

17-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र की भांति सरकार उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करेगी एवं जनजाति निदेशालय एवं आयोग का पृथक कार्यालय भवन एवं पद सृजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग पूर्व से ही गठित है। इसी प्रकार जनजाति निदेशालय भी पूर्व से स्थापित है। दोनों संस्थायें सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। अतः इन्हें अलग से गठित करने, पृथक कार्यालय भवन एवं पद सृजन का कोई प्रस्ताव/प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नायक एवं ओझा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

18-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधन एक्ट 2002 में नायक एवं ओझा जाति को अ0ज0 जाति में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो ओझा एवं नायक जाति के लोगों को क्या अ0ज0जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट, 2002 द्वारा गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड़ कतिपय जनपद-महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है तथा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या-12016/26/2001-टी0ए0 (आर0एल0), दिनांक 15-12-2003 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड जातियां गोंड जाति के पर्याय हैं न कि मूल जाति।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के कतिपय ग्रामों की जल मग्न भूमि के निराकरण के उपाय

19-श्री उदयभान करवरिया-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र बारा जनपद इलाहाबाद के ग्राम बुढ़ावा, टिकरी, पवरी आदि गांवों की भूमि जल मग्न रहने के कारण किसानों को खेती का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो इसका निराकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित विश्व बैंक सहायतित सोडिक-1 परियोजना के अन्तर्गत उल्लिखित ग्रामों बुढ़ावा, टिकरी एवं पवरी का चयन वर्ष 1999-2000 में ऊसर सुधार कार्य हेतु किया गया, जिसमें जलमग्न क्षेत्र में पवरी एवं गहरा ड्रेन (टिकरी) का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2000-01 एवं बुढ़ावां ड्रेन की सफाई का कार्य वर्ष 2006-07 में कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ड्रेनेज खण्ड फतेहपुर द्वारा कराया गया।

परियोजना समाप्त हो गयी है। रख-रखाव का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जनपद व तहसील बागपत के कतिपय ग्रामों के नक्शों की खोज कराने की मांग

20-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला, फैजपुर-निनाना, सिसाना, बागपत, सुल्तानपुर, हटाना, गौरीपुर-जवाहर नगर, निवाड़ा, खेड़ा इस्लामपुर के बांह साहब के नक्शे गायब हैं ? यदि हां, तो सरकार कोई कार्य योजना बनाकर नक्शे तैयार करने अथवा गायब नक्शों की खोज कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत की तहसील-बागपत के ग्राम नैथला, फैजपुर,-निनाना, सिसाना, बागपत, सुल्तानपुर,-हटाना, गौरीपुर-जवाहर नगर, निवाड़ा, खेड़ा इस्लामपुर के बांह साहब के नक्शे जनपद मेरठ से प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपरोक्त जनपदों के नक्शे उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी मेरठ को लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद का आवंटन

21-डा0 धर्मपाल सिंह

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जुलाई, 2007 से 15 दिसम्बर, 2007 तक आगरा जनपद हेतु कितनी मात्रा में डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद आवंटित की गई तथा इसमें कितनी डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद आगरा जनपद को उपलब्ध हुई ? उपलब्ध डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद के वितरण का कार्य किन-किन संस्थाओं तथा एजेन्सियों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? सरकार द्वारा आगरा जनपद में पी0सी0एफ0 को कितनी डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद उपलब्ध कराई गई तथा किये गये वितरण का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

आगरा जनपद के लिये 01 जुलाई, 2007 से 15 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिये डी0ए0पी0 तथा यूरिया के वितरण हेतु क्रमशः 24,367 मी0टन एवं 47,496 मी0टन वितरण का लक्ष्य होता है जिसके सापेक्ष प्रश्नगत अवधि में क्रमशः 29,479 मी0टन डी0ए0पी0 एवं 58,840 मी0टन यूरिया उर्वरक की आवश्यकता रही।

डी0ए0पी0 तथा यूरिया उर्वरक के वितरण कार्य संस्थावार निम्न विवरण के अनुसार किया गया है :-

(मात्रा मी0 टन में)

क्र0सं0	नाम संस्था	यूरिया	डी0ए0पी0
1	सहकारिता	17118	21297
2	एग्रो	368	35
3	निजी संस्था	35279	8147
	योग :	52765	29479

जनपद आगरा में पी0सी0एफ0 को 21297 मी0टन डी0ए0पी0 तथा 18235 मी0टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध करायी गई है जिसमें डी0ए0पी0 का वितरण 14328 मी0टन सहकारी समितियों द्वारा 3185 मी0टन पी0सी0एफ0 केन्द्रों द्वारा तथा 3784 मी0टन अन्य सहकारी बिक्री केन्द्रों द्वारा एवं यूरिया उर्वरक 13139 मी0टन सहकारी समितियों द्वारा 2221 मी0टन पी0सी0एफ0 केन्द्रों द्वारा तथा 1758 मी0टन अन्य सहकारी बिक्री केन्द्रों द्वारा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की उप मण्डी स्थल सासनी में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की मांग

22-डा0 अनिल चौधरी

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर का कृषि उपज मण्डी स्थल सासनी आज भी विद्युतीकरण, पेयजल, बैंक व सुरक्षा व्यवस्था के अभाव से ग्रस्त है ? क्या शासन इस मण्डी स्थल की समस्याएं समाप्त करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, उप मण्डी स्थल सासनी, जनपद महामायानगर में विद्युतीकरण, पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव नहीं है। इस उप मण्डी में मात्र बैंक भवन अभी निर्मित नहीं है क्योंकि इसके लिये व्यापारियों द्वारा मांग नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अनेकों ग्रामों में कृषि, वृक्षारोपण एवं मत्स्य पालन हेतु स्वीकृत भूमि के पट्टे

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 19-7-06 से 3-8-07 तक ग्राम रमईपुर नेवादा, अतरसण्ड सहित अन्य

किन-किन ग्रामों में कृषि योग्य, वृक्षारोपरण, मत्स्य पालन, आवासीय तथा अन्य श्रेणी के कितनी भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर एवं स्वविवेक से स्वीकृत किया गया है ? क्या पट्टा धारकों की पात्रता का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व परिषद् की टीम से भी कराये जाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 19-7-06 से 3-8-07 के मध्य चार ग्रामों में 206 लाभार्थियों को 30.432 हे0भूमि का कृषि पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर किया गया है।

आवासीय प्रयोजन हेतु कुल 60 ग्रामों में लाभार्थियों को 3.703 हे0 भूमि का पट्टा दिया गया है। इनमें से 7 ग्रामों में 55 लाभार्थियों को 0.737 हे0 का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर तथा 53 ग्रामों में 233 लाभार्थियों को 2.966 हे0भूमि का पट्टा स्वप्रेरणा से किया गया है।

वृक्षारोपण हेतु 37 ग्रामों में 86 लाभार्थियों को 8.688 हे0 भूमि का पट्टा किया गया है इनमें से एक ग्राम में लाभार्थियों को 0.605 हे0 भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर एवं शेष 36 ग्रामों में 77 लाभार्थियों को 8.688 हे0 भूमि का पट्टा स्वविवेक से किया गया है।

मत्स्य पालन हेतु 37 ग्रामों में 54 लाभार्थियों को 28.291 हे0 भूमि का पट्टा किया गया, इनमें से 7 ग्रामों में 20 लाभार्थियों को 12.649 हे0 भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर एवं शेष 30 ग्रामों में 50 लाभार्थियों को 28.291 हे0 का पट्टा स्वविवेक से किया गया है।

मामले में जनपद स्तर पर जांच प्रचलित थी अतः अभी राजस्व परिषद् से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा पहाड़ी में तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने की मांग

24-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पहाड़ी विकास खण्ड जसरा जनपद इलाहाबाद के तालाब संख्या 40, 41, 48, 74, 154, 122 पर अतिक्रमण कर वर्तमान में पाट दिये गये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुनः तालाब का स्वरूप प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। ग्राम सभा पहाड़ी विकास खण्ड जसरा जनपद इलाहाबाद के तालाब भूखण्ड संख्या 40, 41, 48, 74, 154, 122 पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके पाटा नहीं गया है। वर्तमान में उपरोक्त सभी तालाब मौके पर खाली हैं।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम मर्का में ग्राम सभा की भूमि पर फर्जी इन्द्राज करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

25-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-07 जो जनपद बांदा के तहसील बबेरू के ग्राम मर्का में भागवत प्रसाद प्रजापति पुत्र राम अधार द्वारा गांव सभा की 70 बीघे जमीन फर्जी इन्द्राज कराने विषयक है, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बांदा से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कस्बा बबेरू राबिया इण्टर कालेज की सुरक्षित भूमि पर भागवत प्रजापति द्वारा कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

26-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-07 जो कस्बा बबेरू जनपद बांदा की सुरक्षित भूमि राबिया इण्टर कालेज पर भागवत प्रजापति द्वारा कब्जा किये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम बबेरू के वर्तमान खाता संख्या-2867 के गाटा संख्या-936 रकबा 0.069 हे0 भूमि राबिया इण्टर कालेज बबेरू के नाम श्रेणी-6(4) में दर्ज है। इस भूखण्ड पर श्री भागवत प्रजापति का कोई कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के राजस्व ग्राम बबेरू में कुम्हारी मिट्टी निकालने हेतु सुरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-07 जो जनपद बांदा के राजस्व ग्राम बबेरू की गाटा संख्या 1408/4193 रकबा 0.34 एकड़ कुम्हारी मिट्टी निकालने हेतु श्रेणी 6 (4) में सुरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने विषयक था, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बांदा से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के राजस्व ग्राम जगदीशपुर में रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

28-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील-आलापुर के राजस्व ग्राम जगदीशपुर में गाटा सं0 596 जो आबादी का है, पर काफी दिनों से रास्ता चल रहा था, जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा हटाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में जगदीशपुर नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत गांवों के विकास के लिए खेल का मैदान, प्राथमिक विद्यालय, क्रीड़ा स्थल भूमि का आरक्षण

29-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी प्रक्रिया में गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ा स्थल आदि के लिये भूमि आरक्षित की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस बारे में कोई स्पष्ट नीति बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-8 (क) तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम-24क (2) के अन्तर्गत खेल का मैदान, प्राथमिक तथा अन्य सरकारी विद्यालय, अस्पताल आदि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि का आरक्षण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

30-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के नगर पंचायत शंकरगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

31-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के नगर पंचायत शंकरगढ़ के 12 वार्डों में केवल 5 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? यदि हां, तो क्या कुल 12 वार्डों में रहने वाले समस्त बच्चों/महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुसार सभी वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

ी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपरो[illegible]नुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बदामा देवी, मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना, बड़ोखर खुर्द की मृत्युपरान्त मृतक आश्रित के पुत्र को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

32-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती बदामा देवी मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना बड़ोखर खुर्द, जनपद बांदा की मृत्यु दिनांक 9-9-2007 को हो गई है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के तहत मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उनके पुत्र कुलदीप सिंह पुत्र राम भवन सिंह निवासी ग्राम बेमरा, तहसील बारा, इलाहाबाद की नियुक्ति लिपिक पद पर कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक आश्रित की नियुक्ति समयबद्ध सीमा में कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

"उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 में लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।" सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री कुलदीप सिंह का टंकण परीक्षा हेतु दिनांक

28-02-2008 को तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त गति के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

33-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम के प्राविधानों का उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ के आदेश का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

34-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12 की उपधारा-1, धारा-27 की उपधारा-2 एवं धारा-49 तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के बिन्दु ञ में किये गये प्राविधानों का उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ के आदेश संख्या 69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 2002 में पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधानों के प्रतिकूल किये गये प्रश्नगत आदेश को वापस लेकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ का आदेश सं0-69/01-02, दिनांक 06-08-2002 चकबन्दी अधिनियम की धाराओं के तहत पारित न होकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के तहत पारित किया गया है। यह आदेश नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ का पूर्वोक्त आदेश दिनांक 06-08-02 चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारित आदेश है जिसके विरुद्ध मा0 राजस्व परिषद् में निगरानी विचाराधीन है। अतः इस आदेश के विरुद्ध कोई कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सम्भव है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई प्रशासनिक आदेश किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

35-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

36-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

37-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

38-डा0 आ0ए0 उस्मानी-

[2रे बुधवार के अता0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मर्का में चकबन्दी कराये जाने एवं भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर फर्जी इन्द्राज विषयक-पत्र पर कार्यवाही

39-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गोपाल प्रजापति एडवोकेट बबेरू जनपद बांदा का पत्र दिनांक 17-12-07 जो ग्राम मर्का में चकबन्दी कराये जाने एवं भू-माफियाओं द्वारा गांव सभा की भूमि को फर्जी इन्द्राज कराने सम्बन्धी है, जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय अलंकृत उद्यान अलीगंज, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को बोनस का भुगतान कराये जाने की मांग

40-श्री सुधीर कुमार-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अलंकृत उद्यान अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को शासन के पत्र संख्या 5141(1)/58-1-97, दिनांक 22 अप्रैल, 1998 के क्रम में वर्ष 2001 में बोनस का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 2002 से बोनस का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को वर्ष 2002 से बोनस का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन सिंह-

जी हां।

वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-1-1000/दस-2002-10 (एम)/02, दिनांक 31-10-2002 से आच्छादित न होने के कारण बोनस का भुगतान नहीं किया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के चकेरी एयर फोर्स स्टेशन के निर्माण के लिए कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की मांग

41-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकेरी एयर फोर्स स्टेशन कानपुर के निर्माण के लिये ग्राम सफीपुर परगना तहसील व जिला कानपुर नगर की गाटा सं0 73 व 74 के भूमिधर किसानों की भूमि ए0डी0एम0 (लैंड एक्वीजीशन) कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2000 में अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजे का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ के अनुरोध पर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम सफीपुर परगना तहसील व जिला कानपुर नगर स्थित गाटा सं0-73 व 74 के अंकित भू-स्वामियों की भूमि का अर्जन अभिनिर्णय दिनांक 10-03-2000 द्वारा किया गया है।

अर्जन निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 1,66,00,505.11/-का आंशिक रूप से भुगतान अभिनिर्णीत धनराशि के विरुद्ध हितबद्ध व्यक्तियों को किया गया है।

शेष अभिनिर्णीत धनराशि की मांग बतौर वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ से की गयी है। वांछित धनराशि प्राप्त होने पर प्रभावित भू-स्वामियों को अवशेष प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

कानपुर नगर के ग्राम-सफीपुर के खसरा नं0 74 की स्वामित्व की जांच

42-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक रक्षा सम्पदा निदेशालय मध्य कमान, लखनऊ का शिकायती-पत्र दि0 19-4-07 जो कानपुर नगर के ग्राम सफीपुर के खसरा नं0 74 की स्वामित्व की जांच के सम्बन्ध में है, सचिव, राजस्व अनुभाग-13 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, कानपुर नगर के माध्यम से करायी गयी। जिलाधिकारी, कानपुर नगर की जांच आख्या शासन में दिनांक 11-2-2008 को प्राप्त हुई है, जो शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद् लखनऊ के वित्त नियंत्रक श्री ए0 एच0 फातमी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

43-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में वर्ष 2000 से 2006 तक कार्यरत वित्त नियंत्रक श्री ए0 एच0 फातमी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या सरकारी नुकसान की भरपाई उनके पेंशन, जी0पी0एफ0 एवं चल-अचल सम्पत्ति से की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर एवं तरबगंज में आवासीय वृक्षारोपण एवं कृषि हेतु अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टों की जांच

44-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील-मनकापुर एवं तरबगंज में जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक कितने पट्टे किन-किन गांवों में आवासीय वृक्षारोपण, कृषि पट्टे अनुसूचित जातियों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को किये गये ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि अपात्र व्यक्तियों को भी पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील मनकापुर में जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक ग्राम सदकरपुर में 01, ढाढवा-01, मघईपुर-3, तिरखाबुर्ज-5, मिश्रोलिया गोसाई-10, सीतारामपुर ग्रन्ट-21, चांदपुर दुर्गा-20, अधियारी-10, घुसवाखास-10, कुल 81 पट्टे कृषि हेतु एवं ग्राम सदकरपुर में 5, तिरखा बुजुर्ग-5, चांदपुर दुर्गा-2, नरेन्द्रपुर-2, हरसिंघवा-2, सिसवा-2, दुलहिया तिवारी-3, गुरुगांव-3, खुटिहन-4, खाले गांव-6, घनश्यामपुर ग्रन्ट-2, भोपतपुर-1, छपिया-7, नेवादा-7, ऐहरौली-4, नेतुवा-5, महुआ पाकड़-7, मिश्रोलिया खुर्द-2, नरायनपुर-नानकार-8, नावरखास-11, मनकापुर-6, भिरवा-7, चांदपुर दुर्गा-2, केशवनगर ग्रन्ट-4, कुसमी-2, लालपुर-2, मुबारकपुर ग्रन्ट-1, कुल 112

पट्टे आवास हेतु एवं ग्राम लालपुर में 5, पंडितपुर-2, बंदरिही-1, अम्बरपुर-1, कुल 9 पट्टे वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को किये गये।

तहसील तरबगंज में जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक ग्राम-मुजेड में 33, बहादुरपुर में 54, परसापुरमहडौर में 14, कुल 101 पट्टे कृषि हेतु ग्राम सोहासा में 9, पूरेमोहन में 10, महादेवा-10, मुजेड-28, देवीनगर-11, जोगापुर-11, देलहा-35, खडौवा-18, भगोहर-11, नकदही-37, डोडेपुर-25, कुल 205 पट्टे आवास हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को किये गये। तहसील तरबगंज में वृक्षारोपण हेतु कोई आवंटन नहीं किया गया।

सभी पट्टेदारों को कब्जा दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपात्र व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में कसोधन जाति के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने व जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की मांग

45- श्री राम विशुन आजाद-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की अधिसूचना सं0-1259/64-1-97-70-06, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 के स्तम्भ 2 के क्रमांक संख्या-38 पर कसोधन जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद-गोण्डा में कसोधन जाति के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र तहसीलों द्वारा निर्गत किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

शासन की अधिसूचना सं0-1259/64-1-97-70-96, दि0 15 सितम्बर, 97 के स्तम्भ-2 के क्रम संख्या-38 में कसोधन जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है।

सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-1901/02/शि-4-97/रा0पि0व0आ0/98, दि0 21-12-98 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अधिसूचना सं0-1259/64-1-97-70/96, दि0 15-9-97 के अनुसार क्र0सं0-38 स्तम्भ-2 में उल्लिखित भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू, कसोधन नाम से ही पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है। "कसोधन वैश्य" नाम से पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता।

वे ही कसोधन पिछड़ी जाति की श्रेणी में आते हैं, जिनका रोटी बेटी का सम्बन्ध भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू के साथ समाज में है। जनपद गोण्डा में कसौधन वैश्य जाति के लोग निवास करते हैं, जिनका रोटी बेटी का सम्बन्ध भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू के साथ न कभी रहा है और न वर्तमान में है। इसीलिए इन्हें पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी पर विचार

46-श्री राम विशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की बढ़ोत्तरी पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पवई के ग्राम खन्डौरा में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की योजना

48-श्री राम विशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-खन्डौरा वि0खं0 पवई, आजमगढ़ में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

ग्राम खण्डौरा वि0खं0-पवई, आजमगढ़ में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु इस वर्ष उक्त ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है तथा इसे वर्ष 2008-09 में किसान हित योजना के अन्तर्गत चयन कर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गोंड जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुविधा हेतु विषयक शासनादेश

49-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोंड (जी0ओ0एन0डी0) जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां,

तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

शासनादेश जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम अलीनगर के श्री सलमान अली की मृत्यु तथा सहायता की मांग

50-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्राम अलीनगर पचमोहनी तहसील मनकापुर थाना खोड़ारे निवासी अनवर अली ने दिनांक 2-9-07 को तहसीलदार मनकापुर जनपद गोण्डा को प्रार्थना-पत्र देकर अपने पुत्र सलमान अली जिसकी मृत्यु दिनांक 19-7-07 को तेज बरसात होने के कारण गांव के समीप ही पानी में डूब कर हो गयी किन्तु सम्बन्धित तहसील के अधिकारियों द्वारा दैवी आपदा से मृतक के पिता को सरकारी सहयोग नहीं प्रदान कराया गया ? क्या सरकार मृतक के पिता को दैवी आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान करायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उत्तर प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच की गई जांच में आवेदक अनवर अली के पुत्र स्व0 सलमान अली की मृत्यु गांव अलीनगर पचमोहनी तहसील मनकापुर के समीप नहर की पुलिया में भरे पानी में डूबने से होना पाया गया है प्रकरण दैवीय आपदा का न होने के कारण सरकारी सहायता नहीं प्रदान की गई।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई सरकारी सहायता देय नहीं है। अतएव किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में गोपाल योजना अन्तर्गत दुग्ध पालकों को ब्लाकवार प्रशिक्षण

51-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में गोपाल योजना वर्ष 2006 में लागू है ? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने दुग्ध पालकों को

31-12-07 तक ब्लाकवार प्रशिक्षित किया गया है ? तथा उक्त दुधारू पशु पालकों के चयन का आधार क्या रखा गया है तथा प्रशिक्षण के उपरान्त क्या-क्या लाभ दिये जाने का प्राविधान है ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद सीतापुर के 19 ब्लाकों में से 10 ब्लाकों में गोपाल योजना संचालित की गई। प्रत्येक ब्लाक की दो-दो न्याय पंचायतों में 20-20 सदस्यों के 80 समूहों का गठन किया गया। इस प्रकार 10 ब्लाकों की कुल 20 न्याय पंचायतों में प्रति ब्लाकवार 1600 इस प्रकार कुल 16000 पशुपालकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

गोपालक के चयन का आधार इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान से उत्तीर्ण रखा गया था।

गोपालक को 04 माह के पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करके सम्बन्धित न्याय पंचायतों में गठित रियरर समूह (पशुपालक समूह) के पशुपालक सदस्यों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशु चिकित्सा तथा पशु टीकाकरण की सुविधा उनके द्वार पर पशु चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में उपलब्ध कराने तथा अपनी न्याय पंचायत में बांझ पशुओं को चिन्हित कर पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में बांझपन शिविरों का आयोजन कर सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में राजकीय मुद्रणालय में बुक बाइन्डर के पद को तकनीकी कर्मचारी घोषित करने की मांग

52-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय मुद्रणालय (छापाखाना) में बुक बाइन्डर (जिल्दसाज) के पद पर कार्य करने वाले को चमड़े की बैंडिंग व मशीनों, कटिंग मशीन, सिलाई मशीन, शिकन्जा मशीन, दाब मशीन, पंचिंग मशीन पर कार्य करना पड़ता है जो तकनीकी श्रेणी का कार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुक बाइन्डर को तकनीकी कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

राजकीय मुद्रणालय में बुक बाइन्डर (जिल्दसाज) का कोई पद नहीं है। बल्कि बाइन्डर पदनाम का तकनीकी पद है, जिनसे चमड़े की बाइडिंग का कार्य छोड़कर शेष अन्य (कटिंग मशीन सिंलाई मशीन, शिकन्जा मशीन, दाब मशीन, पंचिंग मशीन) पर कार्य कराया जाता है।

बुक बाइन्डर पदनाम का कोई पद नहीं है। अतः इसे तकनीकी कर्मचारी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम कुशम्भी की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

53-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम कुशम्भी की भूमि संख्या-2952 रकबा 10 बिसवा, राष्ट्रीय मार्ग कानपुर, लखनऊ रोड पर ग्राम समाज की भूमि है ? क्या उक्त भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

अवैध अध्यासियों के विरुद्ध धारा 122 बी0 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार न्यायालय हसनगंज में चला। तहसीलदार के आदेश दिनांकित 31-5-2005 द्वारा क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध अरविन्द कुमार द्विवेदी द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव के न्यायालय में निगरानी संख्या-20 योजित की गयी जो दिनांक 24-7-2006 के आदेश द्वारा इस अधार पर अपोषणीय मानते हुए निरस्त की गयी कि निगरानीकर्ता के भाई राजेन्द्र द्विवेदी द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी है जिसमें दिनांक 13-9-2005 को यह आदेश पारित किया गया है कि आगामी तिथि तक याची के निर्माण को नहीं हटाया जायेगा। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में राजेन्द्र द्विवेदी बनाम जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव व अन्य रिट पिटीशन संख्या-5844/एम0बी0/2005 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने याची द्वारा कराये गये निर्माण को ध्वस्त न किये जाने का आदेश दिनांक 13-09-05 को पारित किया। मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अवैध अध्यासी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ पर नारदा नन्द आश्रम में गौशाला में टिन शेड निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

54-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-165269/ 2007 दिनांक 20-7-07 जो जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ पर नारदा नन्द आश्रम में गौशाला में टिन शेड निर्माण के सन्दर्भ में था, प्रमुख सचिव पशुधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत केवल पंजीकृत गोशालाओं को ही अनुदान दिया जाता है। गोशाला निबन्धक, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ के अनुसार प्रश्नगत गोशाला, उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों को गृह अनुदान का विवरण

55-श्री लालजी यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-19 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत गृह अनुदान का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पाये गये मकानों पर गृह अनुदान का वितरण कर दिया गया है।

गृह अनुदान का वितरण दिनांक 13-11-07 से दिनांक 21-11-07 के मध्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में गोपालन योजनान्तर्गत दुग्ध पालकों को प्रशिक्षण

56-श्री लालजी यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में गोपालन योजना के अन्तर्गत कितने दुग्ध पालकों का चयन वर्ष 2004-2005, 2005-2006 एवं 2006-2007 में ब्लाक वार किया गया है तथा उक्त दुग्ध पालकों को प्रशिक्षण के दौरान क्या-क्या लाभ व कौन-कौन सी सुविधायें विभाग द्वारा दी जाती हैं ? क्या सरकार सम्पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में गोपालन योजना जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के पालीटेक्निक शामली में मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरने की मांग

57-श्री हुकुम सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के पालीटेक्निक शामली में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति न करके जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है उनमें से 06 शिक्षक अन्य संस्थाओं से सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्बद्धता को समाप्त करते हुये शामली में ही शिक्षण कार्य हेतु सुनिश्चित करने तथा शेष रिक्त पदों को भी अविलम्ब भरना सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां, राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली में शिक्षकों के सृजित 19 पदों के विरुद्ध 09 पद भरे हैं, जिसमें से 02 शिक्षक पूर्ण रूप से एवं 01 शिक्षक सप्ताह में तीन दिन के लिए छात्राओं के शिक्षण प्रशिक्षण हित में अन्य संस्थाओं से वर्तमान सत्र के लिए सम्बद्ध है जिनकी सम्बद्धता सत्र समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जायेगी।

शिक्षकों के उपरोक्त रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को अधियाचन भेजे गये हैं। आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की विधिवत् कार्यवाही की जायेगी। शैक्षणिक कर्मियों की कमी के दृष्टिगत संस्था की छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य अतिथि व्याख्याताओं द्वारा कराया जा रहा है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग

58-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने की सरकार की क्या योजना है ? क्या फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी हां। युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद भी आच्छादित है।

जी नहीं, क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 में केवल अधूरे/अपूर्ण स्टेडियमों को पूरा कराने के लिए आय-व्ययक में प्राविधान है।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के राजस्व ग्राम असनहरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि के पट्टों का आवंटन

59-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असनहरा में सड़क के किनारे की ग्राम सभा की कीमती भूमि गाटा सं0-10/0-3 बिस्वा, 68/0-03, 114/0-03, 129/0-08, 132, 232/0-02 को किन-किन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को आवासीय/कृषि पट्टा दिया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिन लोगों को पट्टा दिया गया है उनमें से कितने लोग वास्तव में आवास विहीन थे ? क्या सरकार उक्त पट्टों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लेने की जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असनहरा में गाटा सं0-10 व 68 मि0 सड़क के किनारे की भूमि तथा गाटा संख्या-114/0-03, 129/0-08, 132/232/0-02 सड़क के किनारे की भूमि नहीं है। उपरोक्त गाटा में निम्न आवंटियों को आवास आवंटन किया गया है :-

1-श्रीमती अनारादेवी पत्नी स्व0 बलिदास अनुसूचित जाति 129 मि0/0.08

2-श्री मगन पुत्र रामदास अनु0 129मि0/0.012

3-श्री ईश्वरदीन पुत्र पटई अनु0 129 मि0/0.012

4-श्रीमती सूर्यसती पत्नी स्व0 बाले अनुसूचित जा0 14/0.12

5-श्रीमती पतिराजी पत्नी स्व0 तिलकू अनु0जा0 132/232मि0/0.008

6-शान्ती प्रसाद पुत्र बन्धू पिछड़ी जाति 10/0.12

7-श्रीमती गौरादेवी उर्फ प्रानपति पत्नी बलेश्वर पिछड़ी जा0 68मि0/0.012

उपरोक्त गाटा में कृषि हेतु कोई आवंटन नहीं हुआ है।

जिन व्यक्तियों को आवंटन किया गया है वे आवास विहीन नहीं थे किन्तु उनके पास आवास हेतु अपर्याप्त भूमि थी।

किसी दबंग द्वारा पट्टों पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत भिटौरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि आवंटन की कथित जानकारी

60-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा में स्थित गाटा सं0-3646 का सम्पूर्ण रकबा कितना है ? उक्त गाटा संख्या में

किन-किन व्यक्तियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष भूमि आवंटन किया गया ? आवंटियों के परिवार में पहले से कितनी भूमि मौजूद थी ? क्या सरकार बतायेगी कि इस अनियमित आवंटन के विरुद्ध श्री राम भवन पुत्र राम सबद निवासी दुखीपुरवा, भिटौरा के प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-11-07 पर उप जिलाधिकारी मनकापुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा में स्थित गाटा संख्या-3646 का सम्पूर्ण रकबा 0.324 है0 है।

इस वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत गाटा संख्या-3646 में कोई आवंटन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत भिटौरा में दलितों एवं पिछड़ी जातियों को कृषि एवं आवासीय भूमि के पट्टों के आवंटन में अनियमितता की जांच

61-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा में वर्ष 2006-07 में किन-किन दलितों एवं पिछड़ी जातियों को कृषि एवं आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया ? क्या अनियमित पट्टों की जांच अपर जिला अधिकारी गोण्डा द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या पट्टेदारों के बयान अंकित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम भिटौरा, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में वर्ष 2006-07 में कृषि हेतु 13 अनुसूचित जाति व 9 पिछड़ी जाति के कुल 22 व्यक्तियों को तथा आवास हेतु 25 अनुसूचित जाति व 8 पिछड़ी जाति के कुल 33 व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये गये हैं।

(नामों की सूची संलग्न* है।)

पट्टों की जांच अपर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा की गयी।

जी नहीं।

कृषि एवं आवास के पट्टा आवंटन की जांच अभिलेखों व स्थलीय निरीक्षण के आधार पर तथा उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ के आधार पर की गयी। अतएव बयान लेने का औचित्य नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा प्रेषित जांच आख्या आदि मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं जिसे मा0 सदस्य अवलोकित कर सकते हैं।

(संलग्न सूची के लिये देखिये नत्थी "क" का उत्तर पीछे पृष्ठ 206 पर।)

जनपद उन्नाव में कार्यरत कृषि रक्षा इकाई की संख्या एवं स्थानान्तरण नीति

62-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कितनी कृषि रक्षा इकाई कार्यरत हैं ? क्या इन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इस वर्ष 2007-08 में कोई स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायन-

जनपद-उन्नाव में 16 कृषि रक्षा इकाई तथा 1 कृषि रक्षा केन्द्र, अर्थात् कुल 17 इकाइयां कार्यरत हैं।

जनपद-उन्नाव की उक्त इकाइयों पर तैनात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 का एक कर्मचारी तथा वर्ग-3 के पांच कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों के चयन सम्बन्धी जानकारी

63-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में मण्डी परिषद द्वारा पक्की डामर रोड बनाने हेतु किन-किन सड़कों का चयन किया गया है ? क्या विधान सभा क्षेत्र हड़हा में मण्डी समिति द्वारा कोई सड़क बनवायी जा रही है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद उन्नाव में मण्डी परिषद् द्वारा निम्न दो मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1-हसनगंज दयालपुर मार्ग से कुरौली तक।

2-उन्नाव भोजपुर मार्ग से नरायनपुर जाने वाले खड़न्जे तक।

जी नहीं।

प्रदेश में सहायता प्राप्त पालिटेक्निक संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित वेतन हेतु बजट को डीफ्रीज करने की कार्य योजना की जानकारी

64-डा0 अजय तोमर-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव वित्त के शा0सं0 4022/पी0एस0एफ0/दस दिनांक 11-11-1999 के लागू होने के कारण सहायता प्राप्त पालिटेक्निक संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां,

तो क्या उक्त शासनादेश के द्वारा फ्रीज किया गया बजट को डीफ्रीज करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

सहायता प्राप्त पालिटेक्निक संस्थाओं के फ्रीज अनुदान स्तर में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में वित्त विभाग में उच्च स्तरीय निर्णय हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

श्रीमती सुमनलता आंगनबाड़ी कार्यकत्री को सेवा में लिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

65-श्री लालजी यादव-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निदेशक (एच0) निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सख्या-3087/बा0वि0परि0/स्था0-4/07 दि0 19-7-07 जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, अम्बेडकर नगर को भेजा गया है जिसमें श्रीमती सुमनलता आंगनबाड़ी कार्यकत्री को सेवा में लिये जाने विषयक जांच आख्या मांगी गयी थी, पर जांच आख्या निदेशालय को उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

श्रीमती सुमन लता पत्नी श्री राजपति ग्राम व पो0 पिण्डोरिया विकास खण्ड गियाव जनपद-अम्बेडकर नगर के प्रकरण में जिला कार्यक्रम अधिकारी, अम्बेडकर नगर की आख्या दिनांक 16-8-07 के अनुसार श्रीमती सुमनलता आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा माह सितम्बर, 2005 से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप नियमानुसार इनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में गत वर्ष हुई ओलावृष्टि से पीड़ित कृषकों को बीमा राशि का भुगतान कराये जाने की मांग

66-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में मार्च, 2007 में हुई ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को बैंकों द्वारा दिये गये फसली ऋण पर बीमा का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो पीड़ित किसानों को फसली बीमा योजना का लाभ कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां। प्रदेश में चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत रबी 2006-07 मौसम में जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में फसल आलू के अन्तर्गत 232 कृषकों को रु0 3,50,421 की क्षतिपूर्ति देय है। रबी 2006-07 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अन्य फसलों का बीमा संबंधित तहसील के कृषकों द्वारा नहीं कराया गया है।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 द्वारा भुगतान की कार्यवाही क्रमिक है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मथुरा की मुख्य मण्डी में आढ़तियों के लाइसेन्स एवं दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा कराये जाने की मांग

67-श्री पूरन प्रकाश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मुख्य मण्डी में कृषि मण्डी समिति मथुरा में कुल कितने आढ़तियों के लाइसेंस हैं ? क्या यह सही है कि मण्डी समिति मथुरा में फल दुकानों एवं गल्ला आढ़त की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार फल दुकानों एवं गल्ला आढ़त में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

412 आढ़तिया।

फल दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति के पात्र लाइसेन्सी न होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

जी हां।

अनुसूचित जाति के पात्र लाइसेन्सी उपलब्ध होने पर दुकानें निर्मित कराकर आवंटित की जायेंगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

समन्वित बाल विकास परियोजना में किये गये चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण समाप्त पदों को पुनः बहाल करने की मांग

68-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपः करेंगे कि शासनादेश संख्या-325(1)/26-सेल-90, दिनांक 20-3-90 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना के विभिन्न पदों को स्थायी किया था ? यदि हां, तो क्या उन पदों को शासनादेश संख्या-1387/60-2-07-2/3(2)/01 दिनांक 28-3-07 के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने की

अवधि में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समाप्त किये गये उक्त पदों को पुनः बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, बल्कि शसनादेश संख्या-352(1)/20-सेल-90, दिनांक 20-3-90 द्वारा विभिन्न पदों को स्थाई किया गया है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 08-12-06 द्वारा निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पदों का पुनर्गठन करते हुए 39 पदों के सृजन का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, उक्त अनुमोदन के कम में निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में पूर्व स्वीकृत पदों को समाप्त करते हुए वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या-1387/60-2-07-2/3(2)/06, दिनांक 28-3-07 द्वारा 39 पदों के सृजन एवं संवर्ग पुनर्गठन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

आई0सी0डी0एस0 योजना के अधिष्ठान का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्टाकिंग पैटर्न के अनुरूप ही पदों का सृजन किया गया है। अतः समाप्त किये गये पदों को बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में गत वर्ष गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन फार्म एवं स्वीकृत धनराशि का विवरण

69-श्री पूरन प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक कुल कितने गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले अनुसूचित जाति की कन्याओं के शादी में शासन द्वारा दी जा रही सहायता के आवेदन प्राप्त हुये एवं इसमें कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि 1-4-07 से 31-12-07 तक जनपद मथुरा में जो गरीब अनुसूचित जाति की कन्याओं की शादी में सहायतार्थ फार्म आवेदन आये हैं उसके अनुसार धन आवंटन नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र धन आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मथुरा में प्रश्नगत अवधि में गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु कुल 1341 आवेदन प्राप्त हुए एवं 516 आवेदन-पत्रों पर 51.60 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी।

प्रश्नगत अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों हेतु वांछित 139.10 लाख रुपये की आवश्यकता के सापेक्ष संसाधन की उपलब्धता के आधार पर आयोजनेत्तर पक्ष से 46.22 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जा सकी है।

जिला प्लान के अन्तर्गत संसाधन की उपलब्धता के आधार पर 11.56 लाख रुपये का आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के गोवर्धन में कृषि उप मण्डी समिति की स्थापना की मांग

70-श्री पूरन प्रकाश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में कृषि उप मण्डी समिति की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उप मण्डी समिति की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना संख्या-139/80-1-08-600 (201)/2007, दिनांक 5-2-2008 को शासन द्वारा निर्गत की जा चुकी है। तत्पश्चात् धारा-6 (1)/17 की अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त नियमानुसार कब्जा प्राप्त होने पर निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के संग्रह अमीन के नियमित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु साक्षात्कार एवं इन्हें नियमित करने की मांग

71-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में संग्रह अमीन के नियमित रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर में सीजनल संग्रह अमीनों का साक्षात्कार दिनांक 14-6-05 को मा0 उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं0-2444 (एस0एस0) एस0एस0 पर मई, 2000 के निर्णय के क्रम में कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त साक्षात्कार के आधार पर सीजनल संग्रह अमीनों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

चूंकि नियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई साक्षात्कार नहीं कराया गया, इसलिये नियमित किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को मिलने वाली कन्याओं की शादी की धनराशि का भुगतान कराने के निर्देश

72-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आजमगढ़ में पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को मिलने वाली शादी हेतु धनराशि वर्ष 2007 में नहीं दी गयी है, जबकि अनुसूचित जाति व सामान्य जाति के लोगों को शादी हेतु दी जाने वाली धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़ी जाति की कन्याओं को शादी हेतु दी जाने वाली धनराशि तत्काल भुगतान करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

पिछड़ी जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी हेतु योजना की धनराशि जनपद आजमगढ़ को आवंटित की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पुत्री की शादी हेतु धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए भुगतान के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, देवरिया में उर्वरक लाइसेन्स पटल पर कार्यरत कर्मचारियों को अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

73-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, देवरिया में उर्वरक लाइसेंस पटल पर कितने कर्मचारी विगत 3 वर्षों से एक ही सीट पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि तैनात कर्मचारी अनियमितताओं के कारण निलम्बित भी हुए थे ? यदि हां, तो उसे पुनः उसी पटल पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी, देवरिया में उर्वरक लाइसेन्स दिये जाने से सम्बन्धित पटल पर दो कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रथम कर्मचारी पांच ब्लाक का कार्य तथा दूसरे द्वारा ग्यारह ब्लाक का कार्य देखा जा रहा है। दोनों में से किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल पटल पर तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है।

उर्वरक लाइसेन्स सम्बन्धी पटल पर कार्यरत एक कर्मचारी को उप कृषि निदेशक (प्रसार) देवरिया के आदेश सं0-1128, दिनांक 30-1-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था। जांचोपरान्त

आरोप सिद्ध न होने के कारण उप कृषि निदेशक (प्रसार) देवरिया के आदेश सं0-238, दिनांक 21-6-04 द्वारा उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया। बाद में जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के आदेश सं0-357, दिनांक 13-7-05 द्वारा उन्हें पुनः उर्वरक लाइसेन्स के पटल पर तैनात किया गया है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के कतिपय ग्रामों में आग लगने से प्रभावितों को आवास उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति

74-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र हड़हा के अन्तर्गत ग्राम ककरहा, पथरहा, ब्लाक नवाबगंज व ग्राम सरवागर (खन्ना पुरवा) एवं गयादीन खेड़ा मजरा कोल्डूवा गाड़ा में माह अप्रैल व जून, 2007 में आग लगने से सम्पूर्ण गांव जल गये थे ? यदि हां, तो उक्त ग्रामवासियों को आवास तथा भोजन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 18-8-07 मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

ग्राम ककरहा, पथरहा के प्रभावित परिवारों को रु0 104000/-की अहेतुक सहायता तथा रु0 211200/-गृह अनुदान वितरित किया गया तथा 25 पात्र चिन्हित अभ्यर्थियों को पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

ग्राम सरवागर (खन्ना पुरवा) के प्रभावित 141 परिवारों को मू0 रु0 141000/-अहेतुक सहायता तथा रु0 112000/-का गृह अनुदान वितरित किया गया है तथा 45 चिन्हित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

ग्राम गयादीन खेड़ा म0 कोलुहागाड़ा के प्रभावित 35 परिवारों को अहेतुक सहायता रु0 35,000/-तथा गृह अनुदान मू0 रु0 28000/-वितरित किया गया तथा चिन्हित 18 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में पोखरे/तालाब की संख्या एवं उन पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में कुल कितने तालाब/पोखरे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं, इनका अलग-अलग क्षेत्रफल एवं वर्तमान

स्वरूप का विवरण क्या है ? क्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में उप जिलाधिकारी पट्टी एवं उनके अधीनस्थों द्वारा जुलाई, 2005 से 3 जुलाई, 2007 तक तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के विकास खण्ड मंगरौरा में राजस्व अभिलेखों में कुल 1373 तालाब अंकित है। इनमें से 31 तालाब रकबा 7.090 हे0 पर स्थायी निर्माण एवं आबादी के रूप में कब्जा है, शेष खाली है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में शासन द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में जुलाई, 2005 से 3 जुलाई, 2007 तक तालाबों से अस्थायी अवैध कब्जे हटाये गये हैं तथा स्थायी (आबादी) अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में तालाब/पोखरों में अवैध कब्जे को बहाल करने की कार्यवाही

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड, आसपुर देवसरा में कुल कितने तालाब/पोखरे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने तालाबों को समाप्त कर कृषि कार्य, भवन निर्माण किया गया है ? उक्त तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो जुलाई, 2005 से 3 जुलाई, 2007 तक जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में 1259 तालाब जिनका क्षेत्रफल 405.17 हे0 राजस्व अभिलेखों में अंकित है। कुल 11 तालाबों क्षेत्रफल 86.913 हे0 पर अस्थायी रूप से अवैध कब्जा था जिसे मा0 न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत अभियान चलाकर हटाया गया। इनमें से 38 तालाब रकबा 7.628 हे0 पर स्थायी निर्माण कर आबादी के रूप में कब्जा है।

शेष अतिक्रमण मुक्त है।

तालाबों को समाप्त कर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है कुल 38 तालाब रकबा 7.628 हे0 पर भवन निर्माण कर आबादी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

जी हां। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में जुलाई, 2005 से 3 जुलाई, 2007 के मध्य 96 तालाबों से अस्थायी अवैध कब्जे हटाये गये हैं तथा आबादी के रूप में प्रयोग किये जा रहे स्थायी निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के कतिपय ग्रामों के तालाब/झील पर हुए अवैध कब्जों का हटाये जाने की मांग

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दाऊदपुर एवं ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी प्रतापगढ़ में उपलब्ध तालाब/झील पर ग्राम के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर उसमें खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाब के स्वरूप को पूर्ववत् बहाल कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम दाउदपुर में 1359 फसली में आराजी नं0-43.170 हे0 क्षेत्रफल के रूप में अंकित था। तालाब के रूप में अंकित इस रकबे में से चकबन्दी बन्दोबस्त के बाद तालाब के खाते में कुल 34.954 हे0 भूमि ही बची है। इस प्रकार 9.216 हे0 भूमि 1359 फसली के बाद से चकबन्दी की कार्यवाही तक विभिन्न काश्तकारों के नाम अनधिकृत रूप से दर्ज किये गये। अनाधिकृत रूप से दर्ज खातेदारों की बेदखली एवं अभिलेखों से नाम अलग करने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में तालाब के रूप में दर्ज 34.954 हे0 भूमि पर तालाब के किनारे की सूखी भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने फसल बोकर अवैध कब्जा कर लिया था जिनकी बेदखली हेतु कार्यवाही नियमानुसार कर दी गयी है।

ग्राम पहाड़ मुरारपट्टी में कोई तालाब नहीं है।

प्रश्नगत तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ज0वि0अधि0 की धारा 122बी के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कर बेदखली की कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति आरोपित की जा चुकी है। 1359 फसली के बाद चकबन्दी के दौरान अनाधिकार कब्जे में की गयी भूमि से बेदखली एवं अभिलेखों से नाम पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-डा0 राजेन्द्र सिंह-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद में ग्राम सभा की बंजर भूमि को फर्जी रूप से अंकित किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

79-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में ग्राम काकराबाद में वर्तमान खाता खतौनी क्रम संख्या क्रमशः 17,33,120,122,125,126,231,275,334 में अंकित भूमि सन् 1332 फसली खतौनी में ग्राम सभा की बंजर भूमि में दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान खाता धारकों के नाम उक्त भूमि को फर्जी रूप से अंकित किया गया है ? क्या सरकार भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-33/39 के अन्तर्गत भूमि को पुनः ग्राम समाज में दर्ज कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम काकराबाद की खाता खतौनी क्रम संख्या-17,33,120,122,125,126,231,275,334 में वर्तमान अंकित गाटा संख्या तथा इनके पुराने गाटा संख्या में मात्र गाटा संख्या-19क क्रम संख्या-33 ही सन् 1332 फसली खतौनी में ग्राम सभा की बंजर भूमि में अंकित था।

क्रमांक 33 गाटा संख्या-19क श्रीमती ऊषा रानी पत्नी स्व0 शिवनाथ के नाम से अंकित था।

गाटा संख्या-19क को उप जिलाधिकारी सदर के आदेश संख्या-69/01-02 अन्तर्गत धारा-33/39 एल0आर0 ऐक्ट द्वारा श्रीमती ऊषा रानी पत्नी स्व0 शिवनाथ के नाम से निरस्त कर ग्राम सभा में अंकित किया जा चुका है। इस आदेश के विरुद्ध मा0 राजस्व परिषद् ने निगरानी सं0-149 श्रीमती ऊषा रानी बनाम राज्य सरकार योजित है जिसमें अग्रिम तिथि 5-3-2008 नियत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में समाज कल्याण अधिकारी एवं अपर जिला विकास अधिकारी की संख्या एवं रिक्त स्थानों पर तैनाती की मांग

80-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने समाज कल्याण अधिकारी एवं अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) वर्तमान में कार्यरत हैं ? उनमें से कितने जनपद ऐसे हैं जहां दोनों अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी तैनात नहीं है ? क्या यह सही है कि जनपद एटा, बलरामपुर, कानपुर देहात, हरदोई तथा लखीमपुर जनपदों में उक्त अधिकारियों में से किसी की तैनाती न करके सहायक विकास अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक (समूह "ग") के कर्मचारियों को प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी बनाकर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं ? क्या सरकार प्रभारी अधिकारी व्यवस्था समाप्त कर उक्त जनपदों में नियमित अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

40 जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं 25 अपर जिला विकास अधिकारी (सक) अर्थात् कुल 65 अधिकारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं।

11 जनपद ऐसे हैं जहां जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अपर जिला विकास अधिकारी (सक) कार्यरत नहीं है।

जी हां। उक्त जनपदों में सहायक विकास अधिकारियों (सक) एवं अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) को नियमित जिला समाज कल्याण अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था में प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया है तथा उन्हें/कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ (वेतन भत्ता आदि) अनुमन्य नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के पशु चिकित्सालयों में पशु गर्भाधान केन्द्रों में उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध कराये जाने की मांग

81-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने पशु चिकित्सालय हैं इनमें से कितने पशु केन्द्रों पर उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा में 35 पशु चिकित्सालय हैं। पशु केन्द्रों पर उत्तम नस्ल के सांड़ कृत्रिम गर्भाधान हेतु नहीं रखे गये हैं। इन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य कराया जाता है इसलिए पशु केन्द्रों पर उत्तम नस्ल के सांड नहीं रखे जा रहे हैं।

जनपद हरदोई में रिक्त समाज कल्याण अधिकारी के पद पर सहायक विकास अधिकारी की तैनाती की मांग

82-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में वर्तमान समय में समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में श्री बी0 एल0 कनौजिया, सहायक विकास

अधिकारी समूह "ग" के कर्मचारी को प्रभारी बनाकर तैनात किया गया है और उनका मूल निवास जनपद हरदोई ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी तैनाती मूल जनपद से हटाकर अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां, श्री वी0एल0 कनौजिया को नहीं वरन् श्री एम0एल0 कनौजिया को जनपद हरदोई में प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया है तथा उनका मूल निवास जनपद हरदोई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उर्वरक लाइसेन्स पटल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

83-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, देवरिया में उर्वरक लाइसेंस पटल पर कितने कर्मचारी विगत 3 वर्षों से एक ही सीट पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि तैनात कर्मचारी अनियमितताओं के कारण निलम्बित भी हुए थे ? यदि हां, तो उसे पुनः उसी पटल पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, देवरिया में उर्वरक लाइसेन्स दिये जाने से सम्बन्धित पटल पर दो कर्मचारी कार्यरत हैं, प्रथम कार्मिक द्वारा पांच ब्लाक का कार्य तथा दूसरे द्वारा ग्यारह ब्लाक का कार्य देखा जा रहा है। दोनों में से किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल पटल पर तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है।

उर्वरक लाइसेन्स संबंधी पटल पर कार्यरत एक कर्मचारी को उप कृषि निदेशक (प्रसार) देवरिया के आदेश संख्या-1128, दिनांक 30-1-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था। जांचोपरान्त आरोप सिद्ध न होने के कारण उप कृषि निदेशक (प्रसार) देवरिया के आदेश संख्या-238, दिनांक 21-6-2004 द्वारा उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया। बाद में जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के आदेश सं0-357, दिनांक 13-7-2005 द्वारा उन्हें पुनः उर्वरक लाइसेन्स के पटल पर तैनात किया गया है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के ग्राम शाहपुर में अपात्र व्यक्तियों के आवासीय पट्टे निरस्त करने की मांग

84-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के हंडिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में वर्ष 2007 में किन-किन लोगों को आवासीय पट्टा दिया गया है ? क्या अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टे निरस्त किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम शाहपुर, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2007 में 17 पात्र परिवारों जिसमें 15 केवट (मछुआ समुदाय) के सर्वश्री अनिल कुमार, रमेश कुमार, मोहन लाल, सुरेश कुमार, शीतला प्रसाद, जिलाजीत, पृथ्वीराज, संदीप कुमार, गयाशंकर, लालचन्द्र, सागर, साहबलाल, राजेश कुमार, श्रीमती अमृती देवी व सवारी देवी तथा गड़रिया जाति के 2 व्यक्तियों श्रीमती बालकुमारी एवं मनोरमा देवी को आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर में प्रतिनियुक्ति पर तैनात तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

85-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक, सुल्तान बेग बरेली का पत्र दिनांक 20-11-07 एवं विधायक, श्री अंगद यादव का पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2007 जो नोएडा प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर में प्रतिनियुक्ति पर तैनात तहसीलदार को उनके मूल विभाग में वापस करते हुए उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में थे, प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मा0 विधायक, सुल्तान बेग बरेली का पत्र दिनांक 20-11-07 प्राप्त हुआ है, जबकि मा0 विधायक श्री अंगद यादव का पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2007 प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 विधायक सुल्तान बेग, बरेली का पत्र दिनांक 20-11-2007 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी की तहसील चायल के ग्राम पुरवास के श्री राम लखन को किये पट्टे पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

86-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति विधान सभा का उपरिपत्र सं0 44/स0सा0उ0स0/07, दिनांक 22-10-2007 जो जनपद कौशाम्बी की तहसील चायल के ग्राम पुरवास श्री राम लखन पुत्र श्री माता बदल तथा श्रीमती भुवरी बेवा वंशी को वर्ष 2002 में आराजी सं0 285 का किया गया पट्टा जिस पर उसी

गांव के निवासी श्री हुसेन आरिफ द्वारा किये गये कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया एवं पूरा की सहकारी समितियों द्वारा खाद वितरण सम्बन्धी जानकारी

87-श्री लल्लू सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक (खाद) की कमी की समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किसानों के खाद की समस्या के निदान हेतु जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया एवं पूरा की सहकारी समितियों द्वारा माह नवम्बर, 2007 से जनवरी, 2008 तक कितनी-कितनी बोरी खाद का वितरण किसानों को किया गया ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रत्येक खरीफ व रबी के पूर्व भारत सरकार के कृषि व उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जोनल कांफ्रेस आयोजित की जाती है, जिसमें प्रदेश के उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। रबी सत्र, 2007-08 हेतु प्रदेश में यूरिया 30.00 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 10.50 लाख मी0 टन तथा एन0पी0के0 6.50 लाख मी0 टन का लक्ष्य है। इसमें से माह जनवरी, 2008 तक की आवश्यकता यूरिया डी0ए0पी0 तथा एन0पी0के0 क्रमशः 22.50 लाख मी0 टन 9.10 लाख मी0 टन तथा 4.67 लाख मी0 टन है। इसके सापेक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक यूरिया 22.75 लाख मी0 टन, डी0ए0पी0 9.69 लाख मी0 टन एन0पी0के0 5.26 लाख लाख मी0 टन प्रदेश में उपलब्ध है। उक्त दिनांक तक उपलब्ध मात्रा में से क्रमशः 18.61 लाख मी0 टन, 8.91 लाख मी0 टन तथा 4.40 लाख मी0 टन का वितरण हुआ है। प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन द्वारा भरपूर प्रयास किए गए हैं। इस क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं भी दो बार मा0 प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर पर्याप्त मात्रा में प्रदेश को उर्वरक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

और प्रदेश के समस्त जनपदों की आवश्यकतानुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है और आगामी माह में भी रसायनिक उर्वरकों की कमी न होने पाये, इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार

कृत संकल्प है। जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड गया एवं पूरा की सहकारी समितियों द्वारा माह नवम्बर, 2007 से जनवरी, 2008 तक किसानों को कराये गये खाद के वितरण का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल वितरण (सं0 बोरी में)			
		यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमएपी
1	मया बाजार	15674	15067	304	536
2	पूरा बाजार	12824	13419	3806	1040

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में संचालित दुग्ध समितियां

88-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ग्राम सभा स्तर पर कितनी दुग्ध समितियों को संचालित किया जा रहा है ? क्या सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त दुग्ध समितियां खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ग्राम सभा स्तर पर 30 दुग्ध समितियां संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एक ग्राम सभा में एक समिति पर्याप्त है।

जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत सेक्टर-49, बरोला में कालोनी को पानी व सीवर की सुविधा

89-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत सेक्टर-49, बरोला में क्या यामाहा बिहार प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कालोनी है ? यदि नहीं, तो कितनी और दूसरी कालोनियां इस प्रकार की हैं ? उक्त कालोनियों को प्राधिकरण द्वारा किन नियमों के अन्तर्गत पानी व सीवर की सुविधा दी गई है ?

कुमारी मायावती-

यह मान्यता प्राप्त कालोनी नहीं है।

इस प्रकार की दूसरी अन्य कालोनियों की कोई जानकारी प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है।

अनधिकृत कालोनियों में पानी व सीवर की सुविधा प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जाती है।

जनपद खीरी के निघासन व पलिया तहसील में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

90-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-3 नं0 444555, दिनांक 3-8-07 जो जनपद खीरी के निघासन व पलिया तहसील में आयी बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

बाढ़ से प्रभावित पिपरिया भूड़, खाले, पुरवा, खैरा, दुबहा, आजादनगर, पटिहन, सम्पूर्णा नगर, मुरार खेड़ा, नया पुरवा, म0 मझगई आदि ग्रामों में पीड़ितों को खाद्यान्न के रूप में आलू, आटा, चावल, नमक, माचिस, गुड़, लाई, चना, आदि का वितरण किया गया। गृह अनुदान के रूप में रु0 16,85000.00 का 104 पीड़ितों में वितरण किया गया। फसलों की क्षति हेतु रु0 4495184.00 कृषि निवेश अनुदान के रूप में तथा कृषि भूमि कटान हेतु रु0 1278015.00 वितरित किये गये। इसी प्रकार तहसील निघासन के 24 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए, इन ग्रामों में कुल 5145 परिवारों को मिट्टी के तेल नमक, आलू, माचिस, आटा, चावल वितरित किया गया। गृह अनुदान के रूप में रु0 837834.00 एवं इसी प्रकार फसलों की क्षति के रूप में रु0 345076.00 कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील निघासन व पलिया में बाढ़ से प्रभावित मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता

91-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन व पलिया में शारदा नदी, सुहेली नदी, सरयू नदी, जोराहा नाला व मोहाना नदी में वर्ष 2007 में आयी बाढ़ से प्रभावित मृतक परिवारों को कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2007 की बाढ़ में जनपद खीरी की तहसील निघासन में 01 तथा तहसील पलिया में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिनके आश्रितों को एक-एक लाख की राहत सहायता दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत कोथला व कल्याणपुर ग्राम की झील के आवंटित पट्टों पर बेदखली की कार्यवाही

92-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में तहसील गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत कोथला नामक बड़ी झील व कल्याणपुर ग्राम की बड़ी झील को पूर्व में पट्टों के रूप में आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है तथा क्या इन आवंटियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बेदखल करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील गढ़ के ग्राम कोथला खादर के झील के नम्बरान में किये गये कथित आवंटन को तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गाजियाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-02-2000 के द्वारा निरस्त कर भूमि को पूर्व नौइयत झील में दर्ज कर दी थी, जिसका अमलदरामद कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर पिलर लगवा दिये गये थे। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ के न्यायालय में निगरानी योजित हुई, जिसमें अपर आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा दिनांक 24-7-07 के आदेश के द्वारा अपर जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-2-2006 को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध रिव्यू योजित किया गया, जिसमें अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 24-7-07 को रिव्यू प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक स्थगित कर दिया गया है।

ग्राम कल्याणपुर स्थित खसरा संख्या-706 व 714 झील में 42 पट्टों की फर्जी आवंटन की प्रविष्टियों को तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 7-4-2006 को निरस्त कर भूमि को झील दर्ज कर दी गई थी। जिसके विरुद्ध कथित पट्टेदारों द्वारा अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के न्यायालय में निगरानी योजित की गई। अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा आदेश दिनांक 15-11-06 के द्वारा उपजिलाधिकारी गढ़ का आदेश दिनांक 07-4-06 निरस्त कर ज0वि0अधि0 की धारा 198 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये जिसके क्रम में ग्राम कल्याणपुर के सम्बन्ध में ज0वि0अधि0 की धारा 198 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गाजियाबाद के न्यायालय में गतिमान हुई जिसमें अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गाजियाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 31-1-2008 के द्वारा ग्राम कल्याणपुर परगना व तहसील गढ़मुक्तेश्वर के खसरा संख्या-706ढ व 714 पर किया गया आवंटन निरस्त किया गया तथा भूमि को ग्राम सभा में निहित किया गया।

नोएडा प्राधिकरण जनपद गौतमबुद्ध नगर में सेक्टरों की चाहरदीवारी बनवाये जाने की मांग

93-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नोएडा प्राधिकरण जनपद गौतमबुद्ध नगर में कितने सेक्टरों की चहारदीवारी किस योजना के तहत बनायी गयी है तथा कितने सेक्टरों में यह चहारदीवारी बनाना शेष है ? शेष सेक्टरों की चहारदीवारी कब तक बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

सेक्टर-17 की चहारदीवारी सांसद निधि के अन्तर्गत निर्मित करायी गई है तथा प्राधिकरण की नीति के अनुसार प्राधिकरण की विभिन्न सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी/वायर फैन्सिंग/पार्क रेलिंग बनवायी जाती है।

सेक्टरों की चहारदीवारी के निर्माण की कोई नीति नहीं है तथापि सेक्टरों में आवश्यकतानुसार ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी/वायफैन्सिंग/पार्क रैलिंग बनाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर की संक्रमणीय भूमि पर बाहरी व्यक्तियों को आवंटित पट्टी का कथित प्रकरण

94-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ग्राम सभा मदाफरपुर का गाटा संख्या 212. 39, 40 राजस्व अभिलेखों में किस श्रेणी में दर्ज है और वर्तमान में उक्त भूमियों पर कौन-कौन लोग काबिज हैं ? क्या उक्त भूमियों पर तहसील एवं ग्राम के बाहर के निवासियों को पट्टा भी स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में गाटा संख्या-212 क्षेत्रफल 0.139 हे0 कमलापति सुत प्रताप नरायन नि0 ग्राम मदाफरपुर की संक्रमणीय भूमिधर की भूमि है। इस ग्राम की गाटा सं0 40 कमलापति सुत प्रताप नरायन, नन्द लाल सुत शिवमूर्ति, जवाहर व रामसजीवन सुत रामनेवाज, शंकरलाल सुत मेवालाल तथा रघुराज सिंह सुत सीताराम व रामशिरोमणि सुत रामराज, कुंवर बहादुर सुत भूलन, विमला देवी पत्नी रामकिंकर व जैतून बेगम पत्नी रुकनुद्दीन के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। गाटा सं0-39 क्षेत्रफल 0.074 हे0 नवीन परती के रूप में खतौनी में दर्ज है। इस पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है और न इस पर किसी को कोई पट्टा ही हुआ है।

जनपद प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी द्वारा ग्रामों में शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन भ्रमण एवं रात्रि विश्राम का विवरण

95-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 तक ग्रामों में कब-कब शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन भ्रमण एवं रात्रि विश्राम किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किये गये प्रत्येक ग्राम के फसली पड़ताल का विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

उप जिलाधिकारी पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 की अवधि में दिनांक 15-11-05 से 15-3-06 एवं मई, 2006 तथा जुलाई, 2006 से 28-2-07 तक ग्रामों में शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन भ्रमण एवं रात्रि निवास किया गया है।

सूचना का विवरण एकत्र किया जा रहा है।

96-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दुधारू पशुपालकों के लिए अनुदान/सहायता दिये जाने की कार्य योजना

97-श्री लालजी यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दुधारू पशुपालकों के लिये कोई विशेष अनुदान/सहायता दिये जाने की कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में रु0 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान ऐसे दुधारू पशु जिनका एक ब्यांत में दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर से अधिक है, का बीमा कराने के लिए किया गया है। बीमा राशि के प्रीमियम का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 50 प्रतिशत पशु स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के नैसर्गिक अभिजनन हेतु रु0 50.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है। इससे उन्नतशील नस्ल के गाय/भैंस, साँड़ राज्य सरकार पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करायेगी तथा साँड़ के लिए छः माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है। साँड़ शेड का निर्माण भी निःशुल्क कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक शिविर के माध्यम से वृद्धा पेंशन के आवेदन-पत्र

98-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में समाज कल्याण विभाग द्वारा गोरखपुर महानगर में 4 स्थानों पर सार्वजनिक शिविर लगाकर वृद्धा पेंशन के आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा क्या इन आवेदकों को पेंशन उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

वर्ष 2006-07 में गोरखपुर महानगर में 4 स्थानों पर शिविर लगाये गये, जिसमें 1020 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से परीक्षणोपरान्त 310 आवेदकों के प्रार्थना-पत्र पात्रता की श्रेणी में पाये गये, परन्तु लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी न होने के कारण इन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं कराई जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज का कार्य पूर्ण कराकर कक्षाएं संचालित कराये जाने की मांग

99-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज का काम क्या रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में इस इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करा कर कक्षाएं संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं। जनपद गोण्डा में कोई इंजीनियरिंग कालेज निर्माणाधीन नहीं है। एक आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज स्वीकृत था। उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के द्वारा इस जनपद में स्वीकृत आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज के स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है।

उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के फलस्वरूप।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की विभिन्न तहसीलों में चक मार्गों से अवैध कब्जे खाली कराने सम्बन्धी प्राप्त पर्दों पर कार्यवाही

100-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विभिन्न तहसीलों में जनवरी, 2006 से जनवरी, 2008 तक कितने चकमार्गों से अवैध कब्जे खाली कराने के सम्बन्ध में विभिन्न

तहसील दिवसों में प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा अवैध कब्जों को खाली करा दिया गया तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की विभिन्न तहसीलों में जनवरी, 2006 से जनवरी, 2008 तक चकमार्गों से अवैध कब्जे खाली कराने हेतु जनता/तहसील दिवस पर कुल 574 प्रार्थना-पत्र दिये गये।

समस्त अवैध कब्जों को खाली करा दिया गया है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में भूमि के पट्टों के आवंटन सम्बन्धी जानकारी

101-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में मार्च, 2007 से सितम्बर, 2007 तक कृषि आवासीय, वृक्षारोपण हेतु कितने पट्टे किये गये ? क्या सरकार को जानकारी है कि सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल से आख्या न लेकर अन्य लेखपाल से पत्रावली तैयार करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर में कृषि के 35, आवास के 24 एवं वृक्षारोपण के 3 तथा विकास खण्ड छपिया में कृषि के 9, आवास के 101 एवं वृक्षारोपण के 2 पट्टे मार्च, 2007 से सितम्बर, 2008 तक किये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

102-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-9-07 जो विकास खण्ड मनकापुर, छपिया एवं वजीरगंज के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है, अपर जिलाधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रकरण में वर्णित तथ्यों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराकर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए तथ्यात्मक आख्या एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश अपर जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-1283/पी0सी0(ज0द0-वि0को0/07), दिनांक 8-9-07 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को दिये गये।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी स्थित राजकीय वृद्धागृह महिलाओं की सुविधायों में वृद्धि का विचाराधीन प्रकरण

103-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में दुर्गा कुण्ड क्षेत्र में स्थित राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला गृह में रह रही महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं अन्य सार्वजनिक सहायता पर निर्भर असहाय वृद्ध एवं वृद्धाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी स्थिति में सुधार हेतु पर्याप्त सहायता, शासन स्तर पर दिये जाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी सहित राज्य के अन्य वृद्धाश्रमों को चिन्हित करने एवं उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

वाराणसी स्थित वृद्धगृह महिलाओं के लिए लखनऊ स्थित वृद्धगृह पुरुषों के लिए है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध अशक्त जनों को इन गृहों में निःशुल्क आवास, भरण-पोषण, चिकित्सीय सुविधा आदि की व्यवस्था में वृद्धि किये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शीतगृह स्वामियों से सहमति प्राप्त कर आलू के भण्डारण की व्यवस्था

104-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू भण्डारण शीतगृहों में 15 फरवरी से शुरू होता है ? क्या उक्त तिथि से पूर्व ही शासन द्वारा शीतगृह स्वामियों से सहमति प्राप्त कर प्रदेश में आलू भण्डारण दर की अधिकारिक घोषणा 15 फरवरी से पूर्व करने वाले के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 334/रालोद/विमदल/विस/007, दि0 26-12-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

प्रदेश के शीतगृहों में फरवरी माह में आवक के अनुसार आलू भण्डारण शुरू हो जाता है।

जी हां।

आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक वर्ष शासन स्तर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/लाइसेंसिंग अधिकारियों को शासन द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये जाते हैं। इसी क्रम में प्रदेश की आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह), उत्तर प्रदेश को शासन के पत्र संख्या-4951/58-2007-100(2)/2001, दिनांक 01-01-2008 द्वारा निजी शीतगृहों के संचालन हेतु समीक्षा करते हुए रणनीति बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र में ही आलू भण्डारण से पूर्व जनपद के प्रत्येक शीतगृह में वर्ष 2008 के लिए निर्धारण किये गये भण्डारण प्रभार की सूचना अवश्य प्राप्त करने तथा शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सूचना पट पर भण्डारण प्रभार की दर अवश्य प्रदर्शित कर दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री राम प्रकाश कुशवाहा जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र को बुन्देलखण्ड में शामिल कर बुन्देलखण्ड की तरह सभी सुविधायें एवं राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे।)

दूसरी सूचना श्री इरफान सोलंकी की कानपुर गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण भू-गर्भ जल दूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना झिनझाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद झांसी में ए0पी0जी0आर0पी0 योजना में स्वीकृति धनराशि से शहर के विद्युत सुधार हेतु रुके हुए कार्य को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की बुलन्दशहर के ग्राम निदामपुर बांगर से गांव फरीदा बांगर तक के मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की दिनांक 4/5 जनवरी, 2008 की रात्रि को उप-कोषागार महसी, जनपद बहराइच में सरकारी धन की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के ग्राम देवारी खेरा के ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग की भूमि से हटकर अन्यत्र जूनियर हाई स्कूल बनवाने के सम्बन्ध में है। आठवी सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जमींदारी विनाश अधिनियम में कतिपय संशोधन करने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह की झांसी के गरौठा क्षेत्रान्तर्गत आवर्षण के कारण जल स्तर गिरने से उत्पन्न जल संकट का समाधान करने के सम्बन्ध में है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे।) दसवीं सूचना श्री मदन चौहान गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन टंकी एवं बोरिंग ट्यूबवेल में घटिया सामग्री व गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राम किशुन जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश के बंजारा समाज एवं पशुओं का व्यापार करने वाले लोगों का पुलिस एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह "झीन बाबू" सीतापुर के ग्राम बभनावां में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गई उनके नाम हैं:--

1-डा0 अजय तोमर 2-श्री अनूप कुमार गुप्ता 3-श्री सुन्दर लाल लोधी 4-श्री राम पाल राजवंशी।

(उपस्थित माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी मानी गई।)

कानपुर गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के सुचारू रूप से जल संशोधन न होने के कारण भू-गर्भ जल दूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इरफान सोलंकी-

। मैं नियम-301 के माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सं0 271 आर्यनगर, कानपुर नगर में कानपुर गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण भू-गर्भ जल दूषित होने से क्षेत्रवासियों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है जिसके कारण वहां के निवासी अनेकों बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस दूषित जल की समस्या का समाधान तत्काल न किया गया तो इस दूषित जल पीने से महामारी जैसी बीमारियों के फैलने की सम्भावना प्रबल हो जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मेरा माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सं0 271 आर्यनगर, कानपुर नगर भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या को जनहित में तत्काल दूर कर स्वच्छ पानी की सप्लाई कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना झिनझावा क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के थाना झिनझाना क्षेत्र स्थित गांव बसी चुधियारी के अमान उल्ला की 17/18 जनवरी, 2008 की रात को गांव शामली शामला के जंगल में बदमाशों ने शुगर मिल में गन्ना डालकर लौटते समय उसी ट्रैक्टर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया व हत्यारें शव को सड़क किनारे फेंककर किसान का ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गये। परिजनों ने ग्रामीणों को साथ लेकर अमान उल्ला की तलाश की तो ऊन शुगर मिल से थोड़ा आगे गांव शामली-शामला के जंगल में सड़क किनारे अमान उल्ला का कुचला हुआ शव देखकर किसानों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी इससे पहले भी इसी स्थान पर लूट की कई वारदातें हो चुके हैं गांव बसी चुधियार के चांद मियां व सोरब शामली शामला के इस्लाम से भी इसी स्थान पर ट्रैक्टर ट्राली लूटी गयी थी जो ग्रानीणों के प्रयास से बरामद हो गयी थी जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है पुलिस द्वारा ग्रामीणों को एक सप्ताह में हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था परन्तु आज तक पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पायी है और न ही इस क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिये कोई प्रयास कर रही है।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में ए0 पी0 जी0 आर0 पी0 योजना में स्वीकृत धनराशि से शहर के विद्युत सुधार हेतु रूके हुए कार्य को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[मैं जनपद झांसी की एक अत्यन्त ही गंभीर समस्या की ओर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। झांसी शहर बुन्देलखण्ड की हृदयस्थली है। ए0पी0डी0आर0पी0 योजना से 23 करोड़ रुपये शहर के विद्युत सुधार के लिए आवंटित किये गये थे। विद्युत सुधार के लिए दूसरा भाग भी 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाकर भेज दिया गया था, लेकिन पिछले छः महीने मे ठेकेदार अनुबन्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है, जिससे जगह-जगह तार टूट कर गिर रहे हैं। बांस बल्लियों पर पर तार पड़े हुये हैं। अनेक लोग करेण्ट की चपेट में आ चुके हैं। अनेक पशु भी करेण्ट से मर गये हैं। बांस बल्लियों की जगह

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खम्भे लगाने के लिए प्रबन्ध निदेशक, श्री कृपाल सिंह जी ने अपने आदेश विभाग को दो माह पूर्व भी दिये थे, लेकिन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्य प्रारम्भ कराये जाने की तुरन्त आवश्यकता है। क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

बुलन्दशहर के ग्राम निदामपुर बांगर से गांव फरीदा बांगर तक के मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अतर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[ग्राम निदामपुर बांगर से गांव फरीदा बांगर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। कस्बा बुगरासी तक आने के लिए ग्राम फरीदा बांगर के नागरिकों को लगभग 8 किमी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। उक्त मार्ग के बन जाने से मात्र 2.5 किमी0 की दूरी तय कर फरीदा बांगर व निदामपुर बांगर के नागरिक कस्बा बुगरासी में आ सकते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम निदामपुर बांगर से गांव फरीदा बांगर तक के मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के उप-कोषागार महसी में सरकारी धन की लूट की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश्वर सिंह-

[दिनांक 4/5 जनवरी, 2008 की रात्रि को उप-कोषागार, महसी, जनपद बहराइच के सरकारी धन की लूट की गयी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद उप-कोषागार के चौकीदार उमेश कुमार को पकड़कर ले गयी। उसके उपरान्त श्री पवन कुमार को पुलिस 6 जनवरी को घर से उठा ले गयी दिनांक 7 जनवरी को श्री कृष्णाकान्त एवं गिरीशचन्द्र स्वयं थाने में गये जिन्हें न सिर्फ पुलिस ने थाने में बैठा लिया बल्कि एक दूसरे क्षेत्र थाना रामगांव के थानाध्यक्ष ने जाति के ब्राह्मण कृष्णाकान्त की चुटिया काट ली उसमें जनेऊ को तोड़कर उसी से उसमें हाथ बांध दिया। बाद के पुलिस ने थर्ड डिग्री का प्रयोग किया और उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 08/08 धारा 395, 397 आई0 पी0 सी0 में जेल भेज दिया।

क्षेत्रीय नागरिकों के आक्रोश पर इस गैर कानूनी कृत्य में लिप्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की लेकिन वे सभी निर्दोष अभी भी जेल में बन्द है। क्योंकि पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही हुयी है। इसलिये विवेचना अधिकारी पर दबाव बनाकर निर्दोष होने के बावजूद उन्हें जबरन फंसाया गया है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यायहित में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रकरण को उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को पकड़ने लूटा गया धन बरामद करने एवं निर्दोष नागरिकों के साथ न्याय सुलभ कराया जाय।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

जनपद बलरामपुर के ग्राम देवारी खेरा के ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग की भूमि से हटकर अन्यत्र जूनियर हाईस्कूल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के ग्राम देवारी खेड़ा के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि जिस पर वन विभाग द्वारा काफी संख्या में वृक्षारोपण किया गया था जिसमें सागौन, शीशम, नीम आदि के वृक्ष खड़े हैं। परन्तु प्रधान द्वारा जूनियर हाई स्कूल के बनवाये जाने के नाम पर उक्त पेड़ों को कटवाने का काम किया जा रहा है जबकि प्रा0 पाठशाला देवारी खेड़ा के बगल में ही काफी जमीन रिक्त पड़ी है जिस पर यह जू0 हाईस्कूल बनाने का कार्य किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जमींदारी विनाश अधिनियम में कतिपय संशोधन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मैं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश अधिनियम में कुछ संशोधन कर खातेदार के साथ-साथ उसकी पत्नी पुत्रों को बराबर का हक सुनिश्चित किया जाय पत्नी यदि दूसरा विवाह कर ले तो यह हक स्वतः समाप्त समझा जाय ग्रामीण परिवारों में समय के साथ नशा खोरी व अन्य दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है पिता गलत आदतों के वशीभूत होकर अपनी जमीनों को बेच कर बच्चों को बेसहारा कर दिया जा रहा है मौजूदा कानून में पिता की भूमिधरी जमीनों में पुत्र का पिता के जीवनकाल में हक नहीं होता न ही पत्नी का जमीन विक्रय करने का, पूर्ण अधिकार दर्ज खातेदार को है। वर्तमान सम्बन्धित कानूनों में परिवर्तन कर यह व्यवस्था की जाय कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 में जब कोई मामला प्रस्तुत होता है तो अविवादित मामलों में तहसीलदार आदेश करके अभिलेख दुरुस्त करें। यदि ऐसे मामलों में विवाद या आपत्ति की स्थिति उत्पन्न हो तो पत्रावली तहसीलदार

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की आख्या के साथ उप जिलाधिकारी को न्याय के लिए भेज दिया जाय और वे उसे धारा 229बी जमींदारी विनाश अधिनियम में दर्ज कर स्वत्व का निस्तारण कर दें।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन टंकी एवं बोरिंग ट्यूबवेल में घटिया सामग्री व गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री. मदन चौहान-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ब्रजघाट व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु टंकी का निर्माण, ट्यूबवेल का निर्माण, पाइप लाइन डालना आदि में गुणवत्ता की अनदेखी, घटिया ईंटों, सीमेंट, सरिया तथा घटिया पाइप लाइन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे ग्राम उषैडा में टंकी बनने के बाद भी पेयजल आपूर्ति ग्राम में नहीं हो रही है तथा निर्माणाधीन टंकी में गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः यह प्रश्न लोकहित व अविलम्बनीय है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय (टी0ए0सी0) से जांच करने की प्रार्थना करता हूं।]

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

[आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सादर निवेदन करना है कि जनपद चन्दौली नक्सल प्रभावित जिला है। यहां पर जिले की एकमात्र सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद् मुगलसराय है जिसकी आबादी लगभग एक लाख के ऊपर हो चुकी है। प्रदेश की महत्वपूर्ण नगर पालिका परिषद् है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और रेलवे स्टेशन मुगलसराय नगर पालिका परिषद् में स्थित है। बड़ी संख्या में रेल यात्री गाड़ियों एवं माल गाड़ियों का परिचालन होता है तथा देश के एक कोने से दूसरे कोने से आने-जाने के लिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन से होकर आना-जाना पड़ता है। बड़ी संख्या में यहां रेल यात्री आते एवं जाते हैं। यहां रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है। रेल सेन्ट्रलमेन्ट बोर्ड का गठन भी पूर्व में किया गया था। नगर पालिका परिषद् मुगल सराय के सीमा के अन्तर्गत भारत सरकार के कई प्रतिष्ठान, तेल का डिपो, दूरसंचार आदि संस्थान स्थित हैं। बड़ी बाजार होने के कारण यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन क्रय विक्रय करने आते है। इतनी बड़ी नगर पालिका होने के बाद भी आज तक कोई <u>स्थाई सब्जी (फल-फूल) मण्डी को स्थापित</u> नहीं किया गया है। अस्थायी तौर पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यहां पुरानी जी0टी0 रोड के दोनों पटरियों पर सब्जी, फल की थोक एवं फुटकर व्यापारी अपना कारोबार करते हैं जिसके कारण अक्सर पुरानी जी0टी0 रोड पर जाम लग जाता है। काफी भीड़-भाड़ होने से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, वर्षा के दिनों में काफी नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापारियों एवं जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में एक स्थाई फल मण्डी का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। ताकि व्यापारी अपनी सब्जी आदि का रख-रखाव ठीक ढंग से कर सके तथा जनता को भी सस्ती और अच्छी सब्जी, फल मिल सके। ज्ञात रहे कि यहां पर सब्जी, फल आदि का बड़े पैमाने पर कारोबार होता रहता है व उपयोग होता रहता है।

अतः इस लोक हित के महत्वपूर्ण विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता कि नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के अन्तर्गत एक स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराया जाय जिससे थोक व्यापारियों व फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ जनता को भी सुविधा व लाभ मिल सके।]

प्रदेश के बंजारा समाज एवं पशुओं का व्यापार करने वाले लोगों का पुलिस एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 में खाबकर बंजारा समाज एवं पशुओं के व्यापार (क्रय-विक्रय) करने वाले लोग अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं ऐसे पशुओं के व्यापारियों का पूरे उ0प्र0 में जगह-जगह पर पुलिस एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा शोषण किया जा रहा है पूरे उ0प्र0 में यही साम्प्रदायिक तत्व पुलिस मिलकर पशुओं के व्यापारियों से जानवर छीन लेते हैं मारते पीटते हैं तथा उन पर अर्नगल आरोप लगा कर प्रताड़ित करते हैं जिससे जानवरों के व्यापार करने वाले लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है जिससे इनमें आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

मैं इस पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

सीतापुर के ग्राम बभनावां में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[जनपद सीतापुर का बेहटा विधान सभा क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ियों का गांजरा क्षेत्र कहलाता है। लगभग 80% आबादी अनुसूचित पिछड़े गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की है। मई, जून का महीना इन पर कहर बनकर टूटता है। भीषण गर्मी खाना बनाते वक्त आग लग जाने से पूरे से पूरे गांव आग की चपेट में आकर स्वाहा हो जाते हैं। प्रतिवर्ष होने वाली

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अग्निकाण्ड की घटनाओं से धन हानि के साथ-साथ जनहानि भी हो जाती है। जिसकी पूर्ति हो पाना असम्भव रहता है। अग्निशमन केन्द्र चूंकि तहसील विसवां में स्थापित हैं। जिसकी दूरी 50 किमी0 के लगभग पड़ती है। अग्निशमन दल के आते-आते सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। पूर्व में मेरे द्वारा विकास खण्ड रेउसा (तहसील विसवां) में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना स्वीकृति हेतु विधान सभा में नियमों के अन्तर्गत उठाने से सम्भवतः अग्निशमन केन्द्र स्वीकृति भी हुआ है तथा जिला प्रशासन की तरफ से विकास खण्ड रेउसा के ग्राम बमनावा में स्थान आदि का चयन भी हो चुका है। परन्तु पता नहीं किन कारणों से अभी तक अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हैं। पुनः गर्मी के आगमन से झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोग आशंका से भयभीत हैं।

अतः मैं जनपद सीतापुर के तहसील विसवां के अन्तर्गत विकास खण्ड रेउसा ग्राम बमनावां में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने की शासन से मांग करता हूं।]

आज की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-12 को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, गुरुवार के दिन मेरा एक तारांकित प्रश्न 12 नम्बर पर लगा था। कल मुझे पटल के माध्यम से सूचना मिली थी, आज प्रातःकाल मुझे एक पत्र मिला, जिसमें यह प्रश्न पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करते हुए बताया गया है कि यह प्रश्न 06 दिसम्बर, 2007 को तारांकित प्रश्न संख्या-9 के माध्यम से पूछा जा चुका है। अतः पुनरावृत्ति के आधार पर इसे निरस्त किया जाता है। मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली यह कहती है कि ऐसे प्रश्नों की तत्वतः पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी जिसके उत्तर उसी सत्र में पहले दिये जा चुके हों। यह जो प्रश्न मैंने पूछा था यह पिछले वर्ष के पिछले सत्र का प्रश्न था। उस सत्र में भी यह तारांकित प्रश्न था, इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का समय नहीं मिला। मा0 मंत्री जी के पत्र पर आपके सचिवालय ने इस प्रश्न को पिछले सत्र का प्रश्न होने के बावजूद इस सत्र में निरस्त कर दिया गया। मैं इस सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगर इस तरह के प्रश्नों की जो व्यवस्थाएं नियमावली में है, उसी सत्र में उत्तरित हुए हैं या उत्तर आये हैं। मैं इसे दिखवा लूंगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 7 सूचनाएं प्राप्त हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री पंकज मलिक जी की जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 17 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के सन्दर्भ में जिला स्तरीय बैठक में जिला विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप द्वारा जनपद के विधायक श्री पंकज मलिक के साथ अभद्रता एवं विधायिका के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने विषयक दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, डा0 अनिल चौधरी की, जनपद हाथरस की सादाबाद तहसील की मांट ब्रांच की 7 व हाथरस ब्रांच की 3 राजबाहों एवं अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने विषयक तृतीय सत्र 2007 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0 65 का उत्तर माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा गलत एवं फर्जी आंकड़ों के आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री अम्बिका चौधरी की सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक एवं दो माह के लिए लेखानुदान एक साथ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य की लंदन में प्रकाशित जय श्री मिश्रा की 'रानी' नामक पुस्तक में रानी लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में अशोभनीय और तथ्यहीन बातें होने के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त पुस्तक के प्रसारण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में हैं। छठीं सूचना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की, नगरीय विधान सभा क्षेत्रों के लिए 225 हैण्ड पम्प मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगाने की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद गोरखपुर में हैण्डपम्पों के लिए धनराशि जारी न किये जाने के सम्बन्ध में हैं। सातवीं सूचना, श्री मदन चौहान की माननीय श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा एवं उनके भाई श्री अशोक चौहान को सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री पंकज मलिक जी, अपनी बात रखें।

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 17 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के सदंर्भ में जिला स्तरीय बैठक में जिला विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप द्वारा जनपद के विधायक श्री पंकज कुमार के साथ अभद्रता एवं विधायिका के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री पंकज कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 17 जनवरी, 2008 को जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बैठक आयोजित की गयी थी। जो पत्र मुझे मिला था उसमें मीटिंग का स्थल विकास भवन लिखा हुआ था उसके बाद बिना किसी सूचना के वह स्थल चेंज कर दिया गया। मैं जब मीटिंग में पहुंचा तो डी0एम0 साहब से बात की। वहां पर सी0डी0ओ0 और डी0डी0ओ0 मौजूद थे। डी0डी0ओ0 योजना के बारे में बता रहे थे। मैंने डी0एम0 से बात की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहा कि डी0एम0 साहब आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी ? डी0डी0ओ0 बोलने लगे और मुझे अपशब्द कहे, जिले के तमाम नेता वहां पहुंचे थे लगभग 63 के आसपास रहे होंगे, जिला पंचायत सदस्य व ब्लाक प्रमुख आदि। लोगों ने बीच-बचाव कराकर मीटिंग शुरू करायीं उसके बीच में अलग-अलग नेताओं के बारे में राजनीतिक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। डी0एम0 साहब से बात की उन्होंने उसे रोका। वहां पर कोई मारपीट नहीं हुई, इस सम्बन्ध में जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा है जो उस समय उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थीं। ऐसे असंसदीय शब्द कहे जो यहां पर उल्लेख नहीं कर सकता। एक झूठी सी0डी0 बनायी गयी, उस सी0डी0 में उस समय का चित्र दिखाये गये हैं जब मैं छात्र नेता था। पीछे जो कालेज दिखाया गया है वह मेरी कालेज की दीवार है। उस समय मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था, उस समय के चित्र दिखाये गये हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह लगभग अपराह्न 2.00 बजे की घटना है, इतने अपशब्द उन्होंने कहे कि मेरे साथ बाकी सदस्यों ने भी मीटिंग का बहिष्कार किया। विधायकों के प्रतिनिधि जितने भी सवाल पूछ रहे थे उक्त अधिकारी ने उन सभी को डांटकर चुप कराने का काम किया। एक भा0ज0पा0 विधायक के प्रतिनिधि बैठे थे उनके साथ भी वही व्यवहार किया, जिला पंचायत सदस्य बैठे थे उनसे भी यही व्यवहार किया गया। उसके बाद मैंने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और घर चला आया। घर पहुंचा तो 100-150 समर्थक बैठे थे उनको सारी बातें बतायी और ग्रामीण क्षेत्र में एक शादी थी, कुछ लोगों के साथ मैं वहां के लिये निकल गया। श्री हरेन्द्र मलिक जी, जो सांसद हैं वह भी वहां मौजूद थे। मैं निकला ही था कि 500 लोगों को लेकर एस0एस0पी0, एस0ओ0 सिविल लाइन कई थानों की पुलिस लेकर वहां चले गये। कोई रिपोर्ट नहीं कोई मारपीट नहीं फिर भी प्रशासन ने मेरे साथ इस तरह का कार्य किया यह बड़े दुःख की बात है। आप लोग भी सदस्य हैं अगर किसी सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार किया जायेगा तो यह उचित नहीं है। मेरे समर्थक वहां मौजूद थे जबरदस्ती पुलिस ने घर में घुसने का प्रयास किया मेरे रिश्तेदारों को मेरे समर्थकों को मारने-पीटने का प्रयास किया जब मेरे समर्थक इकट्ठे होने लगे समर्थकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो जो समर्थक वहां रोकने का प्रयास कर रहे थे, रिश्तेदार प्रयास कर रहे थे उन्हें इंगित करके उन्हें उठाने का काम किया। एफ0आई0आर0 दर्ज की गई उसमें लिखा है कि मैंने रिवाल्वर दिखाकर धमकाया प्रशासन ने कोतवाली में यह लिखाया। मान्यवर, मेरे नाम रिवाल्वर का लाइसेंस है लेकिन उसका आज तक कोड़ा ही नहीं चढ़ा है मैंने खरीदा ही नहीं है यह बिल्कुल गलत लिखाया गया। उन लोगों को जो वहां थे ही नहीं उन लोगों को रात को उठाया। बाद में विवेचनाधिकारी ने उसमें लिखा कि यह लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। जिला पंचायत अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में बैठक हुई उन्होंने स्पष्ट लिखकर दिया है मेरे पास उस पत्र की कापी है अध्यक्ष महोदय इसकी प्रति आपको भी दे दूंगा इसमें उन्होंने लिखा है। दिनांक 17-1-08 को जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में मेरी उपस्थिति में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गोष्ठी चल रही थी जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से माननीय विधायक पंकज मलिक विधान सभा क्षेत्र बघरा

व जिला विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप के मध्य विवाद हुआ लेकिन किसी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग मारपीट व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि का कोई कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सदन के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो क्या होगा ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच एवं कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं। और जो भी झूठी एफ0आई0आर0 मेरे खिलाफ है वह वापस ली जाय।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, आप बहुत ही विचारवान हैं। परम्पराओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है यहां सभी वरिष्ठ नेता हैं सभी जानते हैं कि इस सदन के अन्दर जब कोई सदस्य अपनी बात कहते हैं तो उसे सच माना जाता है उसे सच के सिवाय कुछ नहीं माना जाता है। अब सरकार के सामने दो ही रास्ते हैं या तो सम्मानित सदस्य के बयान को आप मान लें या एक कर्मचारी के बयान को मान लें। दोनों के बीच में आपको इंसाफ की तराजू में डालकर फैसला लेना है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वह कर्मचारी लगातार असत्य आरोप लगा रहा है सत्य से परे आरोप लगा रहा है। एक सर्कमस्टांसेस इवीडेंस कहा जाता है जिसमें असत्य बातों को पकड़ा जाता है। इंडियन पेनल कोड़ में यह प्राविधान है कि अगर आपके पास असलहा है और आप किसी की हत्या का प्रयास करें तो धारा 307 लग जायेगी लेकिन अगर वह असलहा नाजायज है तो धारा 25 भी लग जायेगी। इसमें एफ0 आई0आर0 में धारा 307 डाल दी गई और यह लिखा कि अपना लाइसेंसी रिवाल्वर उसका कालर पकड़कर लगा दिया और मारने की धमकी दी। मान्यवर, यह तो घटना हुई ही नहीं थी। रिवाल्वर तो वहां प्रयोग ही नहीं हुआ तो 307 लग गया। अगर उन्हें यह मालूम होता कि यह रिवाल्वर इनका नहीं है तो दफा 307 के साथ 25 लगाये बगैर यह एफ0आई0आर0 गलत साबित होती। आप देखिये इसका इलाज क्या करते हैं। एक पत्र पढ़ दिया जिला पंचायत अध्यक्ष का। मान्यवर, यह एक सर्वोच्च सदन है। यहां आप अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर यहां पर कोई आरोप हम पर लग जाय और आप पत्र लिख दें या यह साक्ष्य दे दें कि नहीं यहां पर यह घटना नहीं घटित हुई तो आपसे ज्यादा बेहतर साक्ष्य किसी का नहीं माना जाना चाहिए। आप पहली सीढ़ी हैं इस पंचायत की। दूसरी सीढ़ी है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अध्यक्ष ने क्या लिखा है ? जिला पंचायत के अध्यक्ष ने लिखा है कि इस बैठक की अध्यक्षता वे स्वयं कर रहे थे और मान्यवर, वे कांग्रेस के नहीं दूसरे दल के हैं। उन्होंने कहा कि न मेरे सामने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, न मारपीट की घटना हुई, न सरकारी अभिलेख फाड़े गये। मान्यवर, तीनों आरोप उन्होंने मना कर दिया। मान्यवर, घटना विधान सभा के अन्दर घटित हो, विधान सभा अध्यक्ष लिखे कि मेरे सामने नहीं हुआ, मैं प्रीसाइड कर रहा था। मान्यवर, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। जिला पंचायत अध्यक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रीसाइड कर रहे थे उनके सामने मीटिंग में घटना होती और वे कहते हैं कि यह घटना नहीं घटी तो क्या मान्यवर, आप उसके साक्ष्य को नहीं मानेंगे ? अगर मान्यवर, उसके साक्ष्य को नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे ? एक बेईमान अधिकारी की एक ऐसे अधिकारी की जो एक झूठी गवाही दे रहा है। मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे मैं इस सरकार पर मेरा इल्जाम है। और मैं आरोप लगा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मेरा भी 28 साल का राजनीतिक जीवन रहा है इस विधान सभा में बीता है। जिस तरह की भूल आप कर रहे हैं उसके लिये इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके शासनकाल में जिस तरह से विधायकों और मंत्रियों का अवमूल्यन हुआ है और दो टुकड़े के सरकारी कर्मचारियों की बात पर आप अपने विधायकों का जितना अपमान कर रहे हैं उस तरह से किसी सरकार ने नहीं किया है और यह सच है कि आज अनुशासन के कारण कोई सदस्य बोले न बोले, सत्तारूढ़ दल के मंत्री बोलें न बोलें लेकिन सच्चाई यह है कि आज इनके विधायक भी अपमानित हो रहे हैं। एक घटना बताना चाहता हूं एक अधिकारी की यह हिमाकत लखीमपुर खीरी में बसपा का एक विधायक ड्राइवर ने गाड़ी पोर्टिकों में पार्क कर दी। मैं नहीं जानता कि वह कौन विधायक हैं, उन विधायक का नाम भी नहीं जानता मेरा परिचय भी नहीं है उनसे लेकिन उनकी गाड़ी को डी0एम0 उठवाकर ले जाय और कोतवाली में जमा करवा दे और ड्राइवर को बन्द करा दे। मानो पोर्टिको न हो डी0एम0 की मिल्कियत हो गयी। एक जन प्रतिनिधि वहां गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। सत्ता में रहने के बाद बहुत से लोग आंखें बन्द कर लेते हैं पट्टी से और जब बाहर आते हैं तो रोते गिड़गिड़ाते हुए। इस तरह की गलत परम्परा मत कायम करिये। एक सरकमस्टान्स मैंने वकील होने के नाते रख दिया अगर वह नाजायज असलहा था तो दफा 25 क्यों नहीं लिखी ? है कोई जवाब सरकार के पास ? क्योंकि पंकज मलिक ने यह साबित कर दिया है कि रिवाल्वर वह खरीद ही नहीं पाये थे तब तक। अब क्या दरोगा साबित करता है और हाई कोर्ट को जो इनक्वायरी गई है उसके मैं पन्ने पढ़ रहा हूं। यह आपके सरकारी अभिलेख क्या कहते हैं। एफ0आई0आर0 किसने लिखवाई है, एक विकास अधिकारी ने। विकास अधिकारी एफ0आई0आर0 लिखाकर कहता है कि रिवाल्वर लगा दी गई। उन्होंनें अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लगा दी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और दरोगा साहब क्या कहते हैं, जरा यह देख लीजिये। घटना में एक-एक शब्द मैं पढ़ रहा हूं। घटना में कहीं रिवाल्वर का प्रदर्शन, प्रयोग किया जाना तथा जान से मारने की नीयत से गला दबाने का प्रयास करना व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना नहीं पाया गया। अब बोलिये ? एक विधायक यहां कह रहा है कि मैंने नहीं किया, एक अधिकारी आपका कह रहा है किया और आपका इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर आपका दरोगा जो जांच कर रहा है वह कह रहा है कि नहीं किया। क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं उस कर्मचारी के खिलाफ सरकार मुझे जवाब दे। वह कह रहे हैं कि रिवाल्वर का प्रयोग नहीं हुआ। वह फंस गये क्योंकि रिवाल्वर तो खरीदी ही नहीं गई। और दफा 25 लगी नहीं और कह दिया कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति और दफा 307 दोनों इस मुकदमें से निकाल दिये गये। आप कह सकते हैं ईमानदारी से जांच हुई।

ईमानदारी से जांच हुई तो इण्डियन पेनल कोड की दफा है झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यही कि वह मुजफ्फनगर में अपने पद पर बना रहेगा। एक विधायक पर झूटा आरोप लगा दिया कि रिवाल्वर लगा दी आप तो साफ-साफ बच गए। दरोगा से इन्वेस्टीगेशन मांगकर, जिसके खिलाफ नहीं आता उनकी तो जमानत भी नहीं होती फिर से बताना चाहता हूं-केस डायरी का पन्ना है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से नकल सर्टिफाइड कापी मैंने ली है-घटना में रिवाल्वर का प्रदर्शन प्रयोग किया जाना तथा जान से मारने की नीयत से गला दबाने का प्रयास करना व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना, नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि घटना में अभियुक्त द्वारा, रिवाल्वर का प्रयोग नहीं किया गया इससे अभियोग की धारा 149 का अपराध साबित नहीं दुआ तथा अभियुक्तों द्वारा वादी ब्रह्मस्वरूप डी0डी0ओ0 को गला दबाकर जान से माारने का प्रयास नहीं किया गया। इस धारा का अपराध साबित नहीं हुआ और अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया गया इसीलिए अभियुक्त का अपराध अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर अपराध भी नहीं है जिसको शासनादेश के आधार पर एस0सी0एस0टी0ऐक्ट की श्रेणी में रखा जाता। अतः अभियोग की धारा 149,307 धारा 302 वाद एस0सी0एस0टी0ऐक्ट को समाप्त किया जाता है। अब एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन दो आरोप लग गए विधायक पर, जान से मारने का 307. जांच करने पर अधिकारी दोषी। विधायक साफ बेगुनाह। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, जांच के बाद...

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा जल्दी कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें जल्दी नहीं होगी। विधायक के सम्मान का मामला है। और किस बात की जल्दी होगी,

श्री अध्यक्ष-

बहुत काम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

किस बात की जल्दी, इस बात की जल्दी है मान्यवर, कि पचास अधिकारी कर्मचारी लेकर घुस जाएंगे आप किसी विधायक सांसद के यहां। बाप सांसद है। बेटा एम0एल0ए0 है अगर उसके यहां पचास आदमी घुस जाएंगे। महिलाओं का अपमान करेंगे उसमें यहां विधान सभा में जल्दी होगी। मान्यवर, इस मामले में हमें कोई जल्दी नहीं करनी है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कह रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधायक से जुड़ा मामला है हमारा दल भी इसमें बोलेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें खड़ा होने की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप जल्दी कर रहे थे इसलिए।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह सबको खड़ा कराके बोलेंगें। बोलिए रात 12.00 बजे तक।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक दफा बची 427, चूंकि अभियुक्त द्वारा सरकारी अभिलेख, फाइलों का फाड़ना धारा 427 आई0पी0सी0 की श्रेणी में आता है यह दरोगा साहब कह रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं बन रहा है तो 427 लगा दो। एफ0आई0आर0 में है। अब चेयरमैन जिला पंचायत क्या कह रही हैं राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गोष्ठी चल रही थी जिसमें विधायक पंकज मलिक विधान सभा क्षेत्र बघरा द्वारा किसी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग मारपीट और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं हुआ। प्रेसिडिंग अफसर कह रहा है सरकारी सम्पत्ति छुई नहीं गई, पत्रावली छुई नहीं गई, और दरोगा साहब क्या कह रहे हैं मान्यवर, कहीं इंसाफ दे दें, न्याय दे दें यह कि यह कांग्रेस के विधायक के साथ हो रहा है यह सभी दलों के साथ हो रहा है बस फर्क इतना है कि इधर रहता है तो अपराधी हो जाता है जब दल बदल कराकर उधर ले जाते हैं तो उसे जेड श्रेणी या वाई श्रेणी की सुविधा दी जाती है। आ गई सच्चाई सामने ? कल तक यहां अपराधी था, आपने जेल भेजा था और जब वहां पहुंच गया तो वाई श्रेणी मिल गयी, यह क्या है ?

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, समय देखें, इतना समय 300 में देंगें ? अध्यक्ष जी, इसका तो कोई मतलब नहीं है कि सीनियरिटी का लाभ उठाकर सदन को हाई जैक करने का काम करें। जो चाहें बोलते जायें और हम सुनते जायें, इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। नियमों में प्राविजन हैं, नियमों के अनुसार उठायें। राज्यपाल के अभिभाषण पर चाहे जो बोलें, नियमों के अनुसार उठाया है, नियमों के अनुसार अपनी बात कहिए। मान्यवर, यह नहीं होगा, चाहे जैसा बोलते जायें और चाहे जो करते जायें। मा0 प्रमोद तिवारी को पहले कोई संज्ञान में नहीं रहता, आज ही इनको याद आ गया।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, सही है, नियम-300 की सूचनाएं जो प्राप्त हुई है, आपकी जो सूचना थी, प्राथमिकता पर आपको सुना। और सदस्यों की भी सूचनाएं हैं। आपने एक मा0 सदस्य के प्रकरण

को रखा है, आप इतना तगड़ा आर्ग्यूमेंट जो कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपने तथ्य सदन के सामने रखा है जो माननीय विधायक के सम्मान का एक अधिकारी द्वारा जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार या आचरण किया गया है लेकिन समय को भी तो ध्यान में रखें। कल से कुछ नए सदस्य हमसे कह रहे हैं कि हम लोग भी कभी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ? हमने कहा कि आप बड़े नेताओं से बात कर लो, तभी मौका मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक बात है, लेकिन ठीक बात का पालन भी तो होना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी पालन करें। यह सम्भव है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक बात का पालन होना चाहिए। समय की पाबन्दी तो होनी चाहिए। मैं विधायक का सम्मान करता हूं, विधायक की बात सुनने के लिए मैंने पूरा समय दिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दो सर्टीफिकेट आ गए हैं, तीसरा सर्टीफिकेट आये हमसे पहले मुझे कुछ बोल लेने दीजिए। मान्यवर, यदि परम्परा की बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, एक सीमा होती है, अब तक जितना भी मैं बोला हूं, एक शब्द भी इस घटना से हटकर बोला हूं, तो बता दें। क्या इस घटना के तथ्य भी मैं आपके संज्ञान में न लाऊं, जहां एक विधायक को निर्दोष फंसाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

विधायक जी ने स्वयं इतना स्पष्ट कर दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तो यह क्या कर रहे हैं, यही सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए तो, सरकार का पक्ष तो आने दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो तेवर लग रहे हैं, मजबूरी है, अगर इसी तरह के आरोप लगाये जाते रहेंगे तो मुझे भी कुछ कहना आता है और मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि कुछ मंत्री, अधिकारी नहीं, अधिकारी की वजह से क्यों बोलते हैं, यह उनकी मजबूरियां होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

बात कहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि 307 झूठा निकला, 427 झूठा निकला, दफा 25 झूठा निकला, अनुसूचित जाति एक्ट झूठा निकला और देख लीजिए, उसने जो एफ0आई0आर0 लिखवाई है, 'चूंकि उपरोक्त अभियुक्तगण में से फैजान, भोला, फरीद, उमर, अमित, किरनपाल दिनांक 18-01-2008 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।' यानी आप जेल में ले गये हैं। इनकी नामजदगी गलत है, जेल में हैं, इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए इनको न्यायिक अभिरक्षा से छोड़ा जाना जरूरी है। अगर जरा भी संकोच या शर्म है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं 18 तारीख से वह जेल में हैं, आज आपका दरोगा कहता है कि उनकी नामजदगी गलत है। तो जिस अधिकारी ने यह गलत काम किया है, उस अधिकारी को जेल भेजने का साहस है, इस सरकार में ? यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपकी विवेचना बोल रही है। श्रीमन्, एक सीमा होती है, आप भेज दीजिए विधायक को, फांसी नहीं चढ़ा देंगे आप, लड़ लेंगे मुकदमा उसका, लेकिन इतना याद रखिये कि जुल्म करने वाले इसी जगह रहते हैं और इसी जगह ठोंकते हुए मैंने देखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने कक्ष में बुला लें, बात कर लें, अधिकारी को बुला लें, लेकिन यह तेवर नहीं होने चाहिए। मान्यवर, एक विधायक पर गलत आरोप लगाया गया है और उस विधायक के साथ आपकी कोई संवेदना नहीं है। आपकी संवेदना है तो डी0डी0ओ0 के साथ। क्योंकि डी0डी0ओ0 के साथ नरेगा जैसा बड़ा भ्रष्टाचार है। सब लूट रहे हैं। मान्यवर, इसमें कुछ असंसदीय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने एक विधायक की पीड़ा रख दी है और मैं चाहता हूं कि आज इसका जवाब दिलवा दें कि जो 4 आरोप विवेचना अधिकारी की जांच में [xxx] साबित हुए हैं तो जिस अधिकारी ने रिपोर्ट लिखवायी है क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ? उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा ? और यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपका आई0ओ0 कह रहा है। अपनी लिखी दफाएं वापस ली हैं। एक विधायक पर 4 [xxx] आरोप लगे हैं और वापस लिए हैं। बुला लीजिए उस डी0डी0ओ0 को और पूछिये कि यह 4 [xxx] आरोप लगाने की उसकी हिमाकत कैसे हुयी ? इस प्रकार से ही ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगायी जाएगी और विधायक का सम्मान भी बढ़ जाएगा। नहीं तो आज चाहे जो कर लो लेकिन कल जब इधर आओगे तो आज जो पंकज के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है, आप भी इससे नहीं बचोगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने छोटी सी घटना को अपनी भाषा से बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं बहुत लम्बे विस्तार में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, नियम-300 देखें।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा मुस्कुराकर बोलें।

श्री लालजी वर्मा-

मुस्कुराकर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, नियम-300 देखें। जो एफ0आई0आर0 दर्ज है तो क्या वह भी नियम-300 के अन्तर्गत आएगा और उस पर विस्तार से चर्चा होगी ? मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने विस्तार से कहा। अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमें की विवेचना होती है और जो विवेचनाधिकारी होता है तो उसको सर्वाधिकार प्राप्त है। उसमें न शासन से और न उससे कोई वरिष्ठ अधिकारी उसमें कुछ कर सकता है और उस विवेचक के बारे में विस्तार से इन्होंने कहा कि इन-इन बातों को गलत पाया गया और उसे स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि सरकार का कोई दबाव अधिकारियों पर नहीं है। मान्यवर, उस विवेचना से जो निष्कर्ष निकला जिसको बढ़ाचढ़ाकर सदन को सुनाने का काम किया उससे सरकार की बात पर सर्टिफिकेट दिया कि सरकार के दबाव में कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। और मान्यवर, क्या किसी विधायक को इतनी इजाजत होगी कि अगर कोई दलित जाति का अधिकारी है, इस आधार पर कि वह दलित है उसको पीटा जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

दलित कहां कहा है। यह [xxx] है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कांग्रेस का यही चरित्र रहा है। दिखाने के लिए तो दलितों का नारा देते रहे लेकिन वास्तव में चाहे वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हों चाहे कोई अन्य रहे हों, इनकी कभी यह मानसिकता नहीं रही है कि कभी कोई दलित भी सम्मान का जीवन जीने का अधिकार प्राप्त कर सके। मान्यवर, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है और कांग्रेस की मानसिकता है कि दलित को दलित बनाए रखा जाये।

यह सरकार जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते है। यह सभी वर्गों की हितैषी सरकार है और जो भी गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसमें भेदभाव नहीं बरता जायेगा। माननीय तिवारी जी ने बात रखी लेकिन उन्हें तब याद नहीं आया जब हमारे मा0 सदस्य अयोध्या पाल जी के ऊपर फर्जी मुकदमें चलाये गये, विनय शाक्य जी के खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम हुए। तब इन्हें नजर नहीं आया। इसी तरह से यह जानबूझकर कांग्रेस का चरित्र रहा है। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। कांग्रेस ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को हरवाने का काम किया था जो कि दलित के हितैषी थे। यह दलित के हितैषी होंगे इससे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से एक घटना हुई है। उस पर

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एफ0आई0आर0 हुई है, विवेचना हुई है और विवेचना के आधार पर जो उसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जहां तक नियम-300 का सवाल है, आप स्वयं देख लें, यह किसी भी बिन्दु से खरा नहीं उतरता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सवाल नियम-300 का नहीं है जितना यह विधायक के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था या नहीं हुआ यह प्रश्न है। इस सदन में बड़ी अजीब सी स्थिति उठती है कि आपने मुझे गाली दी तो मैं भी आपको गाली दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

यह कहां हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अरे सुन तो लीजिये। मेरे विधायक के खिलाफ फर्जी केस चले थे, इसलिए क्या यह भी जस्टीफाइड हो जायेगा। ओम प्रकाश सिंह राज्य मंत्री के रहते हुए अधिकारी के साथ अन्याय हुआ था तो यह भी अन्याय करेंगे। यह तर्क रोज आता है और मैं यह संसदीय परम्परा और लोकतंत्र में समझ नहीं पाता हूं। आपने निर्णय दिया। आपने कहा कि समय सीमा बनवा दो, सब लोग खड़े हो गये, अध्यक्ष कोई बात कहता है तो सब लोग खड़े हो जाये यह बात समझ में नहीं आती है। अध्यक्ष को सदन को संचालित करने का अधिकार है। अध्यक्ष कोई बात कहे और नेता आपत्ति करे, आपत्ति की बात तो हो ही नहीं सकती, संशोधित करने का आग्रह करे तो यह बात समझ में आती है लेकिन दूसरे मंत्री जवाब दे रहे हैं, आपत्ति होने पर सदन खड़ा हो जाता है, वैसे ही अध्यक्ष के कहने पर खड़ा हो जाय तो हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी सवाल यह नहीं है कि किस विधायक जी के साथ किस राज्य में क्या हुआ। अगर किसी के विरुद्ध कानून से इतर काम हुआ है तो वह गलत है, निन्दनीय है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय तिवारी जी ने विधायक के पक्ष में तथ्य रखे। विवेचनाधिकारी के तथ्य रखे, हाई कोर्ट के तथ्य रखे, आपने एक बात कहा कि अनुसूचित जाति के कारण से किया लेकिन उसका प्रमाण भी नहीं मिला। आपने जांच करायी क्या, अगर करायी है तो आप रख दें। लेकिन एक तरफ जांच के पूरे वर्जन रखे गये, जांच अधिकारी ने विवेचनाधिकारी ने जो हाई कोर्ट में बात कही, वह पढ़कर सुना दिया गया। वह गलत है या सही यह संसदीय कार्य मंत्री जी तथ्य रखते तो यह बात समझ में आती। अनुसूचित जाति का अधिकारी है और डा0 अम्बेडकर जी को भी जोड़ दिया तो इसका इससे क्या सम्बन्ध है। आपने अगर किसी उच्च अधिकारी से जांच कराया हो कि यह प्रकरण मा0 विधायक का था, शासन बड़ा संवेदनशील था, तत्काल यह शासन स्तर के उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायी और जांच में यह तथ्य पाया तब तो बात समझ में आती है। अगर विवेचना अधिकारी एक इंस्पेक्टर है और उसने गलत विवेचना की, आपने पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराया होता वह जांच रखते तो समझ में आता है। वरना जांच की हुई

आपकी ही की मशीनरी से और हाईकोर्ट में बात रखी और हाईकोर्ट में यह बात रखी हुई, हाईकोर्ट की नकल से जो बात पढ़ी जा रही है, जब तक दूसरी बड़ी जांच नहीं हो जाती है। तब तक वही स्वीकार होगा मान्यवर, इसलिए प्रश्न नियम-300 का नहीं है, प्रश्न यह नहीं है कि पहले की सरकारों ने क्या किया, इधर की बैठी सरकारों ने क्या किया, यहां जितने बैठे हैं सब सरकार में रह चुके हैं, उंगलियां सब पर उठ सकती है क्योंकि व्यवस्था जैसी है उसमें कोई बड़ा पाक साफ सिद्ध होगा, कहीं प्रशासनिक गलतियां नहीं हुई होंगी, कोई अधिकारियों ने अपमानित या नियम का उल्लंघन नहीं किया होगा ऐसा कोई शासन में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता है, लाख चाहने के बावजूद भी नीचे की ब्यूरोक्रेसी गलत करती है सब कुछ सही होते हुए भी यहां भी शालीनता के विरुद्ध व्यवहार होते हैं इसलिए जो तथ्य है, प्रश्न यह है कि किसी विधायक का सम्मान अधिकारी द्वारा रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा, हम इसके भी पक्षधर नहीं हैं। किसी विधायक को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अधिकारी को अपमानित करे क्योंकि हर नागरिक को अपना एक अधिकार है, सम्मान है, संविधान ने उसको सम्मान से जीने का अधिकार दे रखा है। प्रश्न है इसका निर्णय होना चाहिए और यह निर्णय मान्यवर, आप ही कर सकते हैं, इसलिए आप या तो समिति बनाइये सदन की या स्वयं अपने कक्ष में बुलाकर सारे तथ्यों को बुलाकर के जांच कीजिए क्योंकि अब विधायक के अधिकार की रक्षा होनी चाहिये, सम्मान की रक्षा होनी चाहिये, चाहे वह कांग्रेस का विधायक हो, चाहे यहां का हो, चाहे उधर का हो, इसलिए अब आपको यह निर्णय इस रूप में लेना चाहिए कि सभी को विश्वास हो कि विधायक का सम्मान सुरक्षित रहेगा और जो माननीय तिवारी जी ने कहा है उन तथ्यों को जब तक बड़ी जांच से विश्वसनीय जांच से नकारा नहीं जाता तब तक माननीय विधायक जो इस सदन में कह रहे हैं उस वर्जन को मानने के लिए इस सदन की परम्परा रही है, इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रख मान्यवर, सदन की गरिमा और विधायक की रक्षा और जो जांच एजेन्सी है, उसके तथ्यों को सम्मान देते हुए आप जो उचित समझें एक निर्णय लें मेरा यही आग्रह है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो बात कही है मैं इस बात से सहमत हूं कि सबकी गरिमा होती है और सबकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि विवेचक ने यह-यह लिखा, जो बातें उसने सही लिखी उसकी तो आप तारीफ कर रहे हैं अगर विवेचक की किसी को आप मान रहे हैं कि उसने जो लिखा है वह सही है तो उस पर कहां से अविश्वास हो रहा है और विवेचक के ऊपर ही सारी बात निर्भर होगी, अगर विवेचक के किये निर्णय के आधार पर ही कार्यवाही होगी तो इसलिए जब विवेचक की कुछ बातों को आप संज्ञान में ले रहे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि विवेचक ने जो लिखा है वह सही लिखा है और मैंने भी इस बात को पढ़ा कि इस बात से यह परिलक्षित होता है कि सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला है अगर दबाव नहीं डालने के कारण ही विवेचक ने जो बातें उसके संज्ञान में सही आई उसको लिखने का काम किया। अब अगर एफ0आई0आर0

लिखा गया है, आप सब लोग वरिष्ठ भी हैं, वकील भी हैं बहुत से लोग माननीय तिवारी जी भी हैं, तो विवेचक के अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे उसको समाप्त किया जा सकता है, यह तो विवेचक की कार्यवाही पर निर्भर होगा। वैसे यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, अब आगे आपकी नोटिस है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप मुझे मेरी नोटिस पर भले ही न सुनें लेकिन इस समय मेरी बात सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक विधायक की गरिमा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

विधायक की गरिमा पर बहुत कहा जा चुका है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी जहां अम्बेडकर साहब का जिक्र करके इतनी बड़ी बात कही गई और एक विधायक की गरिमा की बात कही गई है, यह सिर्फ इस नोटिस तक सीमित नहीं रह जाता है

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां कांग्रेस के चरित्र पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने टिप्पणी किया हे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपको क्या तकलीफ है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

बहुजन समाज पार्टी का चरित्र दलितों को कितना धोखा देने का है यह सारा प्रदेश जानता है और दलित को यह अधिकार नहीं होता है कि अगर कोई दलित बिरादरी में पैदा हो गया तो लालजी वर्मा की जाति के आदमी को या नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की जाति के आदमी को या प्रमोद तिवारी जी की जाति के आदमी को जो मन में आये करे। जातियों के सवाल पर, जातियों के फ्रेमों में बैठा करके अपनी सारी बात कहने से यह काम नहीं चलने वाला। प्रश्न दूसरा था मान्यवर और उत्तर दूसरा आया, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा प्रश्न यह है कि विवेचना अधिकारी

ने एक विधायक के खिलाफ लगाये गये आरोपों का अपनी तफ्तीश में फर्जी पाया। आपसे पूछना यह है कि उस फर्जी आरोप लगाने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और आप बात दूसरी कर रहे हैं, आप यह कह रहे हैं जो तफ्तीश हुई निष्पक्ष हुई। उसमें तथ्य जो आये हैं उसके आधार पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे जिसने माननीय विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचायी है। मान्यवर, जब एक बार आपने प्रश्न को ग्राह्यता के लिये ले लिया है और यह सारी बातें आपके संज्ञान में आ गयी हैं तो आप निर्णय लें। जब तफ्तीश में यह बात आ गयी कि यह सारे आरोप झूठे हैं तो उस झूठे आरोप लगाने वाले के विरुद्ध जिसके विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप है और साथ ही अपने एक विधायक की गरिमा का प्रश्न है, आप कोई निर्णय लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में उसका कवरेज है जिसमें दिखाया गया है लोगों द्वारा अधिकारियों को मारे जाते हुए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई घटना के गवाह नहीं है। यह तफ्तीश की रिपोर्ट में सब बातें आ गयी हैं। मान्यवर, वह मंत्री पद पर रहते हुए भी एक विधायक भी हैं। अधिकारियों का मन इस तरह से खराब करेंगे तो कई लोग झेल रहे हैं मंत्रियों को तो आपका नम्बर भी आ सकता है।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जब एक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गयी जो रिपोर्ट विधायक जी के विरुद्ध लिखी गयी थी वह सब बातें गलत साबित हो गयी हैं तो जिसने गलत रिपोर्ट लिखायी उसके विरुद्ध सरकार क्या करने जा रही है ?

जिसने एफ0आई0आर0 गलत लिखायी थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस मामले में श्री प्रमोद तिवारी जी को, पंकज मलिक जी को, श्री ओम प्रकाश सिंह जी को, श्री अम्बिका चौधरी जी को और श्री कौकब हमीद जी को सुना। मैं स्वयं इस बात से कटिबद्ध हूं कि माननीय विधायकों का सम्मान हो, संसदीय परम्पराओं का पालन हो। जब कहीं भी इस तरह के विषय होते हैं तो मैं खुद उसे गम्भीरता से लेता हूं। एक विधायक का सम्मान सदन के सम्मान से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे मामलों में समझौतावादी बातों का या कुछ ऐसे कार्यों का सहारा लिया जाता है जिससे मामला सुलझ जाये। मैं इसी सत्र में सम्बन्धित अधिकारी को अपने कक्ष में बुला रहा हूं उसमें माननीय विधायक जी भी रहेंगे। उसमें पूरे प्रकरण की जानकारी कर लूंगा, बात कर लूंगा। (सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह एक प्रकरण था, ऐसे बहुत से प्रकरण है जिन पर भी विचार किया जाना है। मेरा अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में दलीय नेताओं की एक बैठक बुला लें उसमें सब बातें हो जायें ताकि माननीय विधायकों का सम्मान बना रह सके।

श्री विशम्भर प्रसाद यादव-

मान्यवर, मेरे घर में घटना हुई है। मेरा मामला है।

छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने विषयक दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं जिस औचित्य के प्रश्न की सूचना दे रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। मैंने चार दिसम्बर को इसी सदन में नियम-56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय है वहां के शिक्षक अपने वेतनमान आदि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आपने उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने का आदेश दिया था। उसमें यह भी था कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाये और सम्बन्धित माननीय सदस्य और सम्बन्धित माननीय सदस्य और विधान सभा सचिवालय को 30 दिन के अन्दर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये। लेकिन अभी तक मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई है कि क्या कार्यवाही हुई है। मान्यवर, जो वहां के शिक्षक क्रमिक अनशन पर चल रहे हैं उससे वहां की स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। लगभग मान्यवर 36 ऐसे लोग हैं उनमें जो अपने विभागों के हेड आफ डिपार्टमेन्ट है, वे अपने-अपने विषयों में सुपर स्पेशियलिटी की प्रतिभा रखते हैं, वह सब त्याग-पत्र देने वाले हैं। इस विषम परिस्थिति में भी सरकार मौन होकर बैठी हुई है। वहां चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आप देखें कि सरकार द्वारा आपके आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि शासन को आप आदेश दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में सरकार कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाले।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें नियम-56 के अन्तर्गत इन्होंने सूचना दी थी। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय के डाक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस के संदर्भ में तो हमने एक निर्देश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया था कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें तो इसका जवाब इनको कुछ नहीं मिला है, तो इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों और पीएचएमएस सेवा के चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टरों एलोपैथिक प्राइवेट प्रैक्टिस पर निवर्धन नियमावली, 1983 द्वारा रोक लगी है। मान्यवर, रोक लगी है और हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और निर्देश दिया है कि कोई भी चिकित्सक अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो तो मान्यवर, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब माननीय सदस्य अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो सरकार की वचनबद्धता आम जनता के लिए है। यह इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, जो आप सूचना मांग रहे थे वह माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

मैंने सुरेश श्रीवास्तव जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, सारा विश्वविद्यालय बन्द हो जायेगा, सरकार इस पर कोई रास्ता निकाले। उनकी वेतन विसंगति का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्राइवेट प्रैक्टिस में शासनादेश जारी हो गया है।

मैंने निर्णय ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में एक जनहित याचिका दायर हुई और उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर कड़ाई से नियंत्रित किये जाने के आदेश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

न्यायालय का आदेश है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, वहां पर शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है वह वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उसको बढ़ाने पर विचार करे। उस पर कोई स्टे नहीं है। उस पर कोई मामला हाईकोर्ट में पेन्डिंग नहीं है। सरकार ऐसे कैसे भाग सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-56 में प्राइवेट प्रैक्टिस के संदर्भ में थी वेतन विसंगति या वेतन वृद्धि के संदर्भ में नहीं थी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरी नोटिस में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अगर लिखा है तो गलत है 4 विषय कैसे उठेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैंने नियम-56 की नोटिस में लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना मैंने डा0 अनिल चौधरी जी की ले लिया है, इसको दिखवा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, क्या दिखवा लेंगे।

मान्यवर, मैंने जवाब दे दिया है। मैंने पूर्णतः जवाब दे दिया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैंने नियम-56 की नोटिस में यह कहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपने केवल प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए नियम-56 में दिया था। मैंने निर्देश दे दिया और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्यवाही हो रही है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

तब आगे क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

एक अलग से लगा दीजिये वेतनवृद्धि वेतन विसंगति के बारे में।

जनपद हाथरस की सादाबाद तहसील की मांट ब्रांच की 7 व हाथरस ब्रांच के रजवाहों एवं अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने विषयक तृतीय सत्र 2007 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-65 का उत्तर सिंचाई मंत्री द्वारा गलत एवं फर्जी आंकड़ों के आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं यह सदन नियमों से चलता है और हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में इस सदन के माध्यम से जो सूचनायें

प्राप्त करते हैं उनको यह माना जाता है कि वह सत्य सूचनायें हमको दी जायेंगी। मैंने 2007 के तृतीय सत्र के पहले बुधवार के लिए एक अतारांकित प्रश्न संख्या-65 पूछा था और उसके उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा 'जनपद् हाथरस की सादाबाद तहसील को आपूर्ति करने वाली माठ ब्रांच की 7 और हाथरस ब्रांच की 3 कुल 10 रजबहा व अल्पिकाओं की टेल तक रबी 1415 में पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित किया गया' यह उत्तर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, आज की तारीख में भी इन रजबहों में इन अल्पिकाओं में पानी टेल तक नहीं पहुंचा और मेरी पीड़ा सबसे बड़ी यह है कि मेरी तहसील के दोनों विकास खण्ड सादाबाद और सहपऊ डार्क घोषित है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिये जो सुविधायें दी जाती है, सामान्य नलकूप योजना में कनेक्शन दिये जाते हैं, फ्री बोरिंग की सुविधा दी जाती है, नहरी पानी एक मात्र तरीका है हमारे यहां सिंचाई का और जब हम जनता के बारे में वहां के किसानों के बारे में यहां चिन्ता प्रकट करते हैं तो [x x x] बोला जाता है। मेरा दावा है मैं अपने क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, झूठ शब्द कई बार इस सदन में प्रयोग होना सामान्य बात हो गयी है। झूठ असंसदीय शब्द है। कल भी मैं अपने चैम्बर में बैठा था और बड़े जिम्मेदार लोगों के मुंह से मंत्रियों के लिये झूठ शब्द का प्रयोग हो रहा था। आप पीछे की भी सब कार्यवाही देख लीजिये और जहां-जहां झूठ शब्द प्रयोग हुआ हो, उसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये, यह असंसदीय शब्द है, इसलिये इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, झूठ शब्द असंसदीय है। कृपा करके इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये। सही शब्द सत्य से परे है।

श्री अध्यक्ष-

हां, ठीक है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं एक नया विधायक हूं। मेरे वरिष्ठ लोगों ने जो बात कही है, मैं उसका पालन करूंगा। मेरे क्षेत्र के सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, मंत्री जी का इसमें दोष भी नहीं है। आप उनसे सूचना प्राप्त करते हैं और वह लोग इनको गुमराह करने का काम करते हैं। मैं यह सदन के अन्दर दावा करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी नहरें हैं, उनका टेल पर अस्तित्व ही खत्म है तो टेल पर पानी पहुंचाने की बात तो दूर है। वहां नहर का अस्तित्व ही नहीं रहा तो टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा। मैं सदन से यही कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की पीड़ा को समझते हुए इस तरह के दोषी जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जाय और इस पर चर्चा करा ली जाय।

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डा0 साहब, नियमों में यह है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता या गलत आता है तो निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत आप सूचना दे सकते हैं। अगर गलत उत्तर आया है तो आप इस नियम के तहत सूचना दे दें। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक एवं दो माह के लिए लेखानुदान एक साथ लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमावली के नियम 183 के तहत प्रदेश का वर्ष 2008-2009 का बजट/आय व्ययक प्रस्तुत किया। श्रीमन्, यह तो नियमावली प्रक्रिया संवैधानिक रूप से है और नियमावली के नियम 193 में लेखानुदान का भी प्रावधान है। इस संविधान का दिया हुआ स्वरूप है जिसे हमारी नियमावली में नियम बनाया गया । हमें उससे कोई एतराज नहीं है कि लेखानुदान नहीं लाया जा सकता। लेकिन श्रीमन्, जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश आ चुकी है, जिसे आप सदन में रख चुके हैं, उसमें जब 12 तारीख को बजट पास होने का प्राविजन है और लेखानुदान का स्वरूप तो इस वजह से बनाया गया था यदि विषम परिस्थितियां हो, मध्य सत्र में बजट आने की बात हो, ऐसी परिस्थिति हो कि 31 मार्च तक बजट पास न होने की स्थिति हो तो लेखानुदान लेने की परम्परा रही है। मार्च में बजट पूरा हुआ हो तो आप एक भी इन्स्टान्ट उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि जब मार्च में नियमित बजट पास हो रहा हो, और कोई बजट पास होने में शंका भी नहीं है, तब लेखानुदान लिया गया हो। चूंकि उसी दिन इन्होंने दो महीने का लेखानुदान ले लिया तो एक यह शंका पैदा हो गयी कि क्या संसदीय कार्य मंत्री जी सदन चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर आपने लिया क्यों, यह बता दीजिये। आप बहुमत में हैं, बजट आपका पास भी होगा। हम ज्यादा से ज्यादा उस पर सुझाव देंगे, कटौती रखेंगे अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह बात सही है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री पता नहीं, नाराज क्यों इतना हो जाते हैं, अरे आप बड़े फलदार पेड़ की तरह होइये, जितना झुकाव रखेंगे, जितना प्रिय बोलेंगे, जितना हम लोगों का दिल जीतेंगे, उतना हम लोगों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। मैं नहीं समझता कि इनका स्वास्थ्य खराब हो जाय यह तनाव में न रहें, तनावमुक्त रहें, दबाव में न रहें, हंसते रहें और खूब आगे बढ़ें, हम सब लोग भी यही चाहते हैं, हमारे साथी हैं। श्रीमन्, जो जिस तरीके से यह लाये हैं 2 महीने का लेखानुदान उससे एक शंका जरूर खड़ी हो गई है और मैं इस शंका निवारण चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ इसका निवारण कर दे, पता नहीं संसदीय कार्य मंत्री दबाव में क्या कहने लगे ? हम लोगों ने कहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका विरोध नहीं किया कि बजट न पास किया जाये, आज भी कार्य-मंत्रणा हुई उसके अनुसार जो तारीखें हैं उसमे बजट पास हो जायेगा। जब 12 मार्च को बजट पास हो जा रहा है और 31 मार्च तक बजट पास हो जाना चाहिए तो फिर यह लेखानुदान क्यों आया, यही शंका है और इसी शंका के निवारण के लिये इस औचित्य के प्रश्न को मैंने उठाया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं नियम-300 में अपनी बात कहूं इससे ज्यादा जरूरी दूसरी बात है अभी मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने भी कहा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े तनाव में हैं। आप मेरी सूचना पर मुझे न सुने लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो तनाव के कारण है वह मैं आपको आपके कक्ष में बता सकता हूं। आप हमारे संरक्षक हैं, आज एक ऐसा 14 फरवरी का दिन होता है कि लोग गुलाब ले करके धूम रहे हैं सड़क पर। श्रीमन्, ऐसे दिन हमारे मित्र की स्थिति अपने घर में ही इतनी दयनीय हो तो तनाव तो होगा ही लेकिन मान्यवर, उस तनाव को दूर करने में आप संरक्षक की भूमिका में हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये हमारे कक्ष का ही प्रयोग करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस पर मा0 तिवारी जी की भी राय ले लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बड़ा अच्छा हुआ हमारी राय ले ली। एक शब्द है हैण्डओवर, जो कल का आज होता है। कल की दशा तो सभी ने देखी संसदीय कार्य मंत्री जी की, एक तरफ हो रहा था "उठ" और दूसरी तरफ हो रहा था "बैठ"। अगर उनका हैण्डओवर मेरे ऊपर हुआ है तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूं, कहीं न कहीं पीड़ा तो निकलनी ही है। दूसरे, कल जिस तरह से इजहारे-मोहब्बत हो रहा था खुलेआम, नेता विरोधी दल खड़े थे, मेरे सबसे प्रिय रहे हैं, अच्छा वह भी जानबूझकर कह रहे थे, जब नेता सदन बैठी थी। वह समझ रहे थे बहुत बड़ा प्रिय इनको बता दें तो शायद इनका कुछ रि-ऐक्शन हो जाये। अब यह बेचारे कह भी नहीं सकते कि रहे हैं या नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे किसी अन्यथा रूप में न लिया जाये आज वेलेन्टाइन-डे है, उसी का असर कल रहा होगा, इसलिये इजहारे-मोहब्बत हुई। मैं तो प्यार में विश्वास करता हूं, प्रेम में विश्वास करता हूं।

(श्री रगनाथ मिश्र के बोलने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा इनके परिवार से प्रेम है और इसके लिये मैं इनकी माता जी का और पिता जी का आभारी हूं। मान्यवर, जिन्होंने इस प्यार पर मोहर लगायी है और अगर ऐसा न होता तो मैं तो भूखो मर जाता।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

मान्यवर, यह एक कदम आगे बढ़कर अड़ोसी-पड़ोसी को भी देख लेते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह आरोप [x x x] है। मैंने इनके ऊपर कभी कोई कदम नहीं रखा है। मुझे जहां तक अधिकार दिया है आपके माता-पिता ने मैं वहीं तक हूं और आप मेरे ही नहीं पूरे सदन के साले हैं, भगवान आपको लम्बी उम्र दे। मैं वर्मा जी से एक चीज जानना चाहता हूं कि जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको तो गम्भीर रहना चाहिए लेकिन जो लोग दुबले-पतले हों इनकी तरह उन्हें थोड़ा हंसते रहना चाहिए ताकि कम से कम बराबर हो जायें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इस बारे में अनुभव चौधरी साहब और तिवारी जी को ज्यादा है, मुझे तो नहीं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

एक बार प्रयास कर लें।

श्री लालजी वर्मा-

मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं कि प्रयास कर सकूं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, ये शिव सेना वालों से डरते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं। मा0 ओम प्रकाश सिंह बैठे हैं, मैं उनसे डरता रहता हूं।

माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो प्रश्न उठाया है कहीं से भी इसकी कोई शंका नहीं है, बजट पास कराया जायेगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से थोड़ा-बहुत विलम्ब हो उसके लिए थोड़ा इस बात को सुनिश्चित किया गया है ताकि बजट पास कराने में कोई जल्दी न रहे और उसके अनुसार अनुदान मांगों पर पूरी तरह से बहस होकर उसको पास करा सकें। जहां तक संविधान के नियमों की बात है तो बजट सत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के अनुसार इसके एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, यह संविधान-सम्मत है, कोई अनुचित नहीं है, नियमों के विपरीत नहीं है और मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं से कोई शंका नहीं है, कोई जल्दबाजी न हो इसके लिए अपरिहार्य कारणों से कुछ आगे-पीछे होना

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के [illegible] कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पड़े तो पूरी तरह से हम विचार करके हम अनुदान मांगों को हर विभागवार चर्चा करके उसको पास कर सकें, इसलिए अहतियातन यह लेखानुदान रखा गया है कहीं से कोई शंका नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, लेखानुदान शासन के विवेक पर निर्भर करता है। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

लंदन में प्रकाशित जय श्री मिश्रा की "रानी" नामक पुस्तक में रानी लक्ष्मी बाई के सम्बन्ध में अशोभनीय और तथ्यहीन बातें होने के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त पुस्तक के प्रसारण/बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य की है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा मुल्क स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीर योद्धा थीं और एक अवतार के रूप में सारे हिन्दुस्तान के लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी, आज माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उनके नाम पर एक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

एक निवेदन करेंगे। बीस-पच्चीस मिनट के बाद श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा कराना शुरू करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा समय ले लें क्योंकि इसके बाद दो सूचनायें और हैं। इसमें थोड़ा सहयोग करें और थोड़े-थोड़े समय में अपनी बात रख दें ताकि आए लोगों की बात भी आ जाए और नये सदस्य अभिभाषण पर चर्चा करना चाहते हैं उनको भी अवसर मिल जाए।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष जी, एक लेखिका हैं जयश्री मिश्रा जिन्होंने 'वैक्यून बुक्स प्राईवेट लिमिटेड' द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया है जो लंदन में प्रकाशित हुई है और जिसकी बिक्री पूरे उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से हो रही है। पुस्तक में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में अशोभनीय और तथ्यहीन बातें कही गयी हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको एक तथ्य देना चाहता हूं कि 1858 में जब लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची थी तो उन्होंने यह कहकर अपने शरीर को गुल मुहम्मद पठान को सौंप दिया था कि मेरे मरे हुए शरीर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कोई अंग्रेज हाथ नहीं लगाये और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी हिन्दू को मुखाग्नि किसी मुसलमान ने दी हो और बाबा गंगादास की कुटिया में उनकी देह का अंतिम संस्कार किया गया। उस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के लिये जयश्री मिश्रा जो लेखिका हैं, जो मानसिक रूप से दिवालिया हैं, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिये पूरे हिन्दुस्तान के करोड़ों-अरबों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये अनेक पृष्ठों में महारानी के चरित्र पर तथा व्यक्तित्व पर कुठाराघात किया है। झांसी के राजा गंगाधर राव के व्यक्तित्व के बारे में वह बातें जो किसी को भी, किसी के बारे में नहीं लिखनी चाहिए। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 में जो हमारा मूल कर्तव्य है उसके अन्दर दिया है कि राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले चरित्रों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते और यह निश्चित रूप से इस पुस्तक के पृष्ठ-72 में, 128 में, 223, 224, 226, 250 एवं 255, 255 इसके अलावा कम से कम पचासों पेजों पर गलत ढंग से उनके चरित्र को निरूपित किया गया है। उनका नाम किसी ऐसे अंग्रेज के साथ जोड़ा गया जिससे पूरे प्रदेश के अन्दर आन्दोलन चल रहा है। झांसी के अन्दर लगातार आन्दोलन चल रहा है। लोगों की यह मंशा है कि यह सरकार "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की बात करती है तो उसके द्वारा इस पुस्तक की बिक्री पर और प्रसारण पर तत्काल रोक लगाई जाय। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह पुस्तक रानी जिसका शीर्षक है यह पुस्तक मैंने पढ़ी वह विवादास्पद अंश भी मैंने पढ़े हैं मुझे उनको कहने में शर्म आ रही है और संकोच हो रहा है मैं जानबूझकर उन उद्धरणों को जो इसमें लिखे हैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी कम लोगों ने पढ़ा है मैं आज अगर बतला दूंगा तो यह और ज्यादा प्रचारित-प्रसारित हो जायेगी जो उचित नहीं होगा। एक तकलीफ है कि एक तरफ हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं उसमें अगर हम झांसी की रानी का नाम न लें तो इस देश की आजादी का इतिहास अधूरा रह जायेगा। जब भी कोई वीरता की बात आती है, किसी नारी को प्रेरित करने की बात आती है, उसे सम्मानित करने की बात आती है तो कहा जाता है कि यह झांसी की रानी की तरह है। उस झांसी की रानी का नाम वहां का जो तत्कालीन एजेंट था उसके साथ जिस अश्लील भाषा में जोड़ा गया है वह सत्य से परे है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक किताब इतिहास को झुठला नहीं सकती। सच्चाई यह है कि झांसी की रानी देश की आन बान और शान की प्रतीक हैं उनका चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल और निष्कलंक है उस पर जिसने भी उंगली उठाने का काम किया वह मानसिक रूप से दिवालिया है या जानबूझकर यह एक साजिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पुस्तक आपको भिजवा रहा हूं इसमें सरकार को भी आपत्ति नहीं उठानी चाहिए सरकार यह कह सकती है कि इसका अध्ययन करवा लें अगर उसे लगे कि यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंश खेदजनक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-2 का उल्लंघन है तो सरकार को ऐसी किसी पुस्तक को अपने प्रदेश में रोकने का अधिकार है चूंकि प्रकाशन लंदन में हुआ है लेकिन वितरण उत्तर प्रदेश में न हो ऐसा अवश्य कहना चाहता हूं। मैं औचित्य का प्रश्न उठाते हुए यह कहना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मी बाई के संदर्भ में जो आपत्तिजनक बातें कही गई हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय, इसके प्रसारण पर रोक लगायी जाय। मुकदमा कायम करना इसलिये भी जरूरी है जिससे इसके प्रसारण पर रोक लगाने में कानूनी मदद मिलेगी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

झांसी की रानी का नाम पूरे देश में और प्रदेश में इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। यह पुस्तक जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि लंदन में प्रकाशित हुई है तो जिस समय भारत आयी उस समय इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

दिल्ली में यह पुस्तक छपी है।

श्री लालजी वर्मा-

जब दिल्ली में प्रकाशित हुई तो और आपत्तिजनक है। जिन प्रकाशकों ने इसे प्रकाशित किया तिवारी जी उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है तो इसमें थोड़ा आपको भी कष्ट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कोई भी आपत्तिजनक किताब का उत्तर प्रदेश में अगर कोई वितरण करेगा तो उस पर कार्यवाही कराई जायेगी। लेकिन मान्यवर, तिवारी जी को स्वयं इस बात को महसूस करना चाहिए कि लंदन से दिल्ली में प्रकाशित हो गई। भारत में यह किताब आई। मान्यवर, दिल्ली में इनकी सरकार दोनों है, केन्द्र की और प्रदेश की भी और जब प्रदेश और केन्द्र की सरकार दोनों इनकी हैं तो आप यह किताब प्रकाशित होने दे रहे हैं इसका मतलब उस साजिश में आप शामिल हैं। इसलिये मैं चाहूंगा.....

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह जो प्रश्न है इसका सम्बन्ध राजनीति से नहीं है बल्कि यह देश के स्वाभिमान, संस्कृति के स्वाभिमान और राष्ट्रभक्तों के स्वाभिमान का विषय है। यह सीधे-सीधे किताब आपको दे रहे हैं आप देखिये यह आपत्तिजनक है तो आप इसके प्रकाशन और वितरण पर रोक लगायें।

श्री अशोक कुमार चन्देल-

मान्यवर, इस विषय में इतनी ओछी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने ओछी बात नहीं कही है। मैंने कहा कि मैं भी उनका सम्मान करता हूं। [x x x]

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, [× × ×] शब्द कार्यवाही से निकलवा दें। मैं संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको दिखवा लें और यहां पर जो कार्यवाही कर सकते हैं वह करें। वहां की बात यहां संज्ञान में लाई गई है इसलिये यह शासन का परम कर्तव्य है कि अपने यहां इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें और केन्द्र को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखें कि इस तरह का प्रकाशन वहां पर न हो इसके प्रकाशन को प्रतिबन्धित किया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यदर, मैं भी सहमत हूं कि जो शब्द उचित नहीं है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रकाशित उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन यह कानून है कि प्रकाशित दुनिया में कहीं भी हुई हो वितरण या उपलब्धता जहां भी होगी उसके संज्ञेय का अपराध वहां जाता है। मैंने इसको लखनऊ में पढ़ा है इसका मतलब यह लखनऊ में वितरित हुई है। इसलिये इसका अपराध लखनऊ को जाता है। आप बार-बार दिल्ली की बात कह रहे हैं। आपने कहा कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप बार-बार कहते हैं कि दिल्ली को भी कहिये। हमको जनता ने चुनकर उत्तर प्रदेश में भेजा है इसलिये हम उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज उठायेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हमें दिल्ली भिजवाना चाहती है तो वहां पर राज्य सभा की सीट खाली हो रही है हमको वहां भिजवा दीजिये। हम आपकी बात भी वहां पर पहुंचा देंगे। मैं यहां पर हूं और यहीं अपनी बात कहूंगा। मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस में हूं और उसी में रहूंगा।

एक सदस्य-

मान्यवर, तिवारी जी को दिल्ली जाने का शौक है। यह हमारे दल में शामिल हो जायं। हम कोशिश करेंगे कि हम इनको दिल्ली पहुंचा दें.

श्री प्रमोद तिवारी-

प्रदेश की जनता ने हमको कहने का अधिकार दिया है उत्तर प्रदेश की विधान सभा में। जिस दिन हम लोक सभा या राज्य सभा में चले जायेंगे वहां भी अपनी बात कहेंगे। जब जनता ने प्रदेश के लिये चुनकर भेजा है तो यह कष्ट तो हम आपको देते रहेंगे। रही बात उधर आने की तो मुझे जहां रहना है वहीं रहूंगा।

* आबकारी, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं थोड़ा निवारण कर दूं। मैं सोच रहा था जब मेरी लल्ला भाई से बात हुई थी उन्होंने आपके बारे में काफी कुछ बताया। आपने भी राज्य सभा में जाने के लिये हमसे कहा।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इतना कहना चाहता हूं-

कभी हमारे भी पास आओ, रोशनी से नहला दें
जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला।

मान्यवर, एक तरफ प्रमोद तिवारी जी का पूरा दल संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से प्रसन्न होकर मेज भी थपथपाते हैं। सारी बात हो रही है यह हमारे दोस्त हैं बुन्देलखण्ड से वह भी हैं मैं भी बुन्देलखण्ड से हूं पूरे भारत के साथ-साथ झांसी की रानी को जितना बुन्देलखण्ड के लोग जानते हैं जितना सम्मान करते हैं उतना शायद बाहर के लोग नहीं जानते हैं। जितनी पीड़ा उनको है, हमको भी है सरकार को भी है लेकिन इस तरह से 'ओछी बात' कहना ठीक नहीं है आप पहली बार सदन में नहीं आये हैं लोक सभा में भी रहे हैं क्या आप अपने छोटे भाई का सुझाव नहीं मानेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बात चन्देल साहब को नहीं कहनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष अक्सर कहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी हर बात पर खड़े हो जाते हैं तो यह तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ड्यूटी है। लेकिन मैं किसी सदस्य को नहीं रोकता, हर सदस्य का अधिकार है खड़े होने का। कहने का, लेकिन इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। इतना अच्छा माहौल चल रहा था उनके अनुकूल बात भी कह दी गई। बात जो सही थी वह सरकार ने मान ली तो भविष्य में मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं इनकी सारी बातें मान लेता हूं लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास आओ आईना बन जाओ, मान्यवर, आईना तो हमेशा सामने से देखना पड़ता है। मैं सामने से रहकर आपको देखते रहना चाहता हूं। आप जहां भी रहेंगे मैं आपके सामने ही रहूंगा। आपके पास आने में मुझे डर इसलिये लगता है कि अगर मैं आईना बन जाऊंगा तो जल्दी टूट जाऊंगा। यहां लोहा बना हूं यहां लोहा ही बना रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम 300 में नहीं आता है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नगरीय विधान सभा क्षेत्रों के लिए 225 हैण्डपम्प मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद गोरखपुर में हैण्डपम्पों के लिए धनराशि जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 300 में बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, इस सदन के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को हैण्डपम्प की सुविधा दिये जाने के बारे में कई बार बात की। माननीय टण्डन जी ने यह विषय उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी

ने इस सम्बन्ध में घोषणा की थी कि हम जिन भी नियमों के तहत संभव होगा जैसी सुविधा हमने ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को सुविधा दी है उसी प्रकार से कोई व्यवस्था करके हम शहरी क्षेत्र के विधायकों को सुविधा देंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने जो सदन में कहा उसको लागू किया यह व्यवस्था कि किसी प्रकार से हम लोगों को हैण्डपम्प मिल जाएं उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के निदेशक रेखा गुप्ता ने सारे नगर आयुक्तों को पत्र लिखकर निदेशित किया कि प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है उसके लिये आप अपने-अपने क्षेत्र के नगर विधायकों से संस्तुति प्राप्त करके एक सूची बनवा लें और उस सूची को हमारे पास भिजवा दें ताकि हम अवस्थापना निधि से इन हैण्डपम्पों को लगवाने की व्यवस्था करवा दें। यह सदन में की गई घोषणा थी माननीय मंत्री जी ने उसका अनुपालन किया और एक पत्र पूरे प्रदेश के नगर निगमों में गया। यह कार्यक्रम समयबद्ध था और 20 दिसम्बर तक यह सूची प्रदेश में पहुंच जानी थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी स्पष्ट घोषणा इतने स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए हम लोगों से नगर निगमों के द्वारा कभी भी कोई सम्पर्क नहीं किया गया। इसके पांच सात दिन बाद जल संस्थान, जल निगम से पत्र आया उन्होंने स्थानीय निकाय निदेशक के पत्र का हवाला देते हुए हम लोगों से सूची मांगी। हम लोगों को सूची मांगने का लिखित पत्र प्राप्त हुआ। हम लोगों ने अखबारों में बयान दे दिया जो नागरिक हैण्डपम्प की समस्या से पीड़ित हों वह सूची दे दें। अपने स्थान और क्षेत्र को बता दें। नागरिकों से सूची प्राप्त करके हमने जल निगम को वह सूची दे दी। हम लोग यह मानकर चल रहे थे कि सदन की घोषणा है जल निगम सूची मांग रहा है नागरिक हम लोगों को सूची दे रहे हैं शायद हैण्डपम्प लगेंगे। लेकिन यह आश्चर्य की बात है उसके चार-पांच दिन बाद चार फरवरी को जल निगम के अधिशासी अभियन्ता ने मुझे पत्र लिख दिया कि आपने जो मुझे सूची दी है मैं उसमें हैण्डपम्प लगवाने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि नगर निगम ने अपनी सहमति नहीं दी है और सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करके यह सहमति दिलाने का प्रयास करें। यह आश्चर्यजनक है, अध्यक्ष महोदय कि इस सदन में घोषणा होती है, सरकार अपने अधिकारियों को निर्देशित करती है, वहां से नियम बनाये जाते हैं, नियम पूरे प्रदेश में फैलते हैं, उन नियमों का अनुपालन कहीं जाकर रुक जाता है और फिर हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस सूची की संस्तुति किसी नगर आयुक्त से दिलवायें। अगर नगर आयुक्त से संस्तुति हमें ही दिलवानी है तो इस सदन में घोषणा करने की जरूरत क्या थी ? मैं समझा कि यह कार्य केवल गोरखपुर में हो रहा है, मैंने अन्य शहरी क्षेत्र के विधायकों को फोन किया और मुझे तब जाकर आश्चर्य हुआ कि लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, कुल मिलाकर 26 विधायक हैं, 403 विधायकों में से सिर्फ 26 विधायकों को हैण्डपम्प दिये जाने का मसला है और किसी भी नगर निगम क्षेत्र में इन माननीय विधायकों को कहीं भी इन हैण्डपम्पों की स्वीकृति नहीं मिल पायी है। मान्यवर, यह विधान सभा, नियमावली से संचालित होती है, यह सारी कार्यवाहियां आप निर्देशित करते हैं और आपके निर्देश पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में घोषणा की है, आप उसे लागू भी करना चाहते हैं,

मैं स्वयं कह रहा हूं कि उन्होंने इसका अनुपालन कराने के लिये आदेश निकाला लेकिन अब अगर इनके निर्देश, इनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो कोई न कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए जिससे हम लोगों को इन हैण्डपम्प के लिये धन मिल सके। आज यह विषय मैं सिर्फ इसलिये लाया हूं।

श्री अध्यक्ष-

टीक है, स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैंने सदन में कभी घोषणा तो नहीं किया था और अभी माननीय डाक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की थी और बधाई भी दे डाला लेकिन मान्यवर, मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। मान्यवर, उन सारी स्थितियों पर मैंने माननीय सदस्यों से और माननीय टण्डन जी से भी यह आग्रह किया था कि आप हमें इस बात का ज्ञानवर्धन करने का काम करें कि किस तरह से कब किस वर्ष की घोषणा थी और किस वर्ष में इस तरह का कोई शासनादेश गया था जिसमें अनिवार्य रूप से लगाने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यह जो पत्र का उल्लेख है हम लोगों को भी पिछली बार मिला था और उसमें रिवाल्विंग फंड से लोन के रूप में जो नगर निगमों को या नगर पालिकाओं को धन दिया जाता है उसके सम्बन्ध में उसका जिक्र है तो लोन तो तभी स्वीकृत होगा जब वह नगर संस्थाएं, जिनको लोन मिलना है, वह उस पर सहमति व्यक्त करेंगे, तभी हो पायेगा। इसलिए मान्यवर, जब तक नगर निगम या नगर पालिका परिषद् स्वयं प्रस्ताव नहीं देंगे तब तक उनकी लाइबिलिटी फिक्स नहीं हो पायेगी, इसलिये उसमें दिया नहीं जा सकता। जहां तक सदन में घोषणा का सवाल है, मैंने कभी भी इस तरह की कोई घोषणा नहीं किया था और यह नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब से हम लोग विधायक हैं, दो सौ, सवा दो सौ हैण्डपम्प हम लोगों की संस्तुति पर लगते रहे हैं। इस सदन में आपने स्वयं कहा था कि हम टण्डन जी से बात कर लेंगे, दिखवा लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे और अब सरकार अगर देना चाहती है और नगर निगम अपनी संस्तुति नहीं देते हैं, पूरे प्रदेश में नहीं दे रहे हैं तो आपको यह व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए कि कुल 26 तो ऐसे विधायक हैं, आपने कुल मिलाकर पौने चार सौ का दे दिया और 26 विधायकों के लिये पिछले 8 महीने से इस सदन में बहस चल रही है। आप एक आदेश भी निकलवा रहे हैं तो उसका कहीं न कहीं तो उसका अनुपालन और सरकार की भावना तो स्पष्ट होनी चाहिए या सरकार यही कह दे कि हम शहरी क्षेत्र के विधायकों को यह सुविधा नहीं देंगे, बात खत्म हो जाय, कुछ तो कहे सरकार।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आप सबको सुविधा दे रहे, केवल शहरी क्षेत्र के विधायकों को नहीं दे रहे हैं। आप नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में क्यों अन्तर कर रहे हैं ? (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये सभी लोग शहरी क्षेत्रों पर कहना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस बात को आप देख लें, थोड़ा निवदेन है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, इसीलिये मैं एक साथ 4-4 विधायकों को खड़ा कर रहा हूं ताकि वह जल्दी बोल लें।

(हंसी)

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से ग्रामीण अंचल ऐसे हैं और हमारे यहां मलिहाबाद क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से गांव हैं जो नगरीय क्षेत्र में आ गये हैं तो उनमें भी हम हैण्डपम्प नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें हैण्डपम्प लगाने की अनुमति देने पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम 300 में नहीं आता है अतः इसको अग्राह्य करते हैं। चूंकि यह विकास से जुड़ी भावनायें हैं इसलिये मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा एवं उनके भाई श्री अशोक चौहान पर हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं नोएडा, गौतमबुद्धनगर में रहता हूं और वहीं पर मेरा परिवार रहता है। अभी 6 फरवरी को दिन में डेढ़ बजे ग्रेटर नोएडा में एक घटना हुई और इसमें सेक्टर 22 के यूसुफ और शहाबुद्दीन मारे गये। उन्होंने डी0जी0पी0, डी0आई0जी0 और तमाम जगह पर अपनी दरख्वास्तें दे रखी थीं और अदालत में एस0एस0पी0 ने आश्वासन दिया था कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और पुलिस की है, वह उनकी सुरक्षा करेगी। उसके बावजूद भी दिन में डेढ़ बजे कासना चौराहे पर जहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहां पर उनको गाड़ी से उतार गोलियों से भून दिया गया और उनमें से एक शहाबुद्दीन जिसके पैर में गोली लगी थी वह बराबर पुलिस को सहायता

के लिये फोन करता रहा लेकिन पुलिस ने उसकी अनदेखी की और वहां के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तक ने भी इसकी अनदेखी की और काफी देर बाद पुलिस वैन आयी और उसे अस्पताल ले गयी, उस समय वह पूरे होशोहवास में था। लेकिन उसके जो परिजन हैं उनका मानना है कि पुलिस की कस्टडी में उसको गोली मारी गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सुरक्षा के सवाल पर बोलिए।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, जब मेरी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है तो मुझे थोड़ा मौका दें। मान्यवर, इस घटना से पूरे गौतमबुद्धनगर में भय और पलायन की स्थिति है। तमाम दलों के लोग उनके घर गये। शोक सभा में गये।

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या खतरा है ? इस पर बोलिए।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, हमें धमकी दी जा रही है। हमारे घर पर संदिग्ध लोग गाड़ियों पर घूम रहे हैं। अभी परसों श्री अमर सिंह जी ने उनके यहां एक-एक लाख रुपये दिये। मान्यवर, जब हमारा कोई नेता जाता है तो हमें भी जाना पड़ता है और यह बिल्कुल पड़ोस की बात है तो हमें भी वहां जाना पड़ता है लेकिन इसको लेकर हमें धमकियां मिल रही हैं। मान्यवर, 12 जुलाई, 2002 को रात को मेरे घर पर हमला हुआ। मेरे पड़ोस में कांग्रेस के एक बड़े नेता रहते हैं तो उनका ड्राइवर और बच्चा जागे तो वह भागे तो उसमें एक अपराधी मिला। उसका कुछ नहीं पाता और उसका केस भी नहीं खुला। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जान को भी खतरा है। कुछ भी वारदात हो सकती है। पूरा क्षेत्र सहमा हुआ है इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि उसमें जांच करा लें और हमें सुरक्षा देने के निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री मदन चौहान और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है लेकिन यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिये इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि मा0 विधायक जी की सुरक्षा करें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता के परिवार को जिला पुलिस, सीतापुर द्वारा अनावश्यक प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद सीतापुर में मिश्रिख कोतवाली के अन्तर्गत एक उप निरीक्षक की तैनाती की जाती है चार जनवरी को, वह प्रभारी निरीक्षक का चार्ज ले लेते

हैं और 6 तारीख को जो हमारे पिताजी इस सदन के सदस्य रहे हैं आपके साथ रहे हैं [x x x] एन0सी0आर0 5/8 लिखी गई हमारे यहां गाली देकर चले गये, लिखते हैं। उस एन0सी0आर0 के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाता है हमारे पिताजी और चचेरे भाई के ऊपर। उच्च न्यायालय द्वारा एक तारीख को स्थगन आदेश दिया जाता है और उसके बाद चार फरवरी को पूरा पुलिस दल हमारे घर पर खड़ा हो जाता है, महिला पुलिस के बगैर, वारन्ट के बगैर। स्थगन आदेश हो जाने के बाद भी घर जाकर प्रताड़ित करने का काम किया। यही उप निरीक्षक 28-29 तारीख को तीन चार लड़कों को पकड़ लिया, उनके घर वालों को टेलीग्राम किया। अपराध संख्या-67, 68, 69/2008 में उन सभी लड़कों को फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है। आप कृपया बैठ जायें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, हम यही कहना चाहते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करा लें। इसकी जांच सीतापुर से हटा लें और कहीं और से करा लें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आप यूपीकोका लेकर आये हैं यह अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें आपकी बात आ गई है।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो अच्छा होगा और आगे किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी।

सेन्ट्रल जेल, वाराणसी में डिप्टी व वरिष्ठ जेलर द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद यादव के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं बनारस सेन्ट्रल जेल गया था वहां पर मेरे क्षेत्र के तीन चार आदमी बन्द हैं। दिनांक 27-1-08 को 3 बजे मैं पहुंचा और मैंने बताया कि मैं विधायक हूं। वहां पर डिप्टी व वरिष्ठ जेलर ने बाहर आधे घण्टे से ज्यादा बैठाये रखा। मैंने पर्ची भेजा तो अन्दर बुलाने का काम किया। इस विलम्ब से प्रोटोकाल का उल्लंघन हुआ है। एक माननीय सदस्य के सम्मान को धब्बा लगा है। डिप्टी जेलर, वरिष्ठ जेलर एस0पी0 जाते हैं तो बड़ा गेट खोलकर अन्दर किया जाता है। मगर हम दुःख के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे साथ अपमान हुआ, हमको छोटा गेट खोल करके अन्दर ले जाने का कार्य किया गया और वहां अन्दर ले जाकर के मुझे एक घण्टे

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तक बैठाया रखा और एक घण्टे के बाद मैंने दोबारा उनसे कहा कि आप मुझे बताइये कि मैंने पर्ची भेजा कि फलां-फलां को बुलवा लाइये, वह हमारे क्षेत्र के लोग हैं, तो फिर उन्होंने बुलाने का काम किया और मैं उनसे मुलाकात कर सका। तो मान्यवर, यह हालत है, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों सबका सम्मान एक है अगर विधायकों के सम्मान के ऊपर आंच आती है तो हमारे जैसा आदमी उसको कतई बर्दास्त नहीं कर सकता है। अगर अधिकारियों के पास जाइये, चाहे डी0एम0 हो, एस0डी0ओ0 हो या अन्य कोई हो, वह कुर्सी पर बैठा रहता है उठता नहीं है, हमारे सम्मान को त्याग करके प्रोटोकाल भी नहीं देते हैं अगर हम जनता का काम लेकर उनके पास जाने का काम करते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा बहुत से माननीय सदस्यों के साथ हुआ है, मैं लिखित रूप से आपको दिये दे रहा हूं, आप इसकी जांच करा कर वरिष्ठ जेलर और डिप्टी जेलर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जायें। संसदीय कार्य मंत्री जी इनका कहना है कि इनको सम्मान नहीं मिला है, कार्यवाही कराई जाये।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

कार्यवाही कराई जायेगी, इसको दिखवा लिया जायेगा।

पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 (दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से 6 दिसम्बर, 2007 तक) के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 (दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 से 06 दिसम्बर, 2007 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश 14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 12 फरवरी, 2008 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है। मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफाशि विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2008 की बैठक में दिनांक 15 फरवरी, 2008 के उपवेशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 15 फरवरी, 2008 को प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 15 फरवरी, 2008 को नियम 51 व 301 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं तथा नियम 56, 300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

3-दिनांक 15 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 16-9-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-9 लेता हूं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के ऊपर लिखा था, यहां पर माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बैठे हैं, वे अक्सर अपनी बात शेरो शायरी से कहते हैं उनसे अनुरोध है कि जरा मुझे भी सुनेंगे।

"सिर से सीने में कहीं,
पेट से पांव में कहीं,
एक जगह हो तो कहें,
दर्द इधर होता है।"

इसी तरह से मुनव्वर राणा का शेर है-

"एक दो जख्म नहीं,
जिस्म है सारा छलनी,
दर्द बेचारा परेशां है,
कहां से गुजरे।"

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आपने शेर पढ़ा है, आपकी अनुमति हो तो मैं दो लाइन की एक कविता पढ़ दूं।

"पहले जोड़ और गुणन खंड थे हम,
इसलिये अखंड थे।
अब बाकी और भिन्न हैं,
इसलिये खिन्न हैं आप।"

(मेजों की थपथपाहट)

---

† दिनांक 12 फरवरी, 2008 की कार्यवाही से।
* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, खिन्न हम आप से नहीं, खिन्न व्यवस्था से हैं। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के इस पुलिन्दे में दो बातें कही गई हैं "सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय" तथा "समतामूलक समाज व्यवस्था"। मान्यवर, यह सर्वजन हिताय का नारा जो है नारा तो सर्वजन हिताय का है लेकिन व्यवहार में कितने सर्वजनों का हित हो रहा है इसको आप देख सकते हैं इस अभिभाषण से तथा माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस बजट से भी। मान्यवर, व्यवहार में, चरित्र में, सर्वजनों का हित कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। पीने के पानी में आज राजनीति है।

(इस समय 2 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्दिरा आवास दिये जा रहे हैं उसमें राजनीति है। सड़कों के संबंध में राजनीति है। जितने विकास कार्य हो रहे हैं सबमें राजनीति की बू आ रही है उसमें कहीं भी सर्वजनों के हितों से सम्बन्धित दर्द दिखाई नहीं देता है। अगर कहीं दिखाई पड़ता तो मैं आपकी तारीफ जरूर करता। कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। अब इस बात पर राजनीति है कि कहां-कहां पर नल लगेंगे। इन्दिरा आवास की व्यवस्था जो 60 और 40 के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती थीं और जो व्यवस्था वर्तमान में लागू की गई है उसमें सामान्य जनों का हित बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि अम्बेडकर ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कें ठीक करा दी जायेंगी। पिछली सरकार के समय में जो सड़कें स्वीकृत हुई थीं उनको पूरा करने की बात इसमें दिखाई जाती है कि उसके लिये इतने बजट का आवंटन किया गया है और यह सरकार की योजना है। ऐसा नहीं है। मान्यवर, पिछली सरकार में वर्ष 2006-2007 में सारे विधायकों को 5-5 कि0मी0 की सड़कें आवंटित की गई थीं उसमें कहीं कंक्रीट पड़ा है, कहीं कुटाई हुई है कहीं लेपन स्तर में प्रथम चरण का कार्य ही हुआ है, लेकिन सारे के सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। आप इसमें उन अधूरे कामों को पूरा करने की बात कहते । आप जो सर्वजन हिताय और समतामूलक समाज की बात कह रहे हैं यह तो विषमतामूलक बात हो रही है। इसमें इस बात की बू आती है कि आपने मन बना लिया है कि आप उन अधूरे कामों को पूरा नहीं करेंगे जो पिछली सरकार के समय में शुरू हुए थे।

मान्यवर, बिजली विकास की रीढ़ है हम स्वागत करेंगे कि 3800 ग्रामों में आप विद्युतीकरण की बात करते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं आप अनुभवी हैं, बहुत योग्य हैं और बहुत दिनों से यह विभाग देख रहे हैं। बिजली के संबंध में 2012 का सब्जबाग दिखाया गया कि 2012 में हम साढ़े दस हजार मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे देंगे। मान्यवर, जरूरत आज है, भूख आज लगी है, आवश्यकता आज है, आखिरकार क्या शार्ट टर्म प्लानिंग है इस सरकार की कि हम बिजली को कैसे दे देंगे। उत्तर प्रदेश में आज आवश्यकता है 7 हजार मेगावाट की 7500 मेगावाट की बिजली की, उसके लिये न तो राज्यपाल के अभिभाषण में एक लाइन कही गई मैं ढूंढता रहा बजट में उसमें एक लाइन नहीं कही गई। आज होना चाहिये कि जितने भी निजी

क्षेत्र के मिल हैं बिजली पैदा करते हैं। उनके कैप्टिव पावर प्लांट है उनके अपने उत्पादन से फालतू बिजली उनके पास है कहीं 16 मेगावाट, कहीं 17 मेगावाट, कहीं 20 मेगावाट, कहीं 50 मेगावाट, उसको अगर क्रय करके उत्तर प्रदेश के छात्रों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों के हित में यह सरकार पूरे प्रदेश की बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है तो कटौती की एक घंटे की भी आवश्यकता नहीं होगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मंत्री का ध्यान इस मंच पर आकर्षित किया था इस असेम्बली में कई सवाल भी लाया लेकिन वह लोग जो बिजली सरप्लस पैदा करते है उनसे, मेरे सवाल के जवाब में मुझे उत्तर मिला कि एक जो हमारे माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी पूर्व अध्यक्ष का क्षेत्र है उनके यहां पर केवल एक स्थान पर केवल 13 मेगावाट क्रय करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। चीज उपलब्ध है केवल इच्छाशक्ति की बात है। अगर यह सरकार इच्छाशक्ति बना ले कि हमको कल से 24 घंटे इस क्षेत्र को बिजली देनी है तो कोई नामुमकिन चीज नहीं है। इसलिये मेरा बल है इस बात पर कि शार्ट टर्म प्लानिंग के तहत बिजली अभी तुरन्त आज कल दे, इसी फरवरी के महीने में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। 7000, 7500 मेगावाट की बिजली उन लोगों से ली जा सकती है तो लोग सरप्लस बिजली पैदा करते हैं। बिजली की जो व्यवस्था लागू की गयी, अभी तक बिजली सम्बन्धित है सिंचाई से। निजी नलकूपों के कनेक्शन 10 हजार 15 हजार में हो जाया करते थे किसी का ज्यादा इस्टीमेट बनता था तो 20 हजार में निजी नलकूपों के कनेक्शन हो जाया करते थे। नई व्यवस्था के अनुसार लगभग 1 लाख 40 हजार रुपया एक किसान को निजी नलकूप के लिये देना पड़ेगा। यह कौन सा हित है। इसमें सिंचाई का हित है या बिजली विभाग का हित है आखिरकार कौन सी मजबूरी है वह लोग जो बिजली का कनेक्शन लेकर इस देश की प्रदेश की पैदावार को बढ़ाते हैं जो उत्पादन में वृद्धि में अपना नाम दर्ज कराते हैं उनको बिजली कनेक्शन में यह तो कहा गया कि 43 हजार रुपया सरकार देगी सब्सिडी के रूप में लेकिन उन लोगों का जो इस्टीमेट बनकर आता है मैंने नहीं सुना कि 1 लाख 30 हजार से कम किसी का इस्टीमेट बनकर आया हो। नतीजा क्या हुआ कि एक काश्तकार जो इस सरकार के बनने के पहले 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार में एक निजी नलकूप का कनेक्शन हासिल कर सकता था उसको आज 90 हजार रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। क्या वह बिजली का कनेक्शन लेने की स्थिति में है 90 हजार रुपया अतिरिक्त दे करके, यह सोचा जाना चाहिए। आखिरकार कौन से सर्वजन का हित हो रहा है। बिजली के सम्बन्ध में ही मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के तहत कुछ जनपदों को आच्छादित किया गया वहां पर सम्पूर्ण लाइनें बदली गयी, सब-स्टेशन नये लगाये गये, नये तार, खम्भे बदले गये, लेकिन 50-50, 60-60, 70-70 प्रतिशत काम करके उस योजना को अधूरा छोड़ दिया गया। आज जब हम पूछते हैं मध्यांचल के विद्युत अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि हमें इसके सम्बन्ध में पैसा नहीं मिला। वह पैसे की बात करते हैं। ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के तहत आज अधिकारियों के पास 75 प्रतिशत 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत काम करके एक गली तक खम्भा पहुंचाया उसके अन्दर वाली गली को छोड़ दिया। जो असेवित है जहां पर सबसे ज्यादा

जरूरत है। यह सरकार रात दिन जिसकी बात कहती है अपने बयान में और जब भी कभी बात आती है तो दलितों, कमजोर और गरीबों की बात करती है और उन असेवित बस्तियों को उस योजना से आज भी वंचित किया गया है केवल मान्यवर, पैसे के अभाव में। मान्यवर, ट्रांसफार्मर के तेल चोरी होने की बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कोई स्थाई व्यवस्था इस प्रदेश में लागू नहीं हुई। मान्यवर, कम्प्लेन जो छोटी-छोटी की जाती है, वह अटैण्ड नहीं होती। मान्यवर, चूंकि मैं नगर क्षेत्र से आता हूं, इसलिये विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। नगरीय क्षेत्र के विधायकों की और नगरीय क्षेत्र की जनता की समस्याओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय दोस्त पीने के पानी के सम्बन्ध में अपनी बात कह रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें, 10 मिनट का समय आपको आवंटित था, वह पूरा हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नगरों में कितनी बड़ी समस्या है सफाई की। 10 हजार से अधिक आबादी के ऊपर सफाई कर्मियों का एक मानक बना हुआ है, कितने नगरों में मानक के अनुसार सफाई के कर्मचारी हैं ? मान्यवर, दोनों शिफ्टों में काम होने की व्यवस्था है, दोनों शिफ्टों में काम होना चाहिए लेकिन नहीं होता। मान्यवर, नगरों में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। न अतिक्रमण हटाने की कोई व्यवस्था है और न दुबारा अतिक्रमण हो, न उसके लिये कोई व्यवस्था लागू की गयी है। डूडा, जिसमें मान्यवर, कमेटी डिफेक्ट हो गयी, जिसमें कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया। न तो नई कमेटियां बनीं और विधायकों को भी उसमें अधिकार नहीं हैं माननीय मंत्री जी अभी खड़े होंगे और कहेंगे कि यह तो केन्द्र सरकार की योजना के तहत है। केन्द्र सरकार की योजना के तहत, लेकिन उसमें किसी न किसी रूप में विधायकों का समावेश होना चाहिए जो नगरीय क्षेत्र के विधायक हैं, नहीं तो न जनता के साथ न्याय हो पायेगा और न ही उनके साथ न्याय हो पायेगा। सीवर लाइनें बनी पड़ी हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, वह चालू नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें खन्ना साहब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, नगरीय क्षेत्र में आज आवश्यकता है पार्किंग की, नगरीय क्षेत्र में आज आवश्यकता है पेशाबघर की, उसके लिये जब मैंने सवाल विधान सभा में लगाया तो मुझे जवाब मिल गया कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन डेवलपमेंट मिशन के सामने यह बातें रखी जा सकती हैं, आप भी इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प नगरीय क्षेत्रों में खराब पड़े हैं, उनको ठीक कराने की मान्यवर, कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ताज एक्सप्रेस वे में नई सड़कों का प्रस्ताव, 2375 किमी0 2007 में,

2008-2009 में 3500 किमी0 नये मार्गों का निर्माण, मान्यवर, यह बात तो हो गयी लेकिन मान्यवर, यहां यह कहा गया कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोकदल या कांग्रेस के कितने विधायकों के कितने प्रस्तावों पर कितनी सड़कें आवंटित की गयीं, मुझे नहीं मालूम। कम से कम मेरे प्रस्ताव पर तो एक किमी0 या एक मीटर सड़क भी आवंटित इस सरकार में नहीं हुई। जब से छठी बार से विधायक बना हूं, पिछले 6 बार से शाहजहांपुर से विधायक रहा हूं, तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के विधायकों को कुछ न कुछ सड़कों का अंशदान/योगदान न हो। यह पहली ऐसी सरकार है जिसमें हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम एक किमी0 सड़क भी अपने विधान सभा क्षेत्र में बनवायें ।

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना साहब, कृपया समाप्त करें, आपको 10 मिनट का समय ही आवंटित था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की समस्या कल सदन के सामने आयी थी। बुन्देलखण्ड के लिये हमारी मांग यह है कि पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। जो 300 करोड़ की बात हुई है और केवल बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, उससे काम नहीं चलेगा। वहां पर पशुओं के चारे तक की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मान्यवर, केवल एक बात कहना चाहता हूं, पी0एच0सी0 बढ़ाई जा रही हैं, 701 निर्माणधीन हैं, 600 नई पी0एच0सी0 बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन डाक्टरों की कमी पूरी करने की कोई योजना इस सरकार ने नहीं बनाई है। नये डाक्टर पैदा नहीं हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

एक मिनट भी समाप्त हो चुका है, कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू होनी चाहिए, जल-स्तर को ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास होना चाहिए, गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयास होने चाहिए। अन्त में मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, प्रिवेन्शन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर, मान्यवर, योग को अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। जिन विद्यालयों में 100 से ज्यादा लड़के-लड़कियां हैं वहां पर डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू

करके ही मैं समझता हूं कि प्रदेश के छात्रों का भविष्य बनाने में आप कुछ योगदान कर पायेंगे, धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए उसके पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं महामहिम श्री राज्यपाल के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर कुछ संशोधन रखना चाहता हूं। अगर इस अभिभाषण की परिभाषा देना हो तो मैं यही कह सकता हूं कि अधिष्ठाता महोदय यह एक राह भटकी हुई सरकार का एक ऐसा नक्शा है, जिस पर चलकर गरीब आदमी और गरीब होगा, तबाह और बरबाद होगा और यह उत्तर प्रदेश कुछ चन्द पूंजीपतियों की मुट्ठी में समा जायेगा। अभिभाषण का मतलब यह होता है कि सरकार अपनी नियति और दिशा अभिभाषण के माध्यम से पूरे वर्ष का बताती है। इसीलिये यह परम्परा रही है कि अभिभाषण हो और उसमें सरकार किधर जाना चाहती है, क्या करना चाहती है उसका लेखा-जोखा हो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह हर स्तर पर असफल सरकार का एक तरह का हलफनामा है, जिसमें स्वीकारोक्ति है कि हम असफल हो चुके हैं, हमारे पास सफलता की कोई राह नहीं है, इसी का हर पैराग्राफ में, हर लाइन में जिक्र है। आज असलियत यही है और यह मैं वरिष्ठ मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा था कि सुल्तानपुर में दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया, केवल इस बात के लिये कि उन्होंने अपने जिले के विकास पर लिखी हुई पुस्तक में एक स्थानीय सांसद का जिक्र कर दिया। इससे ज्यादा अधिकारियों का राजनीतीकरण कभी नहीं हुआ। मान्यवर, एक जिलाधिकारी जब अपने जिले के विकास की गाथा लिखेगा तो उस क्षेत्र के विधायक/सांसद का जिक्र नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी सांसद/विधायक का जिक्र करेगा और केवल इसी बात पर उसे निलम्बित कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पूरी तरह से नौकरशाही का राजनीतीकरण कर दिया है या ऐसे कहें कि यह सरकार पूरी तरह से नौकरशाही की मुट्ठी में आ गयी है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का बुरा हाल है, जो लोग देख करके आये हैं या जो लोग वहां रह रहे हैं, वही अच्छी तरह से जानते हैं। चार साल से वहां सूखा पड़ा हुआ है, सूखा दैवीय आपदा है, मैं आरोप-प्रत्यारोप पर समय नहीं बरबाद करना चाहता बल्कि एक आम सुझाव देना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड में हो क्या रहा है, चाहे जितने वायदे किये जायें आज हालत यह है कि बुन्देलखंण्ड में गरीब भूख से मर रहा है। आज हालत यह है कि वहां का किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हजारों लोगों की जानें बुन्देलखण्ड में चली गई हैं और कौन सा बुन्देलखण्ड इस देश से दूर बसा हुआ नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश का बुन्देलखण्ड नहीं है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बुन्देलखण्ड है और जहां बुन्देलखण्ड में लोग भूख से मर रहे हों, आत्महत्या कर रहे हों। वह सरकार कितनी सफल है, इसका सबसे बड़ा पैमाना बुन्देलखण्ड के हालात हैं। अगर बुन्देलखण्ड में सरकार सफल होती तो लोग वहां से पलायन क्यों कर रहे हैं ?

मैं पूछना चाहता हूं कि किसी स्टेशन पर चले जाइये, लोग यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जो पहली गाड़ी मिलती है उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस उद्देश्य से कि कम से कम बुन्देलखण्ड से बाहर निकलो, शायद रोजी-रोटी मिल जाए। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि कहीं से कटौती करो, जो चाहे सो करो लेकिन बुन्देलखण्ड में भूख से मरती हुई तबाह होती हुई अवाम के लिये तत्काल राहत वाले कदम उठायें, लम्बे कदम का जिक्र न करें, कल कैसे शाम का खाना बनेगा, कल क्या हाल होगा, उसका इंतजाम करें। जैसा कि मैंने कल सुझाव दिया था बीमा कम्पनियों पर करोड़ों रुपया बकाया है लेकिन सही तालमेल नहीं है इसलिये बीमा कम्पनियां नहीं दे रही हैं मैं फिर सुझाव दे रहा हूं कि बीमा कम्पनियों से बीमा का पैसा दिलाया जाए क्योंकि उनकी एकमात्र शर्त होती है कि उस तालुका में, उस गांव में या उस ब्लाक में प्रभावित होना चाहिए। यहां तो पूरा जिला प्रभावित है, कमिश्नरी प्रभावित है। बीमा कम्पनियां क्यों नहीं बीमा योजना का पैसा दे रही हैं ? कहीं न कहीं कोई कमी है, जिस स्तर पर कमी हो उस कमी को दूर कीजिए, करोड़ों रुपया बुन्देलखण्ड को मिल जायेगा और जो बीमा कम्पनियों को देना है उसको सरकार दिलवा नहीं पा रही है, यह मेरा सुझाव है कि उसको सरकार दिलवाये। मान्यवर, एक यहां पर सिपाहियों के बर्खास्तगी की बात आयी हैं कई अधिकारी बर्खास्त हुए, मैं किसी बेईमान या भ्रष्टाचारी का पक्षधर नहीं हूं अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कीजिए, मेरा समर्थन है लेकिन जो बेगुनाह कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सारी उम्मीदें ले करके सिपाही बने हैं। एक सर्वे करवा लीजिए, आप रेण्डम टेस्ट करवा लीजिए अगर वह मिनिमम क्वालीफिकेशन पूरा करते हैं, हर पैमाने पर खरे उतरते हैं तो उसको बहाल कर दीजिए और जो उनमें पास न हों उनको निकालिये। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा किया जायेगा तो 18 हजार में से 15 हजार लोग पात्रता में खरे उतरेंगे। उन 15 हजार लोगों का भविष्य अंधकार में मत डालिये। मैं फिर कह दूं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करिये, मेरा पूरा समर्थन है। मान्यवर, छात्र संघों को समाप्त किया गया है। एक तरफ सरकार न्याय की बात करती है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइड लाइन दिया है, उस गाइड लाइन के तहत चुनाव कराइये, मेधावी छात्रों को छात्रसंघ का पदाधिकारी बनने दीजिए। पेशेवर राजनीतिज्ञ छात्रसंघ में न जायं, इनको अलग कीजिए। लेकिन अगर छात्रसंघों को समाप्त कर देंगे तो मैं इस पर कहना चाहूंगा कि यह वह नर्सरी है जो आने वाले भविष्य के लिये देश को नेतृत्व देती है, अगर वह समाप्त हो गयी तो भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, छात्र संघों की बहाली होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री प्रमोद तिवारी-

जितना खन्ना जी बोले हैं उससे हम थोड़ा सा कम ही बोलेंगे क्योंकि मैं नेता हूं और यह नेता के दिये हुए अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। मान्यवर, मैं विधायिका के प्रोटोकाल के

सम्बन्ध में गम्भीरता से कहना चाहता हूं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं कहूंगा तो उसको आप मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं। आज विधायकों को, सिर्फ विधायकों का ही नहीं, मंत्रि-परिषद् के दो-चार वरिष्ठ सदस्यों को छोड़ दीजिए, उनको वह मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, जो मान-सम्मान विधायकों को पहले मिला करता था। मैं किसी सरकार का जिक्र नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि विधायकों का जो सम्मान पहले था आज वह सम्मान नहीं मिल रहा है। यह सब विरोधी दल के विधायकों के साथ नहीं सत्तारूढ़ दल के विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। एक जी0ओ0 ईशू हुआ था कि क्षेत्राधिकारी और एस0डी0एम0 अब मंत्री के यहां न जाया करें। अब प्रोटोकाल में थोड़ा सुधार हुआ है, संशोधन के साथ पारित हुआ है। जब मंत्री की यह औकात हो जायेगी कि एस0डी0एम0 भी उसके बुलाने पर नहीं जायेंगे, तो क्या डी0एम0, कमिश्नर जायेंगे और जब मंत्री के बुलाने पर नहीं जायेंगे तो हमारे विधायक क्या कर लेंगे ? अधिकारियों को इतनी ही काम करने की छूट दीजिए जहां विधायिका का अपमान न होता हो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रोटोकाल में विधायक को और मंत्रियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मान्यवर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जहां तक बात है वितरण व्यवस्था किसी समाज की खुशी का एक पैमाना होता है। वितरण व्यवस्था से मेरा मतलब गरीब को मिलने वाले अनाज, मिट्टी का तेल खाद और बीज से है। आप कहने को चाहे कुछ कह लीजिए सच्चाई यह है कि प्रदेश में फसल बुआई के समय डी0ए0पी0 नहीं मिली इसे स्वीकार करना पड़ेगां किसान रात-रात भर साधन सहकारी समितियों के सामने रुका लेकिन सुबह होते उसे लाठी मिली खाद नहीं मिली। मिली भी तो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये बोरी। इसे चाहे कोई मंत्री चुनौती के रूप में स्वीकार कर लें और मेरे साथ निकलें मैं दिखाऊंगा कि मिट्टी का तेल जिसका मूल्य 10-11 रुपये लीटर है यह काला बाजारी में 30-35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है इस मिट्टी के तेल से गरीब अपने घर में रोशनी करता है अगर गरीब के घर अंधेरा रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी वितरण व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, आप कितने अच्छे हैं मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, पूंजीपति और सरकार के साझेदारी की कहानी शुरू हो रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के हम विरोधी नहीं हैं लेकिन सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों को बेच दिया है। इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। सड़कों के लिये जितनी जमीन चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जमीन ली जा रही है जिससे सड़क बनाने में जो लागत आयेगी उसके बगल की जमीन को कई गुना में बेचकर कमा लिया जाय। गंगा के किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ है उसको जितना हो सके बचाना चाहिए मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विरोधी नहीं हूं लेकिन

मैं बेचीकरण का विरोधी हूं। आज एक नई परिभाषा लिखी जा रही है इसे बन्द किया जाय जब अपराधी किसी दूसरे दल में बैठा है तो वह अपराधो और जब सत्तापक्ष में पहुंच जाय तो वह समाज सुधारक बन जाता है। जो अपराधी होता है वह अपराधी ही रहता है चाहे वह किसी दल में रहे लेकिन जो नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि अपराधी दूसरे दल में हैं तो अपराधी और आपके दल में चला गया तो समाज सुधारक हो गया यह उचित नहीं है। इंगित अपराधी जिन्होंने आपके सामने घुटने टेक दिये उनसे मधुर रिश्ता बन रहा है और जो घुटने नहीं टेकता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। अपराधी चाहे किसी जाति का किसी धर्म का हो उसके विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अधिष्टाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

बस समाप्त कर रहा हूं। सरयू नहर परियोजना 1975 में शुरू हुई थी आज तक पूरी नहीं हुई है इसको जल्दी पूरा कराया जाय। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन सुझाव दे रहा हूं। खन्ना साहब ने कहा कि अगर इच्छाशक्ति हो तो 24 घण्टे बिजली दी जा सकती है मेरा कहना है कि बिजली इच्छाशक्ति से नहीं आती है इसके लिये जनरेशन करना होता है। मैं तीन साल इस विभाग में मंत्री रहा हूं मेरे बाद 1989 के बाद आज तक कोई पावर प्लांट नहीं लगा जब जनरेशन की व्यवस्था नहीं तो बिजली कहां से देंगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में उजाला रहे अमन और शांति रहे। मैंने अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे हैं उन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्टाता महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में सरकार की नीयत कहीं साफ नजर नहीं आती। इस सूबे के किसानों को, इस सूबे के नौजवानों को, इस सूबे के छात्रों को आज जिन हालातों में जीना पड़ रहा है, उनके लिये जिन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया है और न उन मुद्दों का इस अभिभाषण में कोई जिक्र है। बुन्देलखण्ड के बारे में इस सदन में भी और इस सदन से बाहर भी बहुत चर्चा हो रही है। निःसन्देह वहां बहुत विषम परिस्थिति है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सूबे के अन्दर जो डार्क ब्लाक हैं ज्यादातर पश्चिम के जिलों में हैं, हालांकि पूर्व में भी हैं परन्तु ज्यादा पश्चिम में हैं पूर्व में बुन्देलखण्ड से कम हैं। वहां पर नहरों में पानी की समस्या है, अन्डर ग्राउण्ड वाटर लेविल बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, वहां पर सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है। जो बड़े-बड़े नगर हैं उनमें पेयजल की समस्या है। इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा

रही है। सरकार को यह करना चाहिए कि डार्क घोषित ब्लाक के लिये विशेष कार्य योजनाएं पेयजल और सिंचाई के लिये बनानी चाहिए। लेकिन मान्यवर, खेद की बात है कि इन सबकी तरफ सरकार का ध्यान इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद दिखाई नहीं देता। मान्यवर, इस सूबे के अन्दर गन्ने के बाद अगर किसी फसल का रकबा है तो वह आलू का है। गन्ना जो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है लेकिन आलू इस सौभाग्य से वंचित है। पिछले जाड़ों में आलू को नुकसान हुआ था लेकिन खेद की बात है कि अखबारों में निकलने के बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बार-बार प्रेस में लिखने और बोलने के बाद भी, तमाम धरने प्रदर्शन के बाद भी आज तक सरकार द्वारा आलू की फसल का जाड़े से जो नुकसान हुआ था उसके लिये किसानों को जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह सहायता नहीं दी गयी है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि विगत वर्ष में डी0ए0पी0 का कोटा 10 हजार 500 मीट्रिक टन था। एक हमारे माननीय सदस्य ने आगामी वर्ष के लिये भी प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आगामी वर्ष के लिये भी यही कोटा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा कहीं भी खेती में उन्नति करने की है या किसानों की तरफ ध्यान रखने की है ? अगर सरकार की इस तरह की मंशा है तो हर वर्ष उर्वरक का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप नई तकनीकी से उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों पर जोर दे रहे हैं तो हर वर्ष इसकी मांग बढ़ेगी और उसके लिये आपको कोटा भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान खेती और किसानों की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बना देने से मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी इमारत बना देने से छात्रों को नहीं पढ़ाया जा सकता। यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में जरूर जिक्र किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये जरूर कहा गया है कि इसको पूरा किया जायेगा लेकिन माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो आप देखिये हर जगह शिक्षकों की कमी है और इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पायेंगे उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पायेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा ? बिल्डिंग बनी हुई तो दिखाई दे रही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इफरात में पैसा आ रहा है। उस पैसे के सदुपयोग से बिल्डिंग खड़ी की जा रही है लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और डाक्टरों की तो बेहद कमी, मरीज का इलाज किसी अस्पताल की बिल्डिंग या मशीन नहीं कर सकती है। मरीज का इलाज करने के लिये डाक्टर जरूरी है लेकिन यह खेद का विषय है कि डाक्टरों की नई भर्ती के बारे में, और यह कहा जाए कि प्राइवेट में बहुत पैसा कमा लिये इसलिये डाक्टर सरकारी सेवा में नहीं आना चाहते हैं तो उनके लिये कुछ इस तरह की घोषणा की जाए ताकि वह सरकारी सेवा की तरफ आकर्षित हों। किसी भी डाक्टर की नीयत होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीजों को अपने ज्ञान का लाभ दे। सरकारी सेवा में यह लाभ दिया जाना बहुत आसान है प्राइवेट के बजाए। लेकिन आप उसको किसी तरह से आश्वस्त करें कि आपका यहां हित सुरक्षित है तो वह यहां आना पसन्द भी

करेंगे। इसमें आपको नीति भी बनानी चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। मान्यवर, एक नया फैशन और चला है एक नया ताज एक्सप्रेस वे बनेगा। नोएडा से आगरा पहुंचायेगा, अभी तक तो आगरा से नोएडा कोई पहुंच नहीं रहा था। दिल्ली से आगरा कोई आ नहीं पा रहा था। 6-6 लेन के रास्ते राजमार्ग के बने हैं नया एक्सप्रेस वे बनेगा। 6-6 लेन के रास्ते बने हैं उनकी सारी जमीन उपलब्ध है उन्हीं को थोड़ा और चौड़ा कर दीजिए। उन्हीं को आठ लेन का बना दीजिए। आप क्या समझते हैं, जो जमुना की दशा हुई है वह इसलिये हुई है कि उसके आसपास बड़े-बड़े शहर बसे हुए थे। गंगा का पानी जो शुद्ध है वह इसलिये कि कानपुर से पहले कोई बड़ा शहर नहीं पड़ता है। अब आपने गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया, डेढ़ सौ मीटर चौड़ी सड़के बनाई जा रही हैं उसके लिये किसानों से जमीन ली जा रही है डकैती डाली जा रही है। सरकार एक प्रापर्टी एजेन्ट की तरह काम कर रही है कमीशन एजेन्ट की तरह काम कर रही है कोई भी व्यापारी चाहेगा कि एक कारीडोर मुझे दिया जाए। किसान की जमीन छीन ली जाए। जो हालात हैं मैं वह बयान कर रहा हूं। नदियों में प्रदूषण बढ़ेगा। गंगा जी जो जीवन दायनी है उसमें प्रदूषण बढ़ेगा। किसानों की जमीन छिनेगी। और उसके बाद उसका बेजा इस्तेमाल होगा। उस पर कालोनी बनायी जायेगी। मैं कहता हूं रास्ते के लिये आप सड़क ले लें। ताज एक्सप्रेस वे बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बनाइये खूब चौड़ा बना लीजिए। आठ लेन का बना लीजिए। लेकिन उसके सहारे जो और जमीन आप अधिग्रहण करेंगे वह व्यापारिक उद्देश्यों से इस्तेमाल होगी। तो फिर उसको आप मेहरबानी करके व्यापारिक न रहने दें। किसान और पूंजीपति तय कर लेंगे उसमें क्या करना है ? क्या दाम चाहिए ? रास्ते के नाम पर अधिग्रहीत करें यह ठीक नहीं है। इसमें किसी को एतराज नहीं होगा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इस अभिभाषण के अन्दर बहुत सारी सड़कों का जिक्र किया गया है कि बहुत से नये मार्ग बनाये जायेंगे। अच्छी बात है। हमारा सिस्टम पर यह आरोप नहीं है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन किसी सरकार की ओर देखें नये अवस्थापना कार्य करने पर बड़ा जोर रहता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जितना जरूरी है उतना ही उसका मेन्टीनेन्स जरूरी है। पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेन्टीनेंस में हमने कितना पैसा दिया इसकी बात नहीं आती है। हमारे यहां पहले बहुत सी सड़कें बन गयी। वह टूटी-फूटी पड़ी हैं। उनके बारे में विधान सभा में प्रश्न करें तो उसका जवाब आता है कि अमुक सड़क लोक निर्माण विभाग में नहीं आती है लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है तो क्या हुआ, है तो सरकार के स्वामित्व में। सरकार उसकी मेन्टीनेंस कराये। नेशनल हाईवे 93, माननीय ऊर्जा मंत्री उसी जनपद से आते हैं पूरी इनकी विधान सभा नेशनल हाईवे 93 की है। रोज अखबार में पढ़ते हैं कि अधिकारियों को धमकाया। नेशनल हाईवे राजमार्ग की यह स्थिति है उस पर नहीं चल सकते हैं नेशनल हाईवे 93 आगरा से लेकर अलीगढ़ तक आप टाप गेयर गाड़ी में शायद चार-छः किलोमीटर में लगा सकते हो सब जगह टाप गेयर में नहीं चल सकते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत है। अवस्थापना पर जोर देना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ मेन्टीनेंस पर जोर देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप कर दें।

डा0 अनिल चौधरी-

विभाग ने सड़कें बना दी, जिला पंचायत ने सड़कें बना दी लेकिन उसके मेन्टीनेंस के लिये पैसा नहीं है और बहुत सारी बातें हैं। आप संक्षेप में कह रहे हैं नये जिले बना दिये गये। प्रशासन थोड़ा चुस्त रहेगा, नई तहसीलें बना दें लेकिन उनकी अवस्थापना के लिये क्या होगा ? मान्यवर, मैं जिस जनपद से आता हूं, वहां जेल नहीं है, स्टेडियम नहीं है, अधिकारियों के कार्यालय और उनके रहने के लिये व्यवस्था नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि क्यों वहां अधिकारी और कर्मचारी जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके रहने के लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं है। किसी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ले ली और उसमें जिला स्तर का कार्यालय चल रहे हैं। मान्यवर, केवल जिला बना देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिये एक नीति बनायें जिससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़े कि हम जनपद बनाकर ही नहीं छोड़ देंगे बल्कि उस पर काम भी होगा। मान्यवर, मैं अनुरोध करते हुए, एक दो बातें और कहना चाहता हूं, मेरा विशेष अनुरोध है कि जो डार्क ब्लाक हैं, उसमें भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये, यहां पर मा0 सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं, ये डार्क ब्लाक जो हैं या नहरों की टेल पर है, सामान्य नलकूप कनेक्शन का लाभ इन डार्क ब्लाकों को नहीं मिलता है, वहां पर फ्री बोरिंग की भी व्यवस्था नहीं है। आप कहते हैं कि टेल पर हम पानी पहुंचा रहे हैं यदि इन डार्क ब्लाक की नहरी सिस्टम को टेल पर देख लें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हैं उनकी टेल भी देख लें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, आज आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अपनी बात कहने से पहले 8 फरवरी को इस गरिमामयी सदन में कुछ विपक्ष के साथियों द्वारा असंसदीय एवं अमर्यादित कृत्य करने के लिये मैं उन सभी कृत्यों की घोर निन्दा करता हूं। एक तरफ तो यह समाजवाद का थोथा नारा भोली-भाली जनता के बीच में देते हैं और दूसरी तरफ इस गरिमामयी सदन में इस तरह के कृत्य करने का काम करते हैं। फिलहाल मैं इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मान्यवर, मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने बहुजन समाज के साथ सर्वजन समाज के लोगों को जोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिये "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" का नारा दिया जिसके कारण आज पूरा भारत देश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देख आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 कुमारी बहन मायावती जी की तरफ आशाभरी निगाहों से देख रहा है। आज वह कथन चरितार्थ होता नजर आ रहा है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी, 1950 को इस देश का संविधान सौंपते संजोया था। आज जब पूरे प्रदेश में समतामूलक समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, जिसके कारण उत्तर में ही नहीं, पूरे देश में आज लोग बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं और जब बहन कुमारी मायावती जी का प्रभाव बढ़ रहा है तो इस देश में आजादी के बाद से ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों को और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शोषितों और मजलूमों पर जुल्म करने वाली पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मान्यवर, मेरा कहना है कि-

याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को,
जो रोक दिया करते हैं बढ़ते हुए तूफानों को,
जिंदगी कदम चूम लेती है, सजा देते हैं जो उजड़े हुए वीरानों को।

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी इस देश में रोटी, कपड़ा के लिये जो समाज सदियों से महरूम है, उनको सजाने संवारने का काम कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बजट में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं दैनिक मजदूरी को दुगुना करके उन्हें सजाने संवारने का काम किया है और आज पूरे प्रदेश में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना, मान्यवर, कांशीराम साहब नगरीय विकास योजना, बाबा साहब अम्बेडकर विकास योजना के तहत जब गरीब मजलूमों को सजाने संवारने की बात कर रही हैं तो उससे देश के सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें साम, दाम, दण्ड, भेद को अपनाकर करोड़ों मजलूमों की जुबान बहन कुमारी मायावती जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरा कहना है कि-

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वह शमा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे।

मान्यवर, आज गरीब समाज की आशाएं बहन कुमारी मायावती जी की तरफ लगी हैं और आज पूरे देश के सर्वजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की सत्ता पर आसीन देखना चाहते हैं तो विरोधी पार्टियों के पेट में इससे दर्द है। कभी सदन में गुब्बारे उड़ाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। मैं यहां पर पहली बार आया हूं। मैं लोक सभा का सदस्य भी रहा हूं। मैं सोचता था कि जो कहते हैं कि मैं 8 बार, 6 बार चुनकर आया हूं उनसे यहां कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि-

"कर सको तो अपनी वाणी में वह असर पैदा करो,
बदल दे जो रुख हवाओं का वह हुनर पैदा करो"
हो सके तो हर एक घर में बहन कुमारी मायावती जैसा,
नेता पैदा करो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं इस सदन में विगत 35 सालों से आ रहा हूं और इन 5 मिनट में इन 35 सालों का अनुभव बताना मुश्किल है। लेकिन आपने आदेश दिया है तो कोशिश करूंगा। मान्यवर, मैं वर्ष 1974 में सबसे कम उम्र का विधायक चुनकर आया था और अभी तक मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हूं, पी0एच0डी0 कर रहा हूं, वह विषय अलग है। इलाहाबाद से शिक्षा शुरू हुई और अभी भी शिक्षा में हूं और इसलिये मैं अनावश्यक बातों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जिन संशोधनों का जिक्र किया है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने की परम्परा है वह हो रहा है। चूंकि शेर का सिलसिला चला है तो मैं कहना हूं कि "इतिहास के पन्नों ने वे दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई"। मान्यवर, सत्तापक्ष की आवाज नहीं दबती है, आवाज हमेशा विपक्ष की दबाने की कोशिश होती है। आपने जो बात कही है उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि :-

सत्तापक्ष की मजबूरी का ही जो समर्थन कर रहे हैं
न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी नामेदर को मेहरवां बनना ही पड़ता है।
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है,
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी नाले गिरां कहना ही पड़ता है,
बफैजे मसलेहत कभी ऐसा होता है जमाने में,
कि रहजन को भी मीरे कारवां कहना पड़ता ही है।"

हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपने कुछ अच्छी-अच्छी बात इसमें की है। मैं अनावश्यक रूप से कोई समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने अभी "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की बात की है। यह स्लोगन बहुत अच्छा है और वर्गविहीन, जातिविहीन, समतामूलक समाज की स्थापना करना यह हमारा भी लक्ष्य है। आपने जो नारा दिया है तो भगवान बुद्ध का वह संदेश याद आता है-"अयं निज परोवेतिगणना लघु चेतसाम् उदारचरितानाम् तु वसुधैवकुटुम्बकम" यह इस देश का यह नारा था तभी यह देश विश्वगुरू बना और भगवान बुद्ध का वह संदेश दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंचा। तो यह "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर चलने की जरूरत है। इस पर चलेंगे कैसे इस पर बड़े चिन्तन की जरूरत है। आपने पेज-1 पर इसका जिक्र किया था। पेज-2 में आपने कहा है कि पूरे प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण बनाने तथा कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है। हम इसमें से मुक्त की

जगह युक्त और युक्त की जगह मुक्त जोड़ दें तो यह हो जायेगा अन्याययुक्त, अपराधयुक्त, भययुक्त, भ्रष्टाचारयुक्त एवं विकास मुक्त हो जायेगा जो कि आपकी सरकार में हो रहा है। ऊर्जा नीति की बात कही गयी। मैंने एक-एक पृष्ठ को देखा है। ऊर्जा की उपलब्धता तथा औद्योगिक विकास की बात कही है, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो इस पर चिन्तन होना है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए सुझाव देता हूं क्योंकि आप काफी कटिबद्ध हैं, आपने कहा कि सरकार कटिबद्ध है तो कटिबद्ध कहां है ? जब चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति की बात करना एक सपना है जो विगत सरकार ने चौदह घंटे विद्युत आपूर्ति की थी वही आप बहाल कर दें। उसमें जो अड़चने हैं उसको आप देखिये और उसमें जो सहयोग चाहिए वह प्रदेश देने को तैयार है। एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गयीं प्राइवेट पार्टनरशिप करिये लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम अपंग हो जायें और प्राइवेट लोगों के चंगुल में फंस जायें। केन्द्र सरकार से ना टकराने की बात कही गयी। यह पृष्ठ-4 पर आपने कहा है। तो टकराहट तो इतनी हो रही है कि जो आप पैसा मांगते हैं वह देते नहीं हैं। आप कहते हैं कि टकरायेंगे नहीं और टकराते नहीं तो उनसे मिलता नहीं यह कैसी नीति आपकी है ? विशेष पैकेज देने की बात आपने की है। नैपाल से माओवादी और राष्ट्रविरोधी तत्वों के बारे में आपने कहा है। आप यूपीकोका कल लाये हैं आप देखें कि इसमें कैसे कानून बने ? लेकिन यह कानून निरपराध और निर्दोष लोगों पर लागू नहीं होगा यह भी सुनिश्चित किया जाय। गन्ना विकास और चीनी उद्योग का जिक्र आपने किया। तो कैसे गन्ना विकास होगा। कल गन्ने का काफी हो हल्ला हुआ था, लोगों का गन्ना खेतों पर खड़ा है वह बिक नहीं रहा है और लोग अपना गन्ना जला रहे हैं, उनको उनकी कीमत मिल नहीं पा रही है। यही आपका चीनी उद्योग का भी हाल है। राजकीय नलकूप में आधुनिकीकरण की बात आपने पृष्ठ-51 पर की है और पेज-35 पर आपने ऊर्जा विभाग की बात कही है। हम तो यह मान रहे थे कि पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिये कहेंगे लेकिन हम ऐसा सुनने को तरसते रह गये। इस पर विचार करिये, ये नहीं कि किसने शुरू किया था, जो अच्छा काम हो उसको आपको फालो करना चाहिए, जो न फॉलो कर सके उसकी व्यवस्था क्या है, उसके बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। आज वैकल्पिक ऊर्जा की जरूरत है, सोलर ऊर्जा का स्रोत हमारे पास हिन्दुस्तान में बहुत है, पश्चिमी देश जो हैं वे सोलर एनर्जी को नहीं इनकरेज करेंगे .क्योंकि अमेरिका के पास या अन्य पश्चिमी देशों के पास इतना सूरज नहीं है। हमारे पास हिन्दुस्तान में सूर्य की रोशनी अधिक है और सौर ऊर्जा को हम जितना प्राप्त कर सकेंगे वह उतना ही हमारे लिये उपयोगी होगा। ठीक है गंगा एक्सप्रेस हाईवे आपका गंगा के किनारे 900 किमी0 का बन रहा है, लेकिन उसमें गंगा के किनारे के किसानों की बड़ी मात्रा में जमीन जायेगी, उन किसानों का क्या होगा ? इसके बारे में गम्भीर चिन्तन करने की बात आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, मान्यवर, यह सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का प्रस्ताव अच्छा है, हमारे यहां मलिहाबाद में सुदृढ़ीकरण का मामला गया, मलिहाबाद तो ऐसा है तो करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, इसलिये मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी अनुरोध किया कि आप यहां ज्यादा बिजली देंगे जो करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित करता है और लाखों करोड़ों रुपया मण्डी शुल्क के रूप में देकर वह आपके उत्तर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाता है। आप वहां के लिये भी कटौती कर रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध यही है कि कटौती की है व न कर के छः सात बजे से विद्युत व्यवस्था कर दीजिए। जहां तक सुदृढ़ीकरण की बात है हमने सुदृढ़ीकरण के लिये कहा था, मलिहाबाद, माल, इटौंजा मार्ग के द्वारा तीन-तीन राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ना सम्भव हो जायेगा। आप की तरफ से कदाचित आ गया कि इसका औचित्य क्या है तो मेरा निवेदन है इसका औचित्य यही है कि यह पूरे दिल्ली तक को जोड़ता है, तीन-तीन राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ता है, माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं एक ही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि ये वक्त है, इस वक्त में आपको सम्भालना चाहिए और यही वक्त जो होता है 'टाईम एण्ड टाइट, वेट फॉर नन' घड़ी की टिकटिक और समुद्र का ज्वार, ये किसी की कभी प्रतीक्षा नहीं करता है, समय आगे बढ़ जाता है। हमारे जो भी कारनामे होंगे आने वाले समय में उसका परिणाम उसी के अनुसार मिलेगा और यही कहता हूं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि-

"वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से, तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से, चट्टान को हटना पड़ा है।"

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, आपने श्रीवास्तव जी का नाम लिया है मैं उन्हीं से आधा मिनट देने के लिये अनुरोध करता हूं और उस अवधि में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा कि-

"हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले आतसो आहन बहुत बुलंद सही,
पर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा,
और नये ख्याल की परवाज रोकने वालों,
उस नए आवाम की तलवार कौन रोकेगा।"

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, हम लोगों के सामने वर्ष 2008-2009 का बजट पेश है, इसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं, खासकर हम आठ लेन का उल्लेख करना चाहेंगे, ये पहले से स्थापित हाईवे और गंगा नदी के बीच में स्थापित हो रही है। वाराणसी में पूरा बलिया से नोएडा जाने वाली सड़क गंगा एक्सप्रेस वे पहले से स्थापित हाईवे के बीच में जा रही है वैज्ञानिकों के अनुसार यह अवैज्ञानिक है और साथ ही साथ अवैधानिक भी है। मान्यवर, इससे पूरे वाराणसी शहर में जल जमाव की समस्या बढ़ेगी, सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी। पूरे प्रदेश में जो उस क्षेत्र से सब्जी जा रही है उसकी आपूर्ति बन्द हो जायेगी। मैं इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहती हूं। हाईवे पर 8 लेन की सड़क पर विचार किया जा रहा है वह गलत रास्ते से जा रही है उसमें परिवर्तन किया जाये। मान्यवर, वाराणसी में आवास विकास परिषद् द्वारा हाईवे के दोनों तरफ आवास के बनाने के लिये जमीन को लेने की योजना बनायी गयी है। उसमें कृषि योग्य जमीनें ली जायेंगी। मान्यवर, आज जब कृषि की उत्पादकता दर गिर रही है उस स्थिति में अगर सरकार द्वारा इस तरह से कृषि योग्य जमानें छिनी जायेंगी और किसी न किसी बहाने से उसका उपयोग दूसरे कामों में किया जायेगा तो फिर कृषि की उत्पादकता दर कैसे बढ़ सकती है ? यह समझ में नहीं आता है कि बसे बसाये लोगों के घरों को उजाड़कर नये लोगों को बसाया जाये। यह बात कहां तक न्यायसंगत है। मान्यवर, अगर सरकार को नये भवन बनाने हैं तो वह ऊसर और बंजर भूमि पर बनाये जायें न कि बसे बसाये लोगों को किसी न किसी बहाने से उजाड़ा जाये। मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि आज प्रदेश में अपराधों की संख्या घट रही है। मान्यवर, जब थानों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी तो फिर अपराधों की संख्या तो घटती नजर आयेगी ही। मान्यवर, आज हो क्या रहा है अपराधियों की सीमा के अन्तर्गत विधायकों को भी शामिल किया जा रहा है। वाराणसी के सभी विधायकों को आज अपराधी थाने में घोषित किया जा रहा है। बस जुल्म क्या था कि दो घंटे का धरना हम लोगों ने दिया था बिना किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को छुए हुए। उस धरने से सार्वजनिक सम्पत्ति का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हम लोगों को आर्म्स ऐक्ट में फंसाया जा रहा है जिन्हें पिस्टल और रिवाल्वर में अन्तर नहीं पता। जिन्होंने पिस्टल को कभी छुआ तक नहीं है। ऐसे लोगों को अपराधियों की श्रेणी में डाला जा रहा है यह कहां से न्यायसंगत है और यह बात हम लोगों के समझ में नहीं आती है। मान्यवर, अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गयी है कि वह विधायकों को इस तरह से फंसायें। मान्यवर, यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक ऊपर से उनको प्रोत्साहन न हो। मान्यवर, हम लोग उस दिन का इन्तजार करेंगे जब हम लोगों को इस छोटे से आरोप में कोर्ट में ले जाया जायेगा उस दिन वाराणसी की जनता बसपा सरकार की पीठ ठोकेगी कि आज तक जिस काम को किसी सरकार ने नहीं किया उसे आपकी बसपा की सरकार करने जा रही है। मान्यवर, इस बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें बड़ी अच्छी बात कही गयी है कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ायी जायेगी नये स्कूल खोले जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई अब बच्चे घर बैठे कर सकेंगे। मान्यवर, वे लड़कियां विज्ञान की शिक्षा घर बैठे कैसे ग्रहण कर सकेंगी, जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षायें भी होती हैं ? वह कैसे पढ़ेंगी ? इसी तरह से बालिकाओं की उच्चतर शिक्षा की तरफ इसमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, आज लड़कियां बी0एड0 और कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहती हैं। लेकिन इसकी इतनी लम्बी फीस है डेढ़ लाख रुपये दो लाख रुपये कि मध्यम या गरीब परिवार की लड़की उसमें कैसे प्रवेश ले सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन गरीब परिवार की लड़कियों के लिये बी0एड0 की पढ़ाई करना सम्भव नहीं दिखता है। लड़कियों के लिये केवल प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने से आज काम नहीं चलेगा उनको केवल वहां तक ही न रोका जाये बल्कि उन्हें तकनीकी शिक्षा पढ़ने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जाये। जैसे आपके आई0आई0टी0 खुल रहे है उसमें महिला पालिटेक्निक खोलने की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, इसी प्रकार से विकलांगों की शिक्षा पर जोर दिया गया है यह अच्छी बात है कि विकलांगों के लिये कालेज खोले जायें। लेकिन जो पुराने चल रहे हैं उनके विस्तार पर भी ध्यान दिया जाये। जैसे हमारे यहां अमरावती पुरुषोत्तम विकलांग स्कूल है उसमें सभी व्यवस्था हे हास्टल है, दवाई आदि की सुविधा है, स्कूल बिल्डिंग खड़ी है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता है। मैं यह चाहूंगी कि नये स्कूल खोलने की जगह पुराने जो खुले हुए हैं उनका विस्तार किया जाये और उनका सही उपयोग किया जाये। मान्यवर, गंगा एक्सप्रेस वे की बात हमने उठायी है उस पर ध्यान दिया जाये अन्यथा नदी बहुत बड़े-बड़े नाले हमारे यहां बन जायेंगे और नई समस्या खड़ी होगी प्रदूषण की समस्या भी बढ़ेगी। मान्यवर, इसी तरह से आज मृत्यु दर को रोकने के लिये प्रोत्साहन की योजना बनायी जा रही है लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती जन्म दर को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आज जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गयी है कि कोई पुरसाहाल नहीं हैं मान्यवर, जहां जन्म को सुरक्षित बनाने की व्यवस्था की जा रही है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की बात कही जा रही है वहीं पर जन्म दर को रोकने की बात भी होनी चाहिए और यह बात सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों में समान रूप से लागू की जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि जनसंख्या की बढ़ती हुई दर को रोकने की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये। मान्यवर, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

एक छोटी सी बहुत गम्भीर समस्या यह है कि हमारे मुख्य मंत्री ने यह घोषित किया था कि प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी जायेगी सब लोग बहुत खुश हुए थे। पिछली सरकार ने 5 किलोमीटर सड़क दिया था तो इन्होंने 5 करोड़ की सड़क देने की घोषणा की थी और इससे सभी विधायक खुश थे लेकिन आज स्थिति यह है लगता है बसपा की सरकार है वह केवल बसपा के विधायकों के लिए है। बनारस में 7 विधायक हम लोग हैं 7 में से 2 बसपा के हैं। उनको तो निधि प्राप्त हो गया है। बाकी के 5 वैसे ही हैं। इसलिए सरकार अपनी नीयत को न्यायसंगत करे और सभी विधायक को विधायक के रूप में माने और उनको भी रुपया देने की व्यवस्था की जाये। अंत में एक बात और कहना चाहती हूं। इस समय जैसे बुन्देलखण्ड में आत्महत्या की घटनायें बढ़ रही हैं उसी तरह से जनपद बनारस में भी जो बुनकर जाति के लोग

हैं उनमें भी आत्महत्या उसी रेट से बढ़ रही है। सरकार बुनकरों की सुरक्षा के लिए और आज जो वह घरदुवार छोड़कर पलायन कर रहे हैं या मोटा मजदूरी कर रहे हैं उनके भी सुरक्षा और आजीविका को सुरक्षित करने के लिए कदम उठायें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

* श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज इस सदन में नव-प्रवेशी सदस्यों की तरफ से जब हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है तो हम लोग सदन की ओर मान्यवर, एक मिसाल की तौर पर हम लाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो हमारे अनुभवी सदस्य हैं उनके आचरण से हम कुछ सबक लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक वर्ष हमारे पूरे नहीं हुए थे, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था हम सारे सदस्य देखना चाहते थे सुनना चाहते थे, महामहिम राज्यपाल हमारी सरकार की नीति, नीयत और दिशा तीनों पर प्रकाश डालने के लिए खड़े हुए थे। हम लोगों की इच्छा थी सारा सदन सुनना चाहता था कि हम लोगों ने हमारी सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की थी लेकिन गुब्बारे ऐसे फूटे थे जैसे होली और दीपावली पर बच्चे गुब्बारे छुड़ाते हैं। वह दृश्य याद करके वह दृश्य देखकर हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग सदन में न बैठे हों किसी जश्न में बैठे हों। जहां पर बच्चे गुब्बारे छुड़ाया करते हों। लगता है कि समाजवादी या हमारे जो सदस्य गुब्बारे लेकर आये थे उन लोगों ने उस हरकत को यहां अंजाम दिया था जिसके लिए कहा जाता है बचकानी हरकतें करना। गुब्बारे छुड़ाना, उन गुब्बारों में गैस भरकर लाना उन गुब्बारों में ऐसी घातक गैसे भरकर लाना जिससे हमारे सदन में बैठे हुए सदस्यों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता था। लेकिन संसदीय परम्पराओं की अपेक्षा करने वाले, उसके सम्मान की उपेक्षा करने वाले लोग हरदम संसदीय परम्परा का उल्लंघन करते रहे। फिर भी महामहिम राज्यपाल ने अपनी बात हमारी सरकार की दिशा और नीति आपके सामने रखी थी। इस अवसर पर आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। महोदय लोग कहते हैं कि जो हमसे टकरायेगा चूर-चूर हो जायेगा। यह नजारा जब इनकी सरकार थी तो राजू पाल ने टकराने का काम किया था तो चूर-चूर कर दिया गया था, कृष्णानन्द राय विधायक जी ने टकराने का काम किया था तो चूर-चूर कर दिया गया था। घोसी के ब्लाक प्रमुख अखिलेश पाण्डे ने 2006 में सत्ता के विरुद्ध तत्कालीन विधायक के विरुद्ध आवाज बुलन्द की थी चूर-चूर कर दिया गया था, उनके साथ हमारे दो-दो दलित ज्येष्ठ प्रमुख राम बचन को और गंगाराम पूर्व प्रधान को चूर-चूर कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी उपलब्धियों में जब यह आंकड़े आपके अभिलेखों में दिखते हैं तो हमारी उपलब्धियां आपके सामने हैं। जब हम कहते हैं कि गुण्डों और माफियाओं पर हम कन्ट्रोल करते हैं, हमारी बहन कु0 मायावती की सरकार में गुण्डों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है तो हमारी सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के ग्राफ की अपनी सरकार के ग्राफ से तुलना कर लीजिये तो आपको पता लगेगा कि अपराध का ग्राफ, जब आप सत्ता में होते हैं तो आसमान की ओर जाता है और जब बहन कु0 मायावती जी सत्ता में होती हैं तो अपराध का ग्राफ जमीन की ओर आता है, यह हमारी उपलब्धि है। मैं आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूं जब आप सत्ता में थे तो उस समय जो टेण्डर हुआ करते थे, बैठे-बैठे सारे अपराधी, गुण्डा बल के नाम पर ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, आम आदमी आम ठेकेदार यदि अच्छा काम करना चाहता था तो माफिया तत्व बैठकर सारे ठेकों पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन हमारी बहन कु0 मायावती की सरकार ने इन गुण्डों पर शिकंजा कसने के लिये, इन पर लगाम कसने के लिये इलेक्ट्रानिक्स टेण्डर प्रणाली लागू की और आज प्रदेश में किसी गुण्डे की हिम्मत नहीं है कि बैठकर किसी भी आदमी को किसी ठेकेदार को अच्छा काम करने से रोक दे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि जब गंगा एक्सप्रेस वे पर यह हायतौबा मचाते हैं तो एक प्रश्न बार-बार गूंजता है कि जब विरोध किया था ताज कारीडोर वे का, तब भी कहा गया था कि ऐसा मार्ग, ऐसी सड़क जो शेरशाह सूरी ने कभी बनवाई थी, वैसा सपना अगर किसी ने देखा था तो उस मुख्य मंत्री का नाम था बहन कु0 मायावती और गंगा एक्सप्रेस-वे बनाकर 1100 कि0मी0 के मार्ग को साढ़े 5 घण्टे में तब्दील करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार, हमारी बहन कु0 मायावती ने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, थोड़ा समय बढ़ायें। पूरे साल भर की जो उपलब्धियां हमारे पास हैं, वह हम सदन के सामने रखना चाहते हैं। मान्यवर, यह लोग कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस-वे में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, आप कहते हैं कि आप समाजवादी थे, लेकिन समाजवादियों का नारा देते-देते कब पूंजीवादियों की गोद में गिर गये, आपको खुद पता नहीं चला। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के नाम पर इसी उत्तर प्रदेश सरकार की गरीब जनता का धन कैसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, धनवन्तरियों को कैसे परोसा गया था, इसके लिये 2005-2006 के लखनऊ महोत्सव का ब्योरा मंगाया जाय, जो लोग राज्य सभा की महिला सांसद को नचाने से पीछे नहीं हटे, वह हमको संस्कार क्या सिखायेंगे, वह हमको संसदीय मर्यादा क्या सिखायेंगे और तो और नाच देखते हैं, अपनी सांसद को नचवाते हैं, मनोरंजन करते हैं और उसका पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की जेब से दिया जाता है, हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी पर-व्यवधान)

मान्यवर, हम जानते हैं कि यह बात इनको कड़वी लगेगी। लेकिन यह बात इनको समझनी चाहिये कि हमारी बहन कु0 मायावती पूरे प्रदेश के गरीबों के लिये काम करना चाहती हैं। आपकी सरकार में भूमि सेना के नाम पर क्या हुआ, गरीबों की जमीनें ले ली गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

सौरभ जी, आपका समय समाप्त हो गया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

आज जब हमारी सरकार कहती है "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" तो नेता प्रतिपक्ष पीछे के सदस्यों से पूछ रहे थे कि "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" क्या होता है जो नेता इस बात को नहीं जानते वह प्रदेश की जनता का क्या कल्याण करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो चुका है, मैंने दूसरे मा0 सदस्य का नाम पुकार लिया है, कृपया बैठ जायें।

श्री बृजेश सौरभ-

जो भी हो, सदन में हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है इसलिये मैं जो कह रहा हूं उसे मुझे कह लेने दीजिये। मान्यवर, उच्च शिक्षा के नाम पर उंगली उठायी गयी थी हमारे मंत्री जी पर। मैं कहना चाहता हूं कि जब सत्ता लगी हाथ से सरकने तब भत्ता लगा बंटने। जब इनकी सरकार जाने वाली थी तब इनकी सरकार ने कन्या विद्या धन और ढेर सारी दूसरी योजनाओं की शुरुआत की थी। जो गरीब कन्यायें थीं उन्हें तो धन नहीं मिला था जो अमीर कन्याएं थीं, उन्हें पैसा दिया गया। जिनके पास घूस देने के लिये पैसा था उनको मिला था कन्या विद्या धन। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब उच्च शिक्षा के नाम उंगली उठायी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

फिर मौका मिलेगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, केवल एक मिनट में। मैं कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के नाम पर जब कोई चीज कही जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम सत्ता में होते हो तो तुम्हारी सरकार में सेल्फ सेंटर के नाम पर पूरे प्रदेश को लूट का केन्द्र बना दिया जाता है। जब-जब तुम्हारी सरकार के समय कोई बच्चा हाई स्कूल पास करके बाहर जाता था तो उसे कोई सम्मान नहीं मिलता कहते हैं कि तुम मुलायम सिंह की सरकार में पास होकर आये हो, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि "जिन्दगी भर हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पर थी पर हम आईना मलते रहे।" आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अभी सौरभ जी बोल रहे थे मान्यवर, यह तो सदन है यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी बातें रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि "तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, यह सब

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सरकार ने उत्तर दिया था कि होटलों, स्टेशनों, धर्मशालाओं की चेकिंग करने की हमने व्यवस्था की है। क्या होटलों, स्टेशनों और धर्मशालाओं की चेकिंग करने से आतंकवाद रुक सकता है ? मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आतंकवादी गतिविधियों का चारागाह बन गया है जहां पर उसे संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आज सुबह समाचार-पत्र में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक पुलिस अफसर ने यह बयान दिया है कि 'सिमी' की गतिविधियों की देख-रेख करने के लिए एक समिति बनायी गयी है। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले की केन्द्र सरकार ने आतंकवादियों को जन्म देने वाली संस्था को प्रतिबंधित कर रखा था जो परन्तु आज जो सरकार बैठी है वह 'सिमी' पर प्रतिबन्ध लगाने पर क्यों कतरा रही है ? मैं मांग करता हूं कि 'सिमी' जैसे अराष्ट्रवादी संगठन पर रोक लगायी जाए। इस विधान सभा में मैंने एक प्रश्न यह भी पूछा था कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए कितनी प्रयोगशालायें हैं ? उत्तर मिला था कि एक प्रयोगशाला है। इतने मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, दवायें मिल रही हैं, उसके लिए क्या एक प्रयोगशाला काफी है ? मेरी मांग है कि हर जिले में खाद्य पदार्थों की मिलावट को चेक करने के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जाए। मुझे जानकारी है, मैं अधिवक्ता हूं और अधिवक्ता समाज से आता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिविल और फौजदारी के भारी संख्या में वाद लम्बित हैं और उसका कारण यह है कि उनके निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनायी जा रही है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में मा0 न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने पर यह सरकार विचार करेगी ?

गोमती नदी मर गई है। अभी तक लोग कहते थे कि गोमती मर रही है आज इसका पानी बिल्कुल काला हो गया है। जो लखनऊ को सबसे ज्यादा पानी सप्लाई करती है आज गोमती का पानी पीने वाला नहीं है। इसके प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार प्रभावकारी कदम उठाए। लखनऊ में भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है यहां पर हैण्डपम्प, नलकूप सब सूखे जा रहे हैं उसका कारण यह है कि तालाबों को पाट दिया गया है भूमाफियाओं ने कब्जा करके प्लाटिंग करके उनको बेच दिया जिन पर बड़े-बड़े गेस्ट हाउस बन गये हैं इस अतिक्रमण को हटाकर उन तालाबों को पुराना स्वरूप प्रदान किया जाय। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दो-तीन बहुत ही अच्छी योजनाओं को प्रारम्भ किया था तृतीय जलकल बनाने के बारे में उन्होंने शिलान्यास किया था पहले की सरकार व वर्तमान सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये। लखनऊ आज सीवर की समस्या से ग्रस्त है मैं मांग करता हूं कि लखनऊ में सीवेज ट्रीटमेट प्लान्ट बनाने की व्यवस्था की जाय। छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है वहां पर शिक्षक अनशन पर बैठे हैं क्रमिक अनशन चल रहा है 36 डाक्टर 18 तारीख को इस्तीफा देने वाले हैं वहां पर प्रोफेसरों का होना आवश्यक है यह विश्वविद्यालय वन्द होने वाला है सरकार इस पर ध्यान दे और वहां के डाक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिये कदम उठाये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में लगभग 2 हजार ऐसी कालोनियां हैं जिनको सरकारों ने अवैध कालोनियां घोषित किया है सोसायटियों ने उन कालोनियों को बसाया है नगर निगम और प्राधिकरण वहां पर विकास कार्य नहीं करा रहे हैं मेरी मांग है कि उन दो हजार कालोनियों को नियमित किया जाय इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जाय उन कालोनियों का विकास कराना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

लखनऊ में मेरी जानकारी में आया है कि कांशीराम जी के नाम पर एक योजना बनाई गई है और उसमें 110 वार्डों में केवल 4 वार्ड लिये गये हैं और वह भी जाति और धर्म के नाम पर चुने गये हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि लखनऊ के 110 वार्डों का समग्र विकास किया जाय। मेरे क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या डिग्री कालेज है वहां पर इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि वहां पर अगले सत्र से एम0 ए0 की कक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी किन्तु इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं मैं मांग करता हूं कि वहां पर अगले सत्र में एम0 ए0 की कक्षायें प्रारम्भ की जायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम लोक लुभावन नारे दिये गये हैं जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यह उसी तरह है जिस तरह से शेर और बकरी को एक साथ रखा जाय। जितने भी पूंजीपति हैं गरीबों का शोषण करके उनका उदय होता है। जहां तक कानून के द्वारा कानून के राज की बात है आज ही डी0 जी0 पी0 का बयान आया है कि वह सभी जिलों में एक अलग से सेल बनाने जा रहे हैं जहां एफ0 आई0 आर0 दर्ज होंगी यहां तमाम आंकड़े दिये गये हैं अपराध से सम्बन्धित अपराधों में पिछले वर्षों से कमी आई है। लेकिन वह कमी किस प्रकार की है। आज उनके इस बयान से साबित होता है कि पिछले दिनों में जो अपराध होते थे उनकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं होती थी। इसी तरह से समता और खुशहाल उत्तम प्रदेश, माननीय आवास मंत्री यहां पर नहीं हैं। आज सब लोगों को यह उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, गरीबों की हितैषी है, उनके लिये रोटी, कपड़ा और मकान के सम्बन्ध में गरीबों के लिये जो भी कानून बनेंगे उसमें उनको प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन हम लोगों के यहां आप जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्टेट और नजूल दो तरह की जमीन सरकारी है और दोनों की मालिक सरकार है। तमाम समाजवादी, राष्ट्रवादी और साम्यवादी विचार धारायें यहां पर हैं। महामहिम महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम इन तमाम नीतियों से अलग व्यवस्था बना रहे हैं जो मध्यममार्गी व्यवस्था है। और उस मध्यममार्गी व्यवस्था में उम्मीद थी लोगों को कि अभिभाषण में राज्यपाल महोदय उन गरीब लोगों के लिये कोई व्यवस्था बनायें। लेकिन आज शहरों में जो गरीब रह रहे हैं गली कूचों में झोपड़ी पट्टी में गरीब रह रहे हैं उनको बसाने के लिये सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1986 में एक निर्णय दिया था कि नजूल

भूमि पर जो बड़े-बड़े पट्टेदार हैं, जिन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन किया है उनके पट्टे निरस्त न किया जायं और उनसे दण्डात्मक शुल्क लेकर उनके पट्टों को रेग्युलराइज किया जाय तथा सागर पेश व गरीबों को पुनर्वासित किया जाय। 1998 में राष्ट्रवादी सरकार थी। बड़े अगुवा नेता थे वे इसके अध्यक्ष थे जब उनका मामला आया उन पर दण्ड लगाया गया तो उनके दण्ड को समाप्त करने के लिये सारे कानूनों को शिथिल कर दिया गया और एक दिसम्बर, 1998 को एक ऐसा कानून बना जिसमें उन तमाम गरीबों का हक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में दिया गया था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और पट्टेदार के द्वारा नामित व्यक्तियों को भी अधिकार दे दिया गया जिससे तमाम गरीब किरायेदार लोग वंचित हो गये और भूमाफिया पैदा हो गये। आज पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के सम्बन्ध में सभी लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं चाहे इस पार्टी की सरकार रही हो चाहे उस पार्टी की सरकार रही हो । सब लोग चिन्ता प्रकट करते हैं लेकिन उन गरीबों के लिये एक सूत जमीन की कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह से राजकीय स्थान की जमीन का सवाल है। हम सोचते थे कि यह सरकार इस पर कोई कानून बनायेगी। हमने कई बार प्रश्न भी किये और यह भी कहा कि नजूल की भांति इसको भी फ्री-होल्ड किया जाय लेकिन आज तक इस पर कोई कानून नहीं बना। मैं चाहता था कि आवास मंत्री जी यहां पर रहते। उन्होंने यह जवाब दिया था कि यह राजस्व विभाग के अधीन है। राजस्व विभाग कह रहा है कि यह आवास विभाग देख रहा है। मान्यवर, न तो राजस्व विभाग देख रहा है न आवास विभाग देख रहा है। तमाम गरीब लोग जो 50-100 वर्ग जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं उनकी जमीन छीनी जा रही है। यह मानवता व समतामूलक और कानून का राज किसके लिये है ? माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह अभिभाषण एक गप्प है। यह अभिभाषण नहीं गप्प तो बल्कि यह एक मायाजाल है और इसमें न तो समाजवाद, न साम्यवाद और न राष्ट्रवाद या बहुजनवाद है। इसमें तो केवल महाजनवाद है। इस समय पूरे प्रदेश में महाजनवाद की संस्कृति चल रही है। तमाम दलित, गरीब लोग जो भारतवर्ष में पैदा हुये जिनको भी मूल अधिकार मिले हैं उनका हनन किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। इसलिये मैं इस अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं आशा है कि सरकार उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

श्री योगेन्द्र सागर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ शुरु करूंगा कि मुझे अपनी पूरी बात कहने का आपकी तरफ से मौका दिया जायेगा। मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे के अनुरूप ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया जो कि हर दृष्टि से बहुत ही सराहनीय बजट अभिभाषण महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई। उनका अभिभाषण पूरा नहीं करने दिया गया तथा विरोध के लिये नये-नये

तरीके निकाले गये। जिस समय गैस के गुब्बारे छोड़े जा रहे थे उस समय मुझे 1993 का पूरा दृष्य याद आ रहा था। 1993 में इस सदन का मैं भी सदस्य चुनकर आया था पहले ही दिन सत्तापक्ष के लोगों ने किसी बात को लेकर के जो काला अध्याय सदन में जोड़ने का काम किया था, उस वक्त मुझे याद है कि माइक का सिस्टम दूसरा होता था। माइक लम्बे से होते थे उन माइक का बेजा इस्तेमाल करते हुए उसका असलहा के रूप में प्रयोग करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यों को घायल करने का काम किया गया। लाबी में पहले शीशे के गिलास हुआ करते थे उन शीशे के गिलासों को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और उनसे प्रहार करने का काम किया गया था। उस शर्मनाक घटना का भी ध्यान नहीं आया और गैस के गुब्बारों का प्रयोग किया गया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह जानना चाहूंगा क्या यह इनकी बनाई हुई सोची समझी रणनीति थी या उनके दल के लोग उनका अनुशासन नहीं मानते हैं। अगर उनकी सोची समझी रणनीति थी तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। अगर उनके माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से यह घृणित कार्य किया है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि इनके दल में अनुशासन नाम [illegible] नहीं रह गई है। मान्यवर, जब-जब घटनायें होती हैं तब-तब आपके स्तर से [illegible] व्यवस्था दी जाती हैं यह गुब्बारे छोड़ने वाली घटना मामूली घटना नहीं है इससे यह आभास हो गया है कि किसी भी समय सदन में अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए आपकी पीठ से निर्णय हुआ था कि माननीय विधायकों की तलाशी लेकर ही उनको आने दिया जाए। तलाशी की जो व्यवस्था दी थी में उस व्यवस्था को सही मानते हुए यह चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना घटित न हो सके। मान्यवर, हमारी सरकार के बजट में सबसे खुशी की बात यह है कि 212 नई परियोजनायें लागू की गई हैं। यह प्रदेश के विकास की दूरदर्शी योजना हैं और इस दृष्टि से भी यह बजट सराहनीय है कि इतने बड़े बजट में कोई नया कर का बोझ प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं लगाया है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि उत्पादित का सही मूल्य किसानों को मिले इसकी चिन्ता करते हुए इसका प्राविधान रखा गया है साथ ही अल्प आय वर्ग के शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था सराहनीय रूप से की है। साथ ही कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से चुनाव के दौरान बहन मायावती जी ने वायदा किया था उसके अनुरूप इस देश और प्रदेश में जो जंगल राज्य कायम था उसको कानून का राज्य बनाने में सफलता अर्जित की यह निश्चित रूप से सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं सुन रहा था अनेक लोगों ने बुन्देलखण्ड का विषय उठाया निश्चित रूप से यह गम्भीर विषय है और उसकी चिन्ता करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ का पैकेज मांगा था और इस बात को सभी माननीय सदस्य जानते हैं। तमाम व्यक्तिगत मामलों में जो यह सुझाव दिए गये कि इसकी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए किन्तु जो बुन्देलखण्ड की समस्या सभी के लिए चिन्तनीय है, उसके लिए किसी भी सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया कि इसके लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल बनाया जाय और केन्द्र सरकार से इस बात की मांग की जाए ताकि इस पैकेज के स्वीकृत होने पर बुन्देलखण्ड की समस्या हमारे सामने है,

उसका कुछ समाधान हो सके। मान्यवर, साथ ही एक ऐसी योजना, जिस पर सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया है, गंगा एक्सप्रेस-वे की इस सराहनीय योजना को तैयार किया गया है। उस पर भी तमाम प्रतिक्रिया हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि गंगा किनारे रहने वाले, कटरी में रहने वाले लोगों की व्यावहारिक कठिनाई को क्या विरोध करने वाले जानते हैं ? कितना कठिन जीवन वह जी रहे हैं, इनकी सुरक्षा नहीं है। इनका विकास नहीं हो, मान्यवर, उन लोगों को जब से यह पता चला है कि यह परियोजना लागू होगी, यहां पर 8 लेन का मार्ग बनाया जायेगा, तब से उनके चेहरों पर खुशी दिखायी देने लगी है। वह आ करके पूछते हैं कि कब से यह रोड बनना शुरू होगा ? उनके चेहरे खिल गये हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए गरीबों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं रखी हैं, मैं इस सरकार के बजट का समर्थन करते हुए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, जय भीम, जय भारत।

श्री अनूप संडा-

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। हमारे तमाम साथियों ने अपनी बातें कहीं। हमारे सत्तापक्ष के एक साथी ने सदन को पेश करते हुए यह कहा था कि सदन में विपक्ष ने गुब्बारे उड़ाये, ऐसा लगता है कि मेला बना दिया सदन को, तो मान्यवर, यह जो नया आर्थिक युग है, इसमें मेलों का बड़ा महत्व है, कहीं लोन मेला लगता है, कहीं खादी मेला लगता है, कहीं इलेक्ट्रानिक मेला लगता है और जब से उत्तर प्रदेश में यह सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार का, वसूली का और उत्पीड़न का मेला लगा हुआ है। हमारे साथी गुब्बारों से बड़े आतंकित हैं। वह गुब्बारे ऐसे नहीं उड़े थे, वह गुब्बारे यह बताने के लिए उड़े थे कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार का ग्राफ आसमान छू रहा है, मान्यवर, यह हम कहना चाहते हैं। मान्यवर, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली सरकार है, लेकिन इस सरकार में हालात क्या हैं, अदम गोण्डवी साहब का एक शेर है कि 'सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद है और कोठियों से मुल्क के मयार को मत आँकिए, असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।' मान्यवर, आज भी फुटपाथ पर रहने वाला आदमी, आज भी गरीब आदमी, इस सरकार में पीड़ित है, वंचित है, सताया जा रहा है। मान्यवर, अभिभाषण में कानून-व्यवस्था की बात कही गई। हम जरा आइना दिखाना चाहते हैं, कानून-व्यवस्था का, 5 फरवरी के दिन संत रविदास नगर जिले में वी0 के0 राय नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दलित महिला संतोषी से बलात्कार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाई, बाल श्रमिकों के पक्ष में आवाज उठाई, 5 फरवरी को उनकी बेटी रचना राय का अपहरण हो गया और 7 फरवरी से वी0के0 राय भदोही जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठ हुए हैं और आरोप लगाया गया है कि वहां का एस0 पी0, रचना राय के अपहरण में शामिल है और यह आरोप हमने नहीं लगाया है, विपक्ष ने नहीं लगाया है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पाण्डेय जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया है।

सुल्तानपुर जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाधिकारी श्री बच्चन सिंह की दिन-दहाड़े कालोनी के अन्दर घुसकर हत्या कर दी जाती है। मान्यवर, यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो बेरोजगारों के पक्ष में काम किया था और जब यह सरकार आयी तो सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता समाप्त किया गया था और कहा गया था कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार देंगे। लेकिन मान्यवर, न रोजगार मिला और न बेरोजगारी भत्ता। मान्यवर, अभिभाषण में यह कहा गया कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए पैसा दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अनूप संडा-

मान्यवर, गरीब कन्याओं के विवाह की बात की गयी लेकिन पिछड़ी जाति की जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए कोई बजट नहीं दिया गया। क्या वह सर्वसमाज के सदस्य नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए सुल्तानपुर जनपद में नहरों में पानी नहीं है, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को रबी की फसल के लिए नहरों में [illegible] पानी नहीं छोड़ा गया और जब छोड़ा गया तो नहरों की मरम्मत नहीं करायी गयी। सुल्तानपुर में लम्भुआ विकास खण्ड के कुछ गांव, कुड़वार विकास खण्ड के देवलपुर आदि गांव और दूबेपुर विकास खण्ड के छगली आदि इलाके में खेत डूब गये, नहर टूट गयीं और एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया। सुल्तानपुर मुख्यालय में 14 घण्टे बिजली देने की बात कही जाती है लेकिन 6-8 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है। परीक्षाएं आने वाली हैं लेकिन पूरी-पूरी रात बिजली नहीं मिलती है। यह "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" का नारा देने वाली यह सरकार अगर किसान और छात्रों को बिजली नहीं दे सकती है तो यह सरकार क्या करेगी। मान्यवर, जरा चिकित्सा सुविधाओं पर देखें। पूरे प्रदेश में जो ब्लड बैंक काम कर रहे हैं उनमें अगर बड़े शहरों की बात छोड़ दें तो सुल्तानपुर में ब्लड बैंक में पूरे समय तक काम करने के लिए जनरेटर के लिए डीजल तक का पैसा भी नहीं है। मान्यवर, सुल्तानपुर में महिला चिकित्सालय नरक का पर्याय बन चुका है और मान्यवर, वहां पर आज तक एक भी ऐनेस्थिसिस्ट भी नहीं है। अगर प्रसव पीड़ा से पीड़ित कोई महिला अस्पताल जाती है तो उसे बाहर लिटा दिया जाता है और कहा जाता है कि पहले ऐनेस्थिसिस्ट का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा आपरेशन करेंगे। मान्यवर, जो सरकार महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ सकती तो हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों की सरकार नहीं हो सकती। आज यह हालत है। मान्यवर, अभी दिसम्बर में कुछ मुसलमान साथी आजमगढ़ से एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो एक मारुती वैन ओवर ब्रिज के नीचे गिर गयी, 8 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये और जब जिला चिकित्सालय वह आये तो उन्हें जिला चिकित्सालय की एम्बुलेन्स तक उपलब्ध नहीं करायी गयी। हमारे जैसे कार्यकर्ता ने उन्हें निजी वाहन से लखनऊ भेजने का काम किया। तो मान्यवर, यह हालत है।

मान्यवर, सड़कों की हालत बहुत खराब है, मान्यवर, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ के मध्य सड़क बहुत खराब है। लोक निर्माण मंत्री जी वहां पर गये थे और उन्होंने निर्देश दिये थे ठेकेदार को बैन किया था और उसके पुनः निर्माण का निर्देश दिया था। लेकिन एक भी गिट्टी उस सड़क पर नहीं डाली गयी है। मान्यवर, सुल्तानपुर से कुड़वार बाजार में सड़क की हालत बहुत खराब है। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने धनराशि आहरित करने की बात कही थी लेकिन वह भी नहीं हुआ है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जिस सदन में हम सब लोग बैठे हैं उसमे 75-80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो किसानों के बीच से चुनकर आये हैं। लेकिन बजट में इन 75-80 प्रतिशत किसानों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। विशेष रूप से पश्चिम के लोग, करीब बयालीस लाख किसान परिवार जिनकी जीविका गन्ने पर आधारित है। गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं मिल रहा है। पिछले साल का भुगतान, जब 21 मई, 2007 को महामहिम श्री राज्यपाल अभिभाषण कर रहे थे, उसमें गन्ने के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गयी थी, उसका कोई असर अधिकारियों पर नहीं हुआ है और न सरकार पर ही हुआ है। अब 2008 में जो राज्यपाल जी का अभिभाषण आया है उसमें गन्ने के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अकेले मेरे क्षेत्र अगौता में, अगौता शुगर मिल का 2006-07 का ग्यारह करोड़ का पुराना भुगतान, तथा करीब 6 करोड़ की एफ0डी0 तथा ब्याज जिसमें तीन करोड़ का भुगतान हो चुका है, अभी बाकी है। इस वर्ष का 12 करोड़ का बकाया है। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, जब गन्ना का भुगतान हुआ करता है तब हमारी बेटियों की शादी हुआ करती है, बच्चों की फीस जाती है, लेकिन वह भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज किसानों की हालत यह है कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत काश्तकार आज 3.125 एकड़ से कम है। ऊर्जा विभाग ने यह कहा है कि अब पांच हार्स पावर की जगह साढ़े सात हार्स पावर का कनेक्शन दिया जायेगा। जब यहां पर 3.125 एकड़ के 85 प्रतिशत काश्तकार हैं तो क्यों न इन्हें साढ़े पांच की जगह साढ़े तीन हार्स पावर का कनेक्शन दिया जाए तभी छोटे किसानों को लाभ होगा ? हालत यह है कि जब ट्रांसफारमर फुंक जाता है, या चोरी चला जाता है, कोई उसका तेल निकाल लेता है तो वह छः सात महीने बाद दूसरा प्राप्त होता है। थाने में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के गांव काजीपुरा में चोरी हुई।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, कोतवाली देहात की मंडी चौकी में जे0ई0 ने रिपोर्ट लिखवानी चाही तो दरोगा ने कहा यह चौकी में तेरी टांग तोड़ दूंगा। तीन बार वह थाने गये लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। यह

हमारी विधान सभा के गांव काजीपुर का मामला है। फिर मेरे द्वारा एस0पी0 को कहने पर महिनों बाद रिपोर्ट लिखी गयी। सुरक्षा के बारे में कहा गया। 33 जिले आतंकवाद की चपेट में हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मेरा यह कहना है कि जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था है, जो वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था है इसके अन्तर्गत जो आतंकवादी जिले हैं, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को रोकने में अक्षम है। मेरा सुझाव यह है कि जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी एक फोर्स बनायी जाय, वह इस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं। मान्यवर, इस सरकार में बहुत सारे बोर्डस सड़क के किनारे देखे गये हैं और कोई चीज मांगी जाती है। मान्यवर, जब मांग की जाती है तो टोका जाता है, कम से कम यह जो लखनऊ में बोर्ड लगे हुए हैं जनता के पैसे से जो आपने बोर्ड लगवाये हैं, माननीय अधिष्टाता जी उसमें जो कहा है कि सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपये की मांग केन्द्र से की गई है, उसको तो कम से कम मिटा दो। मान्यवर, अस्पतालों की हालत यह है वहां पर डाक्टर नहीं हैं, जो पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 सेन्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई है, पशु चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में कई पशुचिकित्सालय बने पड़े हैं जैसे अलीपुर, चितरौना, परनापुर प्रगोता।

श्री अधिष्टाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैंने संशोधन के लिए 14 बिन्दु लिखकर दिये थे, आप समयाभाव के कारण बार-बार बैठ जाने को कह रहे हैं तो चाहूंगा कि जो हमारे 14 बिन्दु हैं ये भाषण में नोट कर लिये जायें, धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने नेता प्रतिपक्ष के संशोधन के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मै आपका आभारी हूं। जहां तक सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात है, ये [x x x] का पुलिन्दा है। हर जाति में गरीब हैं मगर पिछड़ी जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह समझ से परे है। पिछड़ी जाति की लड़कियों की शादी के लिए शादी अनुदान में कुल बीस करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जबकि अकेले मेरे रामपुर जनपद में ही लगभग 1500 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, यानी डेढ़ करोड़ रुपये की खाली रामपुर जनपद में मांग है। आप अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिए और सामान्य जाति के लिए तो भरपूर अनुदान मिल रहा है, मगर जो आबादी में सबसे अधिक गरीब पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी शादी अनुदान के लिए कुल 20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है जो कि बहुत ज्यादा कम है मैं इसमें मांग करता हूं कि इस आवंटन राशि की कम से कम 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए रखा जाना चाहिए और इसकी अनुदान राशि की मात्रा

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार रुपये करना चाहिए। जहां तक शिक्षा के बारे में बात है यह सरकार बार-बार घोषणाएं करती हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं मगर कुल राजकीय इण्टर मीडिएट के लिए 30 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया है जबकि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके माध्यमिक शिक्षा के साधन न होने के कारण गरीब बच्चे शिक्षा स वंचित रह जाते हैं वह बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह गरीब जनता चाहती हूं कि शिक्षा का रास्ता मिले, शिक्षा न मिलने की वजह से वह अशिक्षित रह जाते हैं और मजदूरी करने पर आमादा हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम इसमें 300 रा0 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। जहां तक सरकार के आश्वासन का सवाल है मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं बहुत दिनों से हमारे बिलासपुर तहसील में रोडवेज का बस स्टाप होने की मांग की जा रही है, यह नेशनल हाई-वे पर उत्तरांचल को जोड़ता है, दसियों साल से आश्वासन मिल रहा है इस सरकार ने भी आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि बिलासपुर तहसील में रोडवेज बस अड्डा जरूर बनाया जाये। मान्यवर, सरकार कहती है कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, सड़कों की हालत बहुत खराब है, बिजली नहीं मिल पा रही है, स्कूल नहीं हैं और हालत यह है कि जो सरकारी इमारतें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, बिलासपुर तहसील भवन जो सौ साल से भी ज्यादा पुरानी इमारतें हैं मैं चाहूंगा कि इसे भी नया बनाया जाना चाहिए। वैसे डिग्री कालेजों का जहां तक सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है, खासतौर से मैं मिलक तहसील की बात करना चाहूंगा लगभग 11-12 साल हो गये वहां पर राजकीय डिग्री कालेज की मांग की जा रही है मगर आज तक उस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं गई है। मैं चाहूंगा कि मिलक में बहुत पिछड़े वर्ग की और अनुसूचित जाति की लगभग 60 प्रतिशत आबादी है, अगर यह सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है तो कम से कम मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, जहां तक जिला चिकित्सालय का सवाल है, वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं है, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर कहीं भी डाक्टर उपलब्ध नहीं है, लोग परेशान हैं, खासतौर से गरीब जनता की वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहूंगा कि रामपुर जनपद के सभी अस्पतालों में डाक्टरों की जो कमी है उसको पूरा किया जाये। जहां तक सड़कों का सवाल है, मेरे क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है मिलक-बिलासपुर मार्ग जो नेशनल हाई-वे 87 व 24 को जोड़ती है और उत्तरांचल को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है, उसकी हालत बहुत दयनीय है, मैं चाहूंगा कि उस मार्ग को भी हाटमिक्स से बनवाया जाये ताकि सरकार का जो वायदा है वह पूरा हो सके। (इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) मान्यवर, सड़क, बिजली और पानी देने का और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो आपका वादा है वह तभी पूरा कर पायेंगे जब इन सब बातों का बजट में समावेश कर पायेंगे। मान्यवर, बिलासपुर (रामपुर) में एक

डिग्री कालेज उसमें बी0एड0 की शिक्षा भी मिलनी चाहिए और बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 की शिक्षा की सुविधा भी होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्यगण के लिये पांच मिनट का समय रहेगा और दल के नेतागण के लिये 10 मिनट का समय रहेगा उसी के अनुसार हम लोग चलें।

* श्री सुभाष पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, मैं विरोधी दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार आप सरकार की तरफ इशारा करके आक्षेप लगाते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मान्यवर, जो व्यवस्था 60 साल में बिगड़ गयी है उत्तर प्रदेश की वह 60 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। यह नामुमकिन है। इसके लिए समय लगेगा। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं खासकर समाजवादियों को कि जौनपुर से इलाहाबाद तक करीब 100 कि0मी0 की सड़क है उसके निर्माण के लिये एक-एक कि0मी0 का कार्य एक-एक ठेकेदार को दिया गया। मेरा इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी के एम0एल0ए0 लोगों के गुर्गों को वह सड़क बनाने का काम दिया गया। उनके पास न तो कोई मशीनरी है और न ही अनुभव वह आज तक पूरी नहीं हुई है तो फिर आप हमारी सरकार पर किस बात का आक्षेप लगाते हैं क्योंकि व्यवस्था तो आपने बिगाड़ी है तो जो आप चाहते हैं कि 60 साल के बजाय 60 दिन में सारी व्यवस्थायें ठीक हो जायें यह नामुमकिन है। मान्यवर, पांच साल बाद जब चुनाव होंगे तो उस समय तक बहन मायावती जी की सरकार जो काम कर देगी उसका परिणाम यह होगा कि उस चुनाव में शायद हमारे दल के लोग ही यहां पर बैठे नजर आयेंगे आप लोग शायद नजर नहीं आयेंगे। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

दूसरी बात मान्यवर, मैं यहां पर एक नया सदस्य हूं। मुझे बड़ा दुख होता है कि विरोधी दल के नेता अपनी बात कहकर यहां से चले जाते हैं वह जितना चाहें बोल लें उसके बाद चले जाते हैं। आप लोग बड़े अनुभवी हैं सीनियर हैं आप बुजुर्ग हैं लेकिन हम लोगों को भी तो सुनें। माननीय प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कहा कि आज हम बोलेंगे सुनना हम लोग सुनते रहें और जब अब हम बोल रहे हैं तो वह यहां नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। आप हमें भी सुनें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बारे में कहना चाहता हूं कि वह सम्मानित हैं बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं।

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख होता है मैं यह कहना चाहता हूं आप सब समाजवादियों को कि मैंने अपनी आंखों से तीन बार देखा है [x x x] को कि अपने सदस्यों को इशारा करते हैं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वेल में कूद जाओ या पोडियम में चढ़ जाओ। क्या आप हम नये सदस्यों को यही सिखाना चाहते हैं। मैं इसकी निन्दा करता हूं। [x x x]

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह अनुरोध है कि यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाये। यह उचित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

उदय राज यादव जी, बैठा दें सबको, हाशमी साहब बैठ जायें। यह सब भाषा नहीं बोली जाती है। हाशमी साहब, अंसारी साहब, राय साहब बैठ जायें। यह नहीं बोलना चाहिए था।

आप लोग सीधे आदमी हैं सीधा को कैसे कोई टेढ़ा करेगा और टेढ़ा को कैसे कोई सीधा करेगा ? बैठे आप, पाण्डेय जी आप बैठ जाइये। मैं इस तरह की भाषाओं का पक्षधर नहीं हूं कि इस तरह की भाषा बोली जाय। आजाद जी बैठ जायें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सदन वाद-विवाद के लिए है अगर माननीय नये सदस्य हैं कुछ इनसे कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देंगे।

श्री राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर चलकर समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने हेतु जनभावनाओं के अनुरूप चुनी हुई यह सरकार, बहुजन समाज पार्टी की यह सरकार अपने सन्तों, महात्माओं और महापुरुषों की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती के सक्षम नेतृत्व में सफलता की ओर अग्रसर है। वैसे तो पूरे अभिभाषण में अनेक उपलब्धियों की चर्चा है। मैं उन उपलब्धियों उन योजनाओं से शब्दशः सहमत हूं। लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो आज तक अभिभाषणों के इतिहास में या बजट के इतिहास में पहली बार आये हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अवधारणा हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस-हाइवे की अवधारणा हो, प्राइवेट सेक्टर में सभी वर्गों के आरक्षण के आरक्षण की बात हो, बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उसके विकास और उसके साथ-साथ स्थाई विकास और स्थाई प्रगति के लिए अगर बुन्देलखण्ड राज्य की आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में भी हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस सदन में यह विश्वास दिलाया है कि अगर केन्द्रीय सरकार ने इसकी जरूरत समझी तो हम बिना कोई समय लगाये उत्तर प्रदेश के सदन से यह प्रस्ताव पारित करेंगे। विद्युत व्यवस्था की बात हो, इलेक्ट्रानिक्स टेण्डर की बात हो, इलेक्ट्रानिक एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात हो स्वेत क्रान्ति, हरित क्रान्ति और उसके बाद नील क्रान्ति, नील क्रान्ति पहली बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी शुरूआत होने जा रही है। कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो हर मुद्दे पर सरकार ने सिर्फ कहा नहीं है करके दिखाया है। मैं आंकड़ों में ले जाना चाहता हूं अगर आप ध्यान से अभिभाषण को पढ़े तो डकैती में 22 प्रतिशत की कमी आई है, लूट में 43 प्रतिशत की कमी आई है, हत्या में 19 प्रतिशत की कमी आई है, बलवा में 20 प्रतिशत की कमी आई है और रोडहोल्ड अप में 25 प्रतिशत की कमी आई है। फिरौती के लिये अपहरण में 42 प्रतिशत की कमी आई है। यह बात आप उसी अभिभाषण में ध्यान से पढ़ियेगा तो नजर आयेगा। यह जमीनी बातें हैं। इब्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या ? अभी से आप लोग क्यों घबड़ा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधियों के बारे में जब कोई बात कही जाती है तो चोर की दाढ़ी से तिनका वाली बात आ जाती है। पता नहीं क्यों इन विपक्षी सदस्यों को खुजली होने लगती है। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा कौन सा गटजोड़ है कि जब अपराधियों की बात होती है तो यह तिलमिलाने लगते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था लागू करके, किताबों में नहीं, कानूनों में नहीं, धरातल पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने वह कानून व्यवस्था नीयत से, ईमान से लागू करके दिखाया है। वरना संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले कि हमारी पार्टी का सांसद जो एक छोटे से गरीब आदमी के मकान पर कब्जा कर रहा हो, उसे इस प्रदेश की मुख्य मंत्री ने अपने घर बुलाकर पुलिस के हवाले करने का अद्वितीय उदाहरण पेश किया हो। आप लोग अपने गिरेबान में झांककर देखिये। बहुजन समाज पार्टी के हमारे विधायक राजू पाल की हत्या हुयी। आरोप लगे और दुनिया जानती है कि अर्तीक अहमद का हाथ उसमें था। अगर नाम में न जाना चाहें, मैं पहली बार सदन में आया हूं, हो सकता है यह हमारी त्रुटि हो तो मैं इसको वापस लेते हुए किसी का नाम न लेते हुये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने उसको तब तक छोया, छुपाया जब तक वह कांग्रेस की गोद में बैठने का कोई संशय समाजवादी पार्टी को नहीं हो गया तब तक वह इनका बचाव करती रही और जब सारी चीजें हाथ से निकल गयीं तब जाकर समाजवादी पार्टी ने ऐसे सदस्य को अपने दल से निष्कासित करने का काम किया। यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं, यह दोमुहीं बातें नहीं चलेंगी। मैं पक्ष और विपक्ष से अलग हटकर कहना चाहता हूं कि मेरे मन की पीड़ा है, मेरे मन की यह वेदना है कि अपराधियों के साथ जब दोमुहीं बातें यदि हम करते रहे तो जिन परम्पराओं की बातें हम यहां किया करते हैं जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें यहां भेजा है, वह हम कभी पूरी नहीं कर पायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अन्दर आज बुद्धिजीवी डरा-डरा सा सहमा सा सच बात कहने से कतराता है। सिर्फ जान जाने के डर से जिस समाज में बुद्धिजीवी अपनी बात न कह पाये वह समाज कहां जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राज कुमार सिंह गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, बात अभी पूरी हुयी नहीं। छात्र हितों की नौजवानों की बात यहां कही गयी, मैं कहना चाहता हूं उनको अपंग बनाने की कोशिश शिक्षा के नाम पर, स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली के नाम पर उनके अंदर ज्ञान और विचारों का जो प्रवाह था, उसको रोककर उनके साथ जो छल किया जा रहा है ऐसे में उन नौजवानों की बात करना बेइमानी है। उनके जीवन में रोशनी लाने के लिये इच्छाशक्ति से आप प्रयास कीजिये। मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मैंने भी तिल-तिल करके कुढ़ते हुये देखा है कि कैसे नौजवान समस्याओं से पीड़ित होता है। उन नौजवानों के लिये चार पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं-

नया सिलसिला हूं चुभन पी रहा हूं,
थकी जिन्दगी का थकन पी रहा हूं,
अब तुम्हें चूसकर जो बने हैं मसीहा,
मैं उनके सपन का कफन सी रहा हूं।

छात्रों के नाम पर अब यह दुकानें नहीं चलने पायेंगी। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुये, आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि-

अब नये ढंग से अपनी शुरुआत हो, अब नया साल आया नई बात हो, भूलकर मन की सभी संकुचित भावना, अब नई जिन्दगी की शुरूआत हो, इसलिये आप भी इसकी तारीफ कीजिये। मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, जय भीम जय भारत।

श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो महामहिम राज्यपाल जी का वक्तव्य जो भी सरकार होती है उसका लेखाजोखा होता है। सरकार का वक्तव्य होता है, वह स्वागतयोग्य है। उसमें प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम वर्गों के लिए काफी कल्याणकारी बिन्दु हैं लेकिन फिर भी मेरी राय में कुछ ऐसे बिन्दु जरूर बाकी रहे गये हैं जिन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी था तो मैंने उन्हें सुझावों के रूप में अपने विचारों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला बदायूं है, मैं वहां के सहसवान विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हालांकि यह कहते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि सहसवान एक ऐसी विधान सभा रही है कि पिछली सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी वहां से विधायक के रूप में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य उस जिले का और क्षेत्र का है कि गंगा जैसी पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है लेकिन कोई विकास का काम आज तक नहीं हुआ है जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बलिया से नोएडा तक हाई-वे परियोजना लागू करने की बात कही है। बलिया से लेकर नोयडा

तक हाई-वे बनने की बात है तो इस क्षेत्र का करीब-करीब 100 कि0मी0 का एरिया उस हाई-वे के साथ लगता है। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। उस क्षेत्र का दुर्भाग्य यह रहा है कि अभी तक शिक्षा के नाम पर कोई भी राजकीय पी0जी0 कालेज या डिग्री कालेज उसमें कोई भी सरकार बना नहीं पायी है। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार जो चली गयी, उसके बाद एक बहुमत की सरकार प्रदेश में आयी। प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं उन दोनों पार्टियों का सदस्य नहीं हूं लेकिन मुझे भी बेहद खुशी हुई कि वर्षों बाद प्रदेश को एक बहुमत की सरकार मिली है। सोचा था कि बहिन जी, मुख्य मंत्री जी की नजर कुछ ऐसे क्षेत्रों पर पड़ेगी जो विकास से अछूते हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ऐसे बिन्दु जरूर आयेंगे जिनको अनदेखा करने का काम अभी तक की सरकारों ने किया है। लेकिन सहसवान विधान सभा जनपद-बदायूं का कोई भी उल्लेख शिक्षा को लेकर उद्योग को ले करके इस अभिभाषण में नहीं हुआ है तो मैंने अपने सुझावों में यह जोड़ने की कोशिश की, भला होता अगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए इस पिछड़े क्षेत्र की बीच में अगर वहां के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों जिनकी ज्यादा तादाद वहां पर है।

बच्चों के लिए अगर कोई शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा पी0जी0 और डिग्री कालेज बनाने की व्यवस्था की जाती तो बहुत कल्याणकारी कार्य यह होता। इससे आगे में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर अपनी बात कहना चाहता हूं और विशेषकर मैं अपने जनपद बदायूं की ओर से शुरू करना चाहता हूं। वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र की हालत आज भी यह है कि रोडवेज की जितनी बसें वहां से गुजरती हैं, वह बसें बस अड्डे न जा करके बाहर के बने बाई पास से होकर दूसरे जनपदों की ओर चली जाती हैं। मान्यवर, आज परिवहन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस सरकार ने कुछ कोशिश जरूर की है और कुछ सुधार भी हुआ है लेकिन अभी तक व्यवस्था यह है कि हमारे जनपद में यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। अलग-अलग वर्ग के हिसाब से महामहिम राज्यपाल जी ने अपना वक्तव्य दिया है। युवा कल्याण विभाग को भी उसमें शामिल किया गया है। आज जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वह है नौजवानों के सामने बेरोजगारी की। करोड़ों की तादाद में इस प्रदेश में पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं अच्छा होता कि सरकार के पास कोई योजना इन बेरोजगारों को काम देने की होती। बहुत बड़ी उम्मीद इस बी0एस0पी0 की सरकार से हम लोगों की थी हालांकि मैं यह नहीं कहता कि कल्याणकारी नीतियां बनाने में कमी है फिर भी युवा वर्ग को काम देने के उपक्रम बनाये जाते तो जरूर ऐसी ताकत का उदय होता कि जो भटकाव की स्थिति बन रही है वह न बनती और प्रदेश को एक अच्छी दिशा मिलती। अभी हमारे माननीय सदस्य कुछ आंकड़े पेश कर रहे थे, मैं भी उसे सुन रहा था कि जुर्म में कमी आई, अगर वह आंकड़े सही हैं तो बहुत अच्छी बात है और स्वागतयोग्य बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डकैती, चोरी, बलात्कार में कमी आई लेकिन एक चीज में बढ़ोत्तरी जरूर हो गई वह है विधायकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में। मैं प्रमोद जी को सुन रहा था, मैं भी उसका अपवाद नहीं हूं। पिछले सत्र में मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन किया

था कि मेरे खिलाफ कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है और मैंने यह भी कहा था कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मैं जब वापस पहुंचा तो एक साथ मेरे खिलाफ सात एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गई। मैंने आपसे भी अनुरोध किया कि इसकी किसी एजेन्सी से जांच करा लें और अगर इसमें सच्चाई हो तो मुझे सजा दे दी जाय। लेकिन मान्यवर, कम से कम हम विधायकों की जबान पर कुछ विश्वास भी किया जाना चाहिए। जब एक विधायक यह कहता है कि हमारे खिलाफ झूटी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई तो उसकी जांच करा लेना चाहिए। यदि आप जांच उन्हीं अधिकारियों से करायेंगे जिन्होंने एफ0आई0आर0 दर्ज करायी है तो सभी समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। मान्यवर, विधायक की जबान पर विश्वास किया जाना चाहिए, यदि कोई विधायक कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो उसकी जांच सी0बी0आई0 या अन्य किसी एजेन्सी से करा लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यह बड़ी न्यायोचित बात है। मैं समझता हूं कि विधायकों को यह जरूर विश्वास मिलना चाहिए यदि उनके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर दायर की जाती है तो उसकी जांच सही तरह से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ठीक ढंग से चल रही है मैं सरकार की चमचागिरी नहीं कर रहा हूं लेकिन पिछली सरकार के आधार पर कह रहा हूं। नेता छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में हम सभी लोग एक प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। मुझे इतना जरूर अफसोस है कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी बगल के क्षेत्र से चुनकर आई हैं दुर्भाग्य यह है कि यह वी0आई0पी0 क्षेत्र रहने के बावजूद आज भी वहां न पढ़ने के लिए पी0जी0 डिग्री कालेज है न कोई कालेज बनाने का काम किया गया न ही पालीटेक्निक कालेज खोला गया आज़ स्थिति यह है कि सड़कों की हालत यह है कि जो सड़कें बनाई गईं वह बिखरकर अलग हो गई हैं। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इन सड़कों को ठीक किया जा सके। मैं खेल विभाग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा खेल विभाग को विशेषकर देहात के नौजवानों को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम बनाये जायं मैं कहना चाहता हूं कि गांव का नौजवान भोला-भाला है सुविधाओं के अभाव वह आगे नहीं बढ़ पाता है उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के खेल कार्यक्रम चलाए जायं स्टेडियम खोले जाएं यह कार्यक्रम सरकार की तरफ से किया जाय। मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क आज सवा सौ करोड़ से ज्यादा का मुल्क है जिसमें उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 16 करोड़ लोग बसते हैं 16-17 करोड़ लोगों में हजारों नौजवान खेलना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है उस गांव के नौजवानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है वह दूसरे वर्गों के लिए भी उनके नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई रूरल डेवलपमेन्ट कार्यक्रम योजना के तहत ऐसे खेलों का प्राविधान किया जाना चाहिए जो आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें व उत्साह बढ़ाएं। आखिर में यह कहते हुए कि प्रदेश की आबादी का एक बड़ा भाग इन पिछड़े वर्ग के लोगों का है हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण के वक्तव्य को देखा है बड़ी-बड़ी सड़कें, पुल फ्लाई ओवर निजी क्षेत्रों

द्वारा बनाई जा रही हैं इन नौजवानों को उनमें भी समायोजित करना चाहिए। उनको रोजगार देने का काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव)-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। इस प्रदेश के गरीब लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जाय। चाहे गरीब की बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीब के बच्चे को स्कूल कालेज में पढ़ाने की बात हो अभाव के चलते इसमें रुकावट आती है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे इन सुझावों को शामिल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के वक्तव्य पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राम किशन जी बैठ जायं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आप हमारा नाम बार-बार भूल जाते हैं।

* श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा संशोधित प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जब भी कोई सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा इस प्रदेश की शिक्षा चिकित्सा और सुरक्षा पर ध्यान देने का काम किया जाता है लेकिन आज अफसोस होता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो जगह-जगह पर एक नारा होर्डिंग के माध्यम से हम लोगों ने देखने का काम किया था और वह नारा था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मान्यवर, मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि उस नारे को अगर कल्पना और परिकल्पना पर हम देखने का काम करें तो आज उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पिछड़ी जातियों की संख्या है किस तरीके से भेदभाव इस प्रदेश की पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है। शायद इसका जीता जागता उदाहरण कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्व सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी और उस योजना के द्वारा जिस तरीके से अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी में पैसा देने का काम किया जाता था उसी तरीके से ऊंची जाति और पिछड़ी जाति तथा दूसरे अल्पसंख्यक जातियों के लिये भी वह योजना लागू करने का काम किया गया था। शायद उत्तर प्रदेश के अन्दर उन जातियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है जो धनराशि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 में लगभग 100 करोड़ रुपये देने का काम किया गया था उस योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जाति की लड़कियों की शादी के वक्त उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की सरकार ने विगत वर्ष मात्र 10 करोड़ देने का काम किया है। मान्यवर, इस तरह से अच्छी तरीके से साबित होता है कि कहां तक यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाले लोग किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्दर जाति के आधार पर भेदभाव करने का काम कर रही है। मान्यवर, जहां तक शिक्षा का सवाल उठता है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाकर देखने का काम करें तो पता चलेगा कि किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम यह सरकार कर रही है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जिन विद्यालयों में 200, 300, 500 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर 2 या 3 अध्यापक हैं तो मान्यवर, उन अध्यापकों को भी पोलियो ड्राप पिलाने में, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के काम में लगाने का काम किया जाता है। कहीं दूसरे कामों में लगाने का काम किया जाता है। केवल एक अध्यापक या अध्यापक के स्थान पर शिक्षा मित्र के सहारे उन विद्यालयों में लड़कों को पढ़ाने के बजाय उनको जानवरों की तरह हांकने का काम किया जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के छात्रों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, किस तरह से उत्तर प्रदेश के उन छात्रों के साथ इस सरकार द्वारा जुल्म और ज्यादती की जा रही है शायद वह आपसे भी छुपी नहीं है। जिस तरीके से 7 तारीख को जब माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जय नारायण महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में गये थे तो वहां के पूर्व छात्र अध्यक्ष सुरेन्द्र छागर तथा दूसरे पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने मिलकर केवल एक ही बात करना चाहते थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अन्दर छात्र संघों पर पाबन्दी लगाने का काम किया गया है उस पाबन्दी को खत्म करने का काम किया जाय और छात्रसंघों के चुनाव कराने का काम किया जाय। मान्यवर, किस तरीके से उन छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे चलाने का काम किया गया है। 6 छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गये थे जिनको बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया गया। लखनऊ के पुलिस अधिकारियों ने जबरिया जाकर के अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कराकर जेल में भेजने का काम किया। दूसरे दिन छात्रों के आन्दोलन पर लाठी और गोलियां चला करके दो छात्रों की हत्या भी करने का काम किया। मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश के अन्दर चिकित्सा का सवाल है, मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार जब प्रदेश में थी तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश कि जितने भी मेडिकल कालेज थे, जिला अस्पताल थे उन सारी जगहों पर एक फैसला लेने का काम किया था उत्तर प्रदेश के अन्दर जिन लोगों के पास गरीबी की रेखा का कार्ड होगा वो कार्ड ले जाकर अस्पताल में दिखाने का काम करेंगे और उनका अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जायेगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के कोष से भी तमाम गम्भीर रोगों के इलाज के लिये धन मुहैया कराने का भी काम किया जाता था। लेकिन मान्यवर, आज अस्पतालों की स्थिति देखें तो अस्पतालों में दस रुपये की दवा देने का काम नहीं किया जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था का सवाल उठता है हमारे एक साथी बहुत अच्छी तरह आंकड़े पेश करने का काम कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष में बैठे अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी सच्चाई को देखने का काम करें। किस तरह से थानों में मुकदमें नहीं लिखे जा रहे हैं। रास्तों में आए दिन लूट होती है उनके मुकदमें दर्ज नहीं किए जाते हैं उत्तर

प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्ची कलई खोलने का काम एक सप्ताह के अन्दर तीन व्यापारियों की हत्या, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सच्ची कलई खोलने का काम कर रही है। मान्यवर, जहां तक बिजली का सवाल है माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कई बार हम लोगों को आश्वस्त करने का काम किया है कि ग्रामीण जनपदों में 12 घण्टे बिजली दी जायेगी। लेकिन आज यह दुर्भाग्य है कि जहां तक मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि कभी दो घण्टे, कभी चार घण्टे कभी एक हफ्ते बिजली नहीं आ रही है। आज यह बिजली की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर है मान्यवर, आज बात आई व्यापारियों की जो समस्या है मैं केवल व्यापारियों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में वैट कानून लागू हुआ। उसके लागू होने के बाद जितने गरीब तबके का आदमी है, जिस गोली की कीमत एक रुपये हुआ करती थी आज बाजार में उस गोली की कीमत दो रुपये हो गई है तो मान्यवर, ज्यादा न कहते हुए आज उत्तर प्रदेश में जो नहरों के हालात हैं एक उदाहरण देना चाहूंगा टेल पर पानी पहुंचाने का इस सरकार ने वायदा किया था। मेरे जनपद में रायबरेली और तीन जिलों को मिलाकर के रायबरेली, हरदोई, उन्नाव को मिलाकर भारत सरकार ने एक योजना स्वीकृत करने का काम किया था। मंशा यह थी उस योजना को स्वीकृत करने के पीछे कि 105 करोड़ रुपया जो नहरों की सफाई के लिए आया है उन नहरों की सफाई होगी उन नहरों का सुदृढ़ीकरण होगा और उन तीनों जनपदों को अच्छी तरह पानी मिल पाएगा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री उदय राज-

किस तरह से बंदर बांट हो रहा है। पता नहीं कहां बांटा जा रहा है। मान्यवर, यह बांदा और चित्रकूट से ठेकेदार बुलाकर उन्नाव में नहरों की सफाई का काम कर रहे हैं इतना ही नहीं उस विभाग के नहर विभाग के सारे कर्मचारियों ने दो महीने तक हड़ताल करने का काम किया। मैं बहुत न कहकर अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में छात्रों से जुड़ी समस्यायें हैं इस प्रदेश के नौजवानों से जुड़ी समस्यायें हैं। सरकार ने इन नौजवानों से वायदा किया था कि जिस समय बेरोजगारी भत्ता समाप्त किया गया उस समय वायदा किया गया कि मैं बेरोजगारी भत्ता के स्थान पर बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगी। लेकिन अभिभाषण में जहां तक देखा है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किस तरह से नौकरी दी जायेगी। इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सनातन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने नये सदस्य को बोलने का मौका दिया। यह मौका इसलिए दिया कि हमारे दल के नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा जो राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उस पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और सुनने को भी आती हैं, चाहे अगली पंक्ति में बैठे नेता हों या पिछली कतार में बैठे हमारे विधायक। जो बात यहां देखने को मिली निश्चित रूप से नया होने के कारण हृदय मर्माहत हुआ कि जब बाहर के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। चाहे हमारे द्वारा असंसदीय बातें की जाती हों या पक्ष में बैठे लोगों के द्वारा की जाती हों, निश्चित रूप से इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। इसके लिए हम सबको अपने आचरण में कहीं सुधार करना चाहिए। कई मुद्दे हैं, बोलने के लिए आपने संरक्षण दिया है, कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त, विकास युक्त वातावरण पैदा कर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने की बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है। लेकिन आज हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोग बलिया के चुनाव के समय गये थे। आप लोगों ने देखा होगा कि 8 माह के शासनकाल में बलिया में कौन सा विकास हुआ है। अगर तारीखवाइज नोट करना चाहते हैं, आप देखें 29 तारीख को वोट था, 28 तारीख को साढ़े आठ बजे रात को विजय सिंह को सरेआम उनके घर जाकर मारा-पीटा गया, आज तक उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 29 तारीख को चुनाव समाप्त होता है, 30 तारीख को दरवाजे पर खड़ी कमलेश शर्मा की बुलेरों गाड़ी जो चुरा ली जाती है, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। 2 तारीख को काउन्टिंग समाप्त होती है, 3 तारीख को शाम को छोटे से नगरा बाजार में मंत्री जी भी जाने का काम किए थे, जिसकी आबादी 5-6 हजार होगी, ये तीनों घटनाएं एक साथ की हैं, 20 लाख की चोरी होती है लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, जहां मेरा मूल निवास स्थान है, जब चुनाव चल रहा था, एक महीने के अन्दर 6-6 बार चोरियां हुई, आज तक किसी भी चोरों का पर्दाफाश नहीं हुआ और तो और हमारे मकान में भी चोरी की गयी जिसकी भी एफ0आई0आर0 दर्ज है लेकिन आज तक किसी के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लोग जो कर रहे हैं, वह आपके हिसाब से अच्छा होगा लेकिन विपक्ष सत्तापक्ष का दर्पण होता है और हम लोग राय देने का काम करते हैं, अच्छी हो तो ग्रहण करना चाहिए, बुरा हो तो उसको निकाल देने का काम करना चाहिए। मान्यवर, कल माननीय गन्ना मंत्री जी ने बड़े सौहार्द पूर्ण वातावरण में कहने का काम किया था कि प्रतिपक्ष में बैठा हुआ कोई भी विधायक अगर एक पर्ची दिखाने के काम कर दे कि गन्ने का मूल्य 110 रुपये से कम दिया जा रहा है तो उस चीनी मिल पर सख्त से सख्त कार्यवाई करने का काम करूंगा। मान्यवर, दोनों पक्षों में बैठे हुए विधायक किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं, आज गन्ने की स्मगलिंग हो रही है। क्योंकि गरीब किसान जानता है कि गन्ने का भुगतान सही समय पर सरकार नहीं कर पायेगी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पायेगी, अपने बेटे के स्कूल की फीस नहीं दे पायेगा इसलिए वह गन्ना माफिया को अपना गन्ना 50 रुपये में बेंचने का काम कर रहा है। इस पर सोंचने की आवश्यकता है कि ऐसा प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। चीनी निगम, सहकारी चीनी मिल को बेचने का आपने फैसला किया हैं। यह भी आप कह सकते हैं, इसमें पहले आपकी सरकार थी, उन्होंने

भी यही फैसला किया था। अगर हम बुरा काम कर रहे थे, यदि आप भी बुरा काम करने के लिए बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यह प्रदेश के लिए बुरा होगा। पूर्वांचल में चाहे औराई की चीनी मिल हो, चाहे बलिया की चीनी मिल हो, चाहे देवरिया की चीनी मिलें हों, इसमें हजारों मजदूर काम करते थे। आज आपने उन्हें बेंचने का फैसला किया है। इसमें तीन तरह के श्रमिक काम करते हैं, एक वह श्रमिक होते हैं, जो पूरे साल भर काम करते हैं, जो परमानेंट श्रमिक कहे जाते हैं, दूसरे वह श्रमिक होते हैं, जो सीजनल कहे जाते हैं, तीसरे वह हैं जो डेलीवेजेज पर काम करते हैं। क्या आपने चीनी मिल बेंचने के समय आपके अनुबन्ध में यह चीज रखी है कि जो 20 वर्षों से 25 वर्षो से, 30 वर्षों से उस चीनी मिल में काम कर रहे हैं, वह मजदूर कहां जायेंगे ? मान्यवर, वह मजदूर कहां जाएगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपने वेट लगाने का काम किया है। मान्यवर, इन्होंने चीनी मिले और कताई मिलें बंद करने का काम किया है। मान्यवर, इन्होने ईंट भटठे पर 12.50% वैट लगाने का काम किया है, इससे भटठे बंद हो जाएंगे तो उसमें काम करने वाले हजारों मजदूर लोगों के सामने रोजी-रोटी का छीनने का काम किया गया है। मान्यवर, इसी के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, आपने मुझें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज प्रदेश के गांव का गरीब किसान स्वावलम्बी बनना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मान्यवर, हमारा जनपद फतेहपुर जो गंगा और यमुना नदी के मध्य में है और वहां का जवान और व्यक्ति परीश्रमी है लेकिन इसके लिए वहां पर संसाधन नहीं है। उसका कारण यह है कि वहां पर सिंचाई के लिए न नलकूप है और न नहरों में पानी है। और मार्गों की व्यवस्था इतनी दयनीय है कि वहां लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। अगर कहीं पर सिंचाई की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी है तो वहां पर बिजली की समस्या है। किसानों को बिजली नहीं उपलब्ध हो रही है। इस कारण से वह स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि फतेहपुर जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है, उपेक्षित है और उसके लिए जो संसाधन दिये जाने चाहिए वह उसको दिये जायें। नलकूप दिये जायें, सिंचाई का पानी नहरों में भेजा जाय, साथ ही जो वहां की सड़कें हैं उसमें तमाम सड़कें नहीं बनती हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और पूर्वांचल विकास निधि से सड़कें बनाने का काम वहां नहीं किया गया है। वहां पर स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद के विकास के लिए जो भी शेयर आता है वह सड़क स्वास्थ्य, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जाय। उसके साथ पक्षपात न किया जाय। मान्यवर, एक बात और यह कहना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग से केन्द्र से कृषि मंत्री के माध्यम से प्रस्ताव आता है। हमारे जनपद के दोनों तरफ गंगा और यमुना नदियों का कछार है। यह योजना केन्द्र सरकार से आती है। तो मेरा कहना है कि मत्स्य पालन मंत्री जी को चाहिए कि वह वहां से योजना लाकर मछुआरों को मछुआ आवास दिलाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, इतना कहते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

एक-एक करके बोलवा लूंगा। अभी दस मिनट में सबको बुलवा लूंगा। डा0 राजेन्द्र जी आप बैठ जायें मैं अभी बुलवा रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें, मैं सबको सुन लूंगा।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे जनपद सिद्धार्थनगर के विकास किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। (कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान) जैसे उदाहरण के स्वरूप राजीव गांधी विद्युत योजना अभी अधूरी है, पिछले वर्ष गांव का विद्युतीकरण कराया गया। वहां अभी तक लाइन नहीं हो पायी है। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति की कोई समय सीमा भी तय नहीं की गयी है। हमारे यहां न तो कोई राजकीय कन्या डिग्री कालेज है और न लड़कियों के लिए कोई इन्टरमीडिएट कालेज है। वहां यह कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद उद्योग शून्य है। यहां पर पिछले वर्ष गन्ना मिल की स्थापना की बात की गयी थी परन्तु उसमें क्या निर्णय हुआ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, हमारे जनपद में एक भी टैक्निकल स्कूल नहीं है इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, हमारा जनपद सिद्धार्थनगर जहां कपिलवस्तु है भगवान बुद्ध पैदा हुए थे और उनके पिता शुद्धोधन की राजधानी थी। जब पूर्व मुख्य मंत्री वीर बहादुर जी थे तो उन्होंने बनारस से कुशीनगर और कुशीनगर से कपिलवस्तु श्रावस्ती होते हुए एक सड़क बनवायी थी, इसको चार लेन करने का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि कपिलवस्तु में पिछली बार 1997 में 22 मई को माननीया मुख्य मंत्री जी गयी थीं और कुछ कार्यों की शिलान्यास भी की थी परन्तु उसका कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, जनपद में पिठनी घाट और करधुलिया घाट पर लकड़ी का पुल है जो कई सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, जिला मुख्यालय को जोड़ता है इस पर पक्का पुल बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, नैपाल बार्डर पर बसने वाले हमारे जो भारतीय मूल के निवासी है उनको कोई सुरक्षा दिलाने का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है और न तो नैपाल बार्डर के किनारे में सड़क बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, जिला चिकित्सालय की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर कोई अच्छे डाक्टर नहीं है और न दूसरी आवश्यक चीजें है, इसका भी उल्लेख इसमें नहीं

किया गया है। मान्यवर, सिंचाई की कोई सुविधा की भी बात इसमें नहीं की गयी है। पुरानी नहरें थीं जिनको जमींदारी नहरें कहते हैं, तीन साल उन नहरों की पहले खुदाई हुई थी लेकिन पानी नहीं पहुंचता है और नये ट्यूबवैल लगाने की भी कोई बात इसमें नहीं की गयी है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे माननीय विधायकगण जी मा0 अध्यक्ष जी का संरक्षण चाहता हूं कि हम किसी अधिकारी को पत्र देते हैं या प्रमुख सचिव महोदय के यहां आते जाते हैं तो इनका कोई सम्मान नहीं होता है। इतनी मोटी-मोटी किताबें आपने हमको ट्रेनिंग में दिया, जिनमें उल्लेख किया गया है और शासनादेश भी है कि विधायकों के पत्रों की पावती और कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा लेकिन किसी पत्र की पावती नहीं मिलती है। उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी यह भी नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में इसमें कोई निर्देश जारी करने का राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, नारा जरूर दिया गया है "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" लेकिन मैं चाहता हूं कि यह नारा बदल करके स्व हिताय और सर्वजन सुखाय कर दिया जाय तो यह ठीक होगा। यह स्व हिताय के लिए है और पूरा प्रदेश सुखाय के लिए कर दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रतिपक्ष नेता जी ने जो प्रस्ताव किया है उस पर बल देता हूं।

*डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की स्थिति और उसमें बुन्देलखण्ड की स्थिति बहुत खराब है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों के हिस्से में, जो सूखे की चपेट में थे, डार्क जोन में हैं, वहां पर भू-जल का स्तर गिरता चला जा रहा है। वहां पर इसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस अभिभाषण में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भीषण पाला पड़ा जिसकी वजह से गन्ने की फसल खराब हो गयी, आलू बरबाद हो गया है। इसमें उन किसानों के उत्थान के लिये कुछ न कुछ पैकेज की घोषणा की जानी चाहिये थी लेकिन वह नहीं की गयी है। मान्यवर, प्रदेश का बुनकर बहुत खराब स्थिति में है। जब से हथकरघा उद्योग बंद है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। उन लोगों के लिये कोई योजना बनायी जाय जिससे बुनकरों को रोजगार मिले। एक सुनिश्चित रोजगार के तहत कोई योजना बनायी जाय। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये कोई गन्ना कमेटी या गन्ना आयोग का गठन किया जाय। उसके अंदर वैज्ञानिक, जानकार और विधायक लोग शामिल किये जायें जो एक नीति का निर्धारण करें।

गन्ने की पैदावार, पाला से बचाव के लिये, गन्ने के लिये उन्नत किस्म के बीज पैदा करना, गन्ने के लिये नई जातियों को पैदा करना, गन्ने से निकलने वाले प्रोडक्ट के रूप में चाहे वह बिजली हो, एथीनाल हो, उसके प्रयोग के लिये इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके ताकि हर वर्ष जो गन्ने के लिये चर्चा होती है वह न हो पाये। मान्यवर, इसी के साथ-साथ में एक बात और कहना चाहूंगा यहां से संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में नहरों का बहुत बड़ा जाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप संसदीय कार्य मंत्री जी के स्थान पर बैठ जायें।

डा0 अजय तोमर-

उन नहरों की बाईं पटरी, जो बड़ी नहरें हैं, गंगा की नहरें हैं, यमुना की नहरें हैं, शारदा की नहरें हैं इनकी बाई पटरी पर सरकारी जमीनें हैं मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस बाईं पटरी पर इस तरह के जैसे एक्सप्रेस हाईवे बनाये जा रहे हैं, इस तरह की कोई योजना बनाई जाये जो उस पटरी पर जिस पर किसान की भूमि का अधिग्रहण भी नहीं करना पड़ेगा किसी का नुकसान भी नहीं होगा बल्कि इससे किसान लाभान्वित ही होगा, आने-जाने वालों के लिये व्यवस्था भी होगी, उस पर चार लाइन, तीन लाइन या दो लाइन के रोड का निर्माण कराने का प्राविधान भी इसमें नहीं किया गया है। इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं ऊर्जा के विषय में भी कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, इसमें भी बहुत सारी योजनाओं के विषय में कहा गया है लेकिन जो सीधे-सीधे किसानो को प्रभावित करती हैं वह ट्रान्सफार्मर का मामला है। इसलिये ट्रान्सफार्मरों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। मान्यवर, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा चुस्त-दुरुस्त प्रशासन के लिये कुछ नये थाने खोलने की व्यवस्था की जाये इसके साथ-साथ पुलिस कान्स्टेबिल से सब इन्स्पेक्टर तक भर्ती की जाये इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में है कहीं राजनीतिक गतिविधि हो, कहीं धार्मिक सम्मेलन हो, कहीं कोई मेला लगना हो, कहीं कोई उत्सव होना हो, कहीं कोई रात्रि जागरण होना हो, किसी भी प्रकार का आयोजन हो, थाने की पुलिस सारी की सारी वहां चली जाती है उसके बाद कोई थाना देखने वाला नहीं बचता है। मान्यवर, इसलिये बजट में एक संशोधन करके जोड़ दिया जाये कि मेला पुलिस के नाम से प्रदेश में अलग से पुलिस का गठन किया जाये और सिर्फ इसी काम को करे और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने का काम करने वाले अपने काम को करें। मान्यवर, इसी के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में गन्ना किसानों की समस्याओं को जोड़ते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को बोलने के लिये आमंत्रित कर लिया है, इसलिये आप बैठ जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन प्रकाश-

बोलो गिरिराज महाराज की जय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इन्होंने गिरिराज महाराज की जय की है, इसलिये अब इन्हें अपनी बात कह लेने दें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे भारत में मथुरा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थली है और महाराज गिरिराज जी की बहुत बड़ी महिमा है। जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज का विशाल पर्वत विराजमान है। देश के करोड़ों-करोड़ों भक्तजनों की भावना गिरिराज से लगी रहती है। वहां बड़ी संख्या में लोग परिक्रमा करने आते हैं। लेकिन जो भक्तजन वहां आते हैं श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिये कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा का जो मार्ग है उसकी सड़कों की हालत यह है कि बीच बीच में सड़कें जर्जर हो गयी हैं परिक्रमा मार्ग की 21 किलोमीटर रास्ते में कंकरीट निकल आयी है। वहां जब मेला लगता है सड़कों पर जाम लगा रहता है कोई देखने वाला नहीं है कि वहां की सड़कों की स्थिति को सुधारा जाये।

मान्यवर, पानी का सवाल है, मान्यवर, सर्वविदित है कि वहां का पानी खारा है। सिंचाई का पानी खारा है। मान्यवर, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज के युग में भी 5-5 किलोमीटर दूर तक जाकर हमारी बहनें बेटियां पानी लेकर आती हैं और जब वह पीने योग्य पानी लेकर आती हैं तो उनके घरों में खाना बनता है। मान्यवर, जल निगम की जो वहां पर टंकियां बनी हुई है वह सब सफेद हाथी सिद्ध हो रही हैं। एक-एक टंकी पांच छह गांवों के लिये सृजित है लेकिन जिस गांव में लगी है वहां पर ही वह शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है, जलापूर्ति नहीं कर पा रही है। मान्यवर, हमारे बजट में वहां के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है। मान्यवर, हमारे यहां मानसी गंगा एक पवित्र धार्मिक स्थल है। लोग वहां पूजा अर्चना करने के बाद जल का आचमन करते है। आज मानसी गंगा का जल इतना दूषित हो गया है कि उसमें आचमन करना मुश्किल होता है। पानी में बदबू आती है। उसमें नाले नालियों का पानी गिरता है। इसी प्रकार से मान्यवर मथुरा में यमुना का हाल है। यमुना में शहर के सभी नाले नालियों का पानी आज अवैध रूप से गिर रहा है। मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं वह मथुरा से हैं उनको सब कुछ पता है। वह ध्यान दें। मान्यवर, जो बजट में मूलभूत बातों को रखा है वह अच्छा प्रस्ताव है कि "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय।" लेकिन जो स्थिति है उसमें नारा होना चाहिये "बसपा हिताय बसपा सुखाय।" मैं चाहूंगा कि वहां के पानी को शुद्ध बनाया जाय ताकि लोग आचमन आदि की धार्मिक क्रियायें ठीक प्रकार से कर सकें। मान्यवर, यहां पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, मथुरा जनपद में दो विधायक विपक्ष के

हैं बाकी सत्ता पक्ष के हैं, सरकार को चाहिये कि सबको साथ लेकर विकास की प्राथमिकतायें तय होनी चाहिये। माननीय ऊर्जा मंत्री जी वहां आये गोकुल में गये, छाता में गये, मांट में गये, उद्घाटन कार्यों को किया, लेकिन वहीं पर मेरा क्षेत्र गोवर्धन भी वहां पर नहीं आये। क्या वहां के निवासियों से आपका कोई सरोकार नहीं है। आप वहां की विद्युत व्यवस्था की ओर भी ध्यान दें। मान्यवर, एक योजना बनी थी कटिया कनेक्शनों को रेगुलराइज करने के सम्बन्ध में। इसके आधार पर कई अन्य लोगों ने भी फार्म भरा था कनेक्शन का इस भावना के साथ कि उनके घर में भी उजाला होगा। लेकिन स्थिति क्या है 15-15 साल हो गये वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बल्ब नहीं जले हैं बिजली के खम्भों की स्थापना की बात तो दूर रही और जिन्होंने बत्ती का कभी उपयोग नहीं किया उनके घर पर बल्ब नहीं जले हैं उनके पास 25-25 हजार रुपये के बिल आ रहे हैं उनकी रिकवरी के नाम पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसको रोका जाय। उन्होंने तो बिजली पाने के लिये फार्म भरा था। मान्यवर, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या मथुरा-गोवर्धन में सिंचाई की सुविधाओं की है। पूरे जनपद का खारा पानी मुख्यतया गोवर्धन क्षेत्र में है नीचे कहीं भी मीठा पानी नहीं है। हमारे यहां लोअर आगरा कैनाल सब डिवीजन है लेकिन स्थिति यह है कि पानी की आपूर्ति की सिंचाई की एल0 ए0 सी0 मथुरा में टेल तक कहीं पानी नहीं है। उससे 40-50 गांव एफेक्टेड है। मान्यवर, इस लोअर आगरा कैनाल में मैं बताना चाहता हूं रसूलपुर से लालपुर में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये कुल 40-45 लाख रु0 की लागत आयेगी वह स्वीकृति हो चुकी है लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उससे तमाम गांव एफेक्टेड हैं। उस काम को पूरा कराया जाये। वहां के लोग मान्यवर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण आज भुखमरी की स्थिति में है। पानी नीचे खारा है। मान्यवर, गरीबों, पिछड़ों दलितों की सरकार होने की बात तो यह कहते हैं, ठीक है लिखकर भी दे रहे हैं, किताब भी छाप रहे हैं लेकिन मान्यवर, आज हालात यह है कि जो मथुरा जनपद है या आप उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ले लें। एक योजना चल रही है कि जो गरीब, दलित पिछड़ी जातियों की बच्चियां होती है उनकी शादी के लिए 10-10 हजार रुपया दिये जाते हैं। मान्यवर, आज ही का क्वेश्चन है, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि अगस्त तक 1100 एप्लीकेशन प्राप्त हुई और उनमें से चेकिंग के बाद 400 को दिया गया। अभी पूरा साल पड़ा हुआ है मान्यवर, कैसे हो पायेगा ? मान्यवर, मैं दो मिनट ले लूं।

*कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

आप बैठ जायें, अब जो बच गया है वह मैं कह दूंगा।

श्री पूरन प्रकाश-

आप मुझे बैठने के लिए नहीं कह सकते हैं आपको अधिकार नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अब धौंस देकर बतायेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं बता रहा था कि हालात यह है कि जब तक वह दो हजार 4 हजार रुपया नहीं खर्च कर लेता है तब तक उसको 10 हजार का चेक नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको दिखवा लें। मान्यवर, कोटा का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया आप बैठे, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने कल माननीय नेता प्रतिपक्ष को, खन्ना साहब को बीजेपी और अन्य दलों के सदस्यों के सभी विचार सुने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं सन् 85 में पहली बार इस विधान सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। सन् 85 में सैफई की पुलिस चौकी से नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण शुरू किया करते थे और अन्त में उनका भाषण अधिक से अधिक कोतवाली तक खत्म हो जाता था। मैं समझ रहा था कि शायद इन 23 वर्षों में बहुत बड़ा अन्तर हो गया होगा लेकिन कल भी मैंने देखा कि सैफई की पुलिस चौकी से लेकर ज्यादा से ज्यादा डीआईजी तक वह मुश्किल से बढ़ पाये। कहीं विकास का सुझाव देने की आवश्यकता नहीं समझी। कल उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेट्री के ऊपर आरोप लगाते हुए भाषण प्रारम्भ किया कि नान आईएस आफिसर को कैबिनेट सेक्रेट्री बना दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब से माननीय नेता विरोधी दल पंचम तल पर गये हैं उनसे पहले से वह सन् 82 से पंचम तल पर है। जहां सचिव, प्रमुख सचिव और आज वह कैबिनेट सेक्रेट्री हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती मान्यवर, जिस मूल से माननीय नेता प्रतिपक्ष आते हैं हम भी उसी मूल से आते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है बिना छत के स्कूलों में हमने हाईस्कूल तक परीक्षा पास की है। माननीय नेता विरोधी दल जो बहुत छोटे कार्यकर्ता थे लेकिन माननीय नेता विरोधी दल को हमने बिना मडगार्ड की साइकिल पर पढ़ाने जाते हुये देखा है, उसी मूल से कैबिनेट सेक्रेट्री गांव से निकलकर आये और आज यदि उस आदमी ने परिश्रम करके, ईमानदारी से मेहनत करके यदि कहीं कैबिनेट सेक्रेट्री का पद प्राप्त कर लिया तो मुझे तो यह लगता था कि आज नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले उनको बधाई देंगे कि एक गांव के मूल का व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेट्री के पद पर पहुंच गया। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कभी किडनी कांड से जोड़ रहे हैं। बताइये मान्यवर, आज किडनी काण्ड को सबसे पहले यू0पी0 की पुलिस ने ही खोला है। यू0पी0 की पुलिस को ही इसका श्रेय देना चाहिये। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी कि आज आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 अधिकारियों का मनोबल टूटा है। मान्यवर, आज आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 अधिकारियों का मनोबल टूटा हुआ नहीं है। आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारियों का मनोबल तो तब टूटा हुआ था जब आई0पी0एस0, एस0एस0पी0 की पिटाई थानों में की जाती थी

इसलिये आज उनका मनोबल टूटा नहीं है। आज कानून का राज है और कोई कानून से ऊपर नहीं है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही थी कि छोटे प्रदेश बनेंगे तो नक्सलाइट वहां पनप सकते हैं। बुन्देलखण्ड में सूखा पिछले चार वर्षों से है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता कि किसी ने कोई काम किया कि नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने बुन्देलखण्ड के लिये जो काम किया है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो भी हमारे बुन्देलखण्ड के या और सूखा प्रभावित जिले हैं वहां 500 ग्रामीण खाद्यान्न बैंक हमारी सरकार की ओर से खोले गये हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर भूख से मरने नहीं दिया जायेगा। जहां तक हमारी सरकार की सफलता है जब प्रदेश में एक दल की सरकार आती है तो जेबकतरे से लेकर 5 लाख रुपये का इनामी बदमाश चौराहे पर बैठकर यह समझता है कि यह सरकार मेरी है। जब उत्तर प्रदेश में हमारे मित्रो की सरकार आती है तो मिलावट करने वाले समझते है कि सरकार मेरी है और जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो एक मजदूर और किसान भी यह समझता है कि सरकार मेरी है। इस सरकार के मात्र 9 महीने के कार्यकाल में 81 दुर्दान्त दस्यु मारें गये है। जिसमें 2 हजार रुपये से लेकर 5 लाख तक के ईनामी बदमाश इसमें मारे गये है। मान्यवर, किसी को यदि जुकाम हो तो गोली दी जा सकती है, बुखार हो तो इंजेक्शन लगाया जा सकता लेकिन चार साल का यह कैन्सर है और कैन्सर का इलाज के लिये तो आपरेशन भी करना पड़ेगा, ब्लड भी बदलना पड़ेगा। मै आज सुन रहा था हमारे माननीय खन्ना साहब ने बड़े जोर देकर सबसे पहले तो हैण्डपंप की बात कही और कहा कि हैण्डपंप भी भेदभाव पूर्ण तरीके से लगाये जा रहे है। मान्यवर, यदि हैण्डपंप का जी0ओ0 देखेंगे तो उसमे बड़ा साफ - साफ लिखा हुआ है कि आप विधायक अपनी मर्जी से सवा सौ हैन्डपंप दलित बस्ती में लगवायेंगे और सवा सौ हैण्डपम्प दलित बस्ती के बाहर भी अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं, यह विधायक की मर्जी से ही लगेंगे। शायद हमारे मित्रों ने यह अभिभाषण टीक से पढ़ा नहीं है इसलिये उनको कुछ गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ग्राम की सड़कें बनायी जा रही हैं मेरे ख्याल से इसका मतलब यह नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिये सड़कें बन रही हैं। अम्बेडकर गांव जो चुने गये हैं उनका आप पैमाना देखिये, यह कहा गया है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी के तीन गांव चाहे वह किसी भी जाति के हों और सबसे छोटे दो गांव चाहे वह किसी भी जाति के हों, कुल मिलाकर पांच गांवों को डा0 ग्राम अम्बेडकर ग्राम योजना के नाम से जोड़ा गया है, उसमें जाति की कोई बात नहीं है, पांच-पांच गांवों का विकास एक साथ किया जायेगा। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने और नेता विरोधी दल ने भी इस पर प्रकाश नहीं डाला है लेकिन लोगों ने विद्यालयों के बारे में बात की है। आज साठ साल हो गये हैं आजादी के लेकिन गांव के किसी भी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल की चहारदीवारी नहीं बनायी गयी है। कहीं गाय बंधी हैं, कहीं भैसें, कहीं सुअर, टहल रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राइमरी

और जूनियर हाईस्कूल की चहारदीवारी इस वर्ष बनवा दी जायेगी। आज तक यह बात किसी के दिमाग में नहीं आयी कि कमरे में अंधेरा भी हो सकता है। यहां कान्वेंट स्कूलों के बच्चे ए0 सी0 में बैठ करके पढ़ेंगे लेकिन क्या किसी ने सोचा कि गांव के बच्चों के पढ़ने के लिये रोशनी की भी जरुरत है। पहली बार हमारी सरकार ने प्रत्येक प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में विद्युतीकरण करके वहां बल्ब और पंखे लगवाये जाने की बात कही है।

विपक्ष की ओर से-

बिजली कहां से आयेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

बिजली भी आयेगी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, विद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ भाई कह रहे थे, मैं मानता हूं कि हर जगह डिग्री कालेज नहीं खोले जा सकते लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जूनियर हाई स्कूल तक ढाई हजार प्राइमरी, चार हजार जूनियर हाईस्कूल और पन्द्रह हजार कमरे भी इसी वर्ष बनवाये जायेंगे। जहां तक खेल के सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे तो शायद उन्होंने महामहिम राजयपाल जी के अभिभाषण को ठीक से पढ़ा नहीं है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम और एक बड़ा हाल बनेगा जो किसी भी आयोजन के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात और कही गयी कि बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया गया। मान्यवर, सभी को पता है कि बेरोजगारी भत्ता किन्हें मिल रहा था। आप अभिभाषण पढ़ करके देखें डेढ़ सौ रुपये से तीन सौ रुपये पेंशन इसी सरकार ने की है और पूरे उत्तर प्रदेश में बी0 पी0 एल0 लिस्ट में 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं प्रत्येक को पेंशन दी जायेगी और कम से कम इसमें 30 लाख व्यक्तियों को पेंशन मिलेगी और आप बेरोजगारी भत्ता बन्द करने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, अभी ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा था। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तीन बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन मान्यवर, आज तक पिछले 16 वर्षों में एक भी यूनिट बिजली पैदा करने का कोई कारखाना नहीं लगाया गया। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जैसा कि मा0 ऊर्जा मंत्री कई बार बोल चुके हैं और सभी विद्वान सदस्य जानते हैं कि कोई भी पावर प्लान्ट तीन साढ़े तीन साल में पूरा होता है। इसी सरकार के कार्यकाल में तीन साल में कम से कम तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का कारखाना चालू हो जायेगा और हमारा लक्ष्य है कि साढ़े चार साल में उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली हो जायेगी कि उससे हम केवल अपनी जरुरतें ही नहीं पूरी करेंगे बल्कि हम दूसरों को भी बिजली देने के काबिल हो जायेंगे। यह तो मान्यवर, इतनी बड़ी उपलब्धि के उस उपलब्धि लिये आप बार-बार इस बात को कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इधर के लोगों को भी अवसर दें। अब खत्म कीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, केवल दो बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, नहरों के बारे में माननीय सदस्य पूरन प्रकाश ने कहा, मेरा अपर आगरा क्षेत्र में पड़ता है उनका लोअर आगरा में पड़ता है। अगर पानी की कमी पड़ेगी तो मैं अपर में से दे दूंगा। जहां तक नहरों की सफाई का प्रश्न है करीब 72 हजार 450 कि0 मी0 लम्बी नहरों की सफाई की जा रही है। मान्यवर, लक्ष्य हमारी सरकार का है कि प्रत्येक नहर साफ हो। मा0 नेता विरोधी दल ने बहुत जोर दिया था कि हमने भूमि सेना चलायी थी, भूमि सेना बंद कर दिया गया, प्रदेश की पैदावार बढ़ जाती, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। पिछली बार भी हम कह चुके हैं कि मृत भूमि सेना में एक बार मात्र 90 करोड़ दिये, हमने तो पिछली बार किसान हित योजना में 156 करोड़ रुपये दे करके भूमि को लेबिल कराया है और किसानों को रोजगार दिया है। किसान हित योजना के द्वारा और जल संचयन योजना के द्वारा हमारा प्रयास है कि जैसे 4 साल में बुन्देलखण्ड में यह स्थिति आ गयी, हम कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। एक बात और अनुरोध करना चाहता हूं बड़ा कटाक्ष किया नेता प्रतिपक्ष ने, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे निकल गया तो किसान तबाह हो जायेगा। मान्यवर, जो 81 दुर्दान्त अपराधी मरे हैं, दो हजार से लेकर 5 लाख तक के इनामी थे, वह इन नदियों के खादरों में ही रहते थे। यदि बदमाशों का उन्मूलन हो जायेगा और आधा कि0 मी0 दूर ही हाई-वे बनेगा, कोई गांव नहीं भग रहा, कोई शहर नहीं भग रहा और जिन किसानों की जमीन जायेगी, मान्यवर, आज तक पूरे देश में आजादी के 60 साल बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रत्येक परिवार में से एक को नौकरी और विकसित करके उनको प्लाट भी दिये जायेंगे। इतना बड़ा लाभ हो रहा है। मान्यवर, बाढ़ का खतरा समाप्त हो जायेगा। जो भूमि पैदावार के लिए नहीं है उस भूमि को इतना विकसित करके दिया जा रहा है, रोजगार मिलेगा, होटल खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब कहीं भी नदी के चम्बल या यमुना के खादर उजड़ते हैं तो शायद हमारे मित्रों को लगता है कि जो पाल रखे हैं उन्हें कहां रखेंगे यदि गंगा एक्सप्रेस-वे बन जायेगा ? मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम सागर अकेला द्वारा प्रस्तुत श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वाचस्पति-

मान्यवर, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। माननीया मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो ही चुकी है और दिनों दिन विश्वास की कड़ी बढ़ती जा रही है, विकास तीव्र गति से हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इलाहाबाद से जुड़ा हुआ कौशाम्बी जनपद था उसको बनाकर उन्होंने हम लोगों पर, किसानों के ऊपर कृपा की है। वहां से लगभग 100 कि0मी0 की दूरी पर इलाहाबाद आना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ता था, सस्ता न्याय नहीं मिल पाता था, दिनभर का समय पहुंचने में ही चला जाता था और वापस चले आते थे ऐसी स्थिति में माननीया मुख्य मंत्री जी ने कौशाम्बी जनपद को नया जनपद बना करके उन्होंने कौशाम्बी जनपद को एक नया रूप में दिया है, परन्तु सपा के शासन में उसे खत्म कर दिया गया था। आज के समय में हमारी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कौशाम्बी जनपद को पुनः बहाल कर दिया है और वहां पर इस समय कौशाम्बी जनपद को जो पहले पहले जो गुलामी के समय जैसा जीवन व्यतीत करते थे आज इस सरकार में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में विकास कार्य प्रारम्भ हुए हैं। कौशाम्बी जनपद उदयन की राजधानी रहा है आज वहां पर प्रशासनिक भवन, राजकीय महाविद्यालय, एक विशाल मण्डी, पावर स्टेशन, जिला कारागार और पुलिस लाइन यहां तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सिराथू-सरायं तक 32 कि0मी0 मूरतगंज-भदेवा घाट 44 कि0मी0 सड़क बनाई जा रही है। इस सरकार के समय में यह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। इसलिए मैं जनपद कौशाम्बी में विधान सभा क्षेत्र सिराथू की जनता की ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि राम गंगा नहर में पानी बन्द है किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए तत्काल पानी की व्यवस्था की जाय या ट्यूबवेल्स और विद्युत पावर स्टेशन की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

अध्यक्ष जी महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के बारे में उधर से सदन में कहा गया कि महामहिम राज्यपाल महोदय जब प्रवेश कर रहे थे तो वह मुस्करा रहे थे वह इसलिए मुस्करा रहे थे कि उनके अभिभाषण में कुछ नहीं था। मैं उधर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं सिन्धु घाटी की सभ्यता के जमाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भय दिखाकर स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना को देखते हुए यह सोचते थे कि शायद कभी जिन्दगी में हमें भी स्वर्ग मिले स्वर्ग का दर्शन करेंगे। अध्यक्ष जी मैंने स्वर्ग पहले तो नहीं देखा लेकिन बाबा साहब डा0 भीमपराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया था उसके तहत जब मेरे जैसे तुच्छ बहुत से हमारे जैसे लोग विधान सभा और लोक सभा में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार के तहत वोट देने के अधिकार के तहत विधान सभा और लोक सभा में पहुंचे तब मैंने महसूस किया कि असली स्वर्ग अगर दुनियां में कहीं है तो विधान सभा और लोक सभा में है।

श्री अध्यक्ष-

क्षेत्र की बात करिये।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

33 करोड़ देवी देवताओं का भय दिखाकर मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर यह बात कही गई कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को कुछ लोगों ने राज्य सभा भिजवाया। बाबा साहब की बदौलत जो लोग आदिवासी हैं, गरीब और मजलूम हैं उन्हें लोक सभा

और विधान सभा में आने का मौका मिला। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को राज्यसभा में भिजवाया लेकिन वह यह भूल गए सच बात तो यह है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी के मसीहा कांशीराम जी ने पूरे देश में कहकर जो समाजवादी पार्टी है पहले समाजवादी नाम की कोई पार्टी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के मसीहा कांशीराम जी ने कह के समाजवादी पार्टी बनवाई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत कह कर पूरे प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्य मंत्री बनाया गया था इसलिये इनको बहुजन समाज पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब पूरे प्रदेश में इनका नामो निशान खत्म हो गया था, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं था तब बहुजन समाज पार्टी के मसीहा ने इनको यहां तक पहुंचाया। मैं उस जनपद से चुनकर आया हूं। आज तो तीनों लोग फरार हैं। कुल 4 सीटें हैं वहां इटावा जनपद में और मैं अकेला वहां से आज उपस्थित हूं। तीनों लोग आज यहां नहीं हैं और कहां होंगे ? अभी बात चल रही थी बड़े पैमाने पर एक सांसद को नचाने की बात थी मैंने तो देखा है कि सैफई महोत्सव लगाया जाता है और बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च किया जाता है और अगर जांच करा ली जाय तो पिछले सैफई महोत्सव में वहां भगदड़ में 30-40 लड़कियां गायब हो गयी थीं और उनका आज तक पता नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बता सकते है। कि आखिर वह लड़कियां जो सैफई महोत्सव में गायब हुई थीं वह कहां चली गई ? इस तरह का सैफई महोत्सव उस पूरे जनपद में होता है जहां तक विकास की बात होती है। उस पूरे जनपद में पूरे प्रदेश का करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च किया जाता है। अभी कह रहे थे कि हमको हरे पेड़ों से प्यार है। मान्यवर, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने जितने हरे पेड़ थे सबके सब कटवा दिये इटावा जनपद में, चाहे शीशम के पेड़ हों नहर के किनारे लगे हुए थे सब उन लोगों ने कटवा दिये और सारे का सारा पैसा सैफई में लगवा दिया। मान्यवर, इटावा में जो जिला अस्पताल था उसे भी बर्बाद कर दिया गया। न सैफई का अस्पताल चल पा रहा है न इटावा का। मा0 अध्यक्ष जी आपने हमें बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री आर0ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, 2008 और 2009 के बजट में अल्पसंख्यकों के लिये कोई प्रभावी योजना इसमें शामिल नहीं की गई है। इस बजट के पहले पन्ने पर लिखा है समतामूलक समाज की स्थापना। इस प्रदेश में 25 प्रतिशत लगभग दलित रहते हैं और 24 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के बच्चों के वजीफे के लिये जो प्राविधान किया गया है उसके 10 गुना प्राविधान जो हैं वह अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये किया गया है इसमें

अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिये कोई प्राविधान नहीं है। इसमें बहुत कम पैसा है उसके 1/10 हिस्सा है जबकि उनकी संख्या बराबर है और माननीय सिद्दीकी साहब बैठे हैं और हमारे जनपद के हाजी साहिबान वहां गये थे इसकी भी इसमें व्यवस्था नहीं है। हज यात्रा पर जो लोग गये थे, खजूर और पानी लेकर आये थे यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वह भी उपलब्ध नहीं कराया। यह इसमें बहुत बड़ी कमी है इस बजट में। शिक्षा की अभी बात कर रहे थे। माननीय मंत्री जी पूर्व में बोल रहे थे शिक्षा की बात कर रहे थे। शिक्षा में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल की जब से यह सरकार बनी है एक भी हाईस्कूल और इण्टर कालेज को मान्यता नहीं दी गई है। अल्पसंख्यकों की पुत्रियों की शादी के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग जो इस प्रदेश में है जिसमें 17 सदस्य है जिसमें 9 सदस्य जो हैं वह गैर अल्पसंख्यक हैं, यह अल्पसंख्यकों को अधिकार इस सरकार में मिल रहा है। इसमें गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य हमारे जनपद में बजाज शुगर ग्रुप की तीन फैक्ट्री है। एक पलिया में है, एक गोला में है और खम्भा एक खेडा में है उसमें करोड़ों रुपये अभी भी बकाया है और लखीमपुर में दो किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरीके से असेवित विकास खण्ड में इण्टर कालेज की स्थापना के अन्तर्गत सुश्री मायावती इण्टर कालेज दाउदपुर असाडी बिजवा लखीमपुर खीरी को भी अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

बदायूं जिले में छोटे सरकार साहब और बड़े सरकार साहब की बड़ी बड़ी दरगाहें हैं जहां इस देश और विदेश से दसियों लाख श्रद्धालु आते हैं। लेकिन उन दरगाहों के सौन्दर्यीकरण के लिये उनके विकास के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मैं यह भी मांग करता हूं कि इसको भी संशोधन में शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं। आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी यह जो अभिभाषण था-

"सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।"

यह टोटल कागजों पर आधारित बजट है मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या प्रदेश से आतंकवाद की और माओवादियों की है। पूरा प्रदेश जानता है आज प्रदेश में जिस तरह से आतंकवाद पनप रहा है और प्रदेश और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ जो क्षेत्र है और प्रदेश वहां माओवादियों ने किस तरह से अपने पैर फैला रखे हैं। यह चिन्ता की बात है। जब-जब प्रदेश से आतंकवाद का हमला होता है तो प्रदेश सरकार यह कहकर जिम्मेदारी से बंच जाती है कि यह केन्द्र अपनी की जिम्मेदारी है। मानते हैं कि केन्द्र की जिम्मेदारी है लेकिन उसके साथ-साथ प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। प्रदेश की 17 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। दूसरा सबसे बड़ा आज चिन्ता का विषय है किसान, किसान की चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ दो-तीन साल तक गन्ने का जो भुगतान है किसानों को नहीं हो पा रहा है। कई बार यह सवाल चर्चा में, सदन में आया है। माननीय मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद भी तमाम गन्ना मिलों पर गन्ने का भुगतान बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे प्रदेश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जनपद लखीमपुर के अन्दर तीन-चार किसानों ने जिनको गन्ने का भुगतान नहीं मिला था उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह दुखद बात है जिस देश के किसान को अन्नदाता कहा गया है उस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है यह शर्म की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र नेपाल सीमा से जुड़ा है और नेपाल सीमा से जुड़ा होने के नाते इसमें एक दुधवा नेशनल पार्क है। तमाम नदियां उस पार्क से होकर निकलती हैं। जैसे शारदा, है, मुहाना है, घाघरा है, सुहैली है, सरयू नदी है इन नदियों का पानी जब बनवसा बांध से छोड़ा जाता है 24 लाख, 25 लाख 30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। तमाम जानवर मर जाते हैं। तमाम आलीशान पेड़ बाढ़ से कटकर चले जाते हैं तमाम किसानों की फसल बाढ़ के पानी से बदबाद हो जाती है यहां तक की पूरे के पूरे गांव उजड़ कर बरबाद हो जाते हैं। इस बजट में बाढ़ की रोकथाम का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं कि दुधवा नेशनल पार्क की बाउण्ड्री करायी जाये जिससे उसमें रहने वाले जानवर बच सकें और जो गांव उसके पास हैं, उनमें आंकर जो जंगली जानवर नुकसान करते हैं, उनसे भी बचाया जाए। इस बजट में इसका कोई प्राविजन नहीं है कि जंगल की सुरक्षा कैसे की जायेगी ? मान्यवर, एकलौता उत्तर प्रदेश का दुधवा पार्क है, इस बजट में कोई प्राविधान इस तरह का नहीं है कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है, सिंचाई का, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तमाम नदियां होने के बावजूद इस बजट के अन्दर कोई भी बांध लगाने का प्राविजन नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं, सिंचाई मंत्री जी से, इसमें प्राविजन किया जाए कि जहां-जहां से बाढ़ का पानी आता है, उसको रोका जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह सरकार केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ का पैकेज मांग रही है लेकिन उसका कोई प्रारूप नहीं बनाया गया है कि इससे सभी मा0 सदस्यों के बराबर काम किये जायेंगे या किसी एक ही जगह पर पार्क आदि बना दिये जायेंगे। मान्यवर, हमारे यहां भी बाबा साहेब का पार्क बनाया जाए, मात्र एक जगह पर यह बना देने से काम नहीं चलेगा। हमारे क्षेत्र की जनता यहां आकर पार्क नहीं देख सकती है, हर जगह पर बनाया जाए। यह 80 हजार करोड़ का जो पैकेज मांगा जा रहा है, उससे किन-किन क्षेत्रों का काम कराया जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। मान्यवर, जो वैट लगाया गया है इससे समस्त व्यापारियों की कमर टूट गयी है और साथ ही आम जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ा है इससे मंहगाई चरम-सीमा पर बढ़ रही है, भट्टे बन्द हो गये हैं, हड़तालें चल रही है। मान्यवर, मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैंने निवेदन किया था कि नैमिषारण्य जो विश्व विख्यात पौराणिक तीर्थ है, में 33/11 केवीए का पावर हाउस बन रहा था, 80 प्रतिशत बन गया है लेकिन अब उसका काम रोक दिया गया है, उसका काम शीर्घ शुरू कराया जाए। अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था की बात कही जा रही है, बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं। मैं अपने जनपद की कानून-व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जिले में महोली कस्बे में एक ही रात में 13 ताले टूट जाते हैं, यह कस्बा जी0टी0 रोड पर स्थित है। व्यापारियों ने पूरा जाम लगा करके अपना विरोध प्रदर्शित किया। सीतापुर शहर में दिनेश अग्रवाल की मोबाइल की दुकान में चोरी हुई। मान्यवर, मेरे घर से मेरे सहयोगी की सफारी गाड़ी चोरी हो गयी, इन सब में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मान्यवर, कोतवाली मिश्रिख में एक विवादित उप निरीक्षक को चार्ज दिया गया है, जब से यह आया है क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, जिनकी एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज हो रही है और अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। जिनको उम्र कैद की सजा भी दी गयी है, दिन भर थाने में दलाली किया करते हैं। इसके पूर्व में भी यह जनपद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर के थानों में थानाध्यक्ष रह चुका है, विवादित कार्य प्रणाली के चलते काफी जांचें इनके विरुद्ध चल रही है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव मड़िया सरसई है, जहां से अष्ठधातु की मूर्तियां आज से लगभग 20 दिन पहले चोरी हो गयी हैं जिनकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी है और न ही मूर्तियां बरामद हुई हैं। मैं उस विवादित उपनिरीक्षक को हटाने की मांग करता हूं। मान्यवर, इसी प्रकार थाना पिसावां में नरेश गौतम को 20-7-07 को गोली मारी गयी थी, जिसको अपराध संख्या-359/7 में 307 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट में दर्ज किया गया था जो 20 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रहा लेकिन पुलिस की मिलीभगत से अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, उल्टे इसमें जो गवाह थे, उन्हीं को फंसाने की साजिश की जा रही है। थाना प्रभारी, मिश्रिख द्वारा एक [x x x] घटना

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हिस्ट्रीसीटर से एनसीआर नं0 05/2008 दर्ज कराई गयी है और उसी के आधार पर अपराध संख्या 19/2008, 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट लगाया गया है जो निराधार है। मान्यवर, मिश्रिख थाना प्रभारी द्वारा दिलीप कुमार दीक्षित, निवासी लुधौरा को दिनांक 28/29-01-2008 को उनके घर से पकड़ लाई और मिश्रिख थाने में लाकर बन्द कर दिया। दिनांक 31-01-2008 की रात्रि में थाना प्रभारी उनकी गिरफ्तारी फर्जी पुलिस मुठभेड़ में दिखायी है और उनके विरुद्ध अपराध संख्या 67/2008 धारा 307 आई0पी0सी0 2/3 गैंगस्टर ऐक्ट व अपराध संख्या 68/2008, 69/2008 दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जबकि उनके पिता ने दिनांक 29-01-08 को प्रमुख सचिव गृह, डी0जी0पी0 को टेलीग्राम कर अवगत करा दिया था और इन्हीं के बयानों के आधार पर दिनांक 20-09-07 में पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 443/2007 थाना मिश्रिख में पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, राम किंकर पाण्डेय, ब्लाक प्रमुख मिश्रिख को भी धारा 302 120 बी में नामित कर दिया गया जबकि इसके पूर्व प्रभारी निरीक्षक मिश्रिख ने उपरोक्त अभियोग 443/2007 में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी थी। मान्यवर, इसी प्रकार थाना-पिसावां में अपराध संख्या 194/7, धारा 147, 148, 323 श्री राम किंकर पाण्डेय ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध लगाया गया और इसमें विवेचक द्वारा एक बार 323, 504, 506 में चार्जशीट लगा दी गई। माननीय न्यायालय में श्री पाण्डेय जी द्वारा तीन बार प्रार्थना-पत्र आत्म समर्पण हेतु दिया गया। जिसमें वांछित नहीं है की आख्या आ ग.। इसमें 8 माह बाद अपहरण की धारा 364 पुराने अभियोग में तरमीम कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से इसकी निष्पक्ष जांच अन्य जनपद या स्वतंत्र जांच एजेन्सी से कराने की मांग करता हूं। जनपद सीतापुर की पुलिस से न्याय मिलना सम्भव नहीं है। थाना मिश्रिख की पुलिस राम किंकर पाण्डेय, ब्लाक प्रमुख को किसी अभियोग में बन्द करने व अपमानित करने का षड़यंत्र रच रही है। मान्यवर, आप यू0पी0 कोका लेकर आये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इसमें एक बात और कर दें कि जो अधिकारी गलत एफ0आई0आर0 लिखायें तो उसके खिलाफ भी इसमें कार्यवाही की जाये। आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय सभी अ0सं0 की जांच सीतापुर पुलिस से हटाकर किसी निष्पक्ष एजेन्सी या मण्डल से बाहर की पुलिस से कराने का कष्ट करें।

श्री राजीव चन्ना-

मान्यवर, आपने नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान लाचार लड़कियों के बेवस बाप की ओर दिलाना चाहता हूं जो 10 हजार रुपये की मृगमरीचिका में सूदखोरों के चक्कर में दबता जा रहा है और आत्महत्या करने को मजबूर है। मान्यवर मुरादाबाद जिले के अन्दर करीब 2 हजार प्रार्थना-पत्र और जे0पी0 नगर में आज की तारीख से करीब 1800 प्रार्थना-पत्र लम्बित है और रामपुर जिले में 1500 ऐसे ही प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं लेकिन इस सरकार ने कुल 17 हजार 133 के लगभग लोगों को ही यह लाभ देने की योजना बनाई है।

मान्यवर मेरा कहना है कि यह या तो बन्द कर दिया जाय या सबको दिया जाये। जितने भी प्रार्थना-पत्र आते हैं तो उस प्रार्थना-पत्र की आस में वह गरीब बेचारा किसान, बाप या वह औरत भारी ब्याज पर पैसा उठा लेती है कि उसके 10000 रुपये मिलने वाला है लेकिन 6-8 महीने गुजरने के बाद भी वह पैसा उसको नहीं मिलता है तो जितना पैसा मिलने वाला होता है वह पैसा सूदखोरों के पेट में चला जाता है और आय प्रमाण-पत्र बनवाने में उसके करीब 500 रुपये लग जाते हैं। मान्यवर, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब सूची मांगी जाती है तो उसके बाद 3-3 महीने तक पैसा नहीं दिया जाता है तो वहां पर विभाग के कर्मचारी सौदेबाजी करते हैं कि आपका नाम जुड़वा देंगे, आपको पैसा दिलवा देंगे इसके लिये उनसे एक से डेढ़ हजार रुपये वहां लिया जाता है तो इस प्रकार से 10 हजार रुपये मिलने से उसका भला नहीं होता। बल्कि वह और कर्जे में डूब जाता है। इसलिये मान्यवर उसका यह धन 3 महीने के अन्दर मिल जाना चाहिये और विवाह होने के 15 दिन के अन्दर यह धन मिल जाना चाहिये। तब तो इस योजना का फायदा है नहीं तो इस योजना का कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, दूसरा बिन्दु यह है कि जो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन है इनसे ज्यादा मजबूर व्यक्ति और कोई हो नहीं हो सकता। तो इसमें उनको पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है। वहां पर भी दलाली हो रही है उनको कई कि0मी0 तक चलकर आना पड़ता है इसमें कोई ऐसी योजना बनाई जाये कि उनको घर बैठे पेंशन मिल जाये। मान्यवर, मैं मुरादाबाद से आता हूं। वह बर्तन के लिये प्रसिद्ध है उसकी स्पर्धा चीन से है। जो डालर का मूल्य गिर रहा है उसके कारण निर्यातक घट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका बहुत हो गया है। समाप्त करें। डा0 राजेन्द्र सिंह बोल रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। कानून व्यवस्था के रूप में जब मैंने आंकड़े देखे तो ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर राम राज हो जायेगा। लेकिन मैं खुद भी आंकड़े लेकर आया और पता चला कि आगरा जनपद के अन्दर 2006 में 5204 अपराध हुए थे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्यागी जी आप बैठ जायें अगर इसी तरह से दो तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो हो नहीं पायेगा।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

2007 में चार हजार नौ सौ चौवालीस अपराध हुए मान्यवर, आंकड़े न बढ़ने का लिखने का मुख्य कारण यह है कि यहां पर न तो चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती है न डकैती की

रिपोर्ट लिखी जाती है, न रोड होल्डअप की रिपोर्ट लिखी जाती है। मान्यवर, यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई है लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर इसको देखा जाय तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पावरटी प्लस लास आफ आनरशिप की तरह से इसको देखा जा सकता है। चालीस हजार करोड़ रुपये से जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, मेरा यह मानना है कि यदि इससे सारी सड़कों को बनाया जाय तो दो लाख किलोमीटर लम्बी सड़क बन सकती थी पूरे प्रदेश में इस पैसे से। किसानों की, गरीबों की, इस अभिभाषण में पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। बेसिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। 301 के एक उत्तर में जवाब में मेरे पास अकेले फतेहाबाद ब्लाक की जो रिपोर्ट आयी है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि तीन सौ ग्यारह शिक्षकों की कमी फतेहाबाद ब्लाक में अकेले है रिहावली, साकुरी खुर्द, बिलोनी नगला मानके, नन्दापुरा, साकुरी कला, पिन्नाव पुरा, नागर, नन्दन वुर्जा नन्नगला परोली बक्कापुर और ग्यारह स्कूल इस समय बन्द है। जल स्तर की हालत फतेहाबाद में बहुत खराब है। 60 से लगाकर के 70 मीटर तक जलस्तर पहुंच गया है। हमने बैराज बनाने के लिये फतेहाबाद में कहा था और हमारे यहां की तीनों नदियों, यमुना उटंगन और खारी को मिलाकर बैराज बना दिया जाय तो हमारा फतेहाबाद, दयालबाग, आगरा और खेरागढ़ इन चारों विधान सभा क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। पालड़ा से हरनाल एस्केप से यमुना में पानी नहीं आ रहा है। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा से आगरा कैनाल निकलती है तो हरियाणा में सारा का सारा पानी चोरी हो जाता है, लेकिन इसके लिये सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है। टी0टी0जेड0 के अन्दर हमें 6 से 8 घण्टे बिजली मिल रही है। अम्बेडकर गांवों के मजरे में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कई पुराने गांवों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है जिसमें 63 पुराने अम्बेडकर गांव हैं जैसे बडांपरा खुर्द, हेरई, इगपतपुर मेंवली, कामा, सिकन्तरा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अधिग्रहण नीति की बात मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का पूल बनाया जाय, उसे डेवलप किया जाये और आधी जमीन किसानों को दी जाय तो किसानों को भी फायदा हो जायेगा। सड़कें मानकों के विपरीत बन रही हैं। आगरा शमसाबाद रोड के लिये हम दस बार कह चुके हैं लेकिन यह रोड जो कि अन्तर्राज्जीय मार्ग है, इसके बारे में कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला है। स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। मेडिकल कालेज के अन्दर एम0सी0आई0 के मानकों के अन्तर्गत 216 शिक्षक होने चाहिये लेकिन 134 हैं और रिक्तियां 77 है। धर्म परिवर्तन के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिये। वैट के बारे में कहना चाहता हूं कि जूते के ऊपर जो कारीगर जूता बना रहा है उसमें जूते पर 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। डीजल इंजन पर कर जीरो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है। मैं राजाराम त्यागी जी को पुकार रहा हूं।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणायें की हैं कि हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। मैं रायबरेली बछरावां सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी जिले में जिलाधिकारी सर्वोच्च होता है उसका काम देखने के लिये और तहसील और विधान सभाओं में उप जिलाधिकारी होते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि क्या अपने क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी और उप क्षेत्राधिकारी निवास करते हैं। मैं अपनी विधान सभा की बात बताना चाहता हूं। वहां उप जिलाधिकारी और न ही क्षेत्राधिकारी निवास करते हैं। न वहां के खण्ड विकास अधिकारी निवास करते हैं। आप विकास का जो ढकोसला पीट रहे हैं, विकास कराने वाले जो अधिकारी है जब वह ही अपने क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं तो कैसे विकास की गंगा आप बहायेंगे ? इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने कोई संशोधन नहीं किया आपकी सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया इसलिये मैं इस पर बल देता हू कि इसमें आप संशोधन करें। इतना ही नहीं, मान्यवर, एक प्रस्ताव पर और बल देता हूं कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के जन्म दिन के नाम पर चन्दे की वसूली अवैध तरीके से की गई और इतना ही नहीं रायबरेली में पूरे विकास खण्डों में मीटिंगे की गई मुख्य विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी के साथ पूरे ब्लाकों में की गई, उसमें गलत तरीके से पैसा वसूला गया और इतना ही नहीं उसकी जांच की जानी चाहिये, भ्रष्टाचार की शुरुआत विकास खण्डों से हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिये, इसका भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इतना ही नहीं हमारे जनपद के एक माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने एक स्वास्थ्य मेला लगाया उनकी नाक के नीचे व्यापारियों से गलत तरीके से वसूली हो रही है, तो हमारा यह कहना है कि इसकी भी जांच होनी चाहिये और मान्यवर, रायबरेली जनपद में केन्द्रीय निधि के माध्यम से सड़कों के लिये बहुत पैसा कांग्रेस सरकार ने वहां की सांसद सोनिया जी ने दिया पिछली बार की भी सरकार ने वहां की सड़कें बनाने में घोर घपला किया था और जब वहां सोनिया जी की मीटिंग हुई थी उसमें सोनिया जी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी, उस पर जांच हुई उसमें कुछ अधिकारी और कुछ वहां के ठेकेदार जेल गये थे, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, उन अधिकारियों को, उन ठेकेदारों को जेल से बाहर कर दिया। मैं कहता हूं कि इस संशोधन में कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिये, दोषी जेल गये, जेल से छूट गये यह सही है लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर वैसे के वैसे ही पड़ी है ऐसी कोई व्यवस्था आपने नहीं बनाई और मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय निधि से हमारे विकास खण्डों व जनपद में करोड़ों रुपये बिली व्यवस्था पर खर्च किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

बस त्यागी जी अब आप समाप्त करें। माननीय सोलंकी साहब पहले धनन्जय जी बोल लें उसके बाद आप बोल लेना।

श्री राजराम त्यागी-

मान्यवर, पूरे जनपद में रात को 11 बजे बिजली आती है सुबह सात बजे चली जाती है, दिन में आठ बजे आती है शाम को चार बजे चली जाती है, ऐसी स्थिति में मान्यवर बच्चे किस प्रकार से शिक्षा का अध्ययन करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। इसी के साथ मान्यवर, मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धनंजय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे इस राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सरकार का नारा है ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' और ''समतामूलक समाज'' की स्थापना की बात कर रही है सरकार। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद अगर कुछ बातों का जिक्र यहां नहीं किया जायेगा तो लगेगा कि यह सरकार कुछ विशेष लोगों के लिये ही चल रही है। मैं सुन रहा था अभी हमारे तमाम साथी बोल रहे थे, सत्ता पक्ष में बैठे आंकड़ों की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष की भूमिका सुझाव देने की है और सत्ता की उसे सुनने की भी है और उस पर अमल करने की भी है। सिर्फ यूं ही विपक्ष की बातें सुन करके कि यहां विपक्ष बोल रहा है, उसे सुन कर निकाल दिया जाये, उसके सुझावों, उसकी बातों पर अमल न किया जाये, उसके संशोधन को सुना न जाये इसको मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उचित नहीं मानता हूं।

मान्यवर, अभी आंकड़े दिये जा रहे थे कि इतने प्रतिशत अपराध घटा है। मैं अपने जनपद की बात कहूंगा। मेरे जनपद में कुछ घटनायें हुई जिसमें निर्दोष लोगों को पुलिस ने फंसाने का काम किया है। अगर पुलिस इसी तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाती रहेगी तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। कुल उसकी जवाबदेही सरकार को देनी होगी। निश्चित रूप से जब निर्दोष लोग जेलों में जायेंगे तो वह अपराधी बनेंगे। एक घटना मान्यवर, मड़ियाहूं थाने की है जिसमें तीन निर्दोष छात्रों को पुलिस ने फंसाने का काम किया है। जौनपुर के मड़ियाहूं थाने की घटना है। मान्यवर, यह बजट मैं मत्स्य विभाग का पढ़ रहा था इसमें लिखा है कि मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ सहकारी समितियों का गठन, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना तथा मछुआ आवासयोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें मान्यवर, कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है या इसमें आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका कोई उल्लेख नहीं है इस अभिभाषण में। मान्यवर, दूसरी तरफ आप देखें इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2007-2008 में 119.50 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 109 करोड़ मत्स्य बीज वितरित हुआ है। तो इसी तरह से उसका भी उल्लेख किया जा सकता था। साधारणतया धन का उल्लेख

जनरल वे में एक बात कही जा सकती थी। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यगण बराबर हैण्ड पम्पों की स्थापना की बात करते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भूगर्भ जल का स्तर आज गिरता जा रहा है नीचे के जल स्तर की आज दोहन बहुत अधिक हो रहा है। मान्यवर, हैण्डपम्प अधिक मात्रा में लगाना इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही स्थाई समाधान है। इसके लिये उपयुक्त होगा कि ग्रामीण स्तर पर नलकूपों की व्यवस्था की जाये। पाइप लाइन के माध्यम से पानी देने की वहां पर व्यवस्था की जाये। और उसके लिये समय निर्धारित कर दिया जाये कि इतने से इतने समय पानी मिलेगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर सिकरारा, वक्शा, अस्थरजाकला तीन प्रमुख ब्लाक पड़ते हैं। जो डार्क जोन के रूप में चिन्हित किये गये हैं। इसलिये नलकूप की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर करें। प्रत्येक ग्राम सभाओं में नलकूप की व्यवस्था हो। मान्यवर, ऊर्जा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस सुझाव को रखा था उनसे यह आग्रह किया था कि बोर्ड की परीक्षायें सन्निकट है इसलिये जरूरी है कि सायंकाल में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अवश्य कराई जाये। लेकिन इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं हे। आज चाहे 8 घण्टे मिले या 10 मिले उसका उल्लेख हो जाय कि इतने समय में इतने समय तक बिजली मिलेगी। कभी आती है कभी नहीं आती है। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था शाम को 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अवश्य कराई जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आज मिट्टी के तेल का अभाव है। केन्द्र सरकार से उसके आवंटन में कुछ कटौती हुई है पिछली सरकार के दरम्यिान में यह कटौती हुई थी। मैंने वहां के डी0एस0ओ0 से बात की थी कि आपूर्ति बढ़ाई जाये ताकि कैम्प से काम चल सके। मान्यवर, बिजली की व्यवस्था सायंकाल में अवश्य कराई जाये बोर्ड की परीक्षाओं के समय में। माननीय अध्यक्ष जी मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि परिसीमन के आधार पर विधान सभाओं के क्षेत्रफल की बात है। हमने शिवगुलामगंज मल्ली में सेतु निर्माण का आग्रह किया था लेकिन वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। मान्यवर, नये परिसीमन में वहां जाने के लिये 40 कि0मी0 का चक्कर लोगों को लगाना पड़ेगा। यह जवाब मिला है कि वहां पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि उसकी पुनः समीक्षा करा ली जाये और पुल का निर्माण कराया जाये ताकि आने वाले समय में लोगों को कोई संकट न हो।

मान्यवर, गंगा एक्सप्रेस वे के लिये मैं इतना जरूर कहूंगा कि तमाम एक्सपर्ट लगे होंगे उसको बनाने के लिये लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसका कोई औचित्य नहीं है। तमाम एनएच हाईवे है, स्टेट हाईवेज हैं लखनऊ शाहजहांपुर बरेली रोड जाता है इसी का चौड़ीकरण हुआ होता तो दिल्ली से आवागमन के लिये रास्ता बहुत उपलब्ध था। अननेससरी तमाम जमीनें अधिग्रहीत की जाती है किसानों को तमाम दिक्कते होंगी और जब एक्सप्रेस वे बनेगा तो उसके किनारे शहरों का निर्माण होगा और उसका प्रदूषण गंगा में जायेगा तो निश्चित रूप से गंगा वैसे ही प्रदूषित है और प्रदूषित होगी। उसे स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष जी आबकारी पर जरूर बोलना चाहूंगा। आबकारी के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की बात जरूर कही गई है इस समय जो दल सत्तापक्ष में बैठा है वह डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों का राजनीति करता है उनके उद्देश्यों पर चलने की बात करता है। संविधान की मूल भावनाओं के हिसाब से नशा की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम करने की बात कही गई थी लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी मद्य निषेध नशा की प्रवृत्ति को रोकने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि इसका जिक्र हो। माननीय अध्यक्ष जी जो शराब की दुकाने हैं, भांग की दुकाने हैं, गांजे की दुकाने हैं यह कम होनी चाहिये जिले में लक्ष्य निर्धारित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष एक दुकान कम होगी इससे नशा की प्रवृत्ति कम होगी। क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे नशा की प्रवृत्ति में धीरे-धीरे बढ़ रही है इसको रोकने की सख्त जरूरत है। इसलिये मेरा आग्रह है कि मद्य निषेध का विभाग अलग किया जाय। मान्यवर, जो जिला आबकारी अधिकारी होता है वह मद्य निषेध भी देखता है। विभाग अलग कर दिया जाय मद्य निषेध के लिये अलग अधिकारी काम करे ताकि इस प्रवृत्ति को हम रोक सकें।

मान्यवर, कार्मिक विभाग का एक प्रकरण है 182 हमारे पी0सी0एस0 अभ्यर्थी सड़कों पर है। 2004 का रिजल्ट 2007 जनवरी में निकला था अभी तक उनका कुछ नहीं किया गया है। उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनकी ज्वाइनिंग के लिये जरूर देखा जाय ताकि हमारे चयनित अभ्यर्थी हताश और निराश न होने पाये। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इसका जवाब दिया जाय तो इन 182 अभ्यर्थियों के बारे में अवश्य बताया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मेरे पहले दो संशोधन आपसे संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी ओर चाहता हूं। मेरे दो संशोधन आपसे संबंधित हैं। मान्यवर, मेरा पहला संशोधन आप यह कर लें । मेरा यह नम्र निवेदन है कि मैं नया सदस्य हूं पुराना सदस्य नहीं हूं आप मुझे पुराना सदस्य कहकर बैठाने का काम कर देते हो और मैं आपका आदेश मानकर बैठ भी जाता हूं। दूसरा संशोधन यह है कि आप मुझे मलिक साहब कहकर पुकारते हैं, मलिक साहब मेरे छोटे भाई हैं रिश्तेदार है वह मेरे। मेरा नाम सत्येन्द्र सोलंकी है आप मलिक साहब कहकर डांट देते हैं तो भी मैं बैठ जाता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको इसी नाम से सत्येन्द्र सोलंकी कहकर बुलाया हूं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज तो आपने यही नाम बुलाया है।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बरनावा है जो जनपद बागपत और मेरठ दो जनपदों में पड़ता है। बरनावा एक ऐतिहासिक जगह है। महाभारत में लाक्षागृह का जो जिक्र किया गया है वह बरनावा में पड़ता है। लाक्षागृह के विकास के लिये पर्यटन का विकास करने के लिये उसका कहीं उसमें जिक्र नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि उसको इसमें शामिल किया जाय। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिनैली में एक विद्युत उपकेन्द्र है। 45 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर वह इतना ओवर लोड हो गया है कि वहां 2 घण्टे से ज्यादा 3 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो पाती है।

मेरा कहना यह नहीं है कि सरकार दो घण्टे की आपूर्ति दे रही है। सरकार तो 12 घण्टे, 18 घण्टे की आपूर्ति करती है लेकिन हमारे किसानों को क्षेत्र में दो या तीन घण्टे से ज्यादा की आपूर्ति नहीं मिलती। पांच फीडर है, सबको डिवाइड करके चलाना पड़ता है, लाइन ओवरलोड है और विद्युत सब स्टेशन की मशीनें भी ओवरलोड हैं, उनको डिवाइड करके चलाना पड़ता है तो मैं यह चाहूंगा कि विद्युत मंत्री जी यहां पर हैं बरनांवा विधान सभा क्षेत्र में दो नये विद्युत उपकेन्द्र ग्राम रछांड तथा मवीकलां का प्रस्ताव आया है, तो इसको उसमें जोड़ने का काम करें और यह जो बिनौली सब स्टेशन है इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम करें तथा मशीनों की क्षमता बढ़ाने का काम करें। मेरठ और बागपत जनपद को जोड़ने के लिये एक मुख्य मार्ग है, मेरठ से वाया रोहता होते हुए बड़ौत, जो 50 कि0मी0 लम्बा मार्ग है इसमें से 35 कि0मी0 लम्बा मार्ग जो मेरठ जनपद में पड़ता है, दोनों जनपदों को जोड़ने का मुख्य मार्ग है, लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, अभी बैठे हुए थे, उस मार्ग को इतनी बुरी हालत है कि उसमें दो दो फिट गहरे गड्ढे हो गये हैं। हम लोग जब मेरठ आते हैं तो दूसरे रास्ते से घूमकर आना बेहतर समझते हैं। इस मार्ग पर वाहन चलने की स्थिति नहीं है। तो इस तरह के जो मुख्य मार्ग हैं उनको पहले ठीक कराने की जरूरत है। इसी प्रकार मेरठ से बरनावां वाया रोड का चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराया। जाय इसी प्रकार ग्राम दाहा से फौलाद नगर तक सड़क निर्माण कराया जाय। ग्राम जसड़ से पांचली तक सड़क निर्माण कराया जाय, कस्बा दोघट से कस्बा टीवारी तक सड़क निर्माण कराया जाये। बरनावा में महाभारत काल के लाक्षागृह से पर्यटनस्थल के रूप में विकसित किया जाये। सरधना बरनावां मार्ग से कस्बा बरनावल मार्ग का चौड़ीकरण उच्चीकरण कराया जाये। इसके अतिरिक्त बरनांवा क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू कराया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कानून व्यवस्था की बात कहना चाहूंगा। पूरे प्रदेश की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने जनपद बागपत की मुझे जानकारी है। आंकड़े इसमें दिये गये हैं, बहुत अच्छी बात है। अभिभाषण को जब पढ़ने का काम करते हैं तो बहुत खुशी

होती है कि शायद सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो वास्तविकता है आज एफ0आई0आर0 दर्ज करने का काम जिलों में नहीं हो रहा है और बागपत जनपद में तो मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है जिनको एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई है। एक महीने के अन्दर 9 डकैती हुई और 2 आदमियों की हत्या हुई। पहली 5 डकैतियों में मुकदमा कायम नहीं हुआ। बाद की डकैती में एक आदमी की हत्या हो गई, तब मुकदमा कायम हुआ। लगातार 9 डकैती हुई, चोरी और लूट, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं, कि कितनी हो चुकी है 6 महीने में। मुकदमा लिखा नहीं जाता एक एक महीने तक। जब हम प्रयास करते हैं तब मुकदमा लिखा जाता है जनपद बागपत में।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आपका समय समाप्त हुआ।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

तो माननीय अध्यक्ष जी मुकदमा कम लिखने से अपराध कम नहीं होगा। अभी मेरे क्षेत्र की एक घटना है थाना अतराबाद अलीगढ़ में पड़ता है और थाना सिकन्दराबाद पड़ता है दोनों थानों के बीच की घटना है, मेरे क्षेत्र के ट्रक ट्रैन्कर का एक ड्राइवर था, उसको रास्ते में बदमाशों ने लूट लिया, गोली लग गई उसको। थाना अतराबाद पर गाड़ी रोककर वह ड्राइवर और कंडक्टर 4 घण्टे तक, पुलिस से रिपोर्ट लिखाने के लिये कार्यवाही करने के लिये कहता रहा लेकिन 8 दिन हो गया रिपोर्ट कायम नहीं हुई, वह मर गया थाने पर वही गाड़ी में बैठा हुआ। दरोगा ने उसको यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरे थाना क्षेत्र की घटना नहीं है। यह दूसरे थाना क्षेत्र में घटना घटी है आप दूसरे थाना क्षेत्र में जाने का काम करो। मान्यवर, आज तक यह तय नहीं हुआ कि मुकदमा कौन से थाने में लिखा जायेगा। दो थानों की सीमा विवाद में यह मामला रह गया उलझ कर। एक आदमी की जान चली गई तो माननीय अध्यक्ष जी, एक गाड़ी वहां पर बरामद हुई। बदमाशों ने, जिन्होंने गोली चलाने का काम किया, जिन्होंने लूटने का काम किया उनकी। तब हमने बात की, उस गाड़ी में उन बदमाशों के रिश्तेदारों के मिलने वालों के टेलीफोन नम्बर थे, वह गाड़ी भी थाना अतराबाद के एस0एच0ओ0 ने गायब करने का काम कर दिया, तमाम लोग उसके गवाह है कि हां यह डायरी मिली है। तो आज यह हो रहा है कि मुकदमा लिखा नहीं जाता । इसी प्रकार परिवहन व्यवस्था का बुरा हाल है, माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी पाण्डे जी यहां बैठे थे, माननीय सदस्य है हमारे साथी हैं उन्होंनें एक बात कही थी कि बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में यह सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि आने वाले समय में इधर भी हम लोग बैठे नजर आयेंगे मैं कहना चाहता हूं कि अपने साथी से, कि आज उत्तर प्रदेश में, मैं सरकार के लिये नहीं कह रहा हूं मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों के लिये, जो आज सरकार मशीनरी में अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह लिखा जा रहा है कार्यवाही में और रिकार्ड रहेगा कि 50 प्रतिशत काम तो इधर बैठाने का अधिकारियों ने कर दिया है। बाकी 50 प्रतिशत ही बचा है। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, सब धरने प्रदर्शन, आन्दोलन करने का काम कर रहे हैं।

आज मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर अधिकारियों का यही रवैया रहा तो इधर बैठने का काम आपको करना पड़ेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो सदस्य बाकी रह गये हों उनसे लिखित रूप में आप ले लें और उसे कार्यवाही का अंग मान लें।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य हैं, 10-15 मिनट में सभी सदस्य बोल लेंगे, इसलिए बोल लेने दीजिये।

श्री शिव गणेश लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं, रायबरेली से चार विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत कर आये है। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से रायबरेली के साथ दुव्यर्वहार करना शुरू किया है, नहरों को बन्द कर दिया गया सफाई में धांधली की और खाद देना बन्द कर दिया गया है, बिजली देना पक्षपात किया गया है और किस तरह से वहां के लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है, इसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अगर "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" का नारा दे रही हैं तो आप रायबरेली के प्रति कैसा रवैया बना रखा है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने जिस तरह से बेरोगारों को प्रशिक्षित व रोजगार करने के लिए कल कारखाने खोलने का काम किया था लेकिन प्रदेश सरकार ने उस जमीन देने में गतिरोध पैदा करने का काम किया, इसलिए यह सरकार किसान विरोधी है और मैं इस सरकार के प्रति विरोध प्रकट करता हूं।

* श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं जनपद बांदा के बड़ेरू विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड के इन्सानों की भूख, बेबसी और लाचारी की बात करूं, उससे पहले एक अहम सवाल है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हम सुन रहे थे जब सत्तापक्ष के लोग बड़े विशाल हृदय से अपने आपको छात्र नेता कह रहे थे। मान्यवर, मैं भी डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर का अध्यक्ष रहा हूं, मैं कानपुर विश्वविद्यलय का भी अध्यक्ष रहा हूं। अध्यक्ष जी, आज हमारी अस्मिता पर चोट हो रही है, छात्र संघ हमारी जननी है, हमारी उस पवित्र जननी पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुग्रह नारायण सिंह की बात की जा रही थी, वह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी नहीं है, वह भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनसे कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं लौट चलो उन पुराने मस्ती के दिनों में जब बड़े स्वाभिमान के साथ छात्र संघ की दुहाई दिया करते थे। आज तुम्हारी मां के ऊपर संकट है, अगर छात्रसंघ नहीं होता तो हम विधान सभा में नहीं आये होते। आज उन छात्रसंघों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कहा जा रहा है कि इसमें गुण्डे और बदमाश हैं। अभी जो आयोग गठित हुआ था उसके द्वारा जो दिशा-निर्देश दिये गये थे उसमें कहा गया था कि एक बार ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। मान्यवर, क्या इस विधान सभा में अपराधी नहीं है और क्या यह मानकर इस विधान सभा को बन्द करने का काम किया जा रहा है। अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे लल्ला सिंह के विषय में कह रहे थे, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हत्या की लेकिन क्या विधान सभा को बन्द करने का काम किया गया। चाहे जितने भी कड़े नियम बना दो लेकिन चुनाव अवश्य होने चाहिए। छात्रसंघ हमारी जननी है, छात्रसंघ के ऊपर प्रतिबन्ध हम बलात्कार जैसी बातों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे तमाम सदस्य हैं जो यहां छात्र संघ से चुन करके आये हुये हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, हम लोग युवा लोकदल में साथ-साथ काम करते रहे और छात्रसंघ से चुन करके आये हुये हैं, लेकिन छात्र संघों पर पाबन्दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि नये लोग नहीं निकल करके आयेंगे जिनमें कुछ करने की जुर्रत है, जिनमें कुछ सोच, समझ और ताकत है वह लोग चुन करके आयेंगे। छात्र संघों से ही निकलकर आने वाले ज्यादा लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि ज्यादा ईमानदार और संघर्ष करने की क्षमता और उनकी एक सोच है जो छात्र संघ से निकल करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम जिस जिले से आये हैं और जो हमारी विधान सभा क्षेत्र है वहां से मा0 बाबू सिंह कुशवाहा हैं जिनका गांव पसरौली है, पसरौली गांव के रहने वाले हैं और श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे जिले के मंत्री हैं, नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ताकतवर नेता हैं। बुन्देलखण्ड की बदहाली, क्या बतायें अध्यक्ष जी, मीलों-मील चले जाइये, ऐसे खेत, बंजर पड़े हुये खेतों को देखकर ऐसा लगता है कि भुतहे मैदान में आ गये हों। अध्यक्ष जी, मातायें अपने बेटों को बेचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे बच्चे तो भूख से नहीं मरेंगे, मातायें केवल एक धोती में जी रही हैं पेटीकोट नहीं है, ब्लाउज नहीं है। माननीय मंत्री कुशवाहा जी और दद्दू प्रसाद जी भी उसी जिले के रहने वाले हैं, इतनी बदहाली है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। मान्यवर, 58 नलकूप दिये गये हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी से कहना चाहता हूं कि क्या आधार है, किस आधार वह नलकूप लगाये जा रहे हैं ? हम कहना चाहते हैं कि किसके प्रस्ताव पर वह नलकूप लगाये जा रहे हैं ? हम आग्रहपूर्वक आपके द्वारा इस सरकर से कहना चाहते हैं कि बांदा जिले में ही नहीं बुन्देलखण्ड में 225 फुट से नीचे पानी नहीं लिया जा सकता है, 225 फुट के नीचे इतनी तगड़ी पहाड़ की चट है कि उसको तोड़कर के पानी नहीं निकाल सकते। हैण्डपम्प जो बोर हो रहे हैं वह 190-200 फुट पर हो रहे हैं, वह कैसे सफल हो पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। कौन सा तरीका होगा, बुन्देलखण्ड के लोगों को पानी देने का ? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस दिन यमुना नदी पर बैराज बना दिया जायेगा, यमुना नदी में जिस दिन बैराज बन जायेगा उसी दिन बुन्देलखण्ड में आधे से अधिक हिस्से में पानी की समस्या हल हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, बैठ जाइये।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

* श्री दीनानाथ कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। देवरिया जनपद वहुत पावन धरती है जहां गौतमबुद्ध ने शांति और अहिंसा का सन्देश दिया था। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान कुशीनगर जनपद की एक गम्भीर और हृदय विदारक घटना है, उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले महीने 8 तारीख को रामचन्द्र इण्टर कालेज में आटो रिक्शा में बैठ करके लड़कियां पढ़ने जा रही थीं। उस आटो रिक्शा से उत्तर प्रदेश की अनुबन्धित बस टकरा गयी, दो लड़कियों ने घटना-स्थल पर दम तोड़ दिया और 6 घायल हो गयीं। जैसे ही घटना की जानकारी हुई आसपास के गांवों की भीड़ इकट्ठा हो गयी और गोरखपुर-कसया राजमार्ग जाम कर दिया। हाटा के कोतवाल बी0डी0 भारती दो घण्टे के बाद वहां पहुंचते हैं और बजाय भीड़ को समझाने के भीड़ पर लाठीचार्ज किया और अपनी सर्विस रिवाल्वर से फायर कर दिया। इतने में भीड़ बेकाबू हो गई उनको दौड़ा ली वह भागकर थाने वापस आ गए। बाद में सी0ओ0 कसया नागेन्द्र सिंह फोर्स के साथ आए उन्होंने भी वही काम किया जो बी0डी0 भारती ने किया जिससे भीड़ फिर बेकाबू हो गयी और वह एक गांव में छिप गए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह जो हृदय विदारक घटना घटित हुई है इसमें हमारे जिला पंचायत के दो बार सदस्य रहे हैं यह दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं यह घटनास्थल पर 3 बजे पहुंचते हैं। आई0जी0 जोन गोरखपुर घटना स्थल पर दो घण्टे बाद पहुंचते हैं उन्होंने आदेश दिया कि जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे इस आश्वासन के बाद रास्ता खुल गया लोग आने जाने लगे। मैं आपसे आग्रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इसमें बजाय आंसू पोछने के जो जांच सी0ओ0 खड्डा ने किया है उसमें गम्भीर आरोप लगाये गये हैं अपराध सं0-6/2008 के अन्तर्गत जो दफाएं लगी हैं धारा 147, 148, 149, 152, 336, 341, 353, 332, 427, 435, 504, 506, 307, क्रीमिनल ऐक्ट एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, 3/4 लोक निवारण के अन्तर्गत 13 नामजद व एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें जिला पंचायत सदस्य श्री कमलेश पाण्डेय, राम मनोहर शर्मा, अशोक पुत्र श्री राम कृपाल, श्री आनन्द प्रकाश,.....

श्री अध्यक्ष-

नाम पढ़ेंगे तो समय लग जायेगा।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

श्री सरवन कुमार, श्री सवरेज आलम, श्री कमलेश गिरि, श्री विद्या गिरि, श्री विजय प्रकाश डुमरी, श्री बब्लू गोस्वामी की बहन उर्मिला द्विवेदी, श्री प्रेम शंकर द्विवेदी जो लोक जनशक्ति के कार्यकर्ता हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

इसमें मृतका के नाम मन्जू व किरन हैं जिसने घटना स्थल पर दम तोड़ दिया उनके परिवार के हालचाल लेने के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा यह इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना है मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाय और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमें की यह जो प्राथमिकी दर्ज की गई है इसकी चाहे एस0आई0टी0 से या अन्य एजेन्सी से जांच कराकर इन लोगों को न्याय दिलाया जाय यह मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरी घटना श्री राम सूरत यादव यह मईन थाने के हैं यह सतरांव केन यूनियन के चेयरमैन रह चुके हैं इनका लड़का राजेश यादव यह बी0डी0सी0 के सदस्य हैं इनका यह अपराध है कि राजेश यादव जब पिछली बार प्रमुख का चुनाव लड़े थे तो एक पूर्व मंत्री के बेटे से मात्र 6 मतों से हार गये थे अब जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया अविश्वास प्रस्ताव में 63 जो बी0डी0सी0 के सदस्य थे उसमें से 42 बी0डी0सी0 के सदस्यों ने बयान हलफी देकर और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया और वहां के एक विधायक के इशारे पर इनके 72 वर्षीय पिता के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है वह गैंगेस्टर में जेल में हैं और यह राजेश यादव और राजेश यादव की पत्नी दोनों क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं यह गम्भीर प्रकरण है और उनके विरुद्ध फर्जी गैंगेस्टर एक्ट लगाकर जेल डाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया समाप्त करें जो सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं वह लिखित भी दे देंगे तो वह कार्यवाही का भाग बन जाएगा या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के

सम्बन्ध में कोई सदस्य अपने विचार लिखकर दे देगा उसको कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा लेकिन आज ही दे दें।

(लिखित भाषण के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 207-215 पर)

(व्यवधान)

कुशवाहा जी हो गया। लिखकर दे दें जो बात आप कह रहे हैं तो इत्मीनान से अपने क्षेत्र की समस्याएं भी दे देंगे और आपके विचार भी आ जायेंगे लेकिन आज ही दे दें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

तीसरी घटना जो है नवादा गांव के अन्दर ममता नाम की एक लड़की है उसको लेकर यह कहा गया कि इसमें जो है पिता और पुत्र सहित 9 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई और यह कहा गया पिता जिसकी उम्र 70 वर्ष है उनको भी बलात्कार के आरोप में फर्जी तरीके से फंसाया गया जिसमें से एक की उम्र 65 साल है, एक विकलांग व्यक्ति सहित 9 लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। बस दो-दो मिनट मैंने कहा था। राम किशुन जी आप बोलिये।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

और इसलिये मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समाज और राष्ट्र के शिखर पर पहुंचने के लिये सबसे सरल साधन शिक्षा है और इसके लिये पूर्व की सरकार ने जो कन्या विद्या धन योजना शुरू की थी नेपोलियन ने जो फ्रांस के अन्दर रेव्यूलूशन शुरू किया था। नेपोलियन ने कहा था कि अगर मेरे माता पिता पढ़े होते तो धरती और आसमान और पाताल पर कहीं भी....

श्री अध्यक्ष-

राम किशुन जी आपका समय समाप्त हो रहा है।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

* श्री राम किशुन-

चार लोग तो एक साथ नहीं बोल सकते। आप कम से कम व्यवस्थित तो कर दें। आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्थित क्या करना ? आप बैठ गये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं लिखकर भी दे देंगे तो इसको कार्यवाही का अंग बना लेंगे।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। कल से इस पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने आदर्श पुरुष के नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर बहुत लम्बा भाषण दिया है। हर दल अपने नेता के नाम से अच्छे कार्यक्रम चलाता है डा0 भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के सम्मानित नेता रहे हैं और उनकी विचार धारा को पूरा देश मानता है। मान्यवर, बड़ी चर्चा हुई है, मैं जानना चाहता हूं डा0 अम्बेडकर जी का पहला सत्याग्रह जल के सवाल पर था, असमानता के आधार पर था और उस आन्दोलन को लेकर उन्होंने पानी के सवाल पर एक आन्दोलन चलाया। आपने उस आन्दोलन के प्रतीक स्वरूप, उनके सम्मान के स्वरूप में इस प्रदेश में एक भी तालाब को सुन्दर स्वच्छ बनाने का काम किया हो ? मैं सदन के नेता से भी चाहूंगा और पूरे सत्ता पक्ष के लोगों से चाहूंगा कि आपने उनके आदर्श को नहीं माना। आपने पत्थर के महल बनाने का काम जरूर किया है, उनके स्मृति में, लेकिन जो उनका पहला आदर्श सिद्धान्त जो वह जल के सवाल पर, असमानता के आधार पर संघर्ष किया। मेरी जानकारी में जहां तक सही है। हो सकता है मुझे ानकारी न हो, उसको आप शुद्ध कर लेंगे। उनके पहले आदर्श को लेकर चलने का काम करियेगा तो जल के सवाल पर आने वाले दिनों में जो गम्भीर संकट होगा उससे बचने के लिये जल का संरक्षण किया जा सकता है। अच्छे तालाबों की खुदाई करके उसको सुन्दर बनाकर किया जा सकता है। हो सकता है उससे गांव के परिवार के लोग उसका उपयोग अच्छे ढंग से कर सकें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जिले के थे, उनके नाम से माननीय अध्यक्ष जी, 25 करोड़ की शताब्दी योजना चलाई गई लेकिन इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका कहीं जिक्र नहीं किया और उनकी योजना को जिन्होंने "जय जवान और जय किसान" का नारा दिया था, को या तो अन्यत्र किया जा रहा है या उसको समाप्त किया जा रहा है जिसकी मैं घोर निन्दा करता हूं और इस सरकार से मांग करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और जिसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी उंगली नहीं उठी उस व्यक्ति के नाम से 25 करोड़ की जो योजना थी उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपके आग्रह के अनुसार समय समाप्त।

श्री राम किशुन-

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखिये अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप हमारे संरक्षक हैं। दो तीन बातें मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। देखिये आज मैं बोलने के लिये बहुत देर तक सदन में बैठा हुआ हूं। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां के किसानों की जमीनें माननीय अध्यक्ष जी, गंगा एक्सप्रेस-वे के नाम, रेलवे यार्ड के नाम, हजारों-हजार एकड़ जमीन इण्डियन आयल के नाम से भारत पेट्रोलियम, चन्दासिव कोला मंडी के नाम पर...

श्री अध्यक्ष-

समय हो गया।

श्री राम किशुन-

वहां के किसानों की जमीन आजादी के बाद और आजादी के पहले लगातार छिनती जा रही है और उस क्षेत्र के विकास के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया हैं। जहां लालबहादुर शास्त्री की जन्मस्थली हो। मैंने पहले भी कहा था एक दलित नेता नहीं, एक संत नहीं पैदा हुए। शायद हमारे बसपा के नेता को मालूम हो वहां एक महान संत भी पैदा हुए जिन्होंने 16 हजार शाबर मंत्रों की रचना की थी उन मंत्रों के उच्चारण से शरीर की बहुत सी व्याधियां हर ली जाती थीं। उसके भी स्थान की उपेक्षा की।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राम किशुन-

मैं राज्यपाल के संशोधन पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो गंगा एक्सप्रेस-वे योजना है मेरे क्षेत्र में जी0टी0 रोड है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठें।

श्री राम किशुन-

इस योजना से लाखों किसान बर्बाद हो जायेंगे। छात्र संघों पर जो प्रतिबन्ध लगा है यह गम्भीर बात है। छात्र संघ की जो कीमत है हमारे भाई राजकुमार जी भी कह रहे थे। छात्र संघों की जो वैल्यू है उसको नष्ट करने का काम इस सरकार ने किया है। छात्र संघों से सिद्धान्त नीतियों में विश्वास करने वाले लोग आते हैं और जितने गुण्डे अपनी आबरू को बचाना चाहते हैं वह सीधे-सीधे ब0स0पा0 में चले जाते हैं इसकी आप जांच करा लें। महामहिम राज्यपाल के संशोधन पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं जिनको पुलिस परेशान करती है वह ब0स0पा0 में शामिल हो जायेंगे। वह दूध के धोए हो जायेंगे। एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं जितने अपराध बढ़ रहे है। उन अपराधों पर सरकार का अकुश नहीं है। एम0एल0सी0 हैं मिर्जापुर के उनके लड़के का दिन दहाड़े अपहरण हुआ। ब0स0पा0 के हैं और कौन इसमें मुल्जिम बना किसके समर्थक मुल्जिम थे इसकी जांच करा लें आपको पता लग जाएगा कि अपराध करने वाले भी ब0स0पा0 के थे और जिस पर अपराध किया गया वह भी आपके दल का था।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री राम किशुन-

मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जिस तरह से उनके 18-20 साल के बच्चे का अपहरण हुआ गांव वालों ने ललकारा...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री राम किशुन-

तीन-तीन हत्यायें मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुईं किसी का पर्दाफाश नहीं हुआ। चोरी डकैती लूट हमारे विधान सभा क्षेत्र में बढ़ी है और इसलिए बढ़ी है क्योंकि इसको नियंत्रण करने वाला न पुलिस कप्तान है और न कोई पुलिस इंस्पेक्टर है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम किशुन-

मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपराध बढ़ रहे हैं अपराधियों पर अंकुश नहीं है। आप अपनी पीठ थपथपा लें जनता समझ रही है। बिजली नहीं है छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सलिल विश्नोई जी को बुला लिया है।

श्री राम किशुन-

फसलो की बुआई नहीं हो पा रही है।

(श्री राम किशुन एवं श्री सलिल विश्नोई दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

* श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया लेकिन अध्यक्ष जी एक पीड़ा और है कि जो सदस्य पीठ के आदेशों का सम्मान करते हैं वह बोलने में उपेक्षित रह जाते हैं। कृपया हमारी इस भावना को अन्यथा न लें लेकिन मेरी भावना को समझने का प्रयास करें मेरे दल की तरफ से जो लिखित नाम गए थे उसमें मेरा नाम दूसरे नम्बर पर था। लेकिन उसके बावजूद भी, बड़े अनुरोध, अनुनय के बाद भी अब नम्बर आया है और अब समय इतना कम दे रहे हैं कि हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने दो सदस्यों को बुलाया था क्रम वाइज।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तमाम बिन्दुओं का जिक्र किया था। पूरा देश इस वर्ष आजादी की लड़ाई का 150वां वर्ष मना रहा है। पूरे अभिभाषण में एक लाइन भी इस बारे में नहीं कही गई कि सरकार ने अपने किसी क्रिया-कलाप द्वारा कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई को लड़ने वाले सेनानियों के प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं की गई। सरकार की ओर से कोई ऐसी योजना नहीं दी गई जो उस लड़ाई के लड़ने वाले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेनानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को जनता तक पहुंचाये बेहतर तो यह होता कि जैसे अभी हमने सेन्ट्रल असेम्बली के 100 साल पूरे होने पर एक जलसा किया था उसी तरह से आजादी की लड़ाई के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने पर हम विधान सभा की ओर से पूरे प्रदेश के कम से कम डेढ़ सौ स्वतंत्रता सेनानियों को यहां बुलाकर सम्मानित करते और हम सभी सदस्यों की ओर से यदि माननीय अध्यक्ष जी आप उनका सम्मान करते तो मैं समझता कि यह विधान सभा की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से हमारा कृतज्ञता ज्ञापन होता। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस पर विचार करे तो एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। लखनऊ में बहुत लोहिया पथ बने, बहुत से अम्बेडकर पथ बने, कानपुर और बिठूर स्वतंत्रता संग्राम का एक केन्द्र रहा है। कानपुर में नानाराव पार्क में एक बूढ़े बरगद के पेड़ के ऊपर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया। रस्सी से उनकी जानें ले ली गयीं। मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से कि इस 150वीं वर्षगांठ में नानाराव पार्क कानपुर से लेकर बिठूर जो नानाराव पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि थी, एक शहीद परिपथ का निर्माण कराया जाए, उन शहीदों की स्मृति में और यदि 150वें वर्ष में उन शहीदों को उन क्रान्तिकारियों को श्रद्धांजलि देने का एक विनम्र तरीका अपनायें।

मान्यवर, वैट के विषय में हर विधायक ने कहा, वैट के मामले में सरकार ने सदन को विश्वास में नहीं लिया। सदन होने वाला था, सदन के ठीक एक दिन पहले अध्यादेश के माध्यम से वैट लागू कर दिया। जिन लोगों पर, जिन व्यापारियों पर वैट लागू किया जाना था उन व्यापारियों से बिना विचार-विमर्श किए हुए तानाशाही तरीके से वैट लागू कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, बेहतर होता कि वैट को सदन के पटल पर लाया जाता और उसकी खामियों को दूर किया जाता तो आज जो पूरे प्रदेश में व्यापारियों में असंतोष व्याप्त है, वह असंतोष नहीं होता। मान्यवर, वैट को लगाने का जो सबसे बड़ा कारण था, वह यह था कि पूरे देश में एक समान कर की दरें हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वैट लागू किया गया है वह सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और बिहार में जो वैट की दरें हैं, उसके मुकाबले कई गुना अधिक हैं। इसके कारण से यह व्यापारिक असंतोष है। पेनाल्टी के जो क्लाज हैं, वह बहुत ज्यादा घातक हैं, यह व्यापारियों के लिए आगे चलकर बड़े पीड़ादायक होंगे। इन सब बातों से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वैट के ऊपर सदन में एक विशेष चर्चा अगर रख लिया जाए और जो व्यापारियों में असंतोष है जो मंहगाई आ गयी है जो धरना-प्रदर्शन चल रहा है, उस पर एक विचार करने का मौका दिया जाए। पूरे प्रदेश में विशेष रूप से कानपुर महानगर में गैस सिलेण्डर की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं, 2-2 कि0मी0 लम्बी लाइनें गैस सिलेण्डर लेकर लग रही हैं और गैस ब्लैक में मिल रही है तथा प्रदेश का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। गैस की इस किल्लत को दूर कराने के लिए मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार को कोई निर्देश दें और इस कमी के बारे में मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस तरह की जनता को कोई सहूलियतें मिलें, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, झांसी में जब यह वैट की

हड़ताल हुई तो 20 दिनों तक झांसी में हड़ताल रही और प्रदेश सरकार के दो मंत्री व्यापारियों के बीच में गये और उन्होंने आश्वासन दिया कि वैट की समस्या का समाधान किया जायेगा लेकिन आज तक कोई भी निर्णय सरकार की ओर से नहीं आया है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार व्यापारियों को कोई सहूलियतें देने की मंशा रखती है तो उसका खुलासा सदन में ही करे जिससे उस पर विचार हो सके।

मान्यवर, कानपुर की बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, 10 से 12 घण्टे की कटौती हो रही है, मा0 मंत्री जी स्वयं कई बार कानपुर जाकर कह कर आये हैं कि नियमित समय में बिजली की कटौती होनी चाहिए। लेकिन कटौती का कोई समय नहीं है, जो रोस्टिंग का समय है, वह तो 4 घण्टे होती ही है, उसके अलावा शाम को बिजली चली जाती है और जिस समय बाजार और दुकानें बन्द होती हैं, उस समय अंधेरा हो जाता है, जिससे लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गयी हैं और इससे लॉ एण्ड आर्डर की समस्या भी खड़ी हो रही है। मान्यवर, मार्च का महीना आ रहा है, पी0डब्लू0डी0 को अपना बजट खत्म करना है, यह विभाग सड़क के बीचोबीच डिवाइडर बना रहा है, उस डिवाइडर के ऊपर न तो कोई पेंट है, दिन-रात एक्सीडेन्ट हो रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, मेरा अनुरोध है कि पहले सड़को को चौड़ा किया जाए उसके बाद उनके बीच में डिवाइडर बनाया जाए, बिना सड़कों को चौड़ा किए बिना अतिक्रमण हटाये जो डिवाइडर हैं, वह मौत का दरवाजा बने हुए हैं, रोज निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं। मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग जनता दिवस पर और डी0एस0ओ0 समाज कल्याण अधिकारी और डी0एम0 के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी योजना बनायी जाये जो वृद्धों, विधवाओं को सहूलियत दे सके और इसका त्वरित निस्तारण होना चाहिए। आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष पर दिये गये संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बेसिक शिक्षा का जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गत वर्ष असेवित बस्तियों में मानक के अनुसार 813 नवीन प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य था, इस वर्ष 2500 है, गत वर्ष 5512 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु 31,535 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का लक्ष्य रखा गया था और इस बार 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने हेतु विद्यालयों में लगभग 15,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा में लगभग 80-90 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जब सदन पहली बार बैठा था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उधर से आश्वासन आया था कि जल्द से जल्द रिक्त पदों को पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा मित्र है, इनमें से जो लायक होंगे उनको भी सुविधा प्रदान की जायेगी। आज प्रदेश के बहुत से प्राथमिक विद्यालय बन्द हैं। मै सबसे पहले बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। दूसरी बात यह है कि सहकारिता की बात की गयी है। सहकारिता को आगे बढ़ाने की बात कही गयी है। मान्यवर, जिला सहकारी बैंक बहराइच में उपभोक्ताओं का लगभग 10 करोड़ रुपये बकाया है। उपभोक्ताओं का पैसा वापस नहीं हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं का धन दिलाया जाये। जिला सहकारी बैंक को संचालित किया जाये और जो समितियां बन्द हैं उन्हें चालू कराया जाये, जिससे किसानों को खाद, बीज मिल सके, मान्यवर, अभी डी0ए0पी0 के बारे में माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि गत वर्ष जितनी डिमाण्ड थी उतनी ही इस वर्ष भी डिमाण्ड है। मैं बहराइच के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे पक्ष के सदस्य नहीं थे आपके पक्ष के सदस्य थे वह काला बाजारी वहां पर जो हो रही थी उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया था। आपके अधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। खाद उपलब्ध नहीं थी, खाद के लिए परमिट एस0डी0एम0, तहसीलदार देते थे। क्या उत्तर प्रदेश में कोटा परमिट राज चलेगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि खाद उपलब्ध करायी जाये। मान्यवर, सरयू नहर परियोजना 1975 में बहराइच में शुरू हुयी थी, 33 साल हो गये लेकिन अभी तक सरयू परियोजना का प्रथम चरण भी पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरयू परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। मान्यवर, चलारी घाट का पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। मान्यवर, बहराइच से दिल्ली की दूरी 100 कि0मी0 पुल बनने से घट जाएगी। लेकिन बहराइच-सीतापुर का जो सम्पर्क मार्ग है उसमें पुराना लकड़ी का जर्जर पुल बना हुआ है। उसमें से वाहनों का आवागमन बढ़ जाएगा। इसको सही कराया जाये। बहराइच-सीतापुर मार्ग को जोड़ने का काम किया जाये। मान्यवर, दो तीन बिन्दु और महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, रिसिया में 10 नवम्बर, 2007 को एक सुषमा देवी नाम की महिला चार बच्चों को लिये ट्रेन से कटकर मर गयी थी। मान्यवर, रिसिया में ही गत माह चार बच्चे घूमते-घूमते गिरकर मर गये। 9 मौतें हो चुकी हैं लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही कोई सहायता उपलब्ध करायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उनको मुआवजा दिलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अभिभाषण प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य एक मिनट रुक जायें। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वह भी लिखकर दे रहे हैं, तो मेरा यह अनुरोध है कि जो नहीं बोले हैं वही लिखकर दें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, सर्वजन में किसान जन भी होता है, इसकी कोई बिरादरी नहीं होती है। हर गांव में रहने वाले, देश में रहने वाले प्रदेश में रहने वाले लोग किसान हैं। किसान की स्थिति यह हो गयी है कि आज पांच दस बीघे से ज्यादा किसी पर जमीन नहीं है और सरकार यह कहे कि पिछली सरकार ने पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी तो हम भी नहीं देंगे तो यह उचित नहीं है। मैं सभी बातों को न कहकर अपने क्षेत्र की दो तीन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बार-बार टेल तक पानी पहुंचाये जाने की बात कही जाती है। मेरे क्षेत्र में दो रजबाहे हैं एक तो बड़ौदा और दूसरा जेवर रजबाहा पिछली सरकार में पानी रहा लेकिन इस सरकार ने नहीं दिया हम लड़ते-लड़ते मर गये। हमारे यहां तीन माइनरें हैं एक तो जटरानी, मादक माईनर और बाजौता माईनर, पानी टेल तक पहुंचने की बात करते हैं लेकिन यहां तो शुरू में पानी नहीं आया तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यह टेल तक पानी किसानों के लिए क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। जबकि भाषण में सरकार कहती है कि टेल तक पानी जा रहा है। बिजली की बात है। बिजली की स्थिति क्या है, जहां बिजली घर है वहां पर लाइनमैन नहीं हैं, एस0डी0ओ0 नहीं है, जे0ई0 नहीं है। अगर किसानों को गांव के लिए दस घण्टे बिजली दी जाने की बात कही जाती है तो उसे दो तीन घण्टे ही बिजली मिल रही है। मान्यवर, अभी 31 जनवरी तक बिजली के बकाये को जमा करने की किसानों को आखिरी तारीख दी गयी थी। यह जनवरी का महीना है। किसान पैसा कहां से लायेगा ? गन्ना लिया नहीं जा रहा है, आलू में पाला की मार है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए बिजली के बकाये को जमा करने की आखिरी तारीख को 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मई, की जाय। मान्यवर, अलीगढ़ मुख्यालय पर पांच सौ पचास रुपये संयोजन और विच्छेदन शुल्क किसानों से लिया जा रहा है। मेरे पास कापी है। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। मैंने जब एक्सइन से और ए0सी0 से बात की कि भई ये किसानों के बिल के साथ साढ़े पांच सौ रुपये किस बात के लिये जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा मान लिया कि हमने कनेक्शन काट दिया और हमने कनेक्शन जोड़ भी दिया, लेकिन मान्यवर, न कनेक्शन काटा गया न जोड़ा गया और किसानों से साढ़े पांच-पांच सौ रुपये विद्युत बिल भुगतान के समय लिये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी किसानों को वह साढ़े पांच सौ रुपये वापस कराये जायें। माननीय अध्यक्ष जी खाद की बात माननीय मंत्री जी के सामने हम कई बार रख चुके हैं, पूरे प्रदेश किसानों को खाद बड़ी मुश्किल से मिली, वह भी लट्ठ वगैरह खाकर मिली। मैं तो यही आपसे कहूंगा कि ये सरकार किसान जन की भलाई के लिए, किसानों को बर्बाद करने लिए है!

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, सात बजे तक मैंने कहा था, अब सात बज गये हैं, इसलिए अब आप समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, जब तक किसानों के लिए सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब यह प्रदेश, गांव और गरीब की तरक्की नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष जी एक बात की ओर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां भी डकैती होती है ट्रैक्टर लुटता है और एस0ओ0 सीधे मना कर देता है कि हमसे मना किया गया है इसलिए हम डकैती की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो यह तो यह जो अपके अभिभाषण की किताब में जितने भी आंकड़े हैं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सब [x x x] का पुलिन्दा है, इसमें जो अंकड़े दिये गये हैं वह सब [x x x] हैं आप किसी भी थाने को, किसी भी तहसील को, किसी भी क्षेत्र को आप अपने माध्यम से जांच करा लीजिये रोजाना डकैतियां हो रही हैं, उन्हें चोरी में तब्दील किया जा रहा है। चोरी हो रही है तो उसे 154 में तब्दील किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब अब आप समाप्त करें। राय साहब आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य रह जायेंगे वह सामान्य बजट भाषण की चर्चा पर बोल लेंगे।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा बाकी तो बजट के ऊपर कहा जायेगा। इतने कम समय में मैं यहां क्या कहूं-

"हाजिर वही सवाल है, बदले लिबास में,
राही भटक रहे हैं, मंजिल की तलाश में।"

तो मैं किसी मुद्दे पर नहीं कह रहा हूं केवल एक समस्या का जिक्र मैं कर रहा हूं, बाढ़ की समस्या हमारे यहां हैं, सूखे की बात की गई है, हमारे विधान सभा क्षेत्र के तमकुही तहसील में बाढ़ आई, ए0पी0 बंधा टूटा और बाढ़ आने के बाद से तकरीबन ढाई से तीन महीने तक लोग बाढ़ पीड़ित रहे हैं। आप ही की राजाज्ञा है, आप ही का आदेश है और उस आदेश के अनुपालन में जो राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए थी वह राहत नहीं मिली है और इस सदन में इस बात को दो-तीन बार उठा चुका हूं तो इस पर जरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गम्भीरता से विचार करें, कि क्या सदन में केवल औपचारिकता मात्र है ये बातें कहना और बोलना ? इसको अगर संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और इसके ऊपर अगर कार्यवाही नहीं की जायेगी तो हम जैसे लोग यह सोचेंगे कि बोलने का कोई मकसद नहीं है। केवल इतना दिखवा लीजिये कि क्या

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शासनादेशों के अनुरूप उन लोगों को राहत दी गई है, घर गिराई दी गई है, फसल का मुआवजा दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, इतनी ही सी बात मैं अपनी कह करके और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, बजट चर्चा में आपकी कृपा रहेगी और मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप पर तो हमारी कृपा रहती ही है डाक्टर साहब।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाये जाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय सत्येन्द्र सोलंकी जी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। अब हम मद संख्या-11 लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना चौ0 धूराम लोधी की बुन्देलखण्ड में सूखा राहत चेकों के वितरण में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के अकोला निवासी श्री प्रवेन्द्र कुमार शर्मा के पुत्र को डी0पी0टी0 वैक्सीन लगाने के कारण हुई मौत के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के ढिढाली गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील के भोजन की सामग्री में जहरीली पदार्थों के मिलावट के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद बलरामपुर के ग्राम सिसवां अन्तर्गत मुस्लिम दरगाह की दीवार, शिलापट्ट तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री मदन भैया की जनपद गाजियाबाद की लालबाग कालोनी स्थित हरित पट्टी की भूमि से माफियाओं के अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु

स्वीकृत, छठी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के ग्राम जलालपुर के श्री योगेन्द्र यादव एवं उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री काशीराम की जनपद रामपुर में शराब फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के ग्राम घूरखेत के बहुसंख्यक कृषकों के आवंटित कृषि भूमि के पट्टे चकबन्दी अधिकारियों द्वारा निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री सूरज सिंह शाक्य की जनपद एटा के थाना सिढ़पुरा में दिनांक 09-01-08 को दर्ज मुकदमें में वांछित मुल्जिमों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री अनुग्रह नरायण सिंह की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद के चयन में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की जनपद अलीगढ़ स्थित अग्रवाल आटोमोबाइल, खैर पर किरोसिन आयल के मिलावट करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री राजा राम त्यागी
2-श्री श्यामदेव राय चौधरी
3-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह
4-श्री इरफान सोलंकी
5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
6-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
7-श्री सुन्दर सिंह
8-श्री आर0ए0 उस्मानी
9-श्री दीप नारायण सिंह
10-श्री सर्वेश सिंह
11-श्री दुर्गा प्रसाद यादव
12-डा0 राजेन्द्र सिंह
13-श्री सुरेश कुमार खन्ना
14-श्री यशपाल सिंह चौहान
15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
16-श्री विद्यासागर गुप्ता
17-श्री प्रदीप जैन आदित्य
18-श्री अब्दुल कलाम
19-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

20-श्री आरिफ अनवर हाशमी
21-डा0 वकार अहमद शाह
22-श्री राम बिशुन आजाद
23-श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव)
24-डा0 अजय तोमर
25-श्री प्रमोद तिवारी

पंडित आर0 के0 शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के व्यवहार की जांच कराये जाने की सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय पं0 आर0 के0 शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के व्यवहार की जांच कराये जाने की सूचना दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को दी गयी थी जिस पर निर्णय ले लिया गया है और उक्त मामले में विशेषाधिकार हनन अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

उक्त सूचना पर मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 14 फरवरी, 2008 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

निर्णय

[माननीय पं0 आर0 के0 शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी-गौतमबुद्ध नगर के व्यवहार की जांच कराये जाने की सूचना दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को अभिसूचित की है।

माननीय सदस्य का कथन है कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में स्थित सेक्टर 28, अट्टा चौक में विगत 15 वर्षों से उनकी दुकान नं0 2 किराये पर है। दिनांक 08 अगस्त, 2007 को सायंकाल श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दादरी द्वारा उन्हें प्रताड़ित एवं बेइज्जत करने के उद्देश्य से भारी पुलिस बल एवं मीडिया कर्मियों के साथ आये और उनकी उपरोक्त दुकान को सील करने लगे। माननीय सदस्य के द्वारा उक्त अधिकारियों से दुकान सील करने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस दुकान पर पांच लाख रुपये बिजली का बिल बकाया है। इस जानकारी के उपरान्त माननीय सदस्य द्वारा अपने मीटर के बिल के भुगतान की रसीदें दिखलाये जाने तथा अपना परिचय दिये जाने के बावजूद उक्त अधिकारियों ने उन्हें दुकान से बाहर कर दुकान सील कर दी। माननीय सदस्य का कथन है कि उक्त बिजली का बकाया वास्तव में उनकी दुकान पर न होकर पीछे रहने वाले श्री पवन सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह एवं धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रस्मपाल पर था, जो लगभग 4.82 लाख रुपये का था जिसके भुगतान की आर0सी0 जिलाधिकारी द्वारा जारी की गयी थी। इसके बावजूद उक्त अधिकारियों ने आम जनता एवं मीडिया के समक्ष उन्हें प्रताड़ित एवं बेइज्जत किया तथा अशोभनीय एवं अनर्गल बातें कहकर उनके पद एवं विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंचायी। इसकी शिकायत लेकर जब माननीय सदस्य जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के आवासीय कार्यालय टेलीफोन पर पूर्व सूचना देकर पहुंचे तो जिलाधिकारी ने भी उन्हें लगभग डेढ़ घण्टे बाहर बिठाये रखने के उपरान्त कार्यालय में बुलाया।

माननीय सदस्य ने अपने साथ घटित घटना की जानकारी जिलाधिकारी को दी जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि वह अपने अधिकारियों से बात करेंगे किन्तु इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को उक्त सूचना देने की तिथि तक जिलाधिकारी की ओर से कोई सूचना नहीं दी गयी। माननीय सदस्य ने श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की कार्यवाही करने एवं उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी-गौतमबुद्धनगर के व्यवहार की जांच कराये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से उक्त अधिकारियों का अभिकथन मांगा गया किन्तु काफी समय तक कोई सूचना प्राप्त न होने पर मैंने प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग को यह निदेश दिये कि वह दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे उक्त तीनों अधिकारियों को अपने साथ लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में आयें। तद्नुसार प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग उक्त तीनों अधिकारियों सहित दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 को मेरे कार्यालय कक्ष में आये, मैंने उनको सुना और यह निदेश दिया कि उक्त तीनों अधिकारी बिना किसी शर्त के माननीय पं0 आर0 के0 शर्मा से लिखित में क्षमा याचना करें तभी इस मामले को निस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति विभाग ने उक्त के सम्बन्ध में श्री ए0 बी0 राजामौलि, तत्कालीन जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री हिमांशु गौतम उप जिलाधिकारी, दादरी एवं श्री संजय सिंह नायब तहसीलदार दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर से प्राप्त उनके अभिकथनों को संलग्न किया है जिसमें उक्त तीनों अधिकारियों ने यह उल्लेख किया है कि

राजस्व वसूली की विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आम जनता के बीच में माननीय विधायक जी के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है इसके लिए वह खेद व्यक्त करते हैं एवं क्षमा प्रार्थी भी हैं।

आयुक्त मेरठ के अनुसार श्री पवन कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रह्मपाल निवासी-बथुवा मार्केट, सेक्टर 28, नोएडा के विरुद्ध विद्युत विभाग द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में उनके विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दोनों बकायेदारों द्वारा धनराशि जमा न करने पर उनकी अचल सम्पत्ति बथुवा मार्केट सेक्टर-28, नोएडा स्थित 16 दुकानों को कुर्क करने हेतु उप जिलाधिकारी दादरी द्वारा कुर्की अधिपत्र जारी किया गया। उक्त दुकानों को सील करने के बाद किरायेदारों द्वारा बकायेदारों पर देय बकाया धनराशि को किस्तों में जमा करने की सहमति दी गयी जिसके आधार पर उनकी दुकानें फिर खोल दी गयीं।

उक्त प्रकरण सदन या उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित नहीं है अपितु इसमें भ्रमवश एक माननीय सदस्य के साथ अशोभनीय व्यवहार एवं अभद्रता किये जाने का विषय अन्तर्ग्रस्त है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर एवं लिखित रूप में भी क्षमा मांग ली है। अतः प्रश्नगत मामले को मैं इसी के साथ निस्तारित करता हूं।]

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 14 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर।)

नामों की सूची

वर्ष 2006-07 में ग्राम भिटौरा, तहसील मनकापुर, जनपद-गोण्डा में कृषि हेतु अनुसूचित जाति के 13 व्यक्तियों सर्वश्री घनश्याम, श्रवण कुमार, शिवकुमार, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, अक्षय कुमार, सरोज कुमार, राकेश कुमार, रामलखन, गंगाराम, सुरेश कुमार, सुरेन्द्र व माता प्रसाद तथा पिछड़ी जाति 09 व्यक्तियों सर्वश्री रामनाथ सुखदेव, संतोष कुमार, रामधीरज, रामलखन, लालजी, मो0 हुसैन, रामतीरथ व राजाकेशोर को पट्टे आवंटित किये गये।

आवास हेतु अनुसूचित जाति के 25 व्यक्तियों सर्वश्री संजय, बंशीलाल, झिनकान, अरबिन्द, स्वामीनाथ, गया प्रसाद, बिन्देश्वरी, भगौती, राजेश कुमार, रमाकान्त नन्द किशोर, आनन्द स्वरूप, सतीश चन्द्र आर्य, महेश कुमार, शिवकुमार, गंगाराम, विजय कुमार पुत्र भिखारी प्रसाद, विजय कुमार पुत्र कन्हई, सुरेश कुमार, मनोज कुमार, राजाराम, वीरेन्द्र कुमार, रोशनलाल, कमलेश, अशोक कुमार तथा पिछड़ी जाति के 08 व्यक्तियों सर्वश्री विजय कुमार पुत्र छेदी प्रसाद, अजय कुमार, अगनू प्रसाद, राममगन, संतोष कुमार, वीरभान, महादेव व जगदीश गिरि को पट्टे आवंटित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ट 192 पर।)

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में आज दिनांक 14 फरवरी, 2008 को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव दिये हैं, वे संलग्न हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपका आभार प्रकट करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी चंद बाते इस सदन के सामने रखना चाहते हैं "समता मूलक समाज" और "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की अमर लोक प्रिय मान्यताओं के साथ हमारी प्रिय नेता सूबे की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में सरकार चल रही है। विपक्ष में बैठे लोग चूंकि द्वेषपूर्ण चश्मे को अपनी आखों पर लगाये हैं अतएव इस सरकार की उपलब्धियां उन्हें नजर नहीं आ रही हैं आज आम जनमानस पूरी तरह से सरकार की क्रिया-कलापों से संतुष्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना के क्षेत्र में सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाये है विपक्ष के बारे में हम इतना कहना चाहते हैं कि जब जनता ने उन्हें ठुकराया था ता उनके मुख से बरबस निकल पड़ा था-बड़े बे आबरू हो कर तेरे कूचे से हम निकले और जनता बार-बार यह कह चुकी है कि पहले हमने बहुत सहा था तब तुम्हे बेवफा कहा था ये जो मेरे सीने मे खंजर है यह तुम्हीं दोस्त का रहा था लेकिन ये विपक्ष के नाबालिग लोग जिस तरह से नाबालिग बच्चों की तरह गुब्बारे उड़ा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब यही गुब्बारे की तरह हवा में ही नजर आयेंगे और हमारी मुख्य मंत्री कई पंचवर्षीय योजनाओं को लोकहित में क्रियान्वित करती रहेंगी हम चुंकि चिल्लू पार विधान सभा क्षेत्र के निवासी हैं। अतः अपनी विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को एवं महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देतें हैं तथा अपने विधान सभा क्षेत्र सरयू नदी और राप्ती नदी पर पुल निर्माण की मांग करते हैं।

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

मा0 अध्यक्ष जी, महोदय खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा का तहसील मुख्यालय जो अंग्रेजी शासन के समय का बना हुआ है और भवन पूर्णतः जर्जर हो गया है। उसको बनवाने के विषय में कोई बात नहीं की गयी है विदित हो कि जब गोरखपुर जिला था उस समय भी हाटा तहसील मुख्यालय था जब देवरिया जिला बना तब भी हाटा तहसील मुख्यालय था और अब कुशीनगर जिला बना है तो इस समय भी यह तहसील मुख्यालय है। महोदय मैं स्वयं गत माह में बार एसोसिऐशन के शपथ ग्रहण समारोह में गया था। तहसील के अधिकारियों ने दिखाया कि जब भी बारिश होती है वह पूरा तहसील भवन के सभी कमरे चूते हैं जिससे अभिलेख भीगते हैं और नष्ट हो रहे हैं विशेष महत्वपूर्ण अभिलेख कमरे के अन्दर बरसाती से ढके गये हैं। कृपया तहसील मुख्यालय के जर्जर भवन को बनवाने की कृपा करें।

श्री जावेद अंसारी-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश किये गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने की मुझे अनुमति दी जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सरकार "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चलकर "समता मूलक समाज" के स्थापना की बात करती है लेकिन इसे मैं थोथा नारा मानता

हूं। महामहिम का अभिभाषण मात्र कल्पनाओं की उड़ान है पिछली बार के अभिभाषण के समय तो बहाना था कि-

"हालात बदलने में तो कुछ देर होगी,
सूरज को निकलने में तो कुछ देर होगी,
टकरायी है तूफां से तलातुम से लड़ी हैं,
कश्ती को सम्भालने में तो कुछ देर होगी।"

मगर अब तो कोई बहाना नहीं चलने वाला वादे न पहले पूरे हुए न अब पूरे होने वाले हैं लेकिन सरकार जिस रास्ते पर चल रही वह सर्व समाज का भला करने वाला नहीं हो सकता क्या प्रदेश का मुसलमान सर्व समाज से बाहर है आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है उससे मुस्लिम समाज में बेचैनी भी है और भय व्याप्त है आतंकवाद और सुरक्षा के नाम पर अधिकारियों द्वारा जिस तरह के निर्णय लिये जा रहे हैं वह विनाशकारी साबित होंगे तथा समाज को विघटित करने वाले होंगे।

17 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक की गई सचिवालय की सुरक्षा के नाम पर गवर्नर मस्जिद और सामने की बक्फ मस्जिद में जुम्मे के दिन होने वाली नमाज पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव से मुस्लिम समाज उद्वेलित और बेचैन है। ऐसी पाबंदी लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है ?

मान्यवर, मैं जौनपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं यह ऐतिहासिक नगर है अकबर महान फिरोज शाह तुगलक शर की बादशाह शेरशाह सूरी आदि से अतीत से जुड़ा जौनपुर बेहद उपेक्षा का शिकार है। जौनपुर को तो बहुत पहले के पर्यटन का केन्द्र बना दिया जाना चाहिए था। उपेक्षा तो बहुत हो चुकी सैकड़ों दर्शनीय स्थल शिक्षा का केन्द्र ऐशिया की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी वाला यह क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है। पीने के पानी का घोर संकट है फिर भी कोई राहत देने की पहल नहीं हो रही है। बिजली मंत्री जी बैटे हुए है बिजली तो आठ-दस घंटे से ज्यादा देते नहीं कम से कम बिजली आपूर्ति का समय निर्धारित कर उसका कड़ाई से पालन ही करा दें ताकि पीने के पानी के लिए हमारे नागरिकों को सारी-सारी रात जागना तो न पड़े। नयी बिजली की लाइनें, मशीने और नये उपकेन्द्र की मांग लगातार की जा रही है। मगर यह सरकार उस ओर भी कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। जौनपुर का चमेली तेल उद्योग जो बैल कोल्हू से निर्मित होता आ रहा है और तेल व इत्र की खुशबू से जौनपुर की पहचान कराता था। आज यह उद्योग दम तोड़ चुका है उसे पुनर्जीवित करने की लगातार मांग की जा रही है सरकार को चाहिए की इस कुटीर उद्योग को जिन्दा करके हजारों परिवारों को रोजी-रोटी से जोड़ दें कर्जा कला ब्लाक के गोमती नदी पर छूछा घाट पर पुल बनाये जाने की मांग मैं लगातार करता चला आ रहा हूं इस पुल के बनने से पचास किलो मीटर की दूरी भी कम हो जायेगी और मै परीसीमन से बनने वाली मल्हनी विधान सभा जो अभी नदी के दोनों तरफ है यह पुल उसे जोड़कर दूरी को

कम करके मार्ग 500 मीटर कर देगा। मान्यवर, जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र है इस शहरी क्षेत्र में गोमती का तटवर्ती होने के नाते पेय जल का गम्भीर संकट है यहां कम से कम घनी आबादियों के बीच पांच नये ट्यूबवेल और ओवर हैड टैंकों तथा नयी पाइप लाइनों की व्यवस्था शीघ्र किये जाने की जरूरत है हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन की शहरी क्षेत्र में अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए वर्ना हमारे क्षेत्र के लोग प्यासे मर जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी जौनपुर सिटी स्टेशन से सिटी बसें अवश्य चलायी जानी चाहिए थी मगर सरकार आटोरिक्शा आदि का बहाना लेकर उससे पल्ला झाड़ती रहती है। मान्यवर, भोर तथा देर रात में वहां पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्री बराबर लुटते रहते हैं। घर तक कोई सवारी का साधन न होने से पूरी रात स्टेशन पर बिताने को मजबूर हो जाते हैं बसों का संचालन कराया जाय।

अन्त में अध्यक्ष जी अभिभाषण पर बोलने की आपने अनुमति दी पुनः आभार व्यक्त करता हूं तथा संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले साढे तीन साल के शासन में केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कालाबाजारी एवं पूरे प्रदेश को जंगल राज कायम करने का कार्य किया। किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं ये लोग पहले अपने गिरेबान में झाक कर देंखें। मा0 अध्यक्ष जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी जो प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर और उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून का राज्य स्थापित करने का कार्य किया और प्रदेशवासियों को जंगल राज्य से मुक्ति दिलाने का कार्य किया मा0 अध्यक्ष जी हमारी सरकार ने दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू किया जो बधाई की पात्र हैं। मैं अपने नेता को हृदय से अभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में निम्न कार्य जो जनहित में आवश्यक है निम्न है:-- हान्हा नाला, वैरिया डीह के अधूरे पुल के निर्माण को शुरू कराया जाय। फरहीं रामपुर के टूटे पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

श्री सुन्दर लाल लोधी--

मा0 अध्यक्ष जी, आप द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा संशोधन पर बल देने हेतु जो अवसर दिया गया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं जनपद उन्नाव से चुनकर आया हूं इस कारण हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि क्षेत्र की जनता की समस्यायें आपके माध्यम से सदन में रक्खूं वास्तव में हमारा उन्नाव गंगा नदी और सई नहीं के मध्य बसा है दो महानगरों के मध्य होने के बावजूद उन्नाव के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं मुख्य कारण उन्नाव की बहुत बड़ी भूमि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से अधिगृहित कर कानपुर के निवासियों को देकर टेनरी व अन्य फैक्ट्री लगायी गई जिससे किसान

भूमिहीन हो गये और इनको रोजगार भी नहीं मिला और अब शेष भूमि गंगा एक्सप्रेस वे में जाने वाली है उससे और बेकारी बढ़ेगी जनपद में सिंचाई हेतु नहरें तो हैं परन्तु नहरों में पानी न होने से किसान परेशान है। इस सरकार में अधिकारियों की मनमानी है कोई भी जनता के कार्य नहीं मात्र धन वसूलने पर कार्य चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, जनपद उन्नाव में पीने का जल सर्वाधिक दूषित है। इस पानी से लोग अपंग हो रहे हैं। और अनेक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं यह भी विचार योग्य है कि जो भूमि उन्नाव की है परन्तु न्यू कानपुर सिटी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर न्यू कानपुर सिटी बनायी जा रही है। उसमें कृषक के परिवार के किसी को भी नौकरी न देकर किसानों को आन्दोलन हेतु प्रेरित किया गया है यही नहीं रेलवे ने भी जमीनों का अधिग्रहण किया है इस तरह उन्नाव का किसान मूकदर्शक बन कर रह जायेगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत लाइनें टूटी और जर्जर हैं दिल्ली की कम्पनी ए0बी0बी0 द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ परन्तु अभी बल्ब नहीं जलें हैं यह सरकार अपने को दलितों की सरकार कहती है परन्तु उन्नाव में दलित ही पीड़ित हैं सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमेरिका प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को भी सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में समता मूलक समाज की स्थापना एवं "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" को धरातल पर चरितार्थ कर रही हैं।

अतः माननीय बहन सुश्री मायावती जी, मुख्य मंत्री को कोटि-कोटि नमन करता हूं।

श्री सी0एम0प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आज दिनांक 14-2-2008 को आप के द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अपने विधान सभा की समस्याओं के पक्ष में लिखित रूप में जो अवगत कराने का निर्देश दिया गया है उसकी तरफ आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वे समस्यायें निम्न हैं:--

1-मेरे विधान सभा 244 दुधी सोनभद्र में 1976 से निर्माण हेतु लम्बित कनहर सिंचाई परियोजना पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाय यह परियोजना तीन प्रान्त उत्तर प्रदेश झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है जिसके बन जाने पर तीनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों को सिंचाई का काम मिलेगा।

नगर पंचायत दुधी में पानी की आपूर्ति बिना फिलटर की होती अतः जलपूर्ति हेतु फिलटर प्लान्ट लगवाने की जरूरत है। बुन्देलखण्ड की भांति सोनभद्र को भी विशेष दर्जा दिया जाय क्यों कि जनपद सोनभद्र नक्सल प्रभावित जिला के साथ-साथ सूखाग्रस्त भी है। विकास खण्ड बभनी में कोई कन्या इण्टर कालेज नहीं है वहां वित्तीय वर्ष 2008-2009 में कन्या इण्टर कालेज खोला जाय।

श्री महिपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी उ0प्र0 के 2008-2009 के बजट सत्र के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है जिसमें माननीय बहन जी मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 ने "सर्वजन हिताय" व "सर्वजन सुखाय" के काफी लाभकारी इनके उत्थान के लिए योजनाएं लागू की जिससे आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश में कई काम हुए हैं बैट प्रणाली लागू कर अच्छा कार्य किया है चीनी के रेट कम होने के बाद भी मिल मालिकान से दबाव देकर 122.50,125,130 प्रति कुन्तल के दाम घोषित कर किसानों को दिलवाने का सराहनीय कार्य किया बिजली के क्षेत्र में 10500 मेगावाट का उर्जा बनाने का कार्य जो तत्कालीन सरकारों नहीं किया हमारी सरकार ने उर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है।

मेरे क्षेत्र नकुड में शिक्षा की काफी कमी है पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए नकुड विधान सभा में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय बागाह में व चार इण्टर कालेज दिलवाने की कृपा करें।

2-33 के0वी0 बिजली पर 1-सलार पुरा 2-गोसगढ सिकन्दरपुर 3-खडलाना 4-इस्सेपुर कलालहर्टी 5-खेडा अफतरन्त 6-अध्याना, जान्डखेडा सिंगल घर बनवाये जावे।

3-उ0प0 व हरियाणा में मिलने वाला पुल जो दौलतपुर ग्राम से कुजपुरा हरियाणा को जोड़ने के लिए जनता की सुविधा हेतु मा0 काशीराम जी सेतु के नाम से बनवाया जावे।

4-सहारनपुर नगर में बाईपास बनवाया जावे।

श्री भगवान दास-

मा0 अध्यक्ष जी, महोदय, निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित बजट प्रस्तुत की और महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दिया गया उस पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इससे सभी वर्ग चाहे वह किसान हो मजदूर हो, व्यापारी हो छात्र हो सब खुश हैं। तथा जंगल राज को खत्म कर कानून का राज स्थापित किया है सराहनीय है। गरीबों मजलूमों पिछड़ों अल्पसंख्यकों, दलितों एवं सर्व समाज को आगे बढ़ाने का सराहनीय कदम उठाया है।

अन्त में सन्त कबीर नगर जनपद में बन्द पड़ी सूती मिल व हैण्डलूम मिल को पुनः चालू करने की विनम्र निवेदन करता हूं।

श्री दयाराम-

मा0 अध्यक्ष जी, सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र चायल-कौशाम्बी के ब्लाक नेवादा अन्तर्गत ग्राम श्यामपुर उर्फ मल्हीपुर है देश की आजादी के बाद आज तक ग्राम में आने-जाने का कोई स्थाई सड़क नहीं हैं जबकि गांव की जनसंख्या एक हजार की बस्ती है।

सादर अनुरोध है कि उक्त ग्राम सभा के विकास व आने जाने को सड़क निर्माण आवश्यक है। आवश्यक कार्यवाही का आदेश प्रदान करें। ग्राम केवटपुरवा से मल्हीपुर एवं बेनपुर कटैया से श्यामपुर मल्हीपुर तक पुलिया व सड़क निर्माण कार्य।

श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करने के लिए अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीया मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उ0प्र0 में चौथी वार सरकार बनी है माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय सर्वरोचायस, समतामूलक समाज, भाईचारा पैदा करने के लिए कृत संकल्प है। कु0 बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में सर्व विकास के लिए अलग-अलग धन मुहैया कराया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्र बुन्देलखण्ड, विन्ध्याचल क्षेत्र के जनता किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक उनके हितों को ध्यान में रखकर बजट का प्राविधान देकर भूखों को भोजन देने का काम किया गया है जो सराहनीय पूरे क्षेत्र में है। लेकिन दुःख इस बात का है कि केन्द्र सरकार जो पूर्ण रूप में जिम्मेदार है सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं पूरे उ0प्र0 विकास के लिए 80 हजार करोड़ रु0 की मांग बार-बार करने के बाद भी फूटी कौड़ी नहीं दे रही है जिससे कोई जनता भविष्य में होने वाले लोक सभा चुनाव में माफ नहीं करेंगे।

सरकार के कार्य जो सराहनीय है महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण के पक्ष में धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस लोकतंत्र व्यवस्था में हम सभी जनप्रतिनिधि इस सदन में बैठे हैं मैं उस महापुरुष डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी भावना से आज हम लोग इस लायक बने हैं।

मैं मा0 कांशीराम जी के चरणों में नमन करता हूं जो अपने पूरे जीवन को बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे कार्यो को ध्यान में रखकर पूरा समय देश में करोड़ों दलित पिछड़ों एवं सर्वजन समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा उनके अधिकारों को आगे लाने में जीवन अर्पण किये हैं। सरकार के पक्ष में रामसागर अकेला जी के समर्थन में बल देता हूं।

श्री कालीचरन राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम श्री राजपाल महोदय के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मौका दिया हम आपके आभारी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह सरकार "सर्वजन हिताय" व "सर्वजन सुखाय" के रास्ते पर चलकर मानवतावादी, समता मूलक समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है।

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार के गठन के समय से ही पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास मुक्त का वातावरण बनाने तथा कानून का राज कानून से चलाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, आर्थिक विकास का लाभ समाज के अन्तिम सीढ़ी पर खड़े दबे-कुचले, पिछड़े व गरीब लोगों को भी मिले इसके लिए नयी आर्थिक नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माडल पर विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों एवं उद्योंगो में राज्य कर्मियों की भांति आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के नौ जिले जिसमें सात जिले बुन्देलखण्ड के पिछले चार साल से भयंकर सूखे की चपेट मे है इस सरकार द्वारा सूखे से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई है।

मा0 केन्द्र द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज न देने के बाद भी यह सरकार बुन्देलखण्ड को सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से सोलह सौ करोड़ रुपये की अभिनव योजना चलाने की व्यवस्था है।

मा0 हाथपर हाथ रखकर बैठना इस सरकार का तरीका नहीं है इसलिए अपने सीमित संसाधनों के साथ नयी-नयी पहल करके विकास की गाड़ी पटरी पर लाने तथा हर क्षेत्र में विकास करके प्रदेश को उत्तम तथा खुशहाल प्रदेश बनाने का कार्य किया जायेगा।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देते हुए महामहिम के अभिभाषण पर बल देता हूं।

श्री जगपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, महोदय, मैं सदन को अपने क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं जो जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है:--

1-हरौड़ा गांव में गागलेहड़ी के सरहद के पास स्लाटर हाऊस अवैध रूप से बनाने का कार्य चल रहा है। जनहित में बंद कराया जाय।

2-ग्राम हरौड़ा व ग्राम पाली के मध्य हिन्डन नदी का पुल निर्माण कराया जाय।

3-ग्राम गोकुलपुर से मढ़ गांव के मध्य ढमौला नदी का पुल निर्माण कराया जाय।

4-ग्राम खतौली व ग्राम कोटा व ग्राम चोरा खुर्द व ग्राम शेखपुरा कदीम व ग्राम नाजरपुरा में 33 के0वी0 के विद्युत गृह बनवाया जाय।

5-सहारनपुर में वाई पास बनवाने की कृपा करें।

6-मुगल मजरा से निवादा पुल निर्माण।

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, महोदय सानुरोध कहना है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा बजट पर दिया गया अभिभाषण सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। इससे सभी को बहुत ही खुशी है तथा यह भी कहना है कि छात्र संघ पर छात्रहित में जो रोक लगाया गया इससे अभिभावक खुश है। और सभी की मांग है कि हमें आदर्श छात्र चाहिए नेता नहीं।

श्री सत्य नारायण जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी, उ0प्र0रा0सी0 निगम के बन्द इण्टर कालेजों एवं प्राथमिक विद्यालयों के बदले सरकारी स्कूल/कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में एवं सीमेण्ट निगम कर्मकारों को समायोजित करने के सम्बन्धी आपको बताना चाहूंगा कि उ0प्र0 रा0सी0 निगम बिक चुका है। राज्य सरकार

के सहायता से चल रहे चुर्क, गुरमा, डाला एवं चुनार इण्टर कालेज वर्ष 2007 से बन्द कर कर्मचारी/अध्यापक अन्यत्र समायोजित किए गये हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी बदहाल है उनके वेतन आदि का कोई भुगतान करने वाला नहीं है। साथ ही वहां के कर्मचारियों को समायोजित भी नहीं किया गया है। क्रेता सर्वश्री जे0पी0 समूह विभिन्न रु0 नौ सौ करोड़ प्रकार से सरकारी करों में छूट पाएगें किन्तु उसके बदले जनता को कुछ नहीं मिलता है।

अतः जनहित में राजकीय इण्टर कालेज, प्राथमिक विद्यालय एवं निगम कर्मियों को समायोजित करने की व्यवस्था हेतु आदेश करना चाहें।

श्री रिजवान अहमद खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कौठ एवं नगर पंचायत कौठ के निकट ब्लाक कौठ नगर पंचायत में और उससे सटे ग्राम में निम्न कार्य का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। निर्माण हेतु सम्बन्धित कृषि मंडी व जिला पंचायत मुरादाबाद को कराने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

1-नौ गने पीर की ज्यारत तक मिश्रीपुर कौठ रोड से ज्यारत तक 800 मीटर सड़क ज्यारत सुन्दरीकरण।

2-महमूदपुर माफी अम्बेडकर ग्राम के मज्हेर ईदगाह बस्ती में 550 मीटर नाला का निर्माण।

3-पेट्रोल पम्प से रविदास मंदिर तक 700 मीटर सी0सी0 रोड ध्वस्त मरम्मत या विशेष मरम्मत कराने का कष्ट करें।

श्री गिरीश चन्द्र-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय अभिभाषण पर बल देने के लिए समय दिया मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। यह नव वर्ष, 2008 समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और समानता से परिपूर्ण है।

हमारी सरकार का लक्ष्य है "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के मार्ग पर चलकर एक-एक मानवतावादी समता मुलक समाज की व्यवस्था करना है।

हमारी सरकार के गठन से ही पूरे प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त, विकास युक्त वातावरण बनाने एवं कानून का राज स्थापित करने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है जिससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 33 विधान सभा (62)-26-5-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।